खण्ड-408, अंक-3
शुक्रवार, 26 अग्रहायण, शक संवत् 1915
(17 दिसम्बर, 1993 ई0)

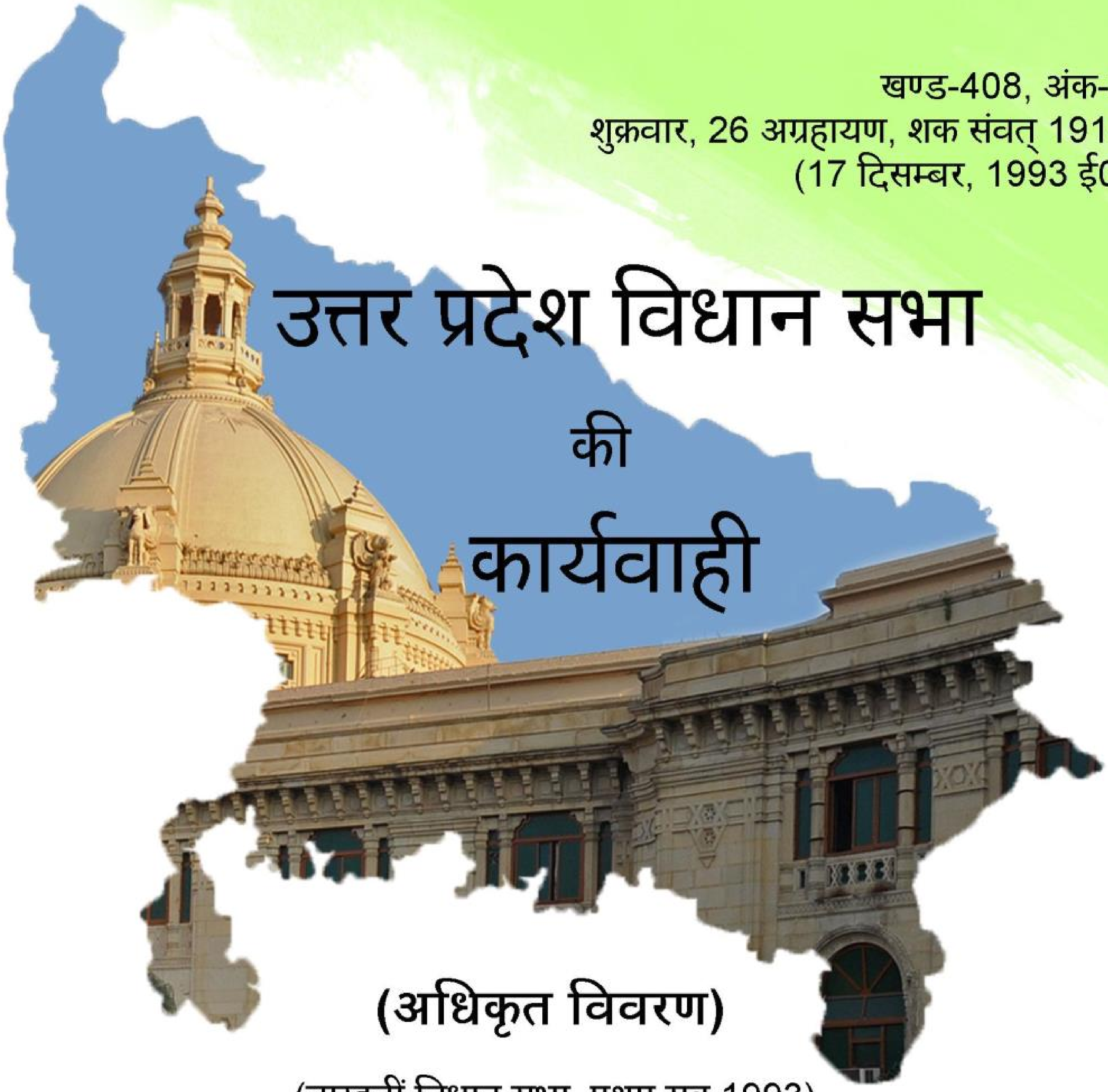

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1993)

खण्ड 408 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1993

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1–8
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री विजय शंकर सिंह, शिव चरन लाल, ठाकुर सिंहासन सिंह, अब्दुल सलाम शाह, राम नरेश शुक्ला, रेवती रमण रस्तोगी, बल्देव सिंह आर्य, श्रीमती विद्यावती बाजपेई, सर्वश्री अमर सिंह, हरनारायण, शिव मंगल सिंह, तिलक सिंह, पद्म नाथ सिंह, दयाराम वर्मा, रतीपाल, कृष्ण चन्द्र शर्मा, रणधीर सिंह, गया प्रसाद वर्मा, प्रेम किशन खन्ना, रवीन्द्र नाथ तिवारी, आगा जैदी, देव दत्त मिश्र, केशव चन्द्र सिंह, उदय नाथ मौर्य, महेन्द्र प्रताप सिंह, राम किशोर त्रिपाठी, मैनेजर सिंह, डा० सियाराम गंगवार, सर्वश्री राज मंगल पाण्डेय, विश्वनाथ पाण्डेय तथा राम समुझावन के निधन पर शोकोद्गार	8–20
श्री जे० आर० डी० टाटा तथा श्रीमती ललिता शास्त्री के निधन एवं महाराष्ट्र में आये भूकम्प से हुई जन-धन की हानि पर शोकोद्गार ...	20–25
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	26-27
जनपद हरदोई की नगर पालिका मल्लावां में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	27
गढ़वाल मण्डल के जनपद पौढ़ी में जंगली जानवरों का आतंक व पागल हाथी द्वारा दो व्यक्तियों के मारे जाने तथा घायल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	27
बरेली के कस्बा विशारत गंज में बालिका विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	28
प्रदेश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को आवासीय भत्ता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	28
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	28-29
उच्चतम न्यायालय की शर्तों का पालन न करने वाले सदस्यों के पुनः निर्वाचित होने पर उनकी सदस्यता समाप्त करने हेतु चुनाव आयोग को पत्र लिखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	29–37
सदन में 16 दिसम्बर, 1993 को घटित दुःखद घटना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	38
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) अध्यादेश,1993..(सदन के पटल पर रखा गया)	39
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1993..(सदन के पटल पर रखा गया)	39
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1993..(सदन के पटल पर रखा गया) ...	39
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1993.. (सदन के पटल पर रखा गया) ...	39

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ का स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा वर्ष, 1991-92 .. (सदन के पटल पर रखा गया) ...	39
संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 ..(सदन के पटल पर रखा गया) ..	39
उत्तर प्रदेश विनियोग (1992-93 का अनुपूरक) विधेयक, 1992 ..(श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना).. ...	40
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 .. (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	40
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 ... (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	40
उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992.. (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	40
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992, (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना) ...	40-41
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992.. (श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	41
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992... (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना) ...	41
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव..(स्वीकृत)	41-42
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव .. (चर्चा जारी) ...	43–74
निर्वाचित सदस्य श्री रिजवान जहीर खां को जमानत पर रिहा किये जाने की सूचना	74
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	75
नत्थी ..	76–153

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 1993

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी
उर्मिला राजपूत, श्रीमती	फर्रुखाबाद
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कृष्ण कुमार नवमान, श्री	अलीगढ़
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कोकब हमीद खां, श्री	मेरठ
चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
चन्द्र शेखर, श्री	बस्ती
जगदम्बा, श्री	बस्ती
जगरनाथ चौधरी, श्री	जौनपुर
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
तिलक राज बेहड़, श्री	नैनीताल
तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
दया सिन्धु शंखधर, श्री	बदायूं
दरोगा, श्री	आजमगढ़
नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया
परशुराम, श्री	फैजाबाद
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री	बहराइच
बची सिंह रावत, श्री	अल्मोड़ा
बाल चन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महाबीर सिंह, कुंवर	हरदोई
माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मेवा लाल बागी, श्री	वाराणसी
रतन लाल पवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमेश पोखरियाल "निशंक" श्री	गढ़वाल
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
राम तेज, श्री	बहराइच
राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	फर्रुखाबाद
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी यादव उर्फ जोगी, श्री	जौनपुर
वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश संगल, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वयंम्बर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 1993

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भदोही-ज्ञानपुर को जनपद बनाने की मांग

**1–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही-ज्ञानपुर को जिला बनाने की मंजूरी दे दी गयी है ? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक हो जायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री बाबूराम यादव)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भदोही-ज्ञानपुर को जिला बनाने के लिये 4 वर्ष से सतत् प्रयास हो रहा है और मौजूदा सरकार के मंत्री और दूसरी सरकारों के मंत्रियों ने, सरकारों ने भदोही-ज्ञानपुर को जिला बनाने के लिये आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी और ज्ञानपुर-भदोही को जल्द से जल्द जिला बनाने की घोषणा करेगी ?

श्री बाबू राम यादव–

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जो पहले मुख्य मंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया था, दूसरी सरकारों में भी कुछ ऐसा रहा है, लेकिन जो मानक जिला बनाने के लिये दिये गये हैं उन मानकों के अन्दर भदोही-ज्ञानपुर को जिला बनाना इस समय सम्भव नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां तक भदोही-ज्ञानपुर (वाराणसी) का प्रकरण है, कारपेट बेल्ट होने के कारण वहां पर बहुत अधिक राजस्व एकत्र होता है उतना उत्तर प्रदेश के किसी अन्य स्थान पर नहीं होता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कौन सी कमियां हैं जो जिला बनाने के मानक में बाधा रही हैं और क्या यह कृपा पूर्वक बतायेंगे कि जितना राजस्व एकत्र होता है, जिस अनुपात में एकत्र होता है, जो प्रदेश में और कहीं नहीं होता है उसको ध्यान में रखते हुये मानक में विशेष ढील देते हुये कृपा-पूर्वक अपने वायदे पर कायम रहेंगे और जिला बनाने का निर्णय लेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1987 में जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर को विभाजित कर नयी तहसील भदोही का सृजन किया गया । नये जनपद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा

शासनादेश संख्या–एम०आर०–340/92–रा०–5, दिनांक 28 अक्टूबर, 1992 में निम्नलिखित मानक निर्धारित किये गये हैं :–

1–1991 की जनगणना के आधार पर आबादी न्यूनतम 15 लाख हो,

2–न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर हो,

3–तहसीलों की न्यूनतम संख्या 3 हो,

4–विकास खण्डों की न्यूनतम संख्या 10 हो,

5–थानों की न्यूनतम संख्या 12 हो,

6–लेखपालों की न्यूनतम संख्या 388 हो ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि जो मानक थे, उन मानकों में कोई न कोई कमी रही थी जिसकी वजह से यह जिला अलग घोषित नहीं किया जा सका । क्या मा० मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे जो प्रमोद तिवारी जी ने सवाल किया था वह ज्यों का त्यों कायम है । 1–मानक में कौन सी कमी रह गयी थी और, 2–क्या, मान्यवर अलग जिला भदोही-ज्ञानपुर को बनाने के लिये प्रस्ताव रखा गया था या नहीं ?

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर घोषणा हो गई होती तो आज यह सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं होती ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आश्वासन की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में क्या कोई प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश जारी किये गये थे या नहीं ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, माननीय श्री वर्मा जी हमारे वरिष्ठ सदस्य के साथ ही साथ हमारे मित्र भी हैं । मैंने पूर्व में ही कहा कि अगर घोषणा हो गई होती तो यह सवाल पूछना ही नहीं पड़ता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने भदोही-ज्ञानपुर को जिला बनाये जाने के बारे में स्पष्ट आश्वासन दिया है । जो उस समय मुख्य मंत्री थे, वह आज भी मुख्य मंत्री हैं । जब भदोही-ज्ञानपुर को जिला बनाये जाने की घोषणा कर दी गई थी तो अभी तक इसे जिला क्यों नहीं बनाया गया और इसकी अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या इस हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है या राजस्व परिषद् के समक्ष विचाराधीन है । दूसरा, यह कि माननीय सदस्यों ने जिन मानकों की कमियों की तरफ इशारा किया है, उनकी अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिन कमियों की ओर इशारा किया है, मैं बताना चाहता हू कि वर्ष 1991-92 की जनगणना के अनुसार वहां की आबादी 10 लाख है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भदोही-ज्ञानपुर को जिला बनाये जाने की घोषणा की थी । यदि मानकों में कोई कमी भी रही हो तो मंत्रि-परिषद् को शक्ति होती है कि वह उनको शिथिल कर सकती है । चाहे वह जनसंख्या की कमी हो, चाहे क्षेत्रफल की कमी हो या कोई अन्य । घोषणा के बाद मंत्रि-परिषद् तद्नुसार उसके मानक तैयार कर सकती है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यहां यह सवाल नहीं है कि मानक क्या हैं और क्या नहीं हैं । जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की होगी उस दिन भी लेखपालों की संख्या वही रही होगी और दूसरे चीजों की भी संख्या वही रही होगी । हम यह मानकर चलते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, हम यह भी मानते हैं कि वह जो कहते हैं, वही करते हैं । आज माननीय मुख्य मंत्री जी का सदन में पहला दिन है । आज जनता के सामने तस्वीर भी साफ हो जानी चाहिये कि हम जो कहते हैं, उसे करते हैं । अब आप केवल यह बतायें कि इसे आप जिला कब तक बना देंगे ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसी के साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी यह बता दें कि वह बलरामपुर-पडरौना को मिलाकर जिला कब तक बना देंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी याद दिला दिया । हम भदोही व पडरौना को जिला बनाने के लिए वचनबद्ध हैं । वहां निर्माण आदि कार्य के लिए जो भी औपचारिकताएं हैं, उन सबके लिए आज ही निर्देश जारी कर दिये जायेंगे ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी का क्षेत्र में आश्वासन था और आज यहां भी हो गया है । यह दूसरा आश्वासन हो गया है सदन के अन्दर । इसलिए इस पर निश्चित रूप से घोषणा कब तक हो जायेगी कि भदोही और ज्ञानपुर को मिलाकर एक जिला बना दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, घोषणा तो हो ही चुकी है । अब तो आप शिलान्यास की बात कहें । शिलान्यास बहुत जल्दी कर देंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने घोषणा की भदोही को जिला बनाने के लिये और पडरौना भी उन्होंने कहा और जिले के लिये जो मानक हैं उसमें छूट दी तो क्या और भी जो ऐसी तहसीलें हैं जैसे बलरामपुर, हापुड़, हरदोई की एक तहसील सवायतपुर है उनको भी छूट देकर जिला बनाने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह तो प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय नरेश जी रोजाना मिलते रहते हैं इनके सुझाव, मशविरे जो होंगे वह हम आपस में अलग से बात कर लेंगे ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो मानकों की बात कही वह मैदानी क्षेत्र में जिला बनाने के बारे में है और उनमें छूट देने की बात कही । माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात होगा हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिये अलग मानक है हमारे यहां जो पर्वतीय क्षेत्र में डीडीहाट, चम्पावत, काशीपुर रानीखेत आदि को जिला बनाने की घोषणा करेंगे । वहां जनसंख्या भले ही कम है लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से विकास कार्य चलाना मुश्किल है तो वहां लोगों की जिला बनाने की मांग है तो क्या वहां की मांग को देखते हुये जिला बनाने पर विचार करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जब हम वचनबद्ध हैं कल ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बता दिया है अलग से जब राज्य बना दिया जायेगा तब आप जैसा चाहें गौर कर लें ।

जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त करने की मांग

**2–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त करेगी ? यदि हां, तो यह निर्णय कब से लागू हो जायेगा ?

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

राज्य सरकार द्वारा शासकीय विज्ञप्ति संख्या–वि०क०–2–1217/ग्यारह–9 (94)/91, दिनांक 31-3-92 जारी करके 33 जीवन रक्षक दवाइयों को बिक्रीकर से मुक्त कर दिया गया है । उक्त विज्ञप्ति दिनांक 1-4-92 से लागू है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वह टैक्स फ्री होंगी और उनके संबंध में 1-4-92 से राजाज्ञा लागू हो चुकी है । तो मैं जानना चाहता हूं उन 33 जीवन रक्षक दवाओं के अलावा अन्य कितनी दवायें हैं जो इस श्रेणी में आती हैं क्या उन पर भी टैक्स फ्री करेंगे । मान्यवर, समाजवादी पार्टी ने 1993 के अपने घोषणा-पत्र में वचनबद्धता दी है कि जीवन रक्षक दवायें कर मुक्त करेंगे जैसे कैंसर, टी० बी०, ऐड्स आदि के रोगियों का फ्री इलाज होगा । तो यह जो 1-4-92 का आदेश है यह पिछली सरकार का है मैं जानना चाहता हूं भविष्य में जो इस तरह की जीवन रक्षक और दवायें हैं जिनको टैक्स फ्री करेंगे वह कौन-कौन सी दवायें हैं, उसके संबंध में आपकी क्या योजना है जिसका कोई उत्तर नहीं आया है उसे कृपा कर बताने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय पाल साहब ने एक घोषणा-पत्र का हवाला दिया और उस संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछा है । हम तो बिक्री-कर का भी विकल्प लायेंगे तो जो उनका प्रश्न है वह भी बिक्री-कर से मुक्त है जिन दवाओं की अधिसूचना जारी हुई है जो बिक्री-कर से मुक्त है । हम बिक्री कर का भी विकल्प ला रहे

हैं । तो हम बिक्री-कर के बारे में विकल्प लाने का प्रयास कर रहे हैं, जब पूरा हम इसे लायेंगे तो आप स्वयं सन्तुष्ट हो जाएंगे ।

(व्यवधान)

दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा, न हम समझ पाएंगे न आप हमारी बात समझ पाएंगे । तो आप कह लीजिए पहले तो हम कहें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप कहें, पहले बताएं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, जीवन रक्षक दवाओं की परिभाषा करना एक मुश्किल काम है । 33 दवाओं की सूची इसके अन्तर्गत जारी हुई, वे दवाएं बिक्री-कर से मुक्त हैं । इसके अलावा हम मानते हैं कि जैविक नाम की दवाओं को भी बिक्री-कर से मुक्त करने की बात है, उसकी आवश्यकता है, और जो दवाएं हैं जिनमें इनका मिश्रण है वह भी अभी इसमें नहीं हैं, तो हम बिक्री-कर समाप्ति का विकल्प ला रहे हैं, तो आगे जीवन रक्षक दवाओं के बारे में क्या सुविधा दी जाए, उस पर भी उसमें विचार कर लिया जाएगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे 30 जीवन रक्षक दवाएं इसमें ली गई हैं, जो बिक्रीकर से मुक्त होंगी, आपने कहा कि उसकी परिभाषा करना मुश्किल होगा, तो जो 33 जीवन रक्षक दवाएं मानी हैं, उनको मानने का मानक क्या था और उस मानक के अन्तर्गत प्रदेश में और कितनी दवाएं आती हैं ? आपके पास उसकी लिस्ट होगी, आप बता दें ? न हो तो मंगा लें, क्योंकि आपके पास तो मुख्य मंत्री की तरफ से सभी विभाग हैं, और उसके बाद ही सदन को सूचित करें । आपके पास उत्तर नहीं है तो आप संकोच न करें और इसको आज स्थगित कर दें । लेकिन आपके रहते स्पष्ट उत्तर न मिले सदन को तो सदन को जरूर दुःख होगा । तो आप स्पष्ट इस पर घोषणा करें, मैं यह चाहता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो प्रश्न था वह जीवन रक्षक दवाओं को बिक्रीकर से मुक्ति का था, उनके बारे में जिज्ञासा व्यक्त की गई थी, तो उसके बारे में मैंने सूचना दे दी है और पूरक प्रश्न में पूछा गया कि इसमें और ऐसी कौन दवाएं आती हैं, तो उनके बारे में तो परीक्षण ही किया जाएगा । आपकी बात का सम्मान करते हुए जब बिक्रीकर की बात आएगी तो उन पर अवश्य विचार कर लिया जाएगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि 33 दवाएं मानने का कोई मानक उसके लिए निर्धारित किया गया होगा, तो केन्द्र सरकार ने किन-किन जीवन रक्षक दवाओं की लिस्ट आपको भेजी है और उसके अनुसार कौन दवाएं उसमें आती हैं और इन दवाओं पर आप कब तक बिक्रीकर समाप्त कर देंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जिन जीवन रक्षक दवाओं को माना गया है उनके बारे में सूचना जारी की गई है और मानने के लिए तो काफी विस्तार से विचार की जरूरत है। प्रश्न बहुत साफ था कि किन दवाओं को बिक्रीकर से मुक्त किया गया है ? उसके बारे में बता दिया गया है। 1-4-92 की यह सूचना है और यह पब्लिक में आ गई है लोगों को मालूम हो गई है। उसके बारे में सूचना दे दी गई है, अब उसकी सूचना सदन में घोषित करना, मैं समझता हूं, औचित्यपूर्ण नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपकी सरकार की नीति यह है कि वह जीवन रक्षक दवाओं पर से बिक्रीकर समाप्त करे। जीवन रक्षक दवाओं की सूची में 33 दवाएं शामिल हैं। अमूमन सभी दवाएं जीवन रक्षा के काम आती हैं, जीवन रक्षक होती हैं तो जो सूचीबद्ध नहीं हैं जीवन रक्षक दवाओं के रूप में, उन दवाइयों पर बिक्रीकर समाप्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, जो जीवन रक्षक दवाइयां अधिसूचना में जारी हैं वह बिक्रीकर से मुक्त हैं और जो बिक्रीकर से मुक्त नहीं हैं जैसा कि हमने पहले ही कह दिया कि बिक्रीकर के बारे में विकल्प लाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें उन्हें रखा जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, उत्तर पर्याप्त नहीं आया है। सीधा सवाल यह है कि जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा और वह वाक्य कार्यवाही का अंग बन चुका है। जीवन रक्षक दवाई क्या हैं। इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। मान्यवर, इसे नियम–49 के अन्तर्गत स्वीकार करा लें। इस पर आधे घण्टे की विस्तार से चर्चा करा लें। यह करोड़ों लोगों के जीवन का प्रश्न है। इस पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि इसे नियम–49 के अन्तर्गत स्वीकार कर लें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, बड़ा संक्षिप्त प्रश्न था और जो लिखित उत्तर है उस पर पूरी सूचना मिल गई कि कौन-कौन सी जीवन रक्षक दवाइयां बिक्रीकर से मुक्त हैं। हमने यह भी कहा कि जो अन्य दवाइयां हैं उसके बारे में विचार कर लेंगे। इसके बाद तो कोई सूचना रह नहीं जाती।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मंत्री जी विपक्ष में रहे हैं आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं और ऐसी बात कह रहे हैं। आप श्रीमन् चर्चा स्वीकार कर लें। 20-21 तारीख में किसी दिन आधे घण्टे की चर्चा करा लें। यह पूरे प्रदेश का सवाल है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि नियम–49 में इसे लेने की स्वीकृति देना आपका अधिकार है, आपका विवेक है। जब सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आप संरक्षण देते हैं और उसे

नियम–49 में स्वीकार करके चर्चा के लिये अवसर देते हैं। इसलिये मान्यवर, इसे नियम–49 में स्वीकृति देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल और राम आसरे वर्मा जी सहयोगी दल होते हुए भी विपक्ष का निर्वहन कर रहे हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि बिक्रीकर का विकल्प देंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

सहयोगी होनें का यह मतलब नहीं है कि हम सत्ता के किसी निकम्मेपन पर मोहर लगायें। सहयोगी दल इसलिये हैं कि सरकार जनहित के कार्य करें उसमें हमारा सहयोग है, हमारा समर्थन है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, शासन अगर बिक्रीकर मुक्त करने पर विचार कर रही है तो इस आधार पर चर्चा की अनुमति दे दें तो माननीय सदस्यों के सुझाव भी आ जायेंगे जो इस बारे में लाभप्रद हो सकते हैं।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप इसे चर्चा के लिये स्वीकार कर लें। जीवन रक्षक दवाइयों का बड़ा महत्व है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हम चाहते हैं कि व्यवहारिक कोई बात हो तो ज्यादा तर्कसंगत होगा। 22 दिसम्बर तक की सदन की बैठक है। चर्चा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपके विवेक के ऊपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उंगली उठाई है। आपका विवेक है. इसको स्वीकृत करें या न करें।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर हमने बहुत से माननीय सदस्यों की बात सुनी। माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से भी कई उत्तर, जो उन्होंने दिए सुने, मुझे जो उत्तर दिए गए हैं उनसे इसलिये संतुष्ट हूं कि उन्होंने जिन जीवन रक्षक दवाओं के संबंध में लिस्ट दी है वह उनके पास उपलब्ध है। शेष कौन सी जीवन रक्षक दवायें हो सकती हैं इसकी कोई सूचना अभी मांगी भी नहीं गई है। बिक्रीकर से इसका कोई संबंध भी नहीं है इसलिये इस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रश्नोत्तर यहां पर हुए उससे संतुष्ट होने या न होने का संबंध माननीय सदस्यों से था। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पीठ से आपने अपने संतुष्ट होने का इजहार किया। मान्यवर, अगर इस तरह से सत्तापक्ष की तरफ से व्यवहार किया जायेगा तो संरक्षण मुश्किल होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि नियम-49 में आप इसे स्वीकार कर लें। आधे

घंटे की चर्चा होगी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मा० संसदीय कार्य-मंत्री को अपना सुझाव नहीं देना चाहिए, यह आपके विवेक पर निर्भर है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

14 करोड़ जनता, जो गरीब है, उसकी आवाज उठाने का प्रयास किया गया था । सत्तापक्ष ने बड़ी बेरहमी से उसको दबा दिया है । हम आपकी पीठ का सम्मान करते हैं हमें आपसे असंतोष नहीं है । सत्तापक्ष ने गरीबों की आवाज को नहीं सुना है इसलिये इनके विरुद्ध मैं और मेरा दल सदन से वाक-आउट करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री विजय शंकर सिंह, शिव चरन लाल, ठाकुर सिंहासन सिंह, अब्दुल सलाम शाह, राम नरेश शुक्ला, रेवती रमण रस्तोगी, बल्देव सिंह आर्य, श्रीमती विद्यावती बाजपेयी, सर्वश्री अमर सिंह, हर नारायण, शिव मंगल सिंह, तिलक सिंह, पद्मनाथ सिंह, दया राम वर्मा, रती पाल, कृष्ण चन्द्र शर्मा, रणबीर सिंह, गया प्रसाद वर्मा, प्रेम किशन खन्ना, रवीन्द्र नाथ तिवारी, आगा जैदी, देव दत्त मिश्र, केशव चन्द्र सिंह, उदय नाथ मौर्य, महेन्द्र प्रताप सिंह, राम किशोर त्रिपाठी, मैनेजर सिंह, डा० सियाराम गंगवार, सर्वश्री राजमंगल पाण्डेय, विश्वनाथ पाण्डेय तथा राम समुझावन के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, आज इस सदन को अत्यन्त दुखद समाचार और उसकी सूचना देते हुए मुझे बहुत दुःख हो रहा है । इस सदन के 31 माननीय सदस्य हमसे अलग हो गए, हमेशा के लिए अलग हो गए हैं । वह भूतपूर्व 31 माननीय सदस्य जिनका निधन हुआ है वह सब इस प्रदेश के महान सेवक, समाज सेवक थे और विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने सेवायें की हैं । अभी और आवश्यकता थी उनके ज्ञान, उनकी सेवाओं की लेकिन वह सब हमारे बीच नहीं हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत उनके जीवन से संबंधित, उनकी सेवाओं का जिक्र करना भी जरूरी है । मान्यवर, स्व० श्री विजय शंकर सिंह गाजीपुर के निवासी थे उनका निधन 27 सितम्बर, 1990 को हुआ था । 1952, 57 ,62, 67, 69, 1980 तक यह सदन के सदस्य रहे और वे कानून वेत्ता भी थे, उन्होंने वकालत भी की थी और शिक्षा क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया । वह हमारे बीच नहीं हैं । इस सदन की बहुत लम्बे समय तक सेवा की । हम उनके प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके परिवार तक उनके संबंधियों और उनके जो मित्र हैं उनका दल है उन तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

मान्यवर, श्री शिवचरण लाल आगरा के निवासी थे आप बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित थे । डा० लोहिया के बहुत ही निकट पहुंच गए थे । दो बार विधान सभा के सदस्य भी रहे और लोक सभा के सदस्य भी रहे । समाजवादी आन्दोलन में उन्होंने बहुत अहम् भूमिका अदा की थी । आप बहुत ही मृदुभाषी थे । लोकगीत और कविता में आपको विशेष रुचि थी । उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी

चाहिए । वह जितने भी चुनाव लड़े उन्होंने एक रुपया भी खर्च नही किया । एक बार हिसाब दिया था कि करीब एक हजार रुपये के आस-पास उनको बचत हुई है । इतना जनता का स्नेह प्राप्त था । मुझे बहुत अफसोस है, हम उनके साथ भी रहे हमारे बहुत निकट संबंध भी रहे । हम मौके-मौके पर अपने क्षेत्र में भी, अपने जनपद में भी कई मौकों पर उनको बुलाते थे । उनके विचारों को फैलाने के लिए, वह हमारे बीच में नहीं हैं उनके परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें । ठा० सिंहासन सिंह देवरिया के निवासी थे बहुत लम्बे समय तक यह सदन के सदस्य रहे । 1937, 46, 52, 57, 62 तक इस सदन की सेवा की और सदन के माध्यम से प्रदेश की सेवा की । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी आप थे । उन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम् भूमिका अदा की थी और समाज की बहुत बड़ी सेवा भी की । आपने इतने वर्षों तक लगातार सदन के सदस्य के रूप में सेवा की । इनके संबंधियों और परिवार तक मेरी संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें । स्व० अब्दुल सलाम शाह फर्रुखाबाद के निवासी थे । 1969 में वह चुनकर आए थे, आप मजदूरों के बहुत बड़े हितैषी थे उनके प्रति भी हमारी हार्दिक संवेदना आपके सामने, सदन के सामने रख रहा हूं, उनके परिवार तक पहुंचाने की आप कृपा करें ।

स्व० डा० राम नरेश शुक्ल जी प्रतापगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी थे और इस प्रदेश के मंत्री भी रहे । समाज सेवा और शिक्षाविद् भी आप थे, आप बहुत ही मृदुभाषी थे । कई बार हमें भी उनके साथ रहने का मौका मिला । सदन में जो पुराने माननीय सदस्य हैं सभी जानते हैं उनके दफ्तर में उनके पास जब कभी जाते थे । वह कभी भी नाराज नहीं होते थे । 1952, 67, 80 और 1985 तक आप सदन के सदस्य रहे और सेवा की । हमारी आपसे प्रार्थना है कि उनके परिवार तक उनके संबंधियों तक हमारी हार्दिक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें । रेवती रमण रस्तोगी फतेहपुर के निवासी थे 1977 में इस विधान सभा में चुनकर आए थे । यह महान समाज सेवी थे । आज यह हमारे बीच नहीं है उनके संबंधियों और परिवार तक हमारी हार्दिक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

स्व० बल्देव सिंह आर्य उत्तरकाशी के थे उनके बारे में पूरा प्रदेश परिचित है । आप बहुत लम्बे समय तक मंत्री पद पर रहे । 1952-57, 1962-1974, 1980-1985 तक वह इस सदन के सदस्य रहे । जैसा मैंने बताया वह मंत्री भी रहे और विधान परिषद् के सदस्य भी रहे । वे दलितों के बहुत बड़े नेता थे । मृदुभाषी थे और जीवन भर उन्होंने प्रदेश के गरीबों की सेवा की । उनके परिवार तक मान्यवर, हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय श्रीमती विद्या बाजपेयी, इटावा की निवासिनी थीं और 1957 में इस सदन के सदस्य के रूप में उन्होंने सदन की सेवा की । सदन के माध्यम से समाज और गरीबों की सेवा की । वे एक महान समाजसेवी थीं । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं । हमें बड़ा दुख है । मान्यवर, मेरी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी सहारनपुर के निवासी थे । 1980 में विधान सभा के सदस्य चुने गये । वह महान समाजसेवी थे । आज सहारनपुर जनपद उनकी सेवाओं से वंचित हो गया है । मान्यवर, हमारी ओर से संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय श्री हर नारायण जी बरेली के निवासी थे । लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र पीलीभीत को बनाया । वह एक महान समाजसेवी थे और समाजवादी थे । जीवन भर वह गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे । मजदूर, गन्ना किसानों की लड़ाई लड़ते रहे । गन्ना किसानों के लिये कई बार आंदोलन करके वह जेल भी गये । मान्यवर, हमारी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय श्री शिवमंगल सिंह जी बलिया के ही नहीं पूरे प्रदेश के नेता थे । सहकारी आंदोलन में उनका बहुत योगदान रहा है । सहकारिता आन्दोलन में भी हमारा उनका सम्पर्क हुआ था । तमाम ऐसे मौके आये जब सहकारिता आंदोलन में हमने और उन्होंने साथ-साथ काम किया एक ही मंत्रि-मंडल में, स्वर्गीय बनारसी दास जी के मंत्रि-मंडल में हम साथ-साथ मंत्री थे । हम लोगों ने काफी समय तक साथ-साथ काम किया । वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे । 1952, 1965, 1977, 1985, 4 बार वह इस सदन के सदस्य रहे । मान्यवर, हमारी ओर से उनके परिवार तक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय श्री तिलक सिंह अलीगढ़ के निवासी थे । 1985 में वह इस सदन के सदस्य चुनकर आये थे । वह बहुत ही साहसी और ईमानदार थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया था । आज वह हमारे बीच में नहीं रहे । मान्यवर, उनके परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय श्री पद्म नाथ सिंह जी जनपद मऊ के निवासी पहली बार 1952 में सदस्य चुनकर आये थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेखक और वकील भी थे, बहुत बड़े समाजसेवी थे । उनके निधन से पूरा सदन दुखी है । आप उनके परिवार तक, उनके संबंधियों तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय श्री दया राम वर्मा जी फर्रुखाबाद निवासी समाजसेवी थे । 1991 में ये सदन के सदस्य चुनकर आये थे और वह आज हमारे बीच नहीं हैं । आप उनके परिवार तक, उनके संबंधियों तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय श्री रतीपाल रायबरेली निवासी 1962 में इस सदन के सदस्य चुनकर आये थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आजादी की लड़ाई में इन्होंने हमारे देश की और आजादी की लड़ाई में हमारा गौरव बढ़ाया । उनके त्याग और तपस्या को देखते हुए आज हमें अफसोस है । आप हमारी संवेदना उनके परिवार और संबंधियों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा जी झांसी निवासी इस सदन में 1952, 1962 और 1969 में इस विधान सभा के सदस्य रहे । 1950 से लेकर 1952 तक वे लोक सभा के सदस्य भी रहे । महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, मंत्री भी रहे । पूरे प्रदेश की उन्होंने सेवा की । अब वह हमारे बीच नहीं हैं । आपसे प्रार्थना है कि हमारी संवेदना उनके परिवार और संबंधियों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय श्री रणधीर सिंह जी कानपुर निवासी 1974 में इस सदन के सदस्य चुनकर आये थे । ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाजसेवी थे और हमेशा गरीबों के लिए लड़ते रहे । हमारी तरफ से उनके परिवार और संबंधियों तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

स्वर्गीय श्री गया प्रसाद वर्मा जी इटावा निवासी 1985 और 1989 में हम और वह एक साथ सदस्य भी रहे । हमारा उनका बहुत लम्बा सम्पर्क था । विद्यार्थी जीवन से लेकर आखिर तक हम लोग साथ-साथ रहे । कुछ समय के लिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी में रह कर समाज की सेवा की । वह डा० भीम राव अम्बेदकर के बहुत ही अनन्य भक्त थे और समाजवादी आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, रिपब्लिकन पार्टी में रहते हुए, समाजवादी आंदोलन जब भी होता था, उसमें वह अपना सहयोग करते थे । वह इस प्रदेश के मंत्री भी रहे । हमारा उनसे बहुत ही व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध था । आज हम लोग बहुत दुखी हैं । उनके न रहने से हमारे दल को भी बहुत आघात पहुंचा है । उनके परिवार और संबंधियों तक हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें । हमें इस बात की खुशी है कि वहां की जनता ने उनकी पत्नी को इस विधान सभा में भारी बहुमत से चुनकर भेजा है । यह उनकी लोकप्रियता थी,

उनकी सेवा थी, उनका परिणाम था। हमारी संवेदना उनके परिवार और संबंधियों तक पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय श्री प्रेम किशन खन्ना जी देश के एक महान क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने कई बार हम लोगों के साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस सदन में 1946, 1952 में वह सदस्य भी रहे और आखिर तक अस्वस्थ्य होते हुए भी वह सभी कार्यक्रमों में जाते थे। वह अपने को कभी अपनी उम्र का अहसास नहीं होने देते थे। उनकी वही वाणी उनके मुख से निकलती थी और जिनके साथ हमने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया, आज वह हमारे बीच नहीं हैं उनके परिवार तक आप हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करेंगे।

माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी 1977–1985 और 1989 में विधान सभा के सदस्य रहे। इस सदन में जब खड़े होते थे तो हम सब माननीय सदस्य उनसे प्रेरणा लेते थे। आज उनके विचारों से हम वंचित हैं। हम लोगों ने मंत्रि-मंडल में साथ-साथ काम किया। हम जब सरकार में थे हमने उनकी योग्यता के अनुसार ही उनको मंत्रि-मंडल में लिया था। हमारे मत्रि-मंडल के ऐसे मंत्री थे जिनके बारे में किसी ने हमसे कभी कुछ नहीं कहा। हम ऐसे योग्य एवं विद्वान सदस्य की सेवाओं से वंचित हो गये हैं। आप उनके परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय श्री आगा जैदी जो जौनपुर के निवासी थे, 1974 में विधान सभा के सदस्य रहे। 1960 से 1974 तक विधान परिषद् के सदस्य रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उ० प्र० के उप मंत्री रहे और पत्रकार भी थे। कृपया हमारी संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय श्री देवदत्त मिश्र उन्नाव निवासी 1952 और 1962 में विधान सभा के सदस्य रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पत्रकार भी थे। कृपया उनके परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

स्वर्गीय श्री केशव चन्द्र सिंह शाहजहांपुर के निवासी थे और 1962 और 1969 में विधान सभा के सदस्य रहे। उनकी सेवाओं से हम लोग आज वंचित हो गये हैं। उनके परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय श्री उदयनाथ मौर्य जो वाराणसी के निवासी थे 1969, 1974 और 1977 में इस सदन के सदस्य रहे। सरकार के राज्य मंत्री भी रहे। हमारी उनके प्रति हार्दिक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय श्री महेन्द्र प्रताप सिंह इलाहाबाद निवासी 1985, 1989 और 1991 में इस माननीय सदन के सदस्य रहे। लेकिन हमें अफसोस है कि उनकी निर्मम हत्या कर दी गयी। कृपया आप हमारी शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय श्री राम किशोर त्रिपाठी बाराबंकी निवासी 1962 में इस सदन के सदस्य रहे। भूदान और श्रमदान आन्दोलन से जुड़े रहे। महान समाजसेवी थे। कृपया उनके परिवार तक हमारी शोक संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

स्वर्गीय मैनेजर सिंह जी को केवल बलिया के ही लोग नहीं बल्कि उनको पूरा उत्तर प्रदेश जानता था। वह 1962, 1969, 1977 और 1985 में इस सदन के सदस्य रहे। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वह सदैव समाजवादी आन्दोलन से जुड़े रहे और वह अपनी बात कहने में कभी नहीं चूकते थे। उन्होंने मेरे साथ-साथ काम किया है, इस सदन में और कई मौके आये कि वह कितने ही नाराज हुये, अगर कोई उनके पास चला जाता था, तो वह सारी बात रख देते थे, लेकिन ऐसा महान व्यक्ति आज

इस सदन में नहीं है, जिससे हमारा प्रदेश उनकी सेवाओं से वंचित रह गया है। आपसे आग्रह है कि मेरी शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय सियाराम गंगवार का निधन 20 नवम्बर, 1993 को उनके निवास स्थान कायमगंज में हो गया। वह 1952, 1962 और 1967 में इस विधान सभा के सदस्य रहे। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इस प्रदेश में उप मंत्री भी रहे। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। उनके परिवार तक हमारी और हमारे दल की हार्दिक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

स्वर्गीय श्री राज मंगल पाण्डेय जी देवरिया के ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। वे अपनी विद्वता, अपने विवेक और साहस के बल पर एक छाप छोड़ गये हैं। वह 1969, 1974, 1977 और 1980 में पुनः विधान सभा के सदस्य हुये। वह दो बार लोक सभा के भी सदस्य रह चुके हैं। वह स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े रहे और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मंत्री रहे और भारत सरकार के भी मंत्री रहे। हमने और उन्होंने साथ-साथ काम किया है। वह हमारे प्रदेश के बहुत बड़े कुशल प्रशासक और विद्वान लोगों में से एक थे। उनका काम करने का तरीका ऐसा था कि कई ऐसे मौके आये कि उनके ही साथियों ने उन पर दबाव डाला, लेकिन वह सच्चाई के सामने झुके नहीं। इस सदन के अन्दर एक मामले में उनकी पार्टी का दबाव था, लेकिन राज मंगल पाण्डे जी ने जो सच था वहीं किया और सच को ही स्वीकार किया और उन्होंने उस समय के माननीय अध्यक्ष के सामने कह दिया कि मुलायम सिंह यादव जी की बात सच है और वह उसी पर कायम रहे और कहा कि इस पर फैसला आपको और मुख्य मंत्री जी को लेना है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। वह इस प्रकार के नेताओं में थे। उनके निधन पर हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री विश्वनाथ पाण्डे जी मिर्जापुर के निवासी थे। 1962 में इस सदन के सदस्य रहे। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण तथा भूदान आन्दोलनों में भाग लिया। वह गरीबों की हमेशा सेवा करते रहे, उनके निधन से हम सभी दुखी हैं। उनके परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम समुझावन जौनपुर के निवासी थे। वह 1957, 1962, 1967, 1974 और 1980 में यहां चुनकर आये और वह लोक सभा के भी सदस्य रहे। वह दलितों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। उनका नाम उनके जनपद में ही नही बल्कि पूर्वांचल में भी था। आज वह हमारे बीच में नहीं है। हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जब आज इस सम्मानित सदन में शोक प्रस्ताव हो रहा है तो इस बीच में इस प्रदेश के और देश के राजनीतिक क्षितिज से बहुत से महान व्यक्ति जो क्षितिज पर सूर्य के समान चमक रहे थे वह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके निधन से जो अपूर्णनीय क्षति हुई है वह तो शायद कभी पूर्ण नहीं हो पायेगी लेकिन यह अवसर है कि हम आपके माध्यम से अपने दल की ओर से उन सभी महापुरुषों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे दल की संवेदना उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, श्री विजय शंकर सिंह जी एक वरिष्ठ सदस्य थे उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे 1952, 1957, 1962, 1967, 1969 और 1980 में लगातार वह चुनाव जीतते रहे। इस बात से यह स्पष्ट है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनकी कितनी लोकप्रियता रही।

सामाजिक सेवा और राजनीतिक कार्यों में आपकी विशेष रुचि थी, वह गाजीपुर जनपद की आवाज को सदैव उठाते रहे ।

मान्यवर, स्वर्गीय श्री शिव चरन लाल जी फिरोजाबाद से जहां लोक सभा के लिए चुने गये वहीं एतमादपुर से विधान सभा के लिए भी चुने गये वह एक राजनीतिज्ञ और समाजसेवी नेता थे और डा० लोहिया के आदर्शों का पालन करने में वे अग्रणी रहे ।

मान्यवर, स्वर्गीय ठाकुर सिंहासन सिंह जी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया । गोरखपुर, आगरा, नैनी और शायद ही उत्तर प्रदेश की कोई जेल बची हो जहां वे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन के दौरान न बन्दी रहे हों । गोरखपुर जिले में अनेक सामाजिक संस्थाओं के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है । गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष तथा कुलपति के रूप में उनकी सेवाएं सदा याद की जाती रहेंगी इसलिए तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय इन्दिरा गांधी ने उनको विश्वविद्यालय की जयन्ती के अवसर पर सम्मानित किया था ।

मान्यवर, श्री अब्दुल सलाम शाह कांग्रेस पार्टी के एक कर्मठ नेता एवं समर्पित समाजसेवी थे । एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उनके सराहनीय कार्यों को सदा-सर्वदा याद किया जाता रहा है । वह धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक थे । खादी, सहकारिता, सघन खेती आन्दोलन, नशाबन्दी आन्दोलन तथा शिक्षा-आन्दोलन में सदैव उनकी अग्रणीय भूमिका रही ।

इसी प्रकार मान्यवर, जब मैं पंडित राम नरेश शुक्ल जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तो मेरे सामने एक ऐसा चेहरा आ जाता है जो हमारे परिवार से सदा सर्वदा जुड़ा रहा और जिनसे प्रतापगढ़ जनपद की साहित्यिक और शैक्षिक संस्थाएं हमेशा उनके आशीर्वाद से फलती फूलती रहीं । वह कितने मृदु स्वभाव के थे इसका अन्दाजा सिर्फ कांग्रेस दल के लोगों को ही नहीं बल्कि विरोधी दल में बैठे हुए लोगों को भी था । 1980 के बाद कोई ऐसा मंत्रि-मण्डल नहीं बना जिसके वह सम्मानित सदस्य न रहे हों । उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में उन्हें जो भी दायित्व सौंपा गया सदासर्वदा उन्होंने उसे पूरा किया । जनपद प्रतापगढ़ में छोटे मालवीय जी के रूप में वह जाने जाते थे । स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन में वे कई बार जेल गये । वे जब सहकारिता आयोग के चेयरमैन बने तो उन्होंने सहकारिता आयोग को एक नयी दिशा दी । जब मंत्रि-मण्डल से हटे तो राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे । वह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे । उनका काम सदा-सर्वदा में महसूस किया जाता रहेगा । मैं इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस के समर्पित सिपाही और एक योग्य प्रशासक के प्रति अपने दल की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

मान्यवर, श्री रेवती रमण रस्तोगी, जिनका निधन 21 दिसम्बर, 1992 को हो गया । उनके बारे में इतना ही कह सकता हूं कि जहां वह शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े थे वहीं समाजसेवी में भी वह अग्रणी थे ।

मान्यवर, बल्देव सिंह आर्य जी के निधन से उत्तराखण्ड के एक महान सिपाही का अन्त हो गया और यदि मैं यह कहूं कि एक युग का अन्त हो गया तो अन्यथा नहीं होगा । श्री बल्देव सिंह आर्य जी का जीवन सदैव गरीबों के लिए समर्पित था, हरिजनों के लिए समर्पित था और समाज के पिछड़े लोगों के प्रति समर्पित था । इसी कारण वह 1952, 1957, 1962, 1974, 1980 और 1985 में लगातार विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते रहे और उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जिसमें उनकी सेवा सदा-सर्वदा न याद की जाय । मान्यवर, उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल

राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी एवं समर्पित समाजसेवी खो दिया और कुल मिलाकर एक ऐसा बुजुर्ग चला गया है जिसके दिखाये गये रास्ते पर आज चलने की जरूरत है।

श्रीमती विद्यावती बाजपेई, हरदोई के निधन से प्रदेश ने एक महिला समाज सेवी को खो दिया है। वे उस समय की महिला थीं जब महिलाओं का राजनीति में बहुत कम प्रवेश था।

श्री अमर सिंह, सहारनपुर के निधन से एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाजसेवी खो दिया है।

श्री हरनारायण जी, जो हम लोगों के साथ थे, इसी विधान सभा के सदस्य थे उनके निधन से एक समर्पित समाज सेवी खो दिया है। वे जब यहां पर बैठते थे तो वे उन गरीबों की आवाज उठाते थे जिनका विश्वास उन्हें प्राप्त था। शुरू में वे जेल कर्मचारी के रूप में रहे और बाद में वे राजनीति में आये।

श्री शिव मंगल सिंह जी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाजसेवी खो दिया है। वे गन्ना आन्दोलन से जुड़े थे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रि-मण्डल में गन्ना विकास मंत्री के रूप में कार्य किये। आज उनके निधन से हमें बहुत दुःख है और हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि गन्ना आन्दोलन को बल मिले।

श्री तिलक सिंह जी के निधन से हमने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी व्यक्ति खो दिया है।

श्री पद्मनाथ सिंह जी के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल अधिवक्ता, साहित्यकार एवं समाजसेवी खो दिया है। उन्होंने वाराणसी हिन्दू विश्व-विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ-साथ आप लेखक के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने कारावास काल में ही एक पुस्तक "भारत में अंग्रेजी राज्य" की रचना की थी। "स्टेट आफ नेशन एण्ड रोल आफ फ्रीडम फाइटर" व "भारत का वैकल्पिक संविधान" आदि उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन तथा नैनीताल में आवंटित सेनानियों हेतु मिली जमीन स्वीकार नहीं की थी।

श्री दया राम वर्मा जी एक पुलिस अधिकारी के रूप में लोक प्रिय थे और वर्ष 1991 के मध्यावधि चुनाव में सदस्य निर्वाचित हुए। वे जनता की आवाज को उठाते थे।

श्री रतीपाल जी के निधन से एक सैनिक का अन्त हो गया है। उन्होंने अपना जीवन भारतीय सेना के बहादुर सैनिक के रूप में शुरू किया था और वहां से हटने के बाद समाज सेवा में लगे।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा के निधन से झांसी ही नहीं बुन्देलखण्ड के एक महान व्यक्ति का निधन हो गया। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पत्रकार थे और समाज सेवी थे। वे श्री कमलापति त्रिपाठी जी के मंत्रि-मण्डल में उप मंत्री भी रहे थे और उन्होंने अपनी योग्यता की छाप छोड़ी थी, वे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष तथा अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। वे शिक्षा जगत से भी जुड़े थे। उन्होंने पत्रकार के रूप में दैनिक भाष्कर, पायनियर तथा स्वतंत्रता प्रवाह समाचार पत्रों का सम्पादन का कार्य भी किया।

श्री रणधीर सिंह जी के निधन से शोषित समाज का एक व्यक्ति खो दिया। आपकी कृषि में बड़ी रुचि थी। उन्हें कृषि पंडित की उपाधि भी मिली।

श्री गया प्रसाद वर्मा जी के निधन से इटावा के एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी का अन्त हो गया। वे सीधी-साधी विचार धारा के व्यक्ति थे और अपनी आवाज को रखने में किसी से डरते नहीं थे। मान्यवर, वह उसी घर में रहते थे जिसमें पहले आप रहा करते थे। वे पूरी तरह से कमजोर और गरीब व्यक्ति से जुड़े हुए थे।

श्री प्रेम किशन खन्ना जी के निधन से एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनीतिज्ञ खो दिया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजवादी नेता खो दिया है।

मान्यवर, जब मैं माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये यहां आपके माध्यम से सदन को सम्बोधित कर रहा हूं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके निधन से संसदीय ज्ञान का ऐसा सूरज अस्त हो गया है, जिसकी कमी आने वाले दिनों में कभी पूरी नहीं हो पायेगी। आदरणीय तिवारी जी, जिस समय बोलने के लिये खड़े हुआ करते थे, जब कभी किसी संसदीय नियम की व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती थी, संसदीय अनुभव बताने की आवश्यकता पड़ती थी, शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी उनकी कोई मिसाल नहीं थी। अगर वह विरोधी दल में रहते थे, तो सत्ता पक्ष पूरे आदर के साथ उनको सुनता था और यदि वह सत्ता पक्ष में होते थे, तो विरोधी पक्ष पूरे आदर के साथ उनको सुनता था। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा ने बहुत से संसदीय ज्ञान के प्रकाण्ड पंडित दिये हैं, यदि उनकी गिनती की जायेगी तो प्रथम 3-4 लोगों में उनका नाम गिना जायेगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधान सभा में संसदीय ज्ञान का नया इतिहास रचा है, जिनकी वाणी ने निःसंदेह नई दिशा दी है।

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने तत्कालीन मुलायम सिंह यादव के मंत्रि-मण्डल में खाद्य मंत्री के रूप में जिस निडरता के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया, उसकी बदौलत एक योग्य प्रशासक के रूप में उन्हें सदैव याद रखा जायेगा।

मान्यवर, श्री आगा जैदी साहब के निधन से केवल जनपद जौनपुर ने ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश ने एक कुशल पत्रकार खो दिया। श्री जैदी ने "जदीदशाहराह" एवं "नया भारत" जैसी पत्रिकाओं का सम्पादन किया था। वह विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी, उदार समाजसेवी तथा एक योग्य प्रशासक को खो दिया।

मान्यवर, श्री देवदत्त मिश्र के रूप में प्रदेश ने एक ऐसा राजनीतिज्ञ खो दिया जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़चढ़कर भागीदारी की। एक पत्रकार के रूप में, समाजसेवी के रूप में उनकी असीम सेवायें रही हैं। एक नाटककार के रूप में भी उन्होंने समाज को अपना योगदान दिया। उनकी इन्हीं सेवाओं के कारण महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

मान्यवर, श्री केशव चन्द्र सिंह जी के निधन से जनपद शाहजहांपुर ने कुशल समाजसेवी को खो दिया, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिये उन्हें सदैव याद किया जायेगा। मान्यवर, श्री उदय नाथ मौर्य जी के निधन से महान राजनीतिज्ञ के जीवन का अन्त हो गया, श्री मौर्य जब परिवहन मंत्री बने, तो उन्होंने रचनात्मक कार्य करके निःसंदेह परिवहन विभाग को गति दी, उनके निधन से एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को वाराणसी जनपद ने खो दिया।

मान्यवर, कुछ ऐसे लोग, जो असमय ही मर जाते हैं, कालकवलित हो जाते हैं, उनका निधन सदैव दुःख और पीड़ा देता है। श्री महेन्द्र प्रताप सिंह इसी श्रेणी में आते हैं, वह सर्वप्रथम 1985 में निर्वाचित हुये थे, उसके बाद 1989 तथा 1991 में भी वह निर्वाचित हुये। श्री महेन्द्र प्रताप सिंह का निधन अत्यन्त अल्पायु में एक झगड़े का बीच-बचाव करते वक्त हिंसा का शिकार हो जाने से हो गया। जब वह घायल अवस्था में थे, तब मैं उनको देखने गया था। कुल मिलाकर, उस समय भी उनके मन में समाज व क्षेत्र के लिये चिन्ता व्याप्त थी। उनकी मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई, जिन स्थितियों में उन्होंने मौत को आलिंगन किया, उनकी मौत ने कई सवाल छोड़े हैं।

एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आवाज निर्भीकता के साथ उठाया करता था, गरीबों की आवाज को उठाया करता था। उनके निधन से मैंने अपना एक महान मित्र खो दिया, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हैदरगढ़ से निर्वाचित श्री राम किशोर त्रिपाठी जी के निधन से बाराबंकी ने एक समाजिक एवं राजनैतिक व्यक्ति खो दिया। श्री मैनेजर सिंह, जो बलिया जनपद से निर्वाचित होकर आते थे, के निधन से एक बुलन्द आवाज सदा-सर्वदा के लिये खामोश हो गयी। जब वह बोलने खड़े होते थे तो वह दल की परवाह नहीं करते थे। जो बात सच होती थी, उसको कहते थे और उस सच बात को कहने में कोई संकोच नहीं करते थे। वह पूरी दृढ़ता और प्रखरता से अपनी बात को रखते थे। वह अन्तिम क्षणों तक जिस बुलन्दी से जिये मान्यवर, ऐसा जीवन बहुत कम लोगों को मिलता है। श्री मैनेजर सिंह के निधन से बलिया जनपद ने एक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री सियाराम गंगवार जी के निधन से जनपद फर्रुखाबाद ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल व निर्भीक वक्ता खो दिया है।

मान्यवर, जब पंडित राजमंगल पाण्डेय की बात आती है, वह पूरे उत्तर प्रदेश में और भारतवर्ष में छाये रहे थे, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वह कई बार मंत्रि-मण्डल में रहे, बाहर भी रहे। उनका प्रशासन पर नियंत्रण सदा-सर्वदा बना रहा। उन्होंने निर्भीक होकर, निडरता के साथ पार्टी के अन्दर और पार्टी के बाहर अपनी आवाज बुलन्द की। देवरिया जनपद में तो मान्यवर, उनका कोई विकल्प नहीं था और जिस प्रकार उनकी प्रशासन पर पकड़ थी, उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। वह एक महान व कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य प्रशासक, समाजसेवी और दोस्तों के दोस्त थे। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है।

भूतपूर्व सदस्य, श्री विश्वनाथ प्रसाद पाण्डेय के निधन से मिर्जापुर ने एक कुशल समाजसेवी खो दिया है। वे चाहे विधान सभा में रहे या लोक सभा में, मजदूरों की आवाज को वह सदा-सर्वदा उठाते रहे।

माननीय नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और अपने दल की ओर से, अपनी ओर से आपसे आग्रह करता हूं कि शोक संवेदना के ये भाव उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की महती कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 12वीं विधान सभा के गठन के बाद आज जब हम बैठे हैं तो अनेक भूतपूर्व माननीय सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनमें स्वर्गीय श्री विजय शंकर पाण्डेय, स्व० श्री शिव चरन लाल, स्व० श्री सिंहासन सिंह, स्व० श्री अब्दुल सलाम शाह, स्व० श्री राम नरेश शुक्ला, स्व० श्री रेवती

रमण रस्तोगी, स्व० श्री बल्देव सिंह आर्य, स्व० श्रीमती विद्या बाजपेयी, स्व० श्री अमर सिंह, स्व० श्री हर नारायण, स्व० श्री शिव मंगल सिंह, स्व० श्री तिलक सिंह, स्व० श्री पद्मनाथ सिंह, स्व० श्री दया राम वर्मा, स्व० श्री रती पाल, स्व० श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा, स्व० श्री रणधीर सिंह, स्व० श्री गया प्रसाद वर्मा, स्व० श्री प्रेम किशन खन्ना, स्व० श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, स्व० श्री आगा जैदी, स्व० श्री देवदत्त मिश्र, स्व० श्री केशव चन्द्र सिंह, स्व० श्री उदयनाथ मौर्य, स्व० श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, स्व० श्री राम किशोर त्रिपाठी, स्व० श्री मैनेजर सिंह, स्व० डा० सिया राम गंगवार, स्व० श्री राजमंगल पाण्डेय, स्व० श्री विश्वनाथ पाण्डेय, स्वर्गीय श्री राम समुझावन, स्वर्गीय श्री जे० आर० डी० टाटा आदि स्वर्गीय विभूतियों के प्रति माननीय नेता सदन ने, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो विचार व्यक्त किये, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इन विभूतियों में ऐसी भी विभूतियां रहीं जिनसे हम आज अपने संसदीय राजनीति में प्रेरणा लेते हैं। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, जिनकी सेवायें इस सदन के सदस्य के रूप में, संसदीय इतिहास का अंग बन गयीं। श्री राम नरेश शुक्ला, जो कि मृदुभाषी और एक अच्छे व्यवहार के व्यक्ति थे। मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, सदैव देखने को मिला। माननीय श्री मैनेजर सिंह जी के साथ इस सदन के सदस्य के रूप में तथा विभिन्न समितियों में उनके साथ रहने का मौका मिला तथा काम करने का मौका मिला। उनके सादे जीवन और उच्च विचार की प्रेरणा हमको हमेशा मिलती रहेगी।

हमारे ही दल के स्वर्गीय श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी की चुनाव से ठीक पहले दर्दनाक हत्या की गई। 1985 से वह लगातार इस सदन के सदस्य रहे। उनका संबंध भी केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा अपितु उत्तर प्रदेश के सभी निर्बल वर्गों से ज्यादा रहा। अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक उसी वर्ग की सेवा से अपने को जोड़ते हुए वह काल के मुंह में समा गये। जिन दर्दनाक परिस्थितियों में उनकी हत्या की गई, वह आज भी रहस्य बनी हुई है। बीच-बचाव करने के फलस्वरूप उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। घायल अवस्था में जब वह संजय गांधी संस्थान में भर्ती थे, तो भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ मुझे भी उन्हें वहां जाकर देखने का अवसर मिला। मान्यवर, वह ऐसा मार्मिक क्षण था, जिसे आज तक नहीं भुलाया जा सका है। हम दोनों व्यक्ति उनके पास खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी आंख से निकले आंसू उनके दर्द को बता रहे हैं। आंख से सिर्फ आंसू निकल रहे थे, वह बोल नहीं पा रहे थे। यद्यपि चिकित्सा के सारे उपाय किये गये, फिर भी उनके जीवन की रक्षा नहीं की जा सकी। वह हमारे बीच से उठ गये। स्वर्गीय श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी सहित अन्य सभी माननीय सदस्यों की सेवाओं की राजनैतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में की गई सेवायें अविस्मरणीय हैं। इन लोगों के चले जाने के बाद प्रदेश की राजनीति में जो रिक्तता आई है, उसकी पूर्ति हो पाना सम्भव नहीं दिखायी दे रहा है। इन शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः अपने दल की ओर से व अपनी ओर से स्वर्गीय विभूतियों के प्रति शोकोद्गार व्यक्त करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारे दल की ओर से व मेरी ओर से शोक संवेदना के ये भाव उनके शोकाकुल परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता कांग्रेस दल व माननीय नेता जनता दल द्वारा व्यक्त विचारों से मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। आज हमारे बीच, सदन के कुछ भूतपूर्व सदस्य जो नहीं रहे हैं, ऐसे स्वर्गीय आत्माओं के हमारे बीच से उठकर चले जाने से हमारे प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है, शायद निकट भविष्य में इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। यद्यपि आत्मायें हमारे सदन के सदस्य रहे हैं,लेकिन इनकी सेवायें जो विभिन्न क्षेत्रों में रहीं हैं, उनको कभी

भुलाया नहीं जा सकता है । इनमें से बहुत से माननीय सदस्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विद्वान, समाजवादी विचारक, समाज सेवी, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले और सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाने वाले तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतें थीं, आज ये हमारे बीच नहीं हैं परन्तु इनके कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए । यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी । मान्यवर, मौत के हाथ बहुत लम्बे होते हैं । सबको एक-न-एक दिन इसके हाथ सिमटना होता है । जो आत्मायें हमारे बीच से उठ गयी हैं उनके कामों से प्रेरणा लेते हुये उनके शोक संतप्त परिवार जनों तक अपने और अपने दल की ओर से संवेदना के भाव व्यक्त करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी संवेदना उनके परिवारजनों तक भेजने की कृपा करें ।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री राम स्वरूप–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं ने स्व० नेताओं के प्रति जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, हम आपके माध्यम से अपने और अपने दल की ओर से उनसे सम्बद्ध करते हुये उनके परिवारजनों तक संवेदना भेजते हैं और आपसे अनुरोध है कि हमारे शोकोद्गार भेजने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता कांग्रेस आई तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो स्वर्गीय नेताओं के निधन पर शोकोद्गार प्रकट किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और जो सदस्य हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करता हूं और आपके माध्यम से शोकाकुल परिवारों तक अपनी और अपने दल की संवेदना आपके माध्यम से भेजना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

टाटा जी के संबंध में बाद में लेंगे ।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, मैं अपने और अपने दल की तरफ से आपके माध्यम से शोकाकुल परिवारों तक अपनी संवेदना भेजना चाहता हूं ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे इस माननीय सदन के जो माननीय सदस्य रहे हैं और जो आज हमारे बीच नहीं हैं उनके निधन के बारे में माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं और मेरा दल अपने को सम्बद्ध करता है जो हमारे बीच में नहीं रहे वह हैं–सर्वश्री स्व० शिव चरन लाल, स्व० विजय शंकर सिंह, स्व० ठाकुर सिंहासन सिंह, स्व० अब्दुल सलाम शाह, स्व० राम नरेश शुक्ला, स्व० रेवती रमण रस्तोगी, स्व० बल्देव सिंह आर्य, स्व० श्रीमती विद्या बाजपेयी, स्व० अमर सिंह, स्व० हरनारायण, स्व० शिवमंगल सिह, स्व० तिलक सिंह, स्व० पद्मनाथ सिंह, स्व० दयाराम वर्मा, स्व० रतीपाल, स्व० कृष्ण चन्द्र शर्मा, स्व० रणधीर सिंह, स्व० गया प्रसाद वर्मा, स्व० प्रेम किशन खन्ना, स्व० रवीन्द्र नाथ तिवारी, स्व० आगा जैदी, स्व० देवदत्त मिश्र, स्व० केशव चन्द्र सिंह, स्व० उदयनाथ मौर्य, स्व० महेन्द्र प्रताप सिंह, स्व० राम किशोर त्रिपाठी, स्व० मैनेजर सिंह, स्व० डा० सियाराम गंगवार, स्व० राजमंगल पाण्डेय, स्व० विश्वनाथ पाण्डेय, स्व० राम समुझावन, इन सब माननीय सदस्यों के प्रति शोकोद्गार सभी सम्मानित नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । ये आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इन सभी सम्मानित सदस्यों ने इस सम्मानित सदन के प्रति और अपने समाज के प्रति जो सेवा की है, उसको सजाने संवारने का जो

कार्य उन्होंने किया है और इस प्रयास के बाद वह दुनिया से अलविदा हो गये हैं यह कहकर कि खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हमें ऐसी शक्ति दे कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकें और उनके बताए कार्य को आगे कर सकें और उनके प्रयास को आगे बढ़ा सकें और उनके चमन को और सजा, संवार सकें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे और आपसे प्रार्थना है कि उनके शोकाकुल परिवार को आप मेरी ओर से और मेरे दल उत्तराखण्ड क्रान्ति दल की ओर से संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा कर दें।

श्री अध्यक्ष–

निर्दलीय सदस्य यदि कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो कर दें।

(किसी के न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच से अनेक प्रतिभाएं एक साथ विलुप्त हुईं, जिनमें श्री विजय शंकर सिंह (गाजीपुर), श्री शिवचरन लाल (आगरा), श्री ठाकुर सिंहासन सिंह (देवरिया), श्री अब्दुल सलाम शाह (फर्रुखाबाद), श्री राम नरेश शुक्ल (प्रतापगढ़), श्री रेवती रमण रस्तोगी (कानपुर), श्री बल्देव सिंह आर्य (गढ़वाल), श्रीमती विद्या बाजपेयी (हरदोई), श्री अमर सिंह (सहारनपुर), श्री हर नारायण (पीलीभीत), श्री शिव मंगल सिंह (बलिया), श्री तिलक सिंह (अलीगढ़), श्री पद्म नाथ सिंह (मऊ), श्री दयाराम वर्मा (हरदोई), श्री रतीपाल (रायबरेली), श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा (झांसी), श्री रणधीर सिंह (कानपुर देहात), श्री गया प्रसाद वर्मा (इटावा), श्री प्रेम किशन खन्ना (शाहजहांपुर), श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (फैजाबाद), श्री आगा जैदी (जौनपुर), श्री उदयनाथ मिश्र (उन्नाव), श्री केशव चन्द्र सिंह (शाहजहांपुर), श्री उदय नाथ मौर्य (वाराणसी), श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (इलाहाबाद), श्री राम किशोर त्रिपाठी (बाराबंकी), श्री मैनेजर सिंह (बलिया), श्री सियाराम गंगवार (फर्रुखाबाद), श्री राज मंगल पाण्डेय (देवरिया), श्री विश्वनाथ पाण्डेय (मिर्जापुर) और श्री राम समुझावन (जौनपुर) शामिल हैं। ये प्रतिभाएं अब हमारे बीच नहीं हैं। इन्होंने राजनीति में और समाज में जो कार्य किये हैं, उनसे हमारे देश और राज्य को बहुत लाभ हुआ है। उनके आदर्श और उनके विचार अब भी हमारे सामने हैं। इनमें से अनेक ऐसे सदस्य हैं, जिन्होंने कई बार इस विधान सभा को गौरवान्वित किया है। उनके अनुभव और विचारों से हमारे देश और प्रदेश को नई दिशा मिली है। बहुत से हमारे स्वर्गीय साथी ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और उस अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से देश से उखाड़कर फेंकने के लिये अपना बचपन और जवानी पूरी तरह से न्यौछावर कर दी। बहुत से ऐसे भी हमारे साथी हैं जिन्होंने मंत्री पद पर रहकर हमारे सदन की गरिमा को तो बढ़ाया ही है साथ ही साथ उनके दिशा निर्देशन से हमारे प्रदेश और देश को गौरव प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं हमारे इन साथियों ने सहकारिता जगत में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनैतिक क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किये हैं वह समाज और देश के लिये एक धरोहर साबित होंगे।

मैं बहुत अधिक विस्तार में न जाकर सार-रूप में यह कहना चाहूंगा कि यह विलुप्त प्रतिभाएं जो हमारे बीच से चली गयीं हैं, वे ऐसी प्रतिभाएं थीं, ऐसे प्रकाशपुंज थे, जो राजनैतिक गगन पर बहुत समय तक प्रकाश पुंज के रूप में बने रहे और उनके प्रकाश से हमारा प्रदेश और देश प्रकाशित रहा। यह सही है कि जो प्रतिभाएं अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके स्थान जो रिक्त हुए हैं, उनकी भरपाई उस रूप में सम्भव नहीं है लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि उनके आदर्श, उनके विचार और उनके कार्य हम सब लोगों को एक दिशा देते रहेंगे और उससे हम सब लोगों को और आगे आने वाली पीढ़ी को एक प्रशस्त मार्ग मिलेगा जिस पर चलकर हम सब देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

अन्त में, मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी, माननीय नेता जनता दल, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेता मार्क्सवादी, नेता जनता पार्टी, नेता उत्तराखण्ड क्रांति पार्टी, ने जो शोकोद्गार सदन में रखे, उनसे अपने विचारों को सम्बद्ध करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि उनकी दिवंगत आत्मायें शान्ति प्राप्त करें, साथ ही साथ उनके परिवारजनों को भी इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें । अब मैं अपने सभी साथियों से कहूंगा कि वह दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्माओं की शान्ति के लिये प्रार्थना करें ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये ।)

श्री जे० आर० डी० टाटा तथा श्रीमती ललिता शास्त्री के निधन एवं महाराष्ट्र में आये भूकम्प में हुई जन, धन की हानि पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, मुझे यह सूचना सदन में देते हुए दुःख हो रहा है कि जे० आर० डी० टाटा जिनका निधन 29 नवम्बर, 1993 को हो गया वह 89 वर्ष के थे । उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी । देश के उद्योग का बुनियादी ढांचा खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था । वह महान देशभक्त थे । उन्होंने देश के विकास को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया । महान देशभक्त होने के कारण उन्हें 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में "भारत रत्न" से विभूषित किया गया था । उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है । हमारे देश के महान उद्योगपतियों में उनका नाम था । देश की सेवा और देश के विकास के लिये उन्होंने जीवन दान दिया आज उनके निधन से हम सभी दुखी हैं, सदन दुखी है । देश दुखी है । मान्यवर, उनके परिवार तक सदन और हमारे दल की ओर से हमारी शोक संवेदनायें भिजवाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, महाराष्ट्र में भूकम्प आया । 30 सितम्बर, 1993 को महाराष्ट्र के जनपद लातूर और उस्मानाबाद में ऐसा विनाशकारी भूकम्प आया, जिससे हजारों लोगों की जानें गईं और प्राणों की बलि ले लीं । बहुत भारी जन-धन की हानि हुई है । मैं सदन की ओर से इस दुखद घटना पर संवेदनायें प्रकट करता हूं और जो हजारों आत्मायें भूकम्प से चली गईं उनके परिवार से यह सदन, पूरा प्रदेश और जनता उनके दुःख में साथ है । उनकी आत्माओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता तक महाराष्ट्र की सरकार के माध्यम से इस सदन की और प्रदेश की जनता की श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, इसी शोक में एक और बड़ा शोक है श्रीमती ललिता शास्त्री जी का निधन हुआ है जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री, स्व० लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ही नहीं थीं सच्चे अर्थों में वे एक भारतीय महिला थीं । श्रीमती शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा की स्रोत रहीं और इतने महान पद और सर्वोच्च पद पर पहुंचाने में, राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया । वह धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार तक श्रद्धांजलि आप पहुंचाने की कृपा करें ।

(नेता विरोधी दल का श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में एक प्रकार की औद्योगिक शून्यता की सी स्थिति थी । दुनिया के तमाम देशों को यह अंदेशा था कि भारत शायद औद्योगिक क्षेत्र में आगे न बढ़ सके और तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भारत को एक प्रमुख औद्योगिक देश बनाने की दिशा में तेजी से प्रयत्न करना शुरू कर दिया और प्रमुख उद्योगपति श्री जे० आर० डी० टाटा ने प्रधान मंत्री के प्रयत्नों में अपना सहयोग दिया और जिस देश में सुई तक न बनती हो वह देश मात्र कुछ वर्षों में दुनिया के 6 प्रमुख औद्योगिक देशों की पंक्ति में आ गया और उसमें स्व० टाटा का महत्वपूर्ण योगदान था । जिस समय टाटा ने 1922 में टाटा सन्स में सहायक के रूप में प्रवेश किया था उस समय मात्र समूह में 14 कम्पनियां थीं जो बाद में उनके कुशल निर्देशन में 95 तक हो गई । टाटा ने जिस क्षेत्र में हाथ डाला उस क्षेत्र में वह सर्वोच्चता पर पहुंचे । यह आपकी सेवाओं का ही प्रतिफल है कि आपको पद्मभूषण और भारत रत्न से अलंकृत किया गया । मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से स्व० टाटा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । हमारी संवेदना आप उनके परिवार जनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

प्रकृति की विनाशलीला के आगे किसी का वश नहीं है । जो भूकम्प 30 सितम्बर, 1993 को महाराष्ट्र के लातूर और उस्माना में आया उसका वर्णन करते हुए मर्मस्थल दृश्य सामने आ जाता है । जिस समय वहां के निवासी रात्रि को गहरी नींद में सो रहे थे, कि अचानक ही सब कुछ वहां प्रकृति ने तहस-नहस कर दिया । मान्यवर, इस समय प्रशंसा करने का मन करता है महाराष्ट्र के तत्कालीन और आज के मुख्य मंत्री शरद पवार जी का, जिन्होंने वहां पहुंच कर राहत कार्यों को करवाया और लोगों को सहायता दी । पूरे देश के लोगों ने राहत कार्यों में जिस तरह से योगदान दिया उसकी प्रशंसा की जानी चाहिये । इस अवसर पर जहां मैं मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं वहां पर आग्रह करूंगा मुख्य मंत्री जी से कि राहत और पुनर्वास कार्यों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तरफ से कोई योगदान दे तो प्रशंसनीय कार्य होगा । उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भूकम्प पीड़ितों की राहत के लिये कुछ न कुछ आर्थिक सहायता जरूर होनी चाहिये ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप जो बतायेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, बहुत पुरानी कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक योग्य नारी होती है । जय जवान, जय किसान का नारा देने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री के पीछे अपने मत्थे पर बिन्दी लगाये एक ऐसी विदुषी महिला खड़ी थीं जिनका नाम श्रीमती ललिता शास्त्री था । वे उनके साथ सदा सर्वदा, चाहे अभाव का जीवन रहा हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का जीवन रहा हो, चाहे नगर पालिका के सभासद का जीवन रहा हो, चाहे प्रदेश सरकार के गृह मंत्री का जीवन रहा हो, चाहे भारत सरकार के गृह मंत्री का जीवन रहा हो, और चाहे यशस्वी प्रधान मंत्री का जीवन रहा हो, वे सदा सर्वदा उनके साथ रहीं । 1965 में जब पड़ोसी राष्ट्र ने इस देश पर आक्रमण किया था उस समय जिस प्रकार से देश ने उसका बहादुरी से सामना किया था और एक छोटे से आकार के पुरुष श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिस तरह से देश का सम्मान बढ़ाया था उसके पीछे उसी विदुषी नारी श्रीमती ललिता शास्त्री का हाथ था । नारी जगत में

जगत में एक आदर्श नारी के रूप में सदैव वह नारियों के लिये एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी । मान्यवर, उस महान सपूता स्वर्गीय ललिता शास्त्री के प्रति मैं और मेरा दल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और संवेदना व्यक्त करता है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी शोक संवेदना को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जे० आर० डी० टाटा का जहां देश के औद्योगिक विकास में योगदान अविस्मरणीय रहेगा वहीं पर यदि मैं यह कहूंगा कि उनके उठ जाने से औद्योगिक जगत का एक सितारा उठ गया तो कोई अतिश्योक्ति न होगी । मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो शोकोद्गार उनके लिये व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, महाराष्ट्र के भूकम्प की विनाशलीला में जो अनगिनत जानें गयीं और जो क्षति पहुंची है, उनकी पूर्ति होना संभव नहीं है । जो हजारों लोग मारे गये उनके प्रति मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोकोद्गार व्यक्त करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी संवेदनाओं को पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन का, अपने को समाज सेवा के लिये समर्पित कर देने की प्रेरणा का, स्रोत माननीया ललिता जी थीं और उन्हीं की प्रेरणा से श्री लाल बहादुर शास्त्री जो अकेले के नहीं बल्कि इस अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक जगमगाते नक्षत्र और अग्रणी नेता माने जाते हैं । मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता कांग्रेस ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक हमारी ओर से संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, भारत रत्न श्री जे० आर० डी० टाटा जो आज हमारे बीच नहीं हैं, वह हमारे देश के उद्योग जगत थे । इतना ही नहीं, वह बौद्धिक रूप से विज्ञान विशेषज्ञ और औद्योगिक विशेषज्ञ भी थे । उन्होंने देश के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र में जो उपलब्धि दी, हमारा ख्याल है हिन्दुस्तान के अन्दर दो ही क्षेत्र हैं, कृषि और उद्योग के, न जाने हमारे कितने पढ़े लिखे नवजवान आज बेकारी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने बड़ी सेवा की है । स्वर्गीय टाटा जी के उठ जाने से सम्पूर्ण जगत को बहुत बड़ी क्षति हुई है । माननीय नेता सदन, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी और अन्य नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक बाधायें होती हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाता है । जो भूकम्प महाराष्ट्र में आया, लातूर व उस्माना में आये विनाशकारी भूकम्प ने हजारों लोगों के प्राणों की बलि ले ली । उस भूकम्प से जो क्षति हुई है, जन और धन की, ऐसी क्षति से देश विचलित हो जाता है । ऐसी संकट की घड़ी में वहां के माननीय मुख्य मंत्री ने जिस तरह से कार्य किया है, वह सराहनीय है । उस अपूर्णनीय क्षति को हम पूरा नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, जिनका निधन हुआ है, उन सभी परिवार के

प्रति, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी पार्टी और हमारी ओर से शोक संवेदना भेजने की कृपा करें।

मान्यवर, भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी स्वर्गीया श्रीमती ललिता शास्त्री हमारे बीच में नहीं हैं। वह सही माने में एक दर्पण थीं, भारतीय नारी का प्रतीक थीं। मान्यवर, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो कुछ भी हमें दे चुके थे, हमारा ख्याल है कि उसमें ललिता जी का बहुत बड़ा हाथ था। जिस तरह का सरलता और सादगी का सबूत श्री लाल बहादुर शास्त्री और उनके परिवार ने दिया है, स्वर्गीया ललिता शास्त्री ने जो आदर्श पेश किया है, वह हमारे देश की महिलाओं के लिये प्रेरणा के स्रोत हैं। ललिता जी के उठ जाने से महिला जगत में एक आदर्श नारी की रिक्तता जो हुई है, वह शायद पूरी नहीं हो सकती है। ऐसी सपूता महिला का आज हमारे बीच से उठ जाना बहुत ही दुःखद है। मान्यवर, जो भाव माननीय नेता सदन, माननीय नेता कांग्रेस पार्टी और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि हमारी शोक संवेदना उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, स्वर्गीय श्री जे० आर० डी० टाटा भारतीय उद्योग के संस्थापक रहे हैं, उनके निधन से इस देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना असम्भव सा है। मैं आपके माध्यम से उनके शोकाकुल परिवार को अपनी संवेदना भेजना चाहता हूं। आपसे प्रार्थना है कि हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, जो भूकम्प महाराष्ट्र के लातूर व उस्माना में आये, उस भूकम्प ने हजारों लोगों के प्राणों की बलि ले ली। इस प्रकार की दैविक आपदाओं से जो जानमाल की क्षति होती है उसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। उस समय आदमी अपने को मजबूर महसूस करता है सिवाय कुदरत को याद करने के कुछ नहीं कर सकता। मान्यवर, मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपके माध्यम से शोकाकुल परिवारों तक अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। मान्यवर, स्वर्गीय श्रीमती ललिता शास्त्री, जो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी थीं, वह महिलाओं में भारतीयता की प्रतीक थीं। उनके निधन से जो देश को क्षति हुई है, मैं उनके लिये उनके परिवार के प्रति आपके माध्यम से अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय यह दुःखद विषय है कि श्री जे० आर० डी० टाटा आज हमारे बीच में नहीं हैं। श्री टाटा का नाम मैं समझता हूं कि एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक और पढ़े लिखे से लेकर गांव के मजदूर तक भी सभी लोग जानते हैं और आज यह विश्वास नहीं होता कि श्री टाटा समूह का और टाटा परिवार व संस्था का एक महत्वपूर्ण सदस्य बीच से चला गया है। इसलिए यह विश्वसनीय नहीं लगता। वह एक व्यक्ति नहीं थे एक संस्था भी नहीं थे वह संस्था और व्यक्ति से ऊपर बढ़कर कहीं एक बड़ी आभा थे। उनकी अमिट छाप हमारे देश के लोगों में है और अधिक कहना उनके लिये मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि टाटा परिवार ने सारे यूरोप के सामने, अमेरिका जैसे देशों के सामने देश का सिर ऊंचा किया। इसमें किसी को सन्देह नहीं है कि टाटा जी का जो योगदान है, उनकी जो देन है उनके बारे में भारत हमेशा ऋणी रहेगा। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। मैं यह

प्रार्थना आपसे करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को मेरे और मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिले में जो प्राकृतिक आपदा आयी, प्रकृति ने जो भी किया उसके सामने हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके न्याय के सामने हमारी कोई ताकत नहीं है कि उसका मुकाबला कर सकें उसने जो कुछ भी किया उसको सहना ही हमारी नियति है उसको हमने सहा है। मान्यवर, पिछले साल उत्तर काशी में इसी प्रकार का हादसा हुआ था। मैं प्रार्थना ही कर सकता हूं कि इस प्रकार का हादसा किसी पर न गुजरे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवारों को हमारी शोक संवेदनायें भेजने की कृपा करें। पिछली बार जब भूकम्प आया था, हमारे यहां उत्तर काशी में तो महाराष्ट्र के हर जिले से राहत सामग्री आयी थी। मुझे जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से और उसकी जनता की ओर से कितनी राहत सामग्री वहां पर भेजी गयी है। राहत सामग्री भेजना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं मा० मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह उ० प्र० सरकार की ओर से राहत भेजने पर विचार करें। जहां तक इस विभीषिका का सवाल है, कोई नहीं जान सकता है कि वह कब आयेगी और उसका कितना असर हम पर होगा।

श्रीमन्, स्वर्गीया श्रीमती ललिता शास्त्री जी एक महान नारी रही हैं। इस बात को हर व्यक्ति जानता है कि हर एक मानस के पीछे नारी कितनी महत्वपूर्ण होती है और आवश्यक होती है। हमारे सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में हमारे राजनीतिज्ञों को कितने दुख झेलने पड़ते हैं, इसको सभी लोग जानते हैं। जहां तक स्वर्गीया ललिता शास्त्री का प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं, उनके जीवन से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। इस विदुषी महिला ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाने में कितना योगदान दिया, यह सभी लोग जानते हैं। यदि उनका इतना योगदान न होता तो मैं समझता हूं कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी भी उस ऊंचाई तक पहुंच पाते या न पहुंच पाते, यह बहस का मुद्दा हो सकता था। श्री लाल बहादुर शास्त्री जो इस ऊंचे पद तक पहुंचे, उसमें ललिता शास्त्री जी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे हमें आभास होता है कि उनके न रहने से हमारी कितनी क्षति हुई है, इसका अन्दाज लगाना बहुत ही कठिन है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, नेता सदन और सभी दलों के माननीय नेताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनसे अपने को और अन्य निर्दलीय विधायकों को सम्बद्ध करता हूं और उनके परिवार के शोकाकुल लोगों से अपने को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि जहां तक स्वर्गीय टाटा जी की बात है उसमें केवल इतना ही कहूंगा कि आज देश के बच्चे-बच्चे की जुबान पर उनका नाम है। मान्यवर, कल भी बाहर की गैलरी से जब मैं गुजर रहा था तो भी उनका नाम कान में आया कुछ लोग राय दे रहे थे कि इस संचार व्यवस्था में जो माइक बचे हैं उनको' टाटा के बना के लगाये जायं तो टाटा नाम अपने आप में एक गारन्टी का प्रतीक हो गया है। महाराष्ट्र के भूकम्प के इस हादसे से जो क्षति हुई है उसमें जिन परिवार के लोगों की जानें गयी हैं, उनके दुखों में मैं अपने आपको भागीदार मानता हूं और नेता कांग्रेस दल की उस भावना से कि हमारे प्रदेश की नयी सरकार भी वहां शोकाकुल परिवार के लिये कुछ आर्थिक मदद करे, उनके इस विचार से मैं अपने आपको जोड़ता हूं और जहां तक स्वर्गीया श्रीमती ललिता शास्त्री जी

की बात है, यह तो पूरा देश ही जानता है, उनकी महानता को मैं अधिक न कहकर सभी के विचारों से अपने को जोड़ते हुए एक अपेक्षा करता हूं कि आज भी राजनीति से जुड़ी हुई हमारे प्रदेश की महिलाएं उनसे प्रेरणा ले रहीं हैं । इन्हीं बातों के साथ मैं मृत आत्माओं के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं । मेरी शोक संवेदना उनके शोकाकुल परिवार तक भेजने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

सम्मानीय स्वर्गीय जे० आर० डी० टाटा अब हमारे बीच में नहीं हैं । परन्तु देश के लिये, देश की प्रगति के लिये, देश के गरीबों के लिये, बेसहारों के लिये, बेरोजगारों के लिये और देश की आवश्यकताओं के लिये जो उन्होंने अपने सारे जीवन में कार्य किया वह सदैव हमारे देशवासियों को स्मरण रहेगा । आजादी के समय जब हमारा देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ था उस समय देश में उद्योग नहीं थे । स्वर्गीय टाटा जी ने कई उद्योग लगाकर देश की अनेक आवश्यकताओं को पूरा किया, और आवश्यकताओं को ही नहीं पूरा किया बल्कि देश के लाखों-लाखों लोगों को रोजी रोटी दी, उनके परिवार का भरणपोषण किया । इस तरह के 4-6 लोग तो हैं, यदि 100-200 लोग देश में होते तो निश्चय ही हमारा देश आज जो विदेशी प्रतिस्पर्धा में विदेशी उत्पादों के सामने पिछड़ा हुआ है वह पिछड़ा नहीं रहता । लेकिन जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है ।

स्वर्गीया श्रीमती ललिता जी शास्त्री वह हम सबको छोड़कर चली गयीं । वे एक ऐसी साध्वी महिला थीं जिन्होंने सारे देश की भारतीय महिलाओं को सादगी और संजीदगी का पाठ पढ़ाया । मैं तो अपने मत से यह कह सकता हूं कि स्व० शास्त्री जी की प्रगति में उनकी देश की सेवाओं में स्व० ललिता शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है । जहां तक मैंने शास्त्री जी और ललिता शास्त्री जी के बारे में पढ़ा है, मैं निश्चय ही उस आधार पर कह सकता हूं कि ललिता जी एक ऐसी साध्वी महिला थीं जिन्होंने ऐसे उसूल और सिद्धान्त छोड़े हैं ऐसे आदर्श छोड़े हैं जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिये धरोहर है ।

मैं यहां पर उन भूकम्प से स्वर्गीय हुए हजारों हजार वृद्धों, युवकों, बच्चे और बच्चियों के प्रति शोक प्रकट करता हूं । वे हमारे बीच से अचानक ही हम सबको छोड़कर चले गये हैं । संभव है उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे भी होते जो स्व० तिलक, गोखले, बापू, नेहरू और चौधरी चरण सिंह, लोहिया जी जैसे महान पुरुषों की श्रेणी में आते । उनमें बहुत सी बच्चियां सीता, अनुसुइया और ललिता शास्त्री के रूप में होतीं और देखने को मिलतीं । लेकिन घटनाक्रम अबाध रूप से चलता है उसके चक्र को कोई रोक नहीं सकता है । उसमें हमारा कोई दखल नहीं है । हमारे विभिन्न दलों के नेताओं ने जो शोकोद्गार जे० आर० डी० टाटा, ललिता शास्त्री और भूकम्प में मारे गये हजारों लोगों के प्रति प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने विचारों को सम्बद्ध करते हुए आज जितने भी स्व० व्यक्तियों के प्रति जो भी कहा गया है, सभी नेताओं की भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा । सभी नेताओं की भावनायें भी पहुंचा दूंगा, साथ ही, इस शोकमय वातावरण को दूर करने के लिये, दो मिनट का मौन रखे जाने से पहले इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जो आया है, वह अवश्य जायेगा । कबीर के शब्दों में हम यूं कह सकते हैं, संतोष दान कर सकते हैं "माली आवत देखकर कलियां करीं पुकार,

फूली-फूली चुन लई, काल्हि हमारी बारि"

अब हम सब लोग खड़े होकर दो मिनट का मौन रखेंगे ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ती के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये ।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 दिसम्बर, 1993 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं ।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लीजिये या फिर उन्हें बैठने को कह दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम आसरे वर्मा की सूचना जनपद हरदोई की नगरपालिका, मल्लावां में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं, केवल दो लाइनें हैं, जनपद हरदोई की नगरपालिका मल्लावां पेयजल के भीषण संकट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल इसकी व्यवस्था की मांग करता हूं । साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि दर्द हमारे पास है और दवा मुख्य मंत्री जी के पास है । यदि आप दवा को दर्द से मिला दें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर नियमानुसार कार्यवाही होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कह दें ।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, आप नियमों के ज्ञाता हैं, आप इस तरह की बात न कहें ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्याम देव राय चौधरी, बच्ची सिंह रावत व नरेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर सदन में मौजूद नहीं थे)

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

(श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, दो लोगों की जानें गयीं इस बीच में और 3-4 महिलायें घायल हुई हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

अभी तक यह परम्परा है कि नियम 301 में जो सूचनायें आती रही हैं वह पढ़ी हुई मान ली जाती रही हैं । समय नष्ट न होने दिया जाये, आगे कार्यवाही को बढ़ाया जाये । मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह बैठ जायें ।

(सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

जनपद हरदोई की नगरपालिका, मल्लावां में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा–

[मान्यवर, जनपद हरदोई की नगरपालिका, मल्लावां में पेयजल के भीषण संकट की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल समुचित व्यवस्था की मांग करता हूं ।]

गढ़वाल मण्डल के जनपद पौढ़ी में जंगली जानवरों का आतंक व पागल हाथी द्वारा दो व्यक्तियों के मारे जाने तथा घायल होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मांग करता हूं कि गढ़वाल मण्डल में जंगली जानवरों से आये दिन कोई न कोई घटना हो जाने से पूरा क्षेत्र आतंकित है । विगत माह में जनपद पौढ़ी गढ़वाल में एक जंगली हाथी ने चतुरखाला में एक व्यक्ति की हत्या कर दी, दिनांक 9-12-93 को सिगड्डी में एक अन्य व्यक्ति की जंगली हाथी द्वारा क्रूरता पूर्वक कुचल कर हत्या कर दी । पुनः- 13-12-93 को तेलीपाड़ा में एक महिला को बुरी तरह घायल कर दिया जिसका उपचार स्थानीय राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार में किया जा रहा है, अधिकांश लोगों का मानना है कि उक्त हाथी पागल हो गया है जिसको शीघ्र मारने के आदेश दिये जाने चाहिए । ग्राम खनेता व अग्रणी में भालू द्वारा चार लोगों को बुरी तरह जख्मी किया गया, जिनका उपचार संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार में किया गया व बाघ द्वारा आये दिन किसी न किसी गांव में बच्चों व मवेशियों पर आक्रमण किये जाने से बहुत बड़ी तादाद में नुकसान पहुंचाया जा रहा है, गरीब कृषकों की खड़ी फसलों को भी बड़ी मात्रा में जंगली जानवरों द्वारा निरन्तर नुकसान पहुंचाया जा रहा है । जिससे पूरे क्षेत्र में भय व आतंक का वातावरण बना हुआ है और आम जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि तत्काल पागल हाथी को मारने के आदेश दिये जायं व जंगली जानवरों द्वारा किये गये जान-माल के नुकसान का मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ ही सुरक्षा के लिए जंगलों व बस्तियों के बीच खाइयां खुदवायी जायं व कटीले तारों की व्यवस्था करने के निर्देश देने का कष्ट करें ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बरेली के कस्बा विशारतगंज में बालिका विद्यालय खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर सर्वराज सिंह–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मांग करता हूं कि एक अति महत्वपूर्ण जन कल्याण का प्रकरण सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । मेरे जनपद बरेली के कस्बा विशारतगंज में बालिकाओं की शिक्षा की अति गम्भीर समस्या बनी हुई है जबकि लोक प्रिय सरकार का इस ओर बड़ी ही गम्भीरता से प्रयास चल रहा है ।

उक्त कस्बा विशारतगंज में बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलने की मांग स्थानीय जनता द्वारा काफी लम्बे समय से चल रही थी जनता की मांग पर शासन द्वारा इस बारे में आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अभी तक विद्यालय की स्थापना न होने के कारण छात्राओं एवं स्थानीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है ।

अस्तु, मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि कस्बा विशारतगंज में बालिका विद्यालय खोलने हेतु तत्काल निर्देश देने की कृपा करें ।]

प्रदेश में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को आवासीय भत्ता समान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम सिंह–

[मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान एक गम्भीर एवं महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं सम्पूर्ण प्रदेश में कार्यरत अध्यापकों को शासनादेश सं० 3026/15-8-92/3004 (5डी)/84, दिनांक 17 अक्टूबर, 92 तथा शासनादेश सं० 6362/15-8-88/3004(25)/88, दिनांक 15 फरवरी, 1989 द्वारा ग्रामीण तथा शहरी अध्यापकों को विभिन्न दरों पर प्रतिमाह आवासीय भत्ता दिया जाता है । जिसका परिणाम यह हो रहा है कि अधिकांश अध्यापक येन केन प्रकारेण शहर में ही अथवा शहरों के निकटतम स्थान पर बने रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में जाना नहीं चाहते । इस कारण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी हो गयी है और बच्चों की पढ़ाई सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है । परिणाम स्वरूप प्रदेश भर में इस समस्या के कारण चिन्ता व्याप्त हो रही है ।

अतः विनम्र अनुरोध है कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को देय आवासीय भत्ता समान किया जाय ताकि अध्यापकगण ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ाई करने में रुचि लें एवं बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बन सके ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 दिसम्बर, 1993 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं :–

पहली सूचना श्री नरेश अग्रवाल एवं श्री जगदम्बिका पाल की "दिनांक 27 नवम्बर, 1992 को तत्कालीन सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये गये शपथ-पत्र की शर्तों का पालन न

नोट: [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

करने के कारण पुनः चुन कर आये सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने हेतु चुनाव आयोग को लिखने के सम्बन्ध में है ।''

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री नरेश अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर)

उच्चतम न्यायालय की शर्तों का पालन न करने वाले सदस्यों के पुनः निर्वाचित होने पर उनकी सदस्यता समाप्त करने हेतु चुनाव आयोग को पत्र लिखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं इसे औचित्य के माध्यम से इस सदन के सम्मुख एक ऐसा प्रश्न.....

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य संक्षेप में बोलें ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यदि इस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में गम्भीर प्रश्न पैदा हो जायेंगे । हमारे प्रदेश के उच्च पदों पर बैठे हुये व्यक्ति जो संविधान की शपथ लेते हैं वह संविधान की रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे ? संविधान के अनुच्छेद 168 के अन्तर्गत इस विधान सभा का गठन हुआ तथा अनुच्छेद 163 एवं 164 के अन्तर्गत राज्यपाल को सलाह देने के लिये मंत्रि परिषद् का गठन हुआ और मान्यवर, संविधान के अनुसार मंत्रि परिषद् सदन के प्रति उत्तरदायी है । मान्यवर, मुझे दुःख है कि पिछले मुख्य मंत्री और उनके मंत्रिमण्डल ने जिस संविधान की शपथ ली थी मैं इसलिये कह रहा हूं कि संविधान के अनुच्छेद 173 में विधान मण्डल के लिये अर्हता तय की गयी है । अनुसूची तीन के खण्ड 5, 7 अ एवं ब के अनुसार शपथ लेने के बाद हम इस सदन में बैठ कर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं । श्रीमन्, पिछले मुख्य मंत्री और उनकी सरकार का हर वक्त यह नियम रहा कि हम संविधान को नहीं मानेंगे और इसलिये कह रहा हूं कि श्रीमन् यदि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चुनाव घोषणा पत्र 1991 को देखें तो उनका यह दृढ़ निश्चय रहा है कि जन्म स्थान पर हम भव्य मंदिर बनायेंगे । उसी दिन से श्रीमन्, उनकी नीयत में खोट थी मा० कल्याण सिंह ने 27-12-92 को सुप्रीम कोर्ट में जो इस सरकार की ओर से एफीडेविट दाखिल किया था, आप उस एफेडेविट को मंगा लें, उस एफीडेविट की धारा में देखेंगे तो उन्होंने साफ लिखा है उन्होंने केन्द्रीय सरकार को सदैव दोषी ठहराया ।

उन्होंने अपने एफेडेविट में सदैव यह कहा कि हमारी सरकार सक्षम है । प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये कटिबद्ध है । यह सरकार वचनबद्ध है उस विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिये । परन्तु उन्होंने उसका पालन नहीं किया । अपनी वचनबद्धता का पालन न करने के कारण महामहिम राष्ट्रपति जी ने 6 दिसम्बर, 1992 को इस सदन को भंग कर दिया । उसमें उन्होंने लिखा कि संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने के कारण मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा को भंग करता हूं । ऐसे व्यक्तियों के कारण, जिन्होंने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए शपथ ली थी, परन्तु उस शपथ का पालन न करने के कारण विधान सभा भंग हो गई । .....

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात संक्षेप में कहें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, तत्कालीन मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री जी को जो चिट्ठियां लिखीं 25 नवम्बर, 26 नवम्बर, 30 नवम्बर व 1 दिसम्बर को, उन सबका जिक्र श्वेत पत्र में दिया गया है । श्री कल्याण सिंह जी प्रधान मंत्री जी को लिखते रहे कि आप जो केन्द्र से अर्ध सैनिक बल प्रदेश में भेज रहे हैं, वह प्रदेश सरकार के संवैधानिक अधिकारों का सीधा-सीधा उल्लंघन है । हम ढांचे की सुरक्षा करने के लिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वयं सक्षम हैं और साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बनाये रखने के लिये कटिबद्ध हैं। परन्तु एक अयोग्य व्यक्ति ने संविधान तोड़ा है और उसका खामियाजा विधान सभा में चुनकर आये हुए प्रतिनिधियों को भुगतना पड़ा है और इस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा है।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान निर्वाचन विधि निर्देशिका की धारा–9 की तरफ ले जाना चाहता हूं। उसमें लिखा है–"डिसक्वैलिफिकेशन फार डिसमिसल फार करेप्सेन आर डिसलायलटी।" भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत होने पर निरर्हता। वह व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, ऐसी पदच्युति की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हिता होगा।" इसका मतलब यह हुआ कि वह 5 साल के लिए डिसक्वालिफाइ हो जायेगा। इसकी गणना 6 दिसम्बर से होगी। 6 दिसम्बर से 5 साल के लिए वह डिसक्वालिफाइ हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

वह समय तो चला गया, इसलिए उसे अब मत कोट कीजिए।

श्री नरेश अग्रवाल–

हम इस प्रश्न को उस दिन उठाना चाहते थे, परन्तु उठा नहीं पाये और आपकी कुर्सी से उस समय इसका पालन नहीं हो पाया जो होना चाहिये था। इसी धारा के 9(2) में दिया गया है "निर्वाचन आयोग द्वारा निकाला गया इस भाव का प्रमाण पत्र कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के लिये कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया था" इस प्रकार वह पांच वर्ष के डिसक्वालिफाइ हो गये। चूंकि विधान सभा थी नहीं इसलिए सूचित नहीं किया जा सका। श्री कल्याण सिंह व उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी फिर विधान सभा में चुनकर आये हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि 6 दिसम्बर, 1992 से 5 वर्ष के लिए वह अयोग्य घोषित हो गये। आज फिर वह वही संकट पैदा करने लगे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आज की तारीख से आप इसका संज्ञान लेकर चुनाव आयोग को लिखकर इन लोगों को डिसक्वालिफाइ करें। इन लोगों ने संविधान की रक्षा नहीं की और प्रदेश के साम्प्रदायिक सौहार्द्र को खत्म किया। अब आपका यह दायित्व है कि इन लोगों को 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित करावें। आप एक शिक्षक रहे हैं, प्रधानाचार्य रहे हैं, इसलिए हमें आशा है कि आप इन लोगों को भी शिक्षा देंगे जो समाज के लिए कलंक हैं। जो इस प्रदेश की जनता के लिये कलंक हैं, जो भारत के लिये कलंक हैं। इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से निवेदन है कि इस संकल्प को लाने के बाद आप आज ही भारत के चुनाव आयोग को लिखें उस मंत्रिमण्डल के जो मंत्री थे उनकी सदस्यता समाप्त कर 5 साल के लिये अयोग्य घोषित किया जाय और यह सदन निर्भीक होकर चले मेरा निवेदन है कि आप इस पर ठीक निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर तथा श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर) यह चर्चा का विषय नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल–

इस औचित्य के प्रश्न पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब माननीय सदस्य को एक प्रकरण उठाने की अनुमति दे दी तो वह सारे सदन की सम्पत्ति बन गया। उस पर हर माननीय सदस्य का अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार बन जाता है। इसलिये खाली उन्हीं माननीय सदस्यों को अवसर न दें जिनके उसमें हस्ताक्षर हैं बल्कि उनको भी अवसर दें जो इस में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी यह कोई बहस का प्रकरण नहीं मैंने ग्राह्यता के लिये सुना था।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने ग्राह्यता पर सुना यह केवल औचित्य का प्रश्न नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रश्न के रूप में यहां रखा गया है इसलिये हमारा भी अधिकार बन जाता है कि उस घटनाक्रम के बारे में अपना दृष्टिकोण आपके समक्ष रखें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप अपने विचार केवल ग्राह्यता पर रखें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न माननीय नरेश जी ने उठाया है मैं उससे असहमति व्यक्त नहीं करता लेकिन यह निवेदन करना चाहूंगा कि 6 दिसम्बर का काला दिन जिस दिन से मस्जिद ढहाई गयी थी उसमें [x x x] ने आग लगाई लेकिन सूखी लकड़ी इकट्ठा करने का काम हमारे कांग्रेसी भाइयों ने किया था। पहले मूर्ति स्थापना की, ताला डाला फिर ताला खुलवाया और फिर शिलान्यास किया। इस तरह से सूखी लकड़ियों में आग लगाने का काम भाजपा ने किया। अगर उसके लिये [x x x] दोषी हैं तो उससे कम दोषी केन्द्र में बैठी [x x x] की सरकार नहीं है। अगर वह चाहते तो इतना अवसर मिला, इतना मौका मिला उसमें वह बचा सकते थे। उन्हीं की सांठ-गांठ से यह हुआ और मस्जिद ढह गयी। इससे समाज में एक नफरत की दीवार खड़ी की गयी, भाई-भाई के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने मिल कर यह खेल खेला है और उससे जो घाव हुये हैं कब तक पूरे होंगे कहा नहीं जा सकता है। यहां पर माननीय अग्रवाल जी ने यह बिन्दु उठाया औचित्य के प्रश्न के माध्यम से उनकी भावना से मैं असहमत नहीं हूं मगर वह उसके लिये कम दोषी नहीं है। जो कुछ किया गया है वह कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत से हुआ है। यह औचित्य का प्रश्न न बनता हो लेकिन एक राजनीतिक प्रश्न के रूप में सदन के सामने लाया गया है इसलिये मैंने अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखा है।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो यह औचित्य का प्रश्न सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है इससे मैं सहमति व्यक्त करता हूं और जो आपका आदेश होगा शिरोधार्य करेंगे.....

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री जगदम्बिका पाल–

केवल ग्राह्यता पर बल देने के लिये खड़ा हूं। संविधान के अनुच्छेदों का उल्लेख जिसका यहां पर किया गया है नहीं करूंगा.....

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं केवल ग्राह्यता के उन बिन्दुओं का उल्लेख करूंगा उस चुनी हुई सरकार के सम्बन्ध में, जिन्होंने न केवल संविधान में, जिन्होंने न केवल संविधान की शपथ खाकर सरकार चलाने की बात कही थी उससे संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ । शपथ के बाद, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर शपथ पत्र देकर उसके खिलाफ कार्य किया गया और भारत की जो सर्वोच्च राजनैतिक संस्था है–राष्ट्रीय एकता परिषद्, उसको दिये गये वचन और आश्वासन का उस शासन और सरकार द्वारा खुला उल्लंघन किया गया और भारत की सर्वोत्तम संस्था जो लोक सभा है, उसकी मर्यादा का उल्लंघन हुआ है । इनके सदस्यों द्वारा दिये हुए इन सारे आश्वासनों, शपथों और सारी चीजों का उल्लंघन हुआ है । शपथ के विपरीत, वचनों और आश्वासनों के विपरीत जो कुछ कार्य किये गये, वह प्रागदर्शन में सिद्ध होते हैं । जब अभी लगातार प्रदेश को 14 करोड़ लोगों के सामने नेता प्रतिपक्ष ने स्वीकार किया कि हमने जो कहा वह किया । मैं समझता हूं कि इसके बाद ग्राह्यता पर बल देने के लिए हमें अन्य किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है । अब उसके आगे हमें कुछ बताना नहीं । इन्होंने बार-बार यही कहा कि हमने जो कहा सो किया और अब मन्दिर हम उसी स्थान पर बनाएंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल साहब ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जब संविधान की शपथ ली और न्यायालय की मर्यादा की रक्षा का प्रश्न है, जिनके ऊपर सरकार चलाने का दायित्व है उन लोगों ने जिस तरह से अपराध किया है, उस सम्बन्ध में यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है । इसको मान्यवर, आप कृपापूर्वक ग्राह्य कर दें और इस पर सभी माननीय सदस्यों माननीय मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को आप सुनने का मौका दे दें । इससे देश के प्रदेश के और देश के बाहर के लोग भी चिन्तित हैं और तमाम लोग उससे आहत हुए हैं । जो यह औचित्य का प्रश्न आया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें प्रागदर्शन में उस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव आपके सामने स्वीकार करने के लिए रखा गया है ऐसे लोगों को अयोग्य करने के लिए वह सदन विचार करे और निर्णय ले ।

(श्री मित्रसेन यादव के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप कहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि यह एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है .....

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, वहां (मित्रसेन यादव) खड़े हुए हैं, उनका भी अभिमत आ जाए ।

* श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, नरेश अग्रवाल जी ने जो औचित्य का प्रश्न रखा है, उसकी ग्राह्यता पर मैं समझता हूं उसकी व्यापकता पर आप विचार कर सकते हैं या कर रहे हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी दोषी हैं, मैं उससे इन्कार नहीं करता हूं, आप जो भी सजा उन्हें दे सकते हैं, मैं उससे इन्कार नहीं करूंगा, लेकिन आप स्वयं क्यों उससे निकलना चाहते है, उस समय आपकी सरकार वहां बैठी क्या कर रही थी ? आपकी केन्द्र सरकार ने 26 नवम्बर को क्या निर्णय लिया था और उसमें आपके प्रधान मंत्री ने साठे साहब को बाला साहब देवरस के पास क्यों भेजा था ? आप क्यों नहीं बताते हैं कि श्री अर्जुन सिंह और साठे साहब को किसलिए बाला साहब देवरस के पास भेजा गया था ? सही मायने में आप उससे ज्यादा दोषी हैं और आप इससे बच नहीं सकते हैं। इसके लिए आप चाहे उनको जो सजा दिलाए, दिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको सजा मिलनी चाहिए। अन्त में इस सम्बन्ध में जो राम आसरे वर्मा जी ने कहा, मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं। आप मान्यवर, इसकी ग्राह्यता पर विचार करें, लेकिन जिस राजनैतिक प्रश्न को आज आप यहां उठाकर अपने अपराध से बचना चाहते हैं केन्द्र सरकार की रक्षा करने के लिए, आप और उसकी पार्टी उससे बिलकुल नहीं बच सकती है ?

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

जी हां, मैं वही उठा रहा हूं। जैसा राम आसरे वर्मा और मित्रसेन यादव जी ने उठाया है। उसे उसी रूप में मैं उठा रहा हूं।

मान्यवर, कृपापूर्वक नियम 300 देख लें। यहां नियम 300 के अन्तर्गत वही उठाया जा सकता है जो इस सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित हो। यहां पर जो माननीय राम आसरे वर्मा जी, मित्रसेन जी ने कहा है वह सदन से सम्बन्धित है उससे संज्ञान न लें। जो कहा गया है वह सदन की कार्यवाही में लिखा गया है। उसे कार्यवाही से निकलवा दें। मान्यवर, एक मामूली सा फर्क है कि यहां पर सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित बात होनी चाहिए जो यहां जवाब देने के लिये उपस्थित नहीं हैं उनका नाम यहां पर लिया जाना उचित नहीं है। व्यवस्था के रूप में मैं एक बात कहूंगा जो माननीय नरेश अग्रवाल जी ने उठाया वह तर्कसंगत है। जब सरकार ने कहा था कि यह हमारे प्रदेश से सम्बन्धित मामला है हम सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे और उसके लिये केन्द्र सरकार से पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराई गई थी।

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप में अपनी व्यवस्था की बात कहें। यह बातें पहले हो चुकी हैं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं अपनी बात विस्तारपूर्वक कहूंगा कि जब मेरे नेताओं पर आक्षेप लगाये गये हैं तो मुझे स्पष्टीकरण करने का मौका दें। मैं दल का नेता हूं। दल के नेताओं पर आरोप लगे तो स्पष्टीकरण देना होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

पहले नेता कांग्रेस पार्टी के विचार आ जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यह लोग बीच में बोलकर अव्यवस्था कर रहे हैं । मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं माननीय नरेश अग्रवाल द्वारा उठाया गया तथ्य इस सदन से, इस प्रदेश से सम्बन्धित है । तत्कालीन मुख्य मंत्री ने धोखा संविधान के साथ, न्यायालय के साथ, राष्ट्र की जनता के साथ किया है । इन्होंने अपने आप को बहुत ही सीमित रखा है । अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है । जो व्यक्ति ऐसी सरकार में हैं, वह दोषी हैं, ऐसे लोगों को पांच वर्ष के लिये हटा दिया जाय । ऐसे लोगों को एक मिनट भी सदन में बैठने का अधिकार नहीं है । एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाय दोषी लोगों को जिसके तहत उन्हें सदन की सदस्यता से निष्कासित किया जाय । एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने विश्वास कल्याण सिंह पर नहीं किया था एक निर्वाचित संविधान सम्मत मुख्य मंत्री पर किया था । जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, हिफाजत करने की बात है मान्यवर, इसमें गलती इतनी है कि हमने ऐसी सरकार पर विश्वास किया । ऐसी गलतियां मान्यवर, संविधान के तहत हो सकती हैं और जिसका परिणाम इस देश ने भुगता है । बाबा साहब बसन्त साठे से मिलने गये । मान्यवर, यह व्यक्तिगत मुलाकात हो सकती है । मान्यवर, अडवाणी जी की रथ यात्रा के समय कौन प्रधान मंत्री था । अगर यह रथ यात्रा रोकी गई होती तो शायद आज ऐसी स्थिति न आती ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी बात समाप्त नहीं हुई है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, कल्याण सिंह जी के साथ कोई दोषी है तो वह दोषी हैं जिन्होंने सीटों का गठबन्धन करके चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सीटों के गठबन्धन का चुनाव लड़ा, वह भी दोषी हैं, कल्याण सिंह जी भी दोषी हैं । मैं दोष में नहीं जाना चाहता हूं । मैं नरेश अग्रवाल जी की बात कहना चाहता हूं–

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तिवारी जी समाप्त करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं समाप्त कर रहा हूं । नरेश अग्रवाल जी ने नियमों के अनुसार रखा है उसके अनुसार ईमानदारी से प्रस्ताव लाकर वह लोग जो मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं कल्याण सिंह मंत्रिपरिषद् के जो सदस्य रहे हैं, उनके लिए अग्रवाल जी का सुझाव मानकर, मुख्य मंत्री जी कांग्रेस दल को विश्वास में लेते हुए प्रस्ताव लाएं उसका हम खुले दिल से समर्थन करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कार्यसूची को आगे बढ़ने दीजिए ।

श्री अतीक अहमद–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आपको अवसर मिला है आप बोलेंगे पहले मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी की बात सुन लें फिर कह लीजिएगा ।

श्री अतीक अहमद–

मैंने पहले प्रश्न उठाया था मुझे सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाएं । वर्मा जी की बात सुन लें मैं आपको अवसर दे दूंगा ।

(व्यवधान)

* श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, पहले मेरा प्रश्न सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाएं । मैं आपको अवसर दे दूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ नहीं कहूंगा शान्ति से सुन लें । प्रश्न जिसे औचित्य के रूप में उठाया गया । श्री नरेश अग्रवाल जी ने इसे उठाया यह राजनीतिक प्रश्न था (व्यवधान) सदन के कीमती समय में हम बोल रहे हैं, जनता दल और कांग्रेस दल के लोग बोल रहे हैं और जो एक बड़ा दोषी है वह फरार है वह जवाब देने की हालत में नहीं है एक और जो दोषी है वह आगे-आगे सुझाव दे रहे हैं फैसला तो जनता ने कर दिया । इसके सारे फैसले जनता ही करेगी जिसने चुनकर भेजा है । दोषी-दोषी सुझाव दे रहे हैं जनता का निर्णय तो सामने है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है । राम आसरे वर्मा जी आप बैठ जाएं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी आप बैठ जाएं । कार्यसूची आगे कैसे बढ़ेगी । बैठ जाइए, मैं अनुमति नहीं देता हूं, कृपया बैठ जाइए । कृपया संसदीय कार्य मंत्री जी बोलें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपको सुनना तो पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी को अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आज सदन का पहला दिन विधिवत् शुरू हुआ है तो कम से कम औचित्य का प्रश्न या इस तरह के और जो संवैधानिक प्रश्न होते हैं । उन पर कम से कम जो लोग हस्तक्षेप करते हैं उनको बोलने का मौका दें इसके अलावा कई दलों के नेता हैं उनको तो अवसर मिलेगा सामान्य वाद-विवाद करने का अवसर दिया जाएगा तो इसका अन्त तो कभी नहीं होगा । अगर कोई माननीय सदस्य नियम 300 में औचित्य का प्रश्न या कोई प्रश्न तैयार करके लाता है और वह अपनी बात नहीं सुना पाता है क्योंकि बीच में व्यवधान पैदा होता तो यह उचित नहीं है । आज जो औचित्य के प्रश्न पर श्री नरेश अग्रवाल, श्री राम आसरे वर्मा और श्री जगदम्बिका पाल साहब बोले तो मैं उनका आभारी हूं । श्री राम आसरे वर्मा जी ने अपना राजनीतिक भाषण दियाऔर पाल साहब भी वही बोले जो श्री नरेश अग्रवाल पहले ही कह चुके हैं ।

मान्यवर, 6 दिसम्बर को जो अयोध्या में घटना घटी वह देश के लिए एक बहुत वीभत्स स्थिति थी। देश क्या राष्ट्रद्रोह से बड़ा दण्ड उसके लिए हो तो वह दिया जाना चाहिए। लेकिन श्रीमन् हम सब लोग यहां नियमों से बंधे हुए हैं और नियमों की शपथ लेकर व संविधान की शपथ लेकर हम सब यहां पर बैठे हुए हैं। जहां हमारी जुबान खुली हुई है लेकिन मुट्ठी बन्द रहेगी। नियमों के अन्तर्गत अनुशासित रहना पड़ेगा। मान्यवर, जो श्री नरेश अग्रवाल ने कहा संविधान के अनुच्छेद 173 में सदस्यों की योग्यता के सम्बन्ध में उपबन्ध है कि 25 साल की उसकी उम्र हो और भारत का नागरिक हो वह यहां का सदस्य हो सकता है और श्रीमन् उसको अनर्ह करने का कोई अधिकार रखता है तो वह चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ही उसको अनर्ह कर सकता है। 6 दिसम्बर की घटना का जहां तक प्रश्न है, हमारे माननीय विपक्ष के लोग यहां पर अनुपस्थित हैं। लेकिन उनके पक्ष में जो बात है उसको कहने से मैं नहीं चूकूंगा। 6 दिसम्बर की घटना का उल्लेख माननीय पाल साहब व अग्रवाल साहब ने जो किया है उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही कहा जा सकता है कि माननीय सदस्यों की सजा क्या है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

आप मेरी बात गलत ढंग से रख रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मेरी बात पहले आप सुन लें और अगर कोई शंका रह जाए तो फिर हम उत्तर दे देंगे। जहां तक बर्खास्तगी की बात है तो इसके लिए संविधान में दिया हुआ है कि किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उस राज्य का शासन संविधान की अपेक्षा के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति राज्य की सभी शक्तियां और कृत्य अपने हाथ में ले लेगा। इसके अलावा समय-समय पर इस सदन में जो व्यवस्थायें होती रहीं हैं उनका उल्लेख करना समीचीन होगा। श्रीमन्, यह पुस्तक है अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संबंधित संहत संकलन, 1969 से 30 दिसम्बर, 1978 तक, इसके पृष्ठ 44 पर यह दिया गया है "निर्वाचन आयोग के कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय करना, अध्यक्ष अथवा विधान सभा के अधिकार में नहीं है। इसलिये श्रीमन्, हम यहां पर यह सिफारिश निर्वाचन आयोग को नहीं कर सकते है कि कौन-किन से सदस्य योग्य अथवा अयोग्य घोषित किये जायं। इस पीठ से ऐसे मामलों पर पहले भी निर्णय हो चुके हैं इसलिये जो माननीय श्री नरेश अग्रवाल जी ने यहां पर प्रश्न उठाया है वह राजनीतिक रूप से देश के सजग नागरिक होने के नाते है और हमारा दल उनकी भावनाओं से सहमत है कि 6 दिसम्बर को जो तत्कालीन सरकार थी और जो उसके अगुवा थे उन लोगों ने साजिश करके यह काम किया था, उनको जो दंड दिया जाय वह कम है लेकिन इस विधान सभा का यह अधिकार नहीं है कि उनको अनर्ह कर दे। यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री नरेश जी अग्रवाल द्वारा रखे गये औचित्य के प्रश्न पर, ग्राह्यता के प्रश्न पर विस्तार से वार्ता सुनी। अन्य सदस्यों ने भी अपनी ग्राह्यता पर विचार प्रकट किये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार भी मैंने सुने। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत मामला प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए अस्वीकार किया जाता है।

सदन में 16 दिसम्बर, 1993 को घटित दुःखद घटना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

माननीय राम आसरे जी वर्मा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को सदन में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में एक औचित्य का प्रश्न प्राप्त हुआ है । मैं माननीय वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वह संक्षेप में ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कल इस सदन में जिस तरह की घटनायें घटित हुई वह अपने में अभूतपूर्व थीं । विधान सभा के इतिहास में सम्भवतः कल जैसी घटनायें कभी नहीं घटित हुई होंगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसी विषय पर मेरी एक सूचना है ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना क्रम सं० 3 पर है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप जिस पीठ पर विराजमान हैं उसकी गरिमा सर्वोपरि है । कल इसी सदन में भा०ज०पा० के माननीय सदस्यों ने दौड़-दौड़ कर रिपोर्टर्स .....

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

आप जरा मौका दें । श्रीमन्, अभी प्रातः आपकी अध्यक्षता में नेताओं की एक बैठक हुई थी उसमें भी यह तय हुआ था । श्रीमन्, उस बैठक में माननीय राम आसरे वर्मा जी भी उपस्थित थे और सबकी आम राय बनी थी कि सदन की कार्यवाही शालीनता पूर्वक चले और इस प्रश्न पर कोई बात करके आम सहमति बना ली जाय । अभी 1 घन्टे बाद नेताओं की बैठक होनी है । उस बैठक के बाद जो वहां तय हो उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाय ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप बैठ जायं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मै यह कह रहा था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री के कथन के बाद मैं अपनी बात पर बल नहीं दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इस बारे में आज सभी दलों के नेताओं की बैठक में विचार-विमर्श हुआ है । इसलिए अभी इस मामले को सदन में उठाना उचित नहीं होगा, अतः इसे अस्वीकार किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) अध्यादेश, 1993[†]

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) अध्यादेश, 1993 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1993†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 1993 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1993†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1993 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1993†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग आदि के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1993 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ का स्थिति-पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा वर्ष 1991-92†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ का स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा वर्ष 1991-92 को भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा भारत का संविधान में किये जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन, जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आता है, के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र को, उक्त विधेयक एवं संसद के तद्विषयक वाद-विवाद की प्रतियों सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 182 (1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1992-93 का अनुपूरक) विधेयक, 1992

सचिव–

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश विनियोग (1992-93 का अनुपूरक) विधेयक 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 नवम्बर, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 नवम्बर, 1992 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 नवम्बर, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव–

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 नवम्बर, 1992 के उपवेशन में पारित किया था जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 नवम्बर, 1992 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव–

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि–उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 8 मई, 1992 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 नवम्बर, 1992 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव–

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि–उत्तर प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू (संशोधन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 नवम्बर, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपना दिनांक 26 नवम्बर, 1992 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव–

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक

25 नवम्बर, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 नवम्बर, 1992 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992

सचिव–

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि–उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 नवम्बर, 1992 को उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1992 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 नवम्बर, 1992 की बैठक में अस्वीकृत किया था और जो संविधान के अनुच्छेद 197(2) सपठित प्रक्रिया नियमावली के नियम 152(2) के अधीन विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा गया, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1992 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव–

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से मैं घोषित करता हूं कि–उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 अप्रैल, 1992 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 अप्रैल, 1992 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 17 दिसम्बर, 1992 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1993 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 से 22 दिसम्बर, 1993 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–सदन के दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 से 22 दिसम्बर, 1993 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जायः–

दिसम्बर, 1993	12.30 बजे अपराह्न
16 गुरुवार	(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया जाना ।
	(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरः स्थापन आदि, यदि कोई हों ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

17 शुक्रवार (1) निधन के निर्देश (प्रश्न काल के उपरान्त) ।

(2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

18 शनिवार बैठक नहीं होगी ।

19 रविवार

20 सोमवार (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

5.00 बजे अपराह्न तक

(2) 5.00 बजे अपराह्न

(1) वित्तीय वर्ष 1993-1994 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण ।

(2) विधायी कार्य ।

21 मंगलवार (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

(5.00 बजे अपराह्न तक)

(2) 5.00 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 1993-94 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार तथा मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

22 बुधवार (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

(2) इस सत्र में प्राप्त और ग्राह्य किए गए तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न सत्रावसान के फलस्वरूप व्यपगत न माने जायं इसी प्रकार प्रक्रिया नियमावली के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न भी व्यपगत न माने जायं ।

(3) दिनांक 17, 20, 21 तथा 22 दिसम्बर, 1993 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 की सूचनाएं न ली जायं ।]

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना जो माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, से सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)

श्री हृदय नारायण–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।

मान्यवर, माननीय राज्यपाल का अभिभाषण किसी सरकार की नीतियों और संकल्पों का दस्तावेज हुआ करता है । हमारी सरकार को पदारूढ़ हुये दो सप्ताह भी नहीं हुये हैं । इस छोटी सी कालावधि में नई सरकार ने उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ आबादी के बीच एक नया आत्म विश्वास पैदा किया है । इसके पहले ऐसा अन्धकार था कि जनता के बुनियादी विचारों पर, देश के बुनियादी सवालों पर राजनीतिक हलकों में बहस बन्द हो गयी थी । बेरोजगारी के सवाल, कृषि व्यवसाय में लगी जनता से जुड़े हुये सवालों पर और इसके अलावा जितने भी दैनिक जीवन से जुड़े हुये सवाल थे, उन पर बहस बन्द हो गयी थी और बहस हिन्दू-मुसलमान के सम्बन्ध में, हिन्दू और मुसलमानों में कटुता पैदा करने के लिये और मन्दिर-मस्जिद के बीच और राम को राजनीति का केन्द्र बिन्दु बनाने के लिये शुरू हो गयी थी और एक ऐसा अन्धकार आ गया, एक सरकार बीच में आ गयी, उसके कार्यों के कारण, उसकी नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश की पूरी की पूरी आबादी में और जनमानस में अन्धकार छा गया था और उस अन्धकार को हमारे प्रदेश की जनता ने समाप्त किया और आज पूरे प्रदेश ने गरीबों और दलितों के नायक माननीय मुलायम सिंह यादव के हाथ में सरकार का नेतृत्व दिया है और जिससे पूरे प्रदेश में एक आशा की किरण पैदा हुई है । मान्यवर, आप अवगत हैं कि राम मन्दिर को राजनीति का मुद्दा बनाया गया और उससे प्रदेश में साम्प्रदायिकता को पैदा किया गया, उससे लोहा लेने वाले नायक श्री मुलायम सिंह यादव जी के हाथों में आज सरकार काम कर रही है ।

श्रीमन् राम को राजनीति में इस प्रकार से घसीटा जा रहा है, जैसे कि राम की पूरी व्याख्या राजनीतिक दलों के हाथों में ही है । मान्यवर, हम गांव के हैं और यहां पर जो माननीय सदस्य हैं वह अधिकांश गांवों के हैं, शहरों के लोग बहुत कम है । गांव में जितने ऐसे लोग हैं जो रामायण, वेद और पुराणों और धर्मशास्त्रों से राम के सम्बन्ध में जानते हैं ? चन्द लोग हैं जो धर्म शास्त्र से, रामायण से राम को पहचानते हैं । गांवों की जो संस्कृति है, दादी नानी की जो संस्कृति है वहीं पर मैंने भी राम को सुना था कि राम सब कुछ करता है, वह एक जगह पैदा नहीं है सब तरफ व्याप्त है और कोई घटना हो जाती है तो वह सब घटना का जिम्मेदार है और यह चीज हजारों वर्षों से इस देश की धरती पर कायम है कि राम ही सब चीजों का कर्ताधर्ता है वही सब कुछ करता है मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम को एक स्थान पर इस प्रकार से कैद कर दिया कि राम इस जगह पर पैदा हुआ था, बिल्कुल गज, फुट, इंच से नापा गया कि इसी जगह पर राम पैदा हुए थे । यह एक बहस का मुद्दा है । चन्द दिन पहले भाजपा ने मांग की थी कि राम तो भीगे जा रहे हैं, राम पर छतरी तानो, राम को जाड़ा लग रहा है रजाई लाओ । इस तरह से देश के जो बुनियादी प्रश्न थे उनसे बहस बिल्कुल अलग होती गयी और सब तरफ साम्प्रदायिकता का जहर फैलता गया । हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है और जो हिन्दू

धर्म है और जो भी धर्म इस देश में फलफूल रहे हैं उनमें किसी व्यक्ति का सर्वोच्च आचरण है वह धैर्य और सहिष्णुता है, गर्म हो जाने, आक्रोश में आ जाने, गुस्से में कोई काम करना यह हमारे देश में हिन्दू धर्म, आर्य समाज़, वैदिक धर्म, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, इसाईयत में कहीं भी नहीं लिखा है लेकिन इस देश में इससे पहले एक नारा लगाया गया कि–

"जिस हिन्दू का खून न खौला,

खून नहीं वह पानी है ।

श्रीमन्, हिन्दू की परिभाषा बदल गयी, विकृत हो गयी और यह कहा गया कि जिसका खून खौले वही हिन्दू और जिसका खून न खौले वह अहिन्दू ।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की जनता को कोटि-कोटि बधाई कि उसने जिन लोगों का खून खौल रहा था ऐसे लोगों को रद्दी की टोकरी में फेंककर उत्तर प्रदेश में एक नये प्रभात की शुरुआत की है । श्रीमन्, नयी सरकार ने दो सप्ताह से भी कम अवधि में अनेक ऐसे जनहितकारी कामों की घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश की जनता में एक विशेष प्रकार का उत्साह और विश्वास का वातावरण बना है और वह वातावरण जो पहले था साम्प्रदायिकता का, विकास कार्यों के बन्द हो जाने का, ठप हो जाने का और धर्म स्थल गिरा देने का उसके बाद अपने पोस्टर चिपका देने का, वह समाप्त हुआ । श्रीमन् उन लोगों ने यह हलफ भी लिया कि लोकतंत्र की रक्षा करेंगे । भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने । हमारे अभी कांग्रेस पार्टी के विद्वान मित्र कह रहे थे कि भाजपा के लोग शासन को फासिस्ट ढंग से चला रहे थे जबकि उन्होंने हलफ लिया था । श्रीमन्, चुनाव के समय मैं जहां कहीं भी जाता था और जहां कहीं भी जाने का अवसर मिला तो सब जगह एक पोस्टर जैसी चीज देखने को मिली कि "जो कहा सो किया" कहा कि अयोध्या का विवादित ढांचा जो हम लोगों के शब्दों में मस्जिद है कहा कि स्वयं रक्षा करेंगे लेकिन स्वयं उसे ढहा डाला, श्रीमन्, कहा कि संविधान की रक्षा करेंगे लेकिन उस संविधान को तोड़ने में उन्होंने कोई कोरकसर नहीं छोड़ी और बाद में यह कहा कि इस ढांचे की हम रक्षा नहीं कर पाये और इसलिए हम त्यागपत्र देते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सामने जाकर कहा कि हम ढांचे की रक्षा नहीं कर पाये और उसके लिए खेद व्यक्त किया और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करते रहे कि 6 दिसम्बर का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में बड़ा गौरव का दिन था, उनके नेताओं ने श्रीमन्, जगह-जगह यह कहा, तत्कालीन विपक्ष के नेता अडवानी जी मिले नहीं पत्रकारों से, अटल जी भी नहीं मिले । पहले तो कहा कि यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है, बड़े खेद का विषय है

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम आसरे वर्मा पीठासीन हुए)

बड़ा लज्जा का विषय है और फिर कहा कि पूरे हिन्दुस्तान के लिए गौरव का दिन है, जो कहा सो किया । मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में फासिस्टवादी, साम्प्रदायिक और हिन्दू-मुसलमान को लड़ाने वाली शक्तियों को पराजित कर नयी सरकार का गठन किया, हमारे माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में । तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की इस जनता को बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जो जनता है वह लम्बे अरसे से न केवल सत्ता में बदलाव का ख्वाब संजोये हुए थी बल्कि उसके चित्त में सामाजिक परिवर्तन के प्रयास की इच्छा गहरी थी अब भी लोगों में कुंठा इतनी गहरी है कि इस प्रदेश और प्रदेश में जातियों के आधार पर, वर्णों के आधार पर लोगों को जो अपमानित किया गया है हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। मान्यवर, व्यवस्था से तात्पर्य है कि जो जातियां है जो जातिगत अपमान है यह नहीं होना चाहिए। जो प्रशासन और शासन का दृष्टिकोण है वह बड़ा शुद्ध होना चाहिए। मान्यवर, व्यवस्था कुछ इस प्रकार की थी इस समाज की और करीब-करीब है भी, हम लोग जहां से चुनकर आते हैं गांवों में जहां पर जाति के आधार पर मनुष्य को पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए विवश किया जाता था, लोगों में यह आशा थी कि जो नयी सरकार संकल्प लेकर आयी है, गांधी जी, राम मनोहर लोहिया और इस देश के संविधान निर्माता और करोड़ों दलितों के मसीहा बाबा भीमराव अम्बेडकर, हमारी प्रेरणा के स्रोत, के नाम पर उनको आगे करके जो नयी सरकार ने संकल्प लिया है व्यवस्था बदलने का, वह होना चाहिएं।

इस व्यवस्था में तो लोगों के नाम रखने तक में बेईमानी की जाती थी। श्रीमन्, हम आपके साथ बैठने वालों में से हैं, आप जानते हैं अगर किसी के यहां बच्चा पैदा होता था और जब वह अपने बच्चे का नाम रखने के लिए पंडित जी के पास जाता था, तो हमारा एक सिस्टम है, वह वैज्ञानिक भी हो सकता है। नक्षत्रों और ग्रहों को देखकर उसके अनुसार पहला अक्षर निकाला जाता है और फिर उसी अक्षर से नाम रखा जाता है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता था कि अगर उसमें पूछने वाले भी पंडित जी हैं तो जैसे 'ह' पहला अक्षर निकला तो, हृषिकेष और हमारे जैसा हृदय नारायण रखा जाता था और यदि क्षत्रिय है तो हरि प्रताप, जो वीरता का प्रतीक है, और उसके बाद जो वर्ग बनाया गया है उसके लिए हरिलाल और जो दलित वर्ग का है तो उसके लिए हिरही रखते रहे हैं तो यह जो व्यवस्था है वह बेईमान है। इस व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन का नारा देकर हमारी सरकार आयी है सत्ता में।

मान्यवर, हमारी सरकार का प्रत्येक मंत्री और हमारे जैसा प्रत्येक विनम्र विधायक व्यवस्था बदलने के लिये कृतसंकल्प है, उसके लिये चाहे जितनी भी कठिनाईयां क्यों न उठानी पड़ें, चाहे जितने संघर्ष करने पड़ें। अभी नई सरकार को आये केवल दो सप्ताह का समय ही बीता है, पिछली सरकार करीब सवा साल रही, उसके बाद एक लम्बे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा। एक बड़े लम्बे दौर तक नहरों में पानी नहीं आया।

मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वहां के तमाम लोग मेरे पास आते हैं, कई पढ़े लिखे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप यह बताइये कि ये दो सप्ताह में ही नहरों में कैसे पानी आ गया, क्या पहले वाली सरकार के लोग नहरों में पानी नहीं पहुंचाना चाहते थे ? दो सप्ताह के भीतर ही नहरों के छोर तक पानी पहुंचा देना, बिजली के इंजीनियर्स व अधिकारियों का हलचल में आ जाना, यह संकेत देता है कि जो सरकार आई है, वह जनता के प्रति किये गये वायदों को पूरा करने के लिये कृतसंकल्प है, संकल्पबद्ध है। अब मान्यवर, ऐसी स्थिति बन रही है कि आम आदमी बड़े आराम से सड़क पर निकल सकता है। तराई की तरफ से आने वाली कोई मारुति या लखनऊ में टहलने वाले कोई सरदार जी अब बड़े आराम से घूम सकते हैं अब पहले की तरह नहीं, कि कहीं किसी सरदार को देखा और तुरन्त पकड़ लिया, तुम तो बंता सिंह हो, तुम्हारे ऊपर तो इतना इनाम है। अब कहीं किसी को कोई जान से मार देगा, ऐसा खतरा नहीं है। हिन्दू-मुसलमान के बीच की दूरी जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत बढ़ा दी गयी थी, अब वह कम होने लगी है और उनके बीच आपसी रिश्ते पुनः बनेंगे, इसकी आशा और उम्मीद बनी है। अब अल्पसंख्यक कहीं भी घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, अब यह भी

एक मस्जिद गिरा दी गयी थी, तो अब दूसरी और फिर तीसरी मस्जिद गिरा दी जायेगी ।

श्री राज्यपाल जी ने, हमारी नई सरकार की नीतियों का जो दस्तावेज यहां पेश किया है, उसमें कृषि निवेश के अन्तर्गत नई सुविधायें देने का वायदा किया गया है । मान्यवर, आप अवगत हैं कि इस प्रदेश की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है और गांव में रहने वाले लोग कृषि ही करते हैं । अभी तक यह स्थिति थी कि खेती के काम आने वाली जितनी भी चीजें हैं जैसे डीजल इन्जन, बीज, कीटनाशक दवायें, कृषि उपकरण, सब के सब महंगे थे और कृषि उत्पादन जो था वह सस्ता था । इस तरह कृषि घाटे का व्यवसाय हो गयी थी । लेकिन नई सरकार ने तय किया कि कृषि निवेश की सुविधायें बढ़ायी जायेंगी और कृषि उत्पाद जो होगा, उसकी लागत इस तरह निर्धारित की जायेगी, जिससे किसानों को अपनी उपज का प्रोत्साहक मूल्य मिले ।

मान्यवर, माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने का भी आश्वासन दिया है । सरकार ने यह तय किया है कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की प्लानिंग इस तरह की जायेगी, जिससे गांव में रोजगार के अवसर बढ़ें । अभी तक होता यह था कि गांव का गरीब आदमी यदि पढ़ लिख भी जाता था तो उसे रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते थे । कहीं वह पंजाब भाग जाता था, कभी कलकत्ता और रिक्शा चलाता था । नई सरकार ने संकल्प व्यक्त किया है कि गांवों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को इस तरह से नियोजित किया जायेगा, जिससे रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हों ....

मान्यवर, आप अवगत हैं कि खेती में सिंचाई के साधनों का नितान्त अभाव है और सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण किसान मारा जाता है, कर्ज लेता है, दे नहीं पाता । तहसील कर्मियों की जीप उसके घर पर आती है, उठा ले जाती है, किसान अपमानित होते हैं । हमारी नई सरकार के अगुवा माननीय मुलायम सिंह जी ने और समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है ।

यह सम्भवतः पहली सरकार है, मैं इस आदरणीय सदन की सेवा में श्रीमन् काफी दिनों से आ रहा हूं अपने क्षेत्र से । श्रीमन् यह पहली सरकार है जिसने समयबद्ध सिंचाई के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है और यह कहा है कि 3 साल के भीतर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक खेत को पानी पहुंचा दूंगा । श्रीमन्, प्रत्येक खेत को समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर पानी पहुंचाने का जहां तक सवाल है, जो हमारे साधन उपलब्ध हैं, सरकारी ट्यूबवेल हैं, उनको ठीक कर चालू किया जा रहा है, निजी ट्यूबवेलों का ऊर्जीकरण किया जा रहा है और जो वर्तमान नहर प्रणाली है उसके अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम दो सप्ताह के भीतर ही ऐसा लगता है कि प्रारम्भ हो गया है और उसके नतीजे भी श्रीमन् गांव से आने लगे हैं । अभी जब यह 6 दिसम्बर, 92 की घटना हुई थी तो मान्यवर, दंगों की विभीषिका से पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा था और हमारा जो पुलिस वर्ग था, मैं उस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं जिस पर दंगों के रोकने की जिम्मेदारी थी मान्यवर, हमारे साथी मा० बेरिया जी बैठे हैं, बता रहे थे कि कानपुर में पुलिस दंगा करने के लिये प्रोत्साहित कर रही थी, जाति वर्ग के आधार पर । वह कहते थे कि इस क्षेत्र में बस्ती रह गयी है और तुम यहां घूम रहे हो । श्रीमन्, राज्यपाल के अभिभाषण में यह परिलक्षित है कि एक विशेष पुलिस बल का गठन किया जायेगा, जिसका काम केवल दंगे रोकना होगा और दंगा रोकने की टेक्नीक और जरूरी आधुनिक हथियारों से वह पुलिस बल लैस होगा । उसमें ऐसे लोग होंगे जिनका दृष्टिकोण वर्णवादी नहीं होगा, साम्प्रदायिक नहीं होगा, जो यह देखेंगे कि दंगों से लोगों को कैसे बचाया जाये जो मर रहे हैं । इससे पहले दंगा रोकने के लिये कोई पुलिस बल नहीं थी । मान्यवर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें बड़ा बिलम्ब होता है ।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है कि नई सरकार द्वारा शीघ्र न्याय के लिए न्यायालयों को और सुविधा देगी और इस प्रकार का प्रबन्ध करेगी कि जो वाद काफी दिनों से लम्बित हैं उनका शीघ्र निस्तारण हो। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि न्याय में देरी हो जायेगी तो "न्याय में देरी भी एक अन्याय होता है"। अन्याय न हो उससे बचने के लिए नई सरकार ने यह संकल्प किया है कि न्यायालयों को ठीक से सुविधा दी जाये और न्यायिक प्रक्रिया जो बहुत ढीली-ढाली है उसे दुरुस्त किया जाये। मान्यवर, जो सबसे बड़ा काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है बहुत अल्प समय में और जो बड़ा उल्लेखनीय है और जिसको मुझे पहले कहना चाहिए था वह काम है वर्ण और जाति के आधार पर जो लोग पिछड़े हैं, सामाजिक कारणों से, ऐसे 27 फीसदी लोगों को सत्ता में आते ही हमारी सरकार ने आरक्षण प्रदान करने की घोषणा कर दी है और एक ऐसी आवश्यकता थी जो महत्वपूर्ण थी। मण्डल आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पूरे देश में, प्रदेश में और सभी तरफ यह मांग बड़ी जोर पकड़ रही थी कि आरक्षण होना चाहिए और हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही यह आरक्षण लागू कर दिया है। उससे समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, दबे लोग हैं, उनके मन में आशा का संचार हुआ है। वह अब अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरियों में स्थान पा सकेंगे। उनका जो सामाजिक पिछड़ापन है, वह और असन्तुलन भी दूर होगा। इसके लिये नई सरकार बधाई की पात्र है। दो सप्ताह से भी कम समय में आरक्षण जैसे क्रान्तिकारी कदम को इस सरकार ने उठाया है।

किसानों को जो घाटा होता था मारकेटिंग में, उसके लिये भी हमारी सरकार ने कदम उठाया है। अभी तक ऐसा होता था कि कोई उद्योगपति जब अपना कोई माल बनाता था तो उसे बेचने के लिये वह दूसरे राज्य में ले जाता था, जैसे पंजाब में टायर बनता है तो वह उत्तर प्रदेश में बेचने के लिये चला आता है, माचिस बनाने की कम्पनी अपनी माचिस को बेचने के लिये यहां ले आती है, बीड़ी बनाने वाले अपनी बीड़ी को बेचने के लिये यहां ले आते हैं, परन्तु हम लोग गांवों में गेहूं व धान पैदा करते हैं, उसको बेचने के लिये अन्य प्रान्तों में नहीं ले जा सकते हैं। नई सरकार ने आते ही इस पर से रोक हटा दी। अब किसान अपनी उपज का भरपूर फायदा ले सकता है। अब किसान बिना रोक-टोक के अपना सामान दूसरे प्रान्तों में ले जा सकता है। प्राकृतिक दैवी आपदाओं से किसान को जो नुकसान होता था, उससे भी उसको मुक्ति देने का संकल्प हमारी सरकार ने किया है। किसान बड़ी मेहनत से बीज बोता है, सिंचाई करता है और खेत जोतता है परन्तु प्राकृतिक दैवी आपदा से उसकी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, इसलिये यह फैसला किया गया है कि अनिवार्य फसल बीमा योजना को लागू किया जायेगा। इसका उल्लेख भी राज्यपाल के अभिभाषण में है। इस योजना के लागू होने से कास्तकार को जो नुकसान होता है, उसकी पूर्ति की जा सके।

मान्यवर, अपने गांवों में तालाब होते हैं और उनमें बहुत सारी मछलियां होती हैं। उनसे मछलियां निकालने का काम तो कहार व निषाद जाति के लोग करते हैं लेकिन उन तालाबों पर बड़े-बड़े माफिया गैंग के लोग कब्जा कर लेते हैं फर्जी समितियां बना कर या फिर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। मैं जहां से जीतकर आया हूं, मेरा तो चुनाव ही ऐसे आदमी से होता है। जो तहसील के व जिले के सारे तालाबों पर कब्जा कर लेता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब तालाबों का पट्टा केवल कहार व निषाद जाति के लोगों को ही दिया जायेगा। इसके लिये हमारी सरकार संकल्पबद्ध है।

मान्यवर, इसी प्रकार कुम्हार जाति के लोग जो परम्परागत हस्तशिल्प में कौशल रखते हैं तथा इस विद्या में प्रवीणता रखते हैं, उनको मिट्टी निकालने में काफी दिक्कतें होती थीं । कहीं-कहीं प्रधान उनसे पैसा लेते थे या फिर उनसे कहा जाता था कि आप केवल इतनी मिट्टी निकालेंगे या फिर उनको मिट्टी ही निकालने न दी जाती थी, उनको लोग गालियां देते थे, अपमान की जिन्दगी वह जी रहे थे, हमारी सरकार की यह नीति है कि कमजोर लोगों को ऊपर उठाया जाय, इसी के तहत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे लोगों को गांव सभा में ही मिट्टी उपलब्ध कराई जायेगी और सरकारी मशीनरी देखेगी कि उन्हें मिट्टी मिल रही है या नहीं ।

मान्यवर, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं और जो सफाई का काम हमारे यहां चल रहा है, वह भी वर्ण व्यवस्था के आधार पर चल रहा है । उसमें महिला सफाई कर्मचारी भी काम करती हैं । अभी तक यह था कि उन्हें सुबह 6.00 बजे से काम पर आना पड़ता था । श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेख है कि नई सरकार ने फैसला किया है कि महिला सफाई कर्मचारियों को सुबह 6 बजे आने की आवश्यकता नहीं उनका समय घटा दिया गया है अब वह घर का काम निपटा कर अपने काम पर आयें ।

श्रीमन्, लोकतंत्र की आधारशिला गांव सभायें हैं वहीं से लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू होती है और वहीं से विधान सभा और लोक सभा तक लोग जाते हैं । हम इस आदरणीय सदन में कई बार सवाल उठाते रहे हैं कि ग्राम प्रधान को निलम्बित करने का अधिकार परगना अधिकारी को नहीं होना चाहिये । क्योंकि जनप्रतिनिधि कई बार आन्दोलन करते हैं सरकारी कर्मचारी उनसे नाराज रहते हैं तो जब भी उनको अवसर मिलता है वह एक झटके में प्रधान को निलम्बित कर देते हैं । एक आदमी जिसे लोग चुन कर भेजते हैं जो क्षेत्र समिति का सदस्य होता है और भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष होता है उसे एक साधारण परगना अधिकारी निलम्बित कर देता है । तो हमारी नई सरकार ने परगना अधिकारी से प्रधान को निलम्बित करने का अधिकार छीन लिया है । लोग कहते हैं कि विधायक जब चुनकर आता है तो उसे कोई बरखास्त नहीं कर सकता लेकिन प्रधान को परगना अधिकारी निलम्बित कर देते हैं । तो हमारी सरकार के इस कदम से सच्चे लोकतंत्र की शुरुआत गांवों से हुई है । सरकार ने यह सराहनीय कार्य किया है ।

मान्यवर, दुनिया के किसी भी देश में, भारत के किसी भी प्रदेश में एक ही अपराध के लिये दो दण्ड नहीं दिये जाते हैं । पूर्व सरकार के समय जो छोटे-छोटे बच्चे, छोटी-छोटी बिटिया जो परीक्षा देते थे उनके लिये परीक्षा में अनुचित साधनों का निवारण कानून बना कर उनको जेल भेज दिया जाता था । पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता था भले ही उनके पास कोई और कागज रहा हो, जेब में कोई कागज मिल जाता था तो छोटी-छोटी बच्चियां जेल चली गयी थीं । तो एक तो वह जेल गयीं दूसरा उनकी परीक्षा निरस्त हो गयी । तो इस तरह से दो दण्ड उनको दिये गये । छोटे-छोटे बच्चे गलती कर सकते हैं क्योंकि वह सीखती इकाई होती हैं उनका अपराध क्षम्य होता है अगर हम अपराध करें तो वह माफ नहीं होता लेकिन जो लर्निंग इकाई हैं उनको क्षम्य है । लेकिन उनको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया । इससे पूरे प्रदेश की भावना आहत हुई अभिभावक परेशान थे कि उनके बच्चों का क्या होगा । पिछली बार कई माननीय सदस्यों ने यह मामला उठाया । कुछ बच्चे इसको लेकर बेहोश हो गये गाजीपुर में एक बच्ची की मृत्यु हो गयी थी तो हमारी नयी

सरकार ने पहले ही दिन जैसा हमारे नेता सदन माननीय मुलायम सिंह ने घोषणा की थी 45 मिनट के भीतर ही इस कानून को निलम्बित कर दिया । इससे छोटे-छोटे बच्चों को दो दण्ड एक अपराध के लिये मिलते थे। जहां तक मुझे स्मरण है आज ही यहां पर उस ऐक्ट को खतम करने का प्रस्ताव आया है जिसे माननीय वर्मा जी ने सदन में रखा है ।

इससे उत्तर प्रदेश के बच्चों और उनके अभिभावकों में एक आशा बनती है कि हमारी नयी सरकार उनकी भावनाओं के प्रति उनके दुखों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है कि शिक्षा जगत में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन पर कोई पुलिस दखल नहीं होना चाहिये । यह काम तो पढ़ाने वालों और सिखाने वालों का है । साथ ही यह भी सही है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में और पढ़ाई में खामियां हैं । तो शिक्षा की जो सारी व्यवस्था है, उसका सारा दोष बच्चों पर मढ़ देना अनुचित है । नई सरकार ने आते-आते उसको दूर किया है और यह भी कहा है कि हम नकल नहीं करने देंगे । लड़कियों की शिक्षा की समस्या पूरे उत्तर प्रदेश में और गांवों में है, राज्यपाल जी के अभिभाषण में इसका उल्लेख है– नई सरकार प्रति ब्लाक एक कन्या इंटर कालेज की व्यवस्था करेगी । जब कमजोर वर्ग की बात आती है तो लोहिया जी के चिन्तन और विचार में औरत को भी कमजोर माना गया है । तो बच्चियों को पढ़ाने के लिये प्रति ब्लाक एक इंटर कालेज की व्यवस्था करने का संकल्प नई सरकार का है ।

जो कस्बे हैं, उनकी हालत बड़ी खराब है । उन कस्बों को सुव्यवस्थित करने हेतु–प्रकाश की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और सफाई आदि की अच्छी व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में संकल्प किया गया हैं ।

बिक्री-कर के खात्मे का भी संकल्प और उसकी जगह पर अन्य प्रभावी व्यवस्था नई सरकार ने दो सप्ताह के भीतर, अपने वायदे के अनुसार फिर से रेखांकित करने का काम किया है । मान्यवर, एक ऐसी आशा बंधी है नई सरकार को, जो सवा साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इसे जब पूरा एक सांल हो गया तो इसी आदरणीय सदन में एक मामला उठा था कि पूरे एक साल के अन्दर प्रदेश के किसी भी अस्पताल में एक रुपये की भी धनराशि दवाई के लिये भेजने का काम उनकी सरकार नहीं कर सकी थी । पहले इसी आदरणीय सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे यह बताया था कि उत्तर प्रदेश में हम 16 हजार गांवों में बिजली लगायेंगे लेकिन एक महीना बाद जब फिर मैंने यही सवाल किया था, तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा गया था कि हम 6 हजार गांवों में बिजली लगायेंगे । लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि न 16 हजार न 6 हजार, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी गांव में कहीं कोई बिजली नहीं लगाई गई न कोई ऊर्जीकरण हुआ ।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में सड़क बनाने का कोई काम नहीं किया । इतना ही नहीं, जो पूर्ववर्ती हमारी सरकार थी, उसने जहां कहीं भी सड़कों, पुलों और अस्पतालों के बनाने का काम शुरू किया था, उस विकास के कार्य को इनके शासन काल में पूरी तरह से रोक दिया गया था । यह केवल एक विषय उठा रहे थे कि प्रदेश और देश की जनता का साम्प्रदायिक बंटवारा हो जाये । वह जगह-जगह यह कहते थे, जब भी उनसे विकास की कोई बात की जाये, बेरोजगारी की, शिक्षा की और अस्पताल खोलने की कोई बात की जाये । सरकार जनता और प्रदेश के विकास के लिये आती है और तमाम बुनियादी सवालों के हल के लिये आती है । वह कहते थे कि हमारा केवल मन्दिर मुद्दा है । वह हिन्दू और मुसलमान को बांटना चाहते थे और कहते थे कि हम इस देश को हिन्दू राष्ट्र बनायेंगे । पूरी दुनिया भर में, जितने मुस्लिम देश हैं सबसे बड़ा देश आबादी में

मुस्लिम आबादी में इंडोनेशिया है और उसके बाद आप देख लें दुनिया के सारे मुस्लिम देशों, ईरान, सीरिया, मिस्र, मोरक्को, लीबिया, पाकिस्तान जितने मुझे याद आ रहे हैं । आप देख लें इण्डोनेशिया के बाद सबसे अधिक आबादी मुस्लिम देशों की भारत में है । यहां जितने हिन्दू लोग हैं, उतने ही मुस्लिम । हिन्दू-मुसलमान एक साथ सांझी संस्कृति में रह रहे हैं । मंदिर में आरती होती तो मस्जिद में अजान । महत्वपूर्ण स्थलों पर मंदिर मस्जिद एक साथ बने हैं । जिन लोगों ने यह देश बनाया और जो सांझी संस्कृति के आधार पर चल रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि मंदिर में जलने वाली अगरबत्ती और मस्जिद में जलने वाले लोबान में कोई अन्तर होगा । उन्होंने हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाइयों का रंग भर कर इस देश का नक्शा तैयार किया होगा । भारत मां की तस्वीर इन सभी रंगों से बनी होगी । जाति के आधार पर, सम्प्रदाय के आधार पर भारत का नक्शा बनाया जाय तो देश विखंडित होगा, देश टूटेगा । मैं खास तौर से इस प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं जिन्होंने हिन्दू और मुसलमानों को लड़ाकर अपना राजनैतिक जीवन बनाने वालों को रद्दी की टोकरी में फेंका और ऐसे लोगों को चुना जो सब धर्म की भावनाओं का आदर करें । जिनके मन में कुरान पाक की आयतों के लिये, रामायण के लिये, नानकवाणी के लिये, कबीर वाणा के लिये और अन्य धर्म ग्रन्थों के लिये सम्मान होगा । ऐसे लोगों को सत्ता में बैठाया है । उत्तर प्रदेश की जनता को कोटि-कोटि बधाई दूंगा उन्होंने डा० लोहिया, अम्बेदकर, गांधी जी के विचारों को अपना समर्थन किया और उनके आदर्श के मामने वालों को चुना ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है नई सरकार गांधी के सिद्धान्तों के प्रति, डा० लोहिया के सिद्धान्तों के प्रति, अम्बेदकर के सिद्धान्तों के प्रति वचनबद्ध है । हिन्दू, मुसलमान और जो अन्य वर्ग हैं, सबको एक साथ लेकर चलने के लिये वचनबद्ध हैं । जो लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे, हिन्दू, मुसलमान को लड़ाने का प्रयास कर रहे थे कि समाज टूट जाय वह शक्तियां अब हार गयी हैं । श्रीमन्, अभी वह सत्ता से ही हटी हैं । बीच-बीच में वह अपनी कारगुजारियां करती रहती हैं । उनका कानाफूसी का काम है । श्रीमन्, नई सरकार ने यह संकल्प किया है कि हम सत्ता में तो आ गये हैं मगर हम यह व्यवस्था बदलेंगे । व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से उन साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ जिन्होंने जातिगत, ऊंच-नीच के आधार पर देश को तोड़ने की कारगुजारियां की हैं, उनके प्रति अपना संघर्ष जारी भी रखेंगे ।

श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में गांधी, लोहिया, अम्बेदकर के सिद्धान्तों का अनुकरण करने की अपेक्षा हम लोगों से ही नहीं की है बल्कि मत्रिमंडल से भी अपेक्षा की है और यह संकल्प किया है कि मंत्रिगण और उनके सहयोगी विधायक, सरकारी मशीनरी के रूप में अधिकारी और कर्मचारी भी उन्हीं सिद्धान्तों का अनुकरण करें । श्री राज्यपाल ने जो अपना अभिभाषण दिया है, जो संकल्प यहां व्यक्त किया है उसके लिये धन्यवाद ज्ञापित करने के लिये मैं आपकी आज्ञा से यहां खड़ा हूं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन से यह अनुरोध करूंगा कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गईं)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस मुल्क को आजाद

हुए 46 साल हो गये हैं और इन 46 सालों में जो इस मुल्क की सूरत बनी है, दुनिया के सामने जो इस मुल्क का चेहरा उभरा है वह आर्थिक गुलामी का चेहरा है, आर्थिक दिवालियेपन का चेहरा है आज दुनिया के किसी मुल्क के सामने कर्जा मांगने के लिये जाते हैं तो दुनिया का कोई देश कर्ज दिलाने की जमानत लेने के लिये तैयार नहीं है यह आजादी के 46 साल में हमारे मुल्क की तस्वीर बनी है और वह आपके सामने है। मान्यवर, 6 दिसम्बर की जो घटना हुई है उससे आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर पहुंचा मुल्क को और तहस-नहस करने का कार्य 6 दिसम्बर की घटना ने किया। 6 दिसम्बर की घटना जो भारत का संविधान जो तीन पांवों पर टिका है, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद उसके पांव धर्मनिरपेक्षता को तहस-नहस कर दिया।

दुनिया के सामने इस देश का सिर झुक गया है। जो जन-धन की हानि हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। 6 दिसम्बर की घटना मुल्क को बीसों साल पीछे ले गई। हमने कहीं पर नहीं देखा कि मंदिर मस्जिद की मीनारें टकराती हैं, कहीं राम रहीम टकराते हैं लेकिन यहां सत्ता के लिये हिन्दू मुसलमान के दिलों में नफरत भरने का काम किया गया सत्ता प्राप्त करने के लिये मंदिर मस्जिद को बहाना बनाया गया। उससे यह मुल्क बीस साल पीछे गया है ऐसी स्थिति में 6 दिसम्बर का जो धुंध उठा था और जो हिंसा का वातावरण बना था, जो नफरत का वातावरण बना था, उस समय अंधकार के सिवाए कुछ दिखाई नहीं देता था आगे क्या होगा देश में नफरत और साम्प्रदायिकता की जो आग भड़की है वह कैसे दूर होगी कोई नहीं समझ सकता था। मान्यवर, इसमें बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र हैं। समय-समय पर जब भी इस तरह के संकट आये हैं तो कोई न कोई महापुरुष आये हैं तो जो अंधकार उत्पन्न हुआ था कोई दिशा नहीं दे रहा था इस देश और प्रदेश की जनता को दिशा दिखाने के लिये माननीय मुलायम सिंह जी ने और माननीय कांशीराम जी ने संकल्प लिया और मर्माहत लोगों को रास्ता दिखाया।

(मेजें थपथपाई गईं)

मुल्क में जो साम्प्रदायिकता की आग भड़की थी, उसको समाप्त करके भाईचारे के माहौल को बनाया है, इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। जनता के अथक प्रयास से माननीय नेता मुलयाम सिंह जी और कांशीराम जी ने अलख ज्योति को जगाया है। यहां की बहादुर जनता ने दिखा दिया है कि धर्मनिरपेक्षता में वह विश्वास करती है। डा० अम्बेदकर में विश्वास करती है, लोकतंत्र पर कुठाराघात करने, न्याय पालिका पर कुठाराघात करने के कार्य जो बरदास्त नहीं करती है। जिसने अम्बेदकर के विचारों को माना है ऐसी सरकार को चुनकर जनता ने बिठाया है। इसलिये भी बधाई के पात्र हैं। प्रदेश की जनता मान्यवर, जब सत्ता में बैठे हुए लोग जिन्हें ला एण्ड आर्डर मेनटेन करने का, नियम कानून के तहत देश को चलाने की और प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी होती है। वे इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करते हैं कि हम उस बाबरी मस्जिद की, उस विवादित ढांचे की सुरक्षा करेंगे। लोगों के दिल टूटे इस देश के संविधान के प्रति इस प्रदेश की सरकार के प्रति लोगों की आस्थाएं डिगी। इस प्रदेश का मुख्य मंत्री सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ पत्र देता है और यहां पर कहता है। लेकिन चुनाव के समय में कहता है कि जो कहा सो किया। क्या यही उन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया था सर्वोच्च न्यायालय में। हम सुरक्षा करेंगे और उस दिन जब सरकार बर्खास्त हुई तो उस समय उन्होंने बयान दिया था कि मैं संविधान के दायित्व का पालन नहीं कर पाया इसलिये इस्तीफा देता हूं। और चुनाव के समय कहते हैं कि जो कहा सो किया।

मान्यवर, ऐसी स्थितियां जनता में अविश्वास पैदा करने का काम करती हैं। परन्तु इस देश की बहादुर जनता ने माननीय मुलायम सिह जी में जो विश्वास व्यक्त किया है और उसका यह परिणाम कि आज नई सरकार बनी है और नई सरकार ने जो सकंल्प लिया है देश का काम करने का निर्णय लिया है। वह सदियों से ऊंच-नीच, छुआ-छूत व जाति प्रथा की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको बदलकर समता मूलक समाज की स्थापना करने का निर्णय लिया है। और इस समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करके एक भाई चारे का निर्माण किया जायेगा। लोगों के टूटे दिल पर मरहम लगाने का संकल्प इस सरकार ने लिया है। मान्यवर, आज प्रदेश में जो खेती की स्थिति है। आज इस प्रदेश में जितनी जमीन पर खेती हो रही है लगभग उतनी ही जमीन बेकार पड़ी हुई है। जिस पर खेती की जा सकती है। ऐसी जमीन सिसकती रहती है कि हमें कोई जोतने वाला नहीं है। इस देश का दूसरे की जमीन पर खेती करने वाला इन्सान, दूसरे की मजदूरी करने वाला इन्सान जिस पर काफी अत्याचार होते रहते हैं, उनकी औरतों के साथ व्यभिचार किया जाता है और वह सोचता है कि मेरे पास भी जमीन होती तो यह बेगार न करनी पड़ती। तो इस सरकार ने संकल्प लिया है कि बेकार पड़ी हुई जो जमीन सरकार के कब्जे में है उसको उपजाऊ बनाकर भूमिहीन लोगों को दी जायेगी। उनको आत्म निर्भर बनाया जायेगा।

मान्यवर, इस देश में पहाड़ों पर जो लकड़ी और वन उपज है उसका माफिया लोग दोहन करते हैं। हिमालय को ही देख लिया जाये। जो उत्तर प्रदेश का हिमालय है इसमें अगर वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू कराया जाये तो कम से कम इस प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और आने वाले दिनों में जो लाखों गरीबों के परिवारों की बेइज्जती की जा रही है उससे बचाया जा सकेगा और इससे काफी आर्थिक लाभ होंगे, अनाज का उचित मूल्य भी हमारी सरकार दिलायेगी। जिसका उल्लेख महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में है। बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से किसान अन्न पैदा करता है और उसको उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। उसकी उपज का लाभकारी मूल्य न मिलने के नाते आज वह किस स्थिति में, किस तरह के मकान में छप्पर के नीचे रह रहा है। इस नाते इस सरकार ने एक निर्णय लिया है कि यदि किसान अपना अन्न प्रदेश के बाहर, जहां उसको ज्यादा कीमत मिल रही है वहां ले जाना चाहता है तो वह ले जाने के लिये स्वतंत्र है उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जो चावल की खेती होती है, खासतौर से जो तराई की बेल्ट है और चावल की खेती के लिए मशहूर है उस बेल्ट में 10 प्रतिशत चावल की खेती और बढ़ा दी गयी है। इस 10 प्रतिशत बढ़ी हुई जमीन में केवल बासमती चावल उत्पन्न किया जायेगा और उस चावल को इस देश में न बेचा जाय बल्कि बाहर के देशों को निर्यात किया जायगा। इससे इस देश को विदेशी मुद्रा बड़े पैमाने पर मिलेगी और प्रदेश के किसानों की तरक्की होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो गन्ना है, गन्ने की जो हमारे यहां चीनी मिलें हैं उसमें मात्र चीनी बनायी जाती है परन्तु अब चीनी मिलें न लगाकर गन्ना संस्थान लगाये जायेंगे और आने वाले दिनों में जो गन्ना संस्थान लगाये जायेंगे उनमें चीनी एक बाई प्रोडक्ट होगी और गन्ने का जो लाभकारी मूल्य जो आज मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा मूल्य मिलेगा और चीनी सस्ते दामों पर बिकेगी। इसके अलावा अल्कोहल मुख्य प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। ब्राजील में जिस तरह से सारी गाड़ियां डीजल या पेट्रोल से नहीं चलती बल्कि अल्कोहल से चलती हैं। उसी तरह से अल्कोहल को फ्यूल, ईंधन के रूप में उपयोग किया जायगा। इससे हमारी विदेशी मुद्रा जो तेल को खरीदने में खर्च होती है वह बच सकेगी। इसी तरह से आज इस

सरकार ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है। शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन का निर्णय लिया गया है ढोंग-ढकोसलों पर आधारित जो शिक्षा व्यवस्था है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। दर्जा–3 में पढ़ने वाला जो अबोध बालक है उसको भाषा का अध्यापक पढ़ाता है कि गंगा जो है वह ब्रह्मा के कमण्डल से निकलकर शंकर जी की जटाओं से होते हुए पृथ्वी तक आयी है। उसी अबोध बालक को भूगोल का अध्यापक पढ़ाता है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, हिमालय से निकलती है। अगर उस अबोध बालक से प्रश्न पूछा जाय कि गंगा कहां से निकलती है तो अबोध बालक कौन सा जवाब देगा। भाषा के अध्यापक ने जो बताया है वह जवाब देगा या भूगोल के अध्यापक ने जो बताया है वह जवाब देगा। इसी तरह से चन्द्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण राहू और केतू के निकलने से लगते हैं या पृथ्वी और सूर्य के बीच चन्द्रमा के आने से लगते हैं। पृथ्वी शेषनाग के फन पर रुकी है या चुम्बकीय प्रभाव से रुकी है।

तो इस तरह से ढोंग-ढकोसलों पर आधारित पाठ्यक्रमों को निकाल कर विज्ञान सम्मत, तर्क सम्मत पाठ्यक्रम को रखने का निर्णय लिया गया है इसके लिए मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसको सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है और प्रदेश की जनता को सुनकर अपार खुशी होगी उन्होंने संकल्प लिया है कि परिवहन विभाग जो आज तक घाटे पर चलता रहा है उस परिवहन विभाग को लाभ में लायेंगे।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अखिलेश पीठासीन हुए)

और आने वाले दिनों में उसका जो घाटा है, वह लाभ में आ जायेगा। दूसरे प्रदेश की तुलना में जो हमारे प्रदेश में किराया ज्यादा है, उस किराये को कम करके दूसरे प्रदेश की तुलना के अनुसार कम किया जायेगा।

मान्यवर, इसी तरह से जो हमारे गांव के लोग अपनी रोजी-रोटी की तलाश में गांव से चलकर शहरों में आ जाते हैं, मेहनत करके या ज्यादातर मोटे कारोबार करके अपने पेट की रोटी तो कमा लेते हैं, परन्तु रहने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं होती है, तो वे गन्दे नालों के किनारे, सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे अपना झोपड़ा डाल लेते हैं। उनके घरों में बरसात के दिनों में पानी घुसता है, वैसी जगहों पर वे अपनी झोपड़ी बना कर रहते हैं। ऐसे लोगों को पुनर्वासित करने के लिए, ऐसे लोगों को मकान देने के लिए माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने और इस सरकार ने एक निर्णय लिया है कि ऐसे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए, जिनके नाम का राशन कार्ड नहीं होता है, जिनके नाम कोई जमीन नहीं होती है, उनको रहने के लिए जमीन, मकान यह सरकार जरूर मोहइया करायेगी, ऐसा संकल्प इस सरकार ने लिया है। सबसे बड़ा क्रान्तिकारी आन्दोलन, जिसका उल्लेख महामहिम श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है, वह सफाई मजदूरों के बारे में है। आज समाज का कोई अंग, समाज का कोई वर्ग सफाई मजदूर बनने के लिए तैयार नहीं है।

इस समाज व्यवस्था में जो भंगी समाज है, वही सफाई करने का ठेका लिया है। ऐसा क्यों ? इस पर इस सरकार ने गहन मनन और चिन्तन किया और मनन करने के बाद उसने पाया है कि यह समाज मजबूर होकर, भंगी का काम करता है। कोई भी भंगी खुशी से अपने बेटे को भंगी नहीं बनाना चाहता परन्तु अपनी रोजी-रोटी के लिए मजबूरन वह भंगी का काम करता है। वह टट्टी को अपने सिर पर उठाकर फेंकता है। सरकार ने निर्णय लिए है कि ऐसे लोगों को हम इज्जत देंगे, ऐसे लोगों को हम मकान देंगे, ऐसे लोगों की जिन्दगी बेहतर बनाने के लिए, उनकी जिन्दगी को ऊंचा उठाने के लिए हर सम्भव कोशिश करके, उन्हें समाज में सम्मान देंगे। इसके लिए सरकार ने संकल्प लिया है, इसके लिए इस सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए निश्चय किया है और इस देश की जो विकृति संस्कृति

है, जहां हमारा 60 साल का बूढ़ा 10 साल के बच्चे से पांव लगी करता है और वह 10 साल का बच्चा उसे आशीर्वाद देता है, इस व्यवस्था को बदलना है । इसको बदल कर समता और समानता पर आधारित संस्कृति को लागू करने का काम यह सरकार करेगी ।

मान्यवर, आज जो दस्तकारी में लगे लोग हैं, चाहे वह कुम्हार हो, चाहे नाई हो, चाहे वह दर्जी हो या बढ़ई हो या लोहार हो, जिसे हमारे समाज में प्रजा के नाम से जाना जाता है, इसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि जिनके आंसुओं को किसी ने नहीं पोछा है, ऐसे समाज के लोगों की मात्र आंसू पोछने के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसे समाज के लोगों को एम० एल० ए० बना कर यह पहली बार सरकार आयी है, जिनको प्रतिनिधित्व सरकार ने दिया है । आज जो समाज में गुलाम बना हुआ है पहली बार माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया है भरपूर प्रतिनिधित्व अपनी सरकार में उनको मंत्री बनाया गया है । मान्यवर, जो क्रान्तिकारी कदम उठाया है वह है 27 प्रतिशत का आरक्षण । जैसे ही माननीय मुलायम सिंह ने कुर्सी सम्भाली, नयी सरकार ने कुर्सी सम्भाली 27 प्रतिशत का आरक्षण लागू किया और मात्र लागू नहीं किया जैसे कि पहले की सरकार करती थी उसे पूरा नहीं करती थी । निश्चय के साथ तय किया है कि यह 27 प्रतिशत जो बैकवर्ड क्लास का आरक्षण है साढ़े बाइस प्रतिशत जो शेड्यूलकास्ट का आरक्षण है उसको पूरा किया जायेगा । और उसको लागू करने के लिए जो भी रुकावटें आयेंगी उस रुकावट को दूर करने का प्रयास किया जायेगा इस बारे में निश्चय सरकार ने लिया है ।

मान्यवर, ऐसी स्थिति में जब संसाधन कम हैं देश और प्रदेश में तमाम विकट स्थितियां हैं बैठते ही माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस नई सरकार ने जहां पानी नहीं पहुंचता था जिन नहरों में ट्यूबवेल बन्द पड़े थे उनके बैठते ही उन नहरों में पानी पहुंचने लगा है । और एक समयबद्ध कार्यक्रम तय किया है कि तीन साल के अन्दर हर खेत को पानी पहुंचाने का काम करेंगे और तय किया है कि 16 घण्टे बिजली किसानों को मिलेगी और बजट का 70 प्रतिशत भाग गांव में खर्च किया जायेगा । मान्यवर, यह प्रदेश गांवों का प्रदेश है यहां की जो 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है । गांव गरीबों का है और गरीबों के आंसू पोछने का काम माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने किया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित द्वारा रखे गये राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, श्री राज्यपाल के इस धन्यवाद प्रस्ताव पर जिसे माननीय सदस्य श्री हृदय नारायण दीक्षित जी ने रखा है उसका समर्थन माननीय सदस्य श्री बी० आर० वर्मा जी ने किया है उस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं । मान्यवर, यह पहला अवसर होगा जहां महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद प्रस्ताव माननीय दीक्षित जी के द्वारा रखा गया । मान्यवर, मंत्रि-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी की बात करना, बाबू राम यहां हैं आप भी इस सदन में कई बार सदस्य रह चुके हैं ।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, पहली बार परम्परा टूट रही है, क्यों टूट रही है । जब हम महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए हैं और जब इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सदन के सहयोगी दलों द्वारा उन बहुमूल्य सुझावों का जहां तक समावेश करने के प्रश्न है, जिन्होंने धन्यवाद का प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखा है, वह स्वयं यहां पर उपस्थित नहीं हैं । माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि यह प्रदेश में पहली सरकार है जो प्रदेश के गरीबों, दलितों, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए त्वरित निर्णय लिए हैं । उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने मात्र 2 सप्ताह में तमाम घोषणायें की हैं और जो प्रदेश की जनता के हित में हैं और जिनका परिणाम दीक्षित जी को दिखायी दे रहा है । यह सरकार अपने को गरीबों और दलितों और मजदूरों की सरकार मानती है । प्रदेश में पहली बार सरकार अपने को इन भावनाओं से प्रतिविम्बित करती है कि वह गांव का प्रतिनिधित्व करती है । लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों के लिए कहीं पर कोई एक भी शब्द नहीं कहा गया है । मान्यवर, राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रदेश की नीतियों का दस्तावेज है, उसके क्या कार्यक्रम हैं, उसकी क्या नीतियां हैं और उसकी क्या योजनायें हैं उसका एक प्रारूप होता है । यदि यह सरकार किसानों के हित में होती तो वह सबसे पहले यह घोषणा करती कि गन्ना किसानों का जो मूल्य बकाया है, उसका भुगतान किया जायेगा । लाखों गन्ना किसानों का गन्ने का मूल्य बकाया है, सरकार की यह जिम्मेदारी थी कि सबसे पहले यह सुनिश्चित करती कि उनका गन्ने का मूल्य जो अवशेष है, दिया जायेगा और जो चीनी मिल मालिक गन्ने का मूल्य नहीं देंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती । सरकार का कर्तव्य है कि जिन गन्ना किसानों का मूल्य बकाया है, उसका भुगतान सुनिश्चित कराया जाये । चीनी मिल मालिकों ने उनके गन्ने से चीनी बनाकर और उसे बेच कर पैसा तिजोरी में रख लिया है और किसानों को वह पैसा नहीं मिल रहा है । आज भी तमाम ऐसे गन्ना किसान हैं, जिनके हाथों में परचियां हैं, लेकिन उनको उसका मूल्य नहीं मिला है और इस कारण वह पौष के महीने में रजाई नहीं खरीद सकते और कम्बल नहीं खरीद सकते और ठिठुरते हुए वह रात गुजारते हैं । सरकार को उनकी चिन्ता नहीं है ।

श्री दीक्षित जी के समर्थन में वर्मा जी ने कह दिया कि चीनी मिलें न लगायी जायें । मान्यवर, जितना गन्ना पैदा होता है, उसके 33 प्रतिशत ही की पेराई होती है और 66 प्रतिशत गन्ना खाण्डसारी और दूसरे माध्यमों से और खेतों में जलाकर समाप्त कर दिया जाता है । गन्ना संस्थान की बात कही गयी, तो मान्यवर, अभी गन्ना संस्थान की बात बहुत दूर है । सत्तारूढ़ सरकार को सबसे पहले पिछले सत्र का जो गन्ना मूल्य रु० 19 करोड़ 47 लाख बकाया है, उसके भुगतान की घोषणा करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया । सरकार की ओर से आश्वासन आया है कि अगर मिल मालिक नहीं देंगे तो कीमत के साथ ब्याज भी दिया जायेगा । किसानों का कोआपरेटिव का पैसा बाकी है, बैंक का पैसा बाकी है और अन्य संस्थाओं का पैसा बाकी है, वह उस पैसे को अदा नहीं कर पाता है उसे जेल में भेज दिया जाता है, चाहे उसके घर पर बारात आयी हो या बेटी के हाथ पीले कर रहा हो । लेकिन आज भी वह चीनी मिल के मालिक अपने एयरकण्डीशन बंगलों में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है सरकार की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए । दूसरी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि इस प्रदेश के अन्दर तमाम मेहनतकश किसानों का जो उत्पादित गन्ना है उसकी पेराई को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक चीनी मिलें लगायी जायं ।

वर्ष 1989 में जब हमारी सरकार थी तो 18 चीनी मिलों के विस्तारीकरण का प्रस्ताव किया गया था यह चीनी मिलें पूर्वी उत्तर प्रदेश की थीं देवरिया की, हुगली की, लक्ष्मीगंज की आदि । वर्ष 1989 में आपकी भी सरकार थी उस सरकार में मिलाकर हर मिलों के विस्तारीकरण के कार्य में 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ का खर्च हो चुका था लेकिन दुर्भाग्य जब प्रतिपक्ष आया तो उसने 18 चीनी मिलों में से 18 चीनी मिलों के विस्तारीकरण के कार्य को अवरुद्ध कर दिया उनके विस्तारीकरण के कार्य को ठप कर दिया और आज उन मिलों पर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, कर्मचारियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, सिविल वर्क हो चुके हैं, मशीनों के प्लाण्ट की खरीद हो चुकी है उसके बाद भी इन गन्ने की मिलों की पेराई की क्षमता 7 सौ, 8 सौ टन की ही है । यदि किसी मिल की पेराई क्षमता 2500 टन से कम है तो वह लाभप्रद नहीं हो सकती है तो सबसे पहले प्राथमिकता यह होनी चाहिए । अगर ऐसा होता तो मैं कहता कि यह पहली सरकार किसानों की है । इस सरकार ने किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस तरह से उठाये हैं और इस सरकार के गठन के बाद कुछ घोषणायें की गयीं हैं लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उन निर्णयों का मूल्यांकन करना होगा कि उन घोषणाओं का क्रियान्वयन हुआ कि नहीं इसको सुनिश्चित करना होगा ।

इस सरकार ने पहले दिन कहा कि जिस दिन माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री बनेंगे उस दिन सभी ग्रामीण अंचलों को 16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी, मैं इसे कोई राजनीतिक विषय नहीं बना रहा हूं लेकिन आप इसको सुनिश्चित करिये कि क्या उत्तर प्रदेश की 75 हजार गांव सभाओं में जहां आपने घोषणा की है 16 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो गयी है आपको यह देखना होगा कि बिजली पहुंच रही है या नहीं । यह निर्णय ऐसा नहीं है इस निर्णय में आपने नहीं कहा कि इसके संबंध में कोई योजना बनायी जायेगी या विचार किया जायेगा फिर अमल किया जायेगा । आज विद्युत आपूर्ति की बात होती है तो हमें देखना होगा कि सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद अगर हम विद्युत के उत्पादन को नहीं बढ़ाते हैं तो जो उत्पादन हो रहा है उसी में तो वितरण व्यवस्था होगी । तो उस उत्पादन में तो विद्युत आपूर्ति उतनी ही सुनिश्चित कर पायेंगे जितना पिछले दिनों हो रहा है इसके लिए या तो शहर की या उद्योगों की विद्युत की कटौती करनी होगी तभी ग्रामीण अंचलों में विद्युत की आपूर्ति कर पायेंगे । इस दिशा में गम्भीरता से देखना होगा ।

माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी बहुत अच्छे विद्वान और ज्ञाता हैं उनमें निश्चित रूप से सरकार की नीतियों के प्रस्तुतीकरण की क्षमता है और इसीलिए उन्होंने अपने ढंग से इन सारी चीजों को प्रस्तुत किया है । उन्हें पता नहीं है क्योंकि वह चुनाव जीतने के बाद सरकार के गठन में व्यस्त थे और सरकार के गठन के बाद विधान सभा के अध्यक्ष के चुनाव में व्यस्त थे तो मान्यवर, वे निश्चित तौर से अपने क्षेत्र में नहीं जा सकें हैं । आज क्षेत्र में चले जायं कल शनिवार है और उसके बाद इतवार है वह जिस भी स्वागत समारोह में शामिल होंगे तो सबसे पहले किसान एक ही बात का उल्लेख करेगा कि किसानों को कहीं भी डी० ए० पी० की खाद नहीं उपलब्ध है । पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथियों ने भी कहा कि आज सबसे बड़ी किसानों की आवश्यकता डी० ए० पी० खाद की है आज कहीं भी डाई अमोनियम फास्फेट नहीं है । आप पता कर लें । सरकार की प्राथमिकता यह होनी चहिए कि पूरे प्रदेश में खाद मिले और यह सारे केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जाये । उन्नतशील बीजों का वितरण कराया जाय किसानों को.....

राजस्व मंत्री (श्री बाबू राम यादव)–

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य कांग्रेस ने हमारी आलोचना की मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले सारे के सारे कामों को आप ही देख रहे थे ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं कि इस ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है । मैं केवल ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि जो प्रदेश में घोषणायें की गयी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए था, जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी उस ओर सरकार का ध्यान अब तक अछूता है इसलिए सुझाव दे रहा हूं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि ये आज सदन उठने के बाद मुख्य मंत्री जी से कहें कि किसानों को डी० ए० पी० खाद मिले । मान्यवर, जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में अच्छी बातें कही गयी हैं मैं उसका स्वागत करता हूं । इस सरकार ने प्रदेश की सफाई महिला कर्मचारियों को 6.00 बजे के स्थान पर 8.30 बजे आने की छूट दी है इससे जो उनके बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व हैं, जो उनके घर के प्रति उत्तरदायित्व है उनके निर्वहन में उन्हें जरूर मदद मिलेगी । वह अपने घर-गृहस्थी के कार्यों का ठीक से निष्पादन करेंगी । लेकिन मान्यवर, क्या पूरे प्रदेश में तमाम नगरपालिकाओं में, स्वायत्तशासी संस्थाओं में केवल मात्र यही एक समस्या है । क्या उन्हें मात्र दो-ढाई घण्टे की छूट देने से यह समस्या हल हो जायेगी । मान्यवर, आज उनके सामने भूख की ज्वाला सबसे बड़ी समस्या हो गयी है, जो मेहनतकश लोग हैं उन्हें अपनी मेहनत का वेतन नहीं दिया जा रहा है । जो सफाई कर्मचारी हैं, आप प्रदेश की तमाम नगरपालिकाओं में देखें तो तमाम जगहों पर धरना दिया जा रहा है, घेराव किया जा रहा है इसलिए कि वे उनकी मेहनत का पैसा नहीं दे पा रहे हैं ।

जो वित्तीय संस्थायें हैं वह यह कहती हैं कि हमारे पास चुंगी नहीं है जो प्रतिपूर्ति सरकार की तरफ से आती है उसके माध्यम से, कतिपय कारणों से, उन कारणों को इस कल्याणकारी सरकार को लोकतन्त्र में देखना होगा । नगरपालिका या उसके चुने हुए चेयरमैन या अधिकारी तो यह कह सकते हैं कि हमारे पास वित्तीय संकट है और हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सरकार को इस उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाना होगा और यह भी देखना होगा कि वे भुखमरी के कगार पर न पहुंच पायें । मान्यवर, बड़े प्रसन्नता की बात है अभी हमारे मा० दीक्षित जी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की महिलाओं की तरफ ध्यान दिया । माननीय दीक्षित जी हमारे वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा की है कि गांव में कन्या इण्टर कालेज खोलेंगे, मैं इसका स्वागत करता हूं । आपको तो पता ही है कि इस तरह के निर्णय आज भी विद्यमान हैं लेकिन इसके बावजूद भी विद्यालय नहीं खुल रहे हैं । 1989 में जब सातवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष था उस समय यह तय किया गया कि उत्तर प्रदेश की तहसीलों में जहां कन्या इण्टर कालेज नहीं हैं वहां माताओं और बहनों के लिए विद्यालय खोले जायेंगे, असेवित तहसील मानकर, उस समय 17 असेवित तहसीलें थीं उन तहसीलों में भूमि और भवन उपलब्ध कराया गया और कन्या विद्यालय की स्थापना की गयी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरे जनपद बस्ती-सिद्धार्थनगर में बांसी असेंबिक तहसील थी । आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में यह तय किया गया था कि उत्तर प्रदेश के जिन विकास खण्डों में कन्याओं के लिये विद्यालय नहीं होगा, वहां पर कन्याओं के लिये विद्यालय खोले जायेंगे और कुछ विद्यालय खोले भी गये । लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही इस निर्णय को बदल दिया और कहा कि ऐसे विकास खण्डों में विद्यालय खोले जायेंगे, जहां कोई भूमि और भवन उपलब्ध करायेगा, आज भी यह निर्णय विद्यमान है । माननीय हृदय नारायण जी जानते होंगे और जब अपने यहां डी० आर० डी० ए० अथवा डिस्ट्रिक्ट प्लान की बैठक में जाते होंगे तो देखा होगा कि कोई भी भूमि-भवन देने को तैयार नहीं है । मान्यवर, आप स्वयं सोचें कि जब कोई भूमि भवन उपलब्ध करायेगा तो वह खुद अपने पिता के नाम से, किसी रिश्तेदार के नाम से, स्कूल का नाम रखेगा, वह भला सरकार को क्यों देने लगा । मान्यवर, नई सरकार को राजकीय कन्या इन्टरमीडियेट कालेज खोलने के संबंध में अपनी नीति को स्पष्ट करना होगा और यदि भूमि, भवन उपलब्ध कराने की नीति ही चलती रही, तो समझ लीजिये कि कोई भी स्कूल खुलने वाला नहीं ।

मान्यवर, अभी और भी माननीय सदस्यों ने कहा, वह बिल्कुल सही है कि पिछली सरकार ने तमाम पुलों को, सड़कों को डीनोटीफाई कर दिया, जिन पर कार्य प्रारम्भ हुआ था, उसको रोक दिया गया । हमारे भाई रामकरन जी पूरब के विधायक हैं, इन्होंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को ले जाकर अपने यहां एक पुल का शिलान्यास करवाया था, उस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ । इसी तरह से राज्य सेक्टर में आने वाला लुम्बिनी स्टेट हाई वे का शिलान्यास हुआ था, उसको भी पिछली सरकार ने डीनोटीफाई कर दिया । मान्यवर, हम लोगों में आपस में कुछ भी मतभेद हों, लेकिन जो जनहितकारी, कल्याणकारी काम होते हैं, उनके संबंध में उलटफेर नहीं किया जाता है, लेकिन पिछली सरकार ने ऐसा ही किया । हम उनकी बात नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं, जिसका उल्लेख न करूं तो यह बातें सदन के संज्ञान में कैसे आयेंगी । मान्यवर, हमारी सरकार ने तय किया था कि जहां आर्थिक विषमता हैं, क्षेत्रीय असंतुलन है, रीजनल इम्बैलेन्सेज हैं, उसको दूर किया जायेगा और इसके तहत काफी काम भी किया गया था । हमारी सरकार ने ऐसे कई क्षेत्रों जैसे बुन्देलखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को इसके तहत प्राथमिकता दी और ऐसे क्षेत्रों के उत्थान के लिये भारत सरकार से भी प्रयास किया । इसी के तहत उत्तरांचल के 8 जिलों का जो बजट होता है, उसमें 90 प्रतिशत परिव्यय भारत सरकार वहन करती है, शेष 10 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार देती है सिर्फ इसीलिये कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो, लेकिन पिछली सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये जो निर्णय लिये थे, उन सबको उलट दिया, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया, औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ गया । आज पूरे प्रदेश में तमाम योजनायें ऐसी हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, जो योजना भवन में पी० आई० बी० की बैठक न होने के कारण लम्बित हैं । इस नई सरकार को यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि प्रदेश के किसी क्षेत्र में, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे मिलों के विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट हो या हमारे दूसरे और क्षेत्र हैं जो पी० आई० बी० की बैठक न होने के कारण हमारे प्रोजेक्ट वास्तविकता के धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं । इसके लिये भी हमको आपसे कहना पड़ेगा कि पी० आई० बी० की बैठकें करें और उन पी० आई० बी० की बैठकें करें और उन पी० आई० बी० बैठकों से हम उत्तर प्रदेश की योजनाओं को आगे बढ़ायें, उद्योग बन्धुओं को आगे लायें ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई सरकार की नीतियों का उल्लेख करते हुए महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहा कि हमारी सरकार, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करेगी प्रदेश की विकास के लिये। मान्यवर, लोहिया जी के सिद्धान्तों पर चलने वाले अगर प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास में, तो उन्हें यह भी देखना होगा कि पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स पड़े हुए हैं, चाहे स्पिनिंग मिल्स हों, चाहे शुगर मिल्स हैं। पब्लिक सेक्टर में कई फैक्ट्री हैं। इलेक्ट्रानिक क्षेत्र के विकास के लिये, जो पब्लिक सेक्टर में है उनके ऊपर कुठाराघात न हो, इसको भी सरकार को देखना होगा। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कई संकेत मिलते हैं, उसको हमें स्पष्ट करना होगा। अपने उन प्रदेश की पब्लिक सेक्टर की जो बीमार इकाइयां हैं, उन बीमार इकाइयों को बन्द करने के बजाये, उन बीमार इकाई को निजी हाथों में बेचने के बजाये, उन्हें किस तरह से लाभप्रद बना सकते हैं, कैसे उत्पादन [illegible] बढ़ा करके इस प्रदेश के लिये पूंजी बना सकते हैं, उसके संबंध में, कारणों पर विचार करना होगा। हमें बीमारी का इलाज करना होगा, किसी अंग को काटना नहीं होगा। उस दिशा में भी उत्तर प्रदेश में इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमें सार्वजनिक हितों की रक्षा करनी होगी जिससे प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पूंजी निवेश हो, पूंजीनिवेशकों के हितों की भी रक्षा हो। इस दिशा में भी हमें आज यह प्रयास करना है। और उन कारणों को भी दूर करना है। मान्यवर, बस्ती में स्पिनिंग मिल्स बन्द पड़ी है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें, समय कम है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा ही लेकिन मैं कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में वन माफियाओं से वन सम्पदा की रक्षा की बात कही गयी है। जो वन माफिया हैं, जो वन भूमि पर काबिज हैं, या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, उन भूमि को वन माफियाओं से मुक्त कराना होगा। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि 1984 में फारेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का फैसला लिया गया था, यह कहा गया था कि हम उत्तर प्रदेश में फारेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का गठन करेंगे। आज भी उत्तर प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों के पास कोई फायर आर्म्स नहीं है, उनके पास कोई मैजिस्ट्रेटी अधिकार नहीं है, पुलिस अधिकार नहीं है। इसलिये आज जिस तरीके से वनों का दोहन हो रहा है, जिस तरीके से वन सम्पदा नष्ट हो रही है, इस संबंध में भी इस निर्णय को फिर से लागू करना होगा। उसमें सरकार को स्पष्ट करना होगा कि हम उत्तर प्रदेश में फारेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का गठन करने जा रहे हैं।

मान्यवर, कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु और भी हैं जो जन-जीवन से जुड़े हुए हैं सहकारिता की जो प्राथमिक इकाइयां हैं, परन्तु आज सहकारिता के सचिव का स्थानान्तरण हो गया है, रजिस्ट्रार का स्थानान्तरण हो गया है। जब चुनाव शुरू हो जाते हैं तो इस तरह से स्थानान्तरण नहीं होने चाहिये। इसलिये सरकार को यह भी छवि बनानी पड़ेगी कि हम पिछली सरकार की तरह द्वेषपूर्ण भाव से स्थानान्तरण नहीं करेंगे। हम गुण-दोष के आधार पर ही स्थानान्तरण करेंगे। उनके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे और कर्तव्यपरायण के आधार पर ही स्थानान्तरण करेंगे। इसलिये सरकार को सहकारिता के आन्दोलन को मजबूत करना होगा और चुनाव को स्थगित नहीं करना होगा। हमारे कुछ सुझाव हैं इसके लिये। [illegible] को देना चाहते हैं। प्रदेश में जो भी वर्ग हैं, चाहे वह बुनकर भाई हों, अल्पसंख्यक [illegible] धारणा पैदा करनी होगी, पिछली सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिये हैं कि [illegible] मदरसे हैं उर्दू के व

फारसी के, उनके उलेमाओं की तनख्वाह रोक दी गई थी । मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनकी 14 महीने की रुकी तनख्वाह को दे दिया गया है ।

आज बुनकरों को सस्ता सूत नहीं मिल पा रहा है । उनको जो परम्परागत हुनर सुलभ था, आज उन्हें इस कार्य को छोड़कर दूसरे वैकल्पिक कार्यों में श्रम करना पड़ रहा है । उन्हें रिक्शा चलाना पड़ रहा है । आज सस्ता सूत इसलिये नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इटावा, मगहर, नगीना स्पिनिंग मिलें बन्द हो गई हैं जिनमें करोड़ों रुपये का सार्वजनिक निवेश हुआ है । अगर उन्हें फिर से चलाने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जायेगी तो सस्ते दर पर सूत उपलब्ध नहीं हो पायेगा । इसकी तरफ सरकार को देखना पड़ेगा । वैसे दो-दो सप्ताह का समय ज्यादा नहीं होता है । इस सरकार को जिस तरह से प्रदेश उन्हें मिला है । 6 दिसम्बर की घटना के बाद इस प्रदेश में लोगों के दिलों में जो खाई पैदा हुई है, उसमें सारे प्रदेश में एक साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण बनाने का एहसास उनके दिलों में करना होगा ।

मैं केन्द्र सरकार को बधाई दूंगा जिन्होंने मण्डल आयोग के आरक्षण को लागू किया । उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 सप्ताह के अन्दर 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करके एक बहुत अच्छा काम किया है । परन्तु श्री हृदय नारायण दीक्षित जी जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं, उच्च वर्ग में भी पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जातियों के नाते ही लोग पिछड़े हुए हैं, उन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को भी आरक्षण दिया जाय । इसका महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में उल्लेख नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

पिछली सरकार ने खलीलाबाद की चीनी मिल को बन्द कर दिया । हमारे विधायक जी भी बैठे हुए हैं । आन्दोलन किया था । आज चीनी मिल के बन्द होने के कारण वहां पर हजारों श्रमिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है । हजारों श्रमिक, हजारों किसान आज कठिनाई से परेशान हैं । पूरे प्रदेश में 107 मिलों में से एक चीनी मिल नहीं चल रही है तो एक चीनी मिल को अधिग्रहीत करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये । अनुरोध है कि उस खलीलाबाद तहसील के रहने वाले परिवारों और मजदूरों के हितों की सरकार रक्षा करेगी और उसे अधिग्रहीत करने की घोषणा करेंगे । पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा हर साल बाढ़ की तबाही से, इनसफलाइटिस की बीमारी से बरबाद होते हैं उनकी रक्षा के लिये मुझे आशा है इस खलीलाबाद की मिल को अधिग्रहीत करेंगे और मेरे सुझावों को गम्भीरता से लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अफजाल अंसारी आप संशोधन प्रस्तुत करें ।

* श्री अफजाल अंसारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप संशोधन प्रस्तुत करें ।

---

* वक्ता ने भा.प का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अफजाल अंसारी–

वही कर रहा हूं। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

" किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

[1–बेरोजगारों को रोजगार देने अथवा बेरोजगारी भत्ता देने तथा प्रदेश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने के संबंध में,

2–किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के संबंध में,

3–पांच वर्षों के अन्दर प्रदेश के सभी गांवों तक तमिलनाडु और केरल की भांति बिजली पहुंचाने के संबंध में,

4–प्रदेश के ग्रामीण अंचल में सड़कों का जाल बिछाकर प्रत्येक गांव व पुरवे को सड़क से जोड़ने के संबंध में,

5–प्रदेश में बन्द सैकड़ों बीमार औद्योगिक इकाईयों को पुनः चलाने तथा बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

6–भयानक रूप से बीमार और अरबों के घाटे में चल रहे राज्य विद्युत परिषद् को चुस्त दुरुस्त करने के संबंध में,

7–ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को सुदृढ़ करने और उन्हें विकास को कारगर इकाईयां बनाने, प्रधानों, ब्लाक प्रमुखों को आवश्यक भत्ता आदि देने के संबंध में,

8–अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों को सामाजिक न्याय और सम्मान दिलाने के लिये प्रोन्नति में भी आरक्षण कारगर ढंग से लागू करने के संबंध में,

9–प्रदेश की सम्पूर्ण कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के संबंध में,

10–असिंचित भूमि को सिंचित क्षेत्र में लाने तथा वर्षों से खराब पड़े नलकूपों को ठीक करने के संबंध में,

11–रसायनिक खादों व कीटनाशक दवाईयों के दामों में कमी लाने के संबंध में,

12–245–कोलअसला विधान सभा क्षेत्र में स्थान बालिकाधाम, कुनार तथा ओंदार में एक-एक एलोपैथिक अस्पताल बड़ागांव बसनी तथा पिंडरा के उच्चीकरण के संबंध में,

13–245–कोलअसला विधान सभा क्षेत्र के गांव बराडोह, पूरारघुनाथपुर पश्चिम रोहउत्तरी, पिंडरा पूर्वी देंउजी व राजपुर कोर्रा में राजकीय नलकूप लगाने के संबंध में,

14–245–कोलअसला क्षेत्र वाराणसी में बावतपुर राजबहा व केराकत राजबहा सिंचाई खण्ड जौनपुर से अधूरी माइनरों को खोदवाने तथा कुछ नई माइनरों को बनाने और उन पर पुलों, पुलियों, कुलाबों को बनाने तथा पटरियों को ऊंचा करने के संबंध में,

15–245–कोलअसला क्षेत्र में सरकारी नालों में पिंडराकोट में मानापुर पिंडरा में पुल बनाने तथा मच्छताल ड्रेन, पिंडरा ड्रेन, अजईपुर ड्रेन व बरही कलां ड्रेन की खोदाई व उन पर पुलों, पुलियों के निर्माण तथा बबरही नेवादा ड्रेन का पानी असवारर ड्रेन में गिराकर कुंडी नाले में ले जाने के संबंध में,

16–245–कोल असला विधान सभा क्षेत्र, वाराणसी की कठिरौज से बरही नेवादा पिंडरा सराय मार्ग में वाया ओंदार गरयमा मार्ग व पूरा रघुनाथपुर से कहरका झंझोर मार्ग व कठिरांव से पासिपाही मार्ग के लेपन कार्य तथा कच्चा से पक्का बनाने के संबंध में,

17–245–कोल असला विधान सभा क्षेत्र के अधूरे मार्गों, दादूपुर से सरावां चिनिइहुवां घाट तक सड़क, दादूपुर से महिमापुर तक मार्ग एवं पिंडरा मार्ग से पिंडराई मार्ग, गांव कला से खरीरयां खांस मार्ग व खरियां खास मार्ग, गड़खहा से उमराटीह मार्ग कड़खड़ा शाहपुर मार्ग, देउजी, पतिराजपुर मार्ग, गजोखर ऊदपुर मार्ग व खालिसपुर गोढ़ियों मार्ग, धोधसी मार्ग, बचेउरा से छेडापर मार्ग, वासनी से पचरासी बड़ागांव मार्ग, मतसार–गैरहा मार्ग तथा सातो महुआ-मंगारी मार्ग जो अधूरे रह गये हैं पक्का बनाने के संबंध में,

18–245–कोलअसला विधान सभा क्षेत्र के बरुणा नदी में चिनिइहवां घाट पर पक्का पुल जो कन्हिया मार्ग, दादू सरावां मार्ग को जोड़ता है के निर्माण के संबंध में,

19–नाद नदी में बरवां मार्ग में नाद-नदी पर स्वीकृत पुल जल्द बनाने तथा बकवां तक मार्ग को पक्का करने के मतसमर-गैरहा मार्ग में इसके बात नाले में पक्का पुल बनाने के संबंध में तथा मच्छाताल ड्रेन में झंझोर के पास पुल बनाने के संबंध में तथा गजोखर, ऊदपुर मार्ग में बढ़ौना व ऊदपुर के बीच पुल बनाने के संबंध में,

20–245–कोलअसला में गांव सभा उसुलहा-असवारी गांव रोह, देवराई, देउची, मझवां, कछियां, पचरासी, खररियां तालुके पिरांव, जगतीपुर, कोर्रा, कहरका, सगुनहां, कविरामपुर में जहां प्राइमरी पाठशाला नहीं है खोलने के संबंध में,

21–245–कोलअसला में बालिकाओं की शिक्षा हेतु ब्लाक पिंडरा में एक हाई स्कूल कालिकाधाम, व ब्लाक बड़ागांव में एक हाई स्कूल कुवारे में खोलने के संबंध में तथा गांव थाना, गांव ओंदार व गांव जगदीशपुर में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने के संबंध में,

22–245 कोलअसला विधान सभा क्षेत्र के प्राइमरी पाठशाला, ताड़ी नथुई, भगवतीपुर जाठी की पुरानी व गिर गई, इमारत को पक्की इमारत बनाने के संबंध में,

23–बालिकाओं की शिक्षा के प्रतिशत को देखते हुए जो संस्थाएं प्रदेश में प्राइवेट जू० हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर कालेज खोलना चाहें, उन्हें शिक्षा के नियमों में हर प्रकार की छूट मान्यता देने में और बालिकाओं की शिक्षा के लिए अलग से सरल नियम बनाकर मान्यता के दो वर्ष बाद ही अलग से सूची बनाकर अनुदान सूची में रक्खे जाने तथा संस्थाओं को बिल्डिंग ग्रान्ट, फर्नीचर ग्रान्ट, लाइब्रेरी ग्रान्ट तथा अन्य ग्रान्ट उदार नीति बनाकर दिए जाने के संबंध में,

24–245–कोलअसला विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के संकट को देखते हुए स्थान कठिरांव, कुवार तथा ओंदार एवं बाबतपुर में एक-एक नलकूप लगाने के संबंध में, पूरे क्षेत्र के बड़े-बड़े गांवों में 10 हैण्डपम्प छोटे तथा छोटे गांवों में तीन-तीन हैण्ड पम्प पेयजल के लिए लगाने के संबंध में तथा मंगारी, नेवादा पेयजल ग्रामसमूह व अनेई पेयजल ग्रामसमूह को जल्द से जल्द योजना में सम्मिलित करके सभी गांवों में पाइप लाइन बिछाकर पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में,

25–जनपद फैजाबाद में वर्षों से निर्माणाधीन बाईपास मार्ग के निर्माण के संबंध में,

26–जनपद फैजाबाद में जनस्वास्थ्य सुविधा हेतु निर्माणाधीन चिकित्सालय के संबंध में,

27–जनपद में प्रस्तावित मिल्कीपुर को तहसील बनाने के संबंध में,

28–कुमारगंज फैजाबाद में 132के०वी० वाट विद्युत स्टेशन स्थापित एवं अविलम्ब संचालित करने के संबंध में,

29–तहसील स्तर पर लड़कियों के लिए सरकारी इण्टर कालेज एवं डिग्री कालेज खोलने के संबंध में,

30–फैजाबाद जनपद के मिल्कीपुर क्षेत्र में स्थित कुचेरा, तरौली, गधौपुर, अमानीगंज तथा खण्डास देवागांव मार्ग और हरिगटनगंज कनावा रोड निर्माण के संबंध में,

31–हरिजन दलित, शोषित पीड़ित एवं कमजोर वर्ग के ऊपर होने वाले अत्याचार के संबंध में,

32–जमीन तथा काम एवं रोजगार के भूखे किसानों, शिक्षित बेरोजगारों के संबंध में,

33–बाढ़ एवं सूखा पीड़ित तथा अग्नि पीड़ित परिवारों को राहत के संबंध में,

34–बड़े पैमाने पर जल भराव एवं सीपेज समस्या से निपटने के बारे में कोई नीति बनाये जाने के संबंध में और मडहा नदी की जल निकासी के लिए गहरा कराने के संबंध में।]

श्री अधिष्ठाता–

धन्यवाद प्रस्ताव पर कार्यसूची में दिये गये अन्य मा० सदस्यों के संशोधन उपस्थित किये हुए माने जायेंगे। †

श्री अफजाल अंसारी–

मान्यवर, निःसंदेह महामहिम राज्यपाल ने यहां जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से सरकार की नीतियों का इनकी समझदारी और इनके कार्यों के तौर तरीकों के बारे में जो रोशनी डाली है वह सराहनीय है। बहुत से सराहनीय कार्यों के विषय में महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रकाश डाला है लेकिन इसके बावजूद बहुत सी महत्वपूर्ण समस्यायें ऐसी हैं जो छूट गयी हैं इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कि उनको भी अन्त में जोड़ दिया जाय । एक सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु राजस्व विभाग के बारे में है माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे थे वह चले गये, यह एक विषय है जिसके बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है राजस्व विभाग के सम्बन्ध में कुछ गंभीर समस्यायें है । हमारे प्रदेश में जो गांवों में जमीनें है, बहुत सी जगहों पर चकबन्दी हो चुकी है उसकी वजह से गांव समाज की जमीन सुरक्षित की गयी । लेकिन दुर्भाग्य से आज भी हजारों गांव ऐसे हैं जहां आजादी के 50 वर्षों के बाद भी वहां तक पहुंचने के लिए संपर्क मार्ग, चकरोड के रूप में कोई जमीन नहीं छोड़ी गयी है । मैं राजस्व मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहूंगा कि आपने चकबन्दी के माध्यम से जो भूमि आरक्षित की है गरीबों को आवंटन के लिये, खेती योग्य भूमि आवंटित करने के लिये लेकिन चकरोड की व्यवस्था नहीं की गयी है । तालाब और पोखर आदि आरक्षित कराये, बंजर जमीनें आरक्षित कराईं, वन लगाने के लिये जमीनें आरक्षित कराईं, लेकिन यह ध्रुव सत्य है कि इन आरक्षित की गई जमीनों में से 90 प्रतिशत से अधिक जमीन जो शक्तिशाली लोग हैं उनके कब्जे में पड़ी हुई हैं । खलिहानो की जमीनो पर उनके कब्जे बने हुए हैं । यदि किसी गांव में आबादी की 10 बीघा जमीन है तो उसमें से करीब 1 बीघा भी जमीन बांटी नहीं गई है । इन 9 बीघा पर पावरफुल लोगों के मकान हैं या हाता होंगे, जो हाता घेर नहीं पाए, अब जो एक नया रिवाज चला है गांव समाज की जमीनों पर यूक्लिप्टस या बबूल के पेड़ लगाकर उन पर अनधिकृत कब्जा किया जा रहा है ।

आप सारे लोग भी इस बात की गम्भीरता को समझते होंगे कि आज जहां एक ओर गांव के अन्दर बिजली की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, उनको गांवों में जाने के लिए सड़कों की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, वहीं सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उनके परिवार जो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वह आबादी कहां रहे । उनके पास जमीन नहीं है, गांव समाज की जमीनों पर बलात् कब्जा कर लिया गया है और उनके हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है । साथ ही उनको हटाने के लिए किसी उपाय का कार्यक्रम का उल्लेख इस सरकार ने नहीं किया है और न इस दिशा में उसने कार्य किया है । उस जमीनों को गरीबों में कैसे बंटवायेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अपेक्षा करता हूं कि राजस्व की जो समस्या है, जिससे गांव-गांव में आए दिन झगड़े-फसाद होते रहते हैं । गांव में जो चालाक किस्म के प्रधान हैं वह एक-एक जमीन का 4-4, 5-5 लोगों के नाम पट्टे कर देते हैं । जिन गांवों में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है और गांव समाज की कोई जमीन नहीं है, वहां पर इस बात का प्राविधान किया जाए कि जमीन गांव समाज में खरीदी जाय । मैं इस बात को मंत्री जी को बताऊंगा । पूर्वांचल में विशेष रूप से सैकड़ों हरिजन बस्तियां हैं, जहां पर नक्शे पर चक रोड के लिए एक डांड़े की भी व्यवस्था नहीं है ।

असेम्बली में मैं चौथी बार आया हूं और पिछले तीन टर्म में मैं कई बार इस समस्या को विधान सभा में विभिन्न माध्यमों से उठा चुका हूं । वहां पर एक हुड़ही गांव है, वहां पर पहुंचने के लिए चकरोड नहीं है, ग्रामवासियों को आना-जाना काश्तकारों की कृपा पर है, जब चाहें जाने की आज्ञा दें या चाहे जब उनके सिर फोड़ डालें । वहां सैकड़ों ऐसी गरीबों और हरिजनों की बस्तियां हैं । इसके बारे में शासन की तरफ से कहा जाता है कि अब जब दुबरा चकबन्दी की व्यवस्था होगी, तब इसे किया जाएगा । जो गरीबों के प्रतिनिधि सरकार में आए हैं और जिन्हें इस प्रदेश के अन्दर गरीबों की सरकार चलाने का मौका मिला है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बिन्दु, गम्भीर बिन्दु, जिसको अभी तक छोड़ रखा गया है उसको जोड़ दिया जाए कि राजस्व के मामले जो गांव समाज में हैं, जो जमीनों के बांटने का अधिकार है, जो

अनधिकृत कब्जे हैं बीस-बीस, पचास-पचास बीघे गांव समाज की जमीन को लेकर चक बनाकर जोता जा रहा है। हमारे शेरपुर ग्राम सभा में 754 बीघा जमीन चकबन्दी में घोषित हुयी है। 754 बीघे में से एक भी बीघा किसी गरीब के नाम नहीं की गई है। अनेकों बार इस सवाल को उठाया गया है लेकिन उस जमीन का उस गांव के प्रधान 10-20 बीघे का चक बनाकर जोतते हैं जिन गरीबों को वह बांटी जानी चाहिए थी उनसे अधैया बटैया पर देकर खेती कराई जाती है।

यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्व का जो गम्भीर विषय छूट गया है उस पर शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जाय। एक समयबद्ध योजना बनाई जाय जिसके तहत निश्चित समय के अन्दर ग्राम समाज की बेकार पड़ी जमीन को गरीबों में बांट दिया जाय। जिन जमीनों पर लोगों ने जबरदस्ती कब्जे कर रखें हैं उनके कब्जे बेदखल करके, पट्टे लेकर औपचारिक कार्यवाही करके खारिज कर दिये जायं और उन जमीनों को गरीबों में बांट दिया जाय। मान्यवर, गरीब बस्तियों में जाने के लिये चकरोड नहीं हैं। चकरोड बनाने के लिये, उन बस्तियों तक पहुंचने के लिये सरकार को यदि जमीन भी खरीदनी पड़े तो वह जमीन खरीदकर चकरोड बनायें। इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि यह सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों को नाज है कि आज हमारे प्रतिनिधि इस प्रदेश की सत्ता में बैठे हैं। एक महत्वपूर्ण बिन्दु और रह गया है जिसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है वह है मजदूर वर्ग का। अनेकों बार यहां पर मजदूरों का जिक्र होता आया है। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की बात होती है परन्तु मान्यवर, खेतिहर मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में यहां पर विचार नहीं किया गया है। उनकी जो समस्याएं हैं, वह अपने आप में बहुत बड़ी हैं। कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं होगा जिसके क्षेत्र में खेतिहर मजदूरों की समस्याएं न हों। मैं गाजीपुर से चुनकर आया हूं। मान्यवर, आजादी के 50 वर्षों के बाद भी मुझे यह कहते हुए शर्म आ रही है कि अभी भी सामन्ती व्यवस्था का समापन नहीं हुआ है। यह परम्परा अभी भी चली आ रही है। गुलामी की दास्ता अभी भी गांवों में देखने को मिलती है।

मान्यवर, अगर नोट किया जा रहा है तो यह नाम नोट कर लिया जाय। गांव का नाम है लट्ठू। वहां पर आज भी किसान मजदूरों को 20 बोझे काटने के बाद बनी के रूप में जो दिया जाता है वह भी तब दिया जाता है जब मजदूर 20 बोझ काटने के बाद उसे खेत से ढोकर खलिहान में लाता है और वहां से उसे गल्ले की शक्ल में बोरियों में भर नहीं देता है। मान्यवर, यह व्यवस्था आज भी पूरे पूर्वांचल में होगी। खेतिहर मजदूरों के साथ उत्पीड़न हो रहा है हरवाही-चरवाही के रूप में किसान का मजदूरों के साथ एग्रीमेंट होता है। जब मजदूर एक साल तक अपने किसान के यहां खटता है तो उसे आठ मण्डा जमीन किसान उस खटने के बावजूद देता है कि वह उस पर अपनी फसल बो सकता है, उस खेत को, उस जमीन को जोत सकता है। यह सब कानूनी नहीं होता है, एक मौखिक एग्रीमेंट होता है। साल भर काम करने के बाद भी यदि एक मिनट के लिये किसान का मिजाज बदले वह सामन्ती रोग भड़के तो वह उस फसल को काटने में देर नहीं करता जो उस मजदूर ने अपने काम के बदले में खेती के लिये पाई थी। इसके बारे में कानून भी उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता क्योंकि यह उनका मौखिक एग्रीमेंट होता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि गरीबों के प्रति कुछ ऐसी कानूनी व्यवस्था यदि आपको करनी पड़े तो करें और चाहें इसकी सत्यता पर अध्ययन किया जाय। इसकी सत्यता को अन्दर से देखना चाहिए। और जो एग्रीमेंट होता है उसके अनुसार कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

मान्यवर, पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में बीड़ी एक ऐसा व्यवसाय है जिससे लाखों-लाख गरीब लोग, इसके माध्यम से अपनी पेट पाल रहे हैं। बीड़ी मजदूरों के लिए यह दुर्भाग्य का विषय है कि दस साल तक यदि कोई मजदूर मां, भाई, बहन, बाप बीड़ी बनाता है तो उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं। वह दमे या टी०बी० का मरीज हो जाता है इससे निकलने वाली जो गंध या धुंआ होता है वह फेफड़ों को खराब कर देती है। उनकी स्थिति खराब कर देती है। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे प्रदेश में सरकार गजट के द्वारा निश्चित करती है कि बीड़ी मजदूरों की प्रति हजार बीड़ी मजदूरी 12-14 रुपये होगी। आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह महसूस नहीं किया कि जो मजदूरी निर्धारित की जाती है क्या वह वास्तव में बीड़ी मजदूर को मजदूरी मिल पाती है या नहीं ? यह सत्य है जितने बीड़ी मजदूर हैं उनमें 25 प्रतिशत मर्द हैं और 75 प्रतिशत औरतें हैं। हमारी सरकार अध्यादेश जारी करती है वह मजदूर कहकर करती है जबकि बीड़ी के व्यवसाय में मर्द कम और औरतें ज्यादा कार्य करती हैं। औरतें और मर्द लेबिल लगाने और लिफाफे में बन्द करने का जो कार्य करते हैं वह बाजार में एक दाम पर ही बेचे जाते हैं। मर्दों और औरतों की बीड़ी अलग-अलग नहीं बेची जाती है। लेकिन जो मजदूरी दी जाती है वह औरतों को आधी दी जाती है तो यह एक बहुत ही गम्भीर बिन्दु है इसमें सुधार हो ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो बीड़ी मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है उनको उचित मजदूरी दिलाई जानी चाहिए। इसके साथ ही मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में दलित वर्ग पर, पिछड़े वर्ग पर आए दिन जुल्म और अत्याचार की घटनायें हो रही हैं। उसकी रोकथाम के लिए सरसरी तौर पर बात कही गई हैं। इससे बात बनने वाली नहीं है। चुनाव के बाद हम लोग यहां आ गए, हो सकता है दो दिन के रेस्ट में लोग अपने क्षेत्रों में जाएं। पता नहीं लोगों के क्षेत्रों की क्या स्थिति हो। जो चुनाव गुजरा है उसमें साम्प्रदायिक ताकतें परास्त हुई हैं। गांव-गांव में बदले की भावना से आक्रमण हो रहे हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र से 6-7 घटनाओं की खबर मिली है।

परसा गांव में हरिजन बस्ती के लोग गाजे-बाजे के साथ 25-30 लोग महावीर जी के मन्दिर में प्रसाद माने थे, वह चढ़ाने जा रहे थे। गांव के सामन्तियों ने गरीब लोगों की पिटायी की और हवाई फायरिंग की, इस तरह से उन लोगों को आतंकित किया गया। मजदूरों को गरीबों को मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया गया। आज प्रदेश में गरीबों की सरकार बैठी है। हरिजनों को परसा गांव में मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। मोहम्दाबाद के पुलिस कोतबाल को सूचना दी गई मेरे घर पर सूचना दी गई कोतवाल सूचना पाकर पहुंचता है और महेश राम सामाजिक कार्यकर्ता है उसको पचास गाली दीं कि उसने झोपड़ी में ही प्रसाद क्यों नहीं चढ़ा लिया मंदिर में प्रसाद चढ़ाने क्यों गए। तो यह देखना पड़ेगा। इस चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। और उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। और ऐसे लोग जो यहां पर भी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि गरीबों की सरकार बनी है। तो आप सोच लीजिए कि यह लोग गांवों में क्या करते होंगे।

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है। मान्यवर, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है लेकिन प्रशासन में जो लोग हैं वह कोई मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी मानसिकता अभी भी सामन्तवादी है। प्रशासन में बैठे हुए लोग देख रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं। हमने जब फोन से बात की तो जवाब मिला कि जब जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा तो यही सब होगा। मंदिर में प्रवेश करने के सवाल पर मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह केवल मेरे क्षेत्र में ही नहीं हो रहा है। चुनाव के बाद हर विधान सभा क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।

अगर इन घटनाओं को सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं रोक पाते हैं तो इन्हें यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें अपनी कलम का प्रयोग करें। इसके लिए यह कहने से काम नहीं चलेगा कि फलां तारीख निश्चित कर दी गई है इस तरह की कार्यवाहियों को रोकने के सम्बन्ध में। कौन अधिकारी इस तरह की घटनाएं करवाने में सहयोग कर रहे हैं इस पर गम्भीरता से विचार किया जाए। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध है लेकिन उसे शायद इस बात का अन्दाजा नहीं है कि जो अत्याचार कर रहे हैं उनके हौसले कितने बुलन्द हैं।

उनके पास साधन भी बहुत अधिक हैं। इस बात का अन्दाजा लगाने के बाद अगर रोकथाम के उपाय किए जाएंगे तभी शायद इसकी रोकथाम हो पाएगी। यदि सरसरी तौर पर आप चाहेंगे कि डी०एम० या एस०पी० को निर्देश भेज दिए जाएं तो इससे रोकथाम होने वाली नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में यह जो साम्प्रदायिक शक्तियां हैं यह चुनाव हारने के बाद अशांति फैलाना चाहती हैं। और यह अशांति की शुरुवात उन्होंने न्यायालय से शुरू की है। न्यायालय में यह मोचलके पर दस्तख्त नहीं करना चाहते हैं। क्या इनके लिए एक अलग से संविधान बनाया जाएगा। जब इनके नेता इस तरह का व्यवहार करते हैं तो इनके समर्थक जो गांवों में हैं वह किस तरह का आचरण करते होंगे इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। अगर प्रदेश में अशांति को रोकना है तो काफी सख्त कदम उठाने होंगे। जो मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जिले में दंगों के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ही दोषी होंगे केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिए प्रोग्राम बनाने होंगे। प्रदेश में साम्प्रदायिक शक्तियां फिर से अशांति न पैदा कर सकें। इस बात पर पूरा प्रोग्राम बनाना होगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अफजाल जी आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अफजाल अंसारी–

मान्यवर, हमारे जो बुनकर भाई हैं, जो दस्तकार हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। हम चाहेंगे कि सरकार की जो नीतियां हैं उसमें ऐसा प्राविधान करें कि उनको सस्ते दामों पर सूत मिले और जो चीज वह बनायें उसको मारकेट में आसानी से उचित मूल्य पर बिकने की व्यवस्था हो। देखने में आता है कि उनको सस्ते दामों पर और समय पर सूत नहीं मिलता है और जब मिलता है और वह परिश्रम करके अपना माल तैयार करते हैं तो उस माल को आसानी से बाजारों में बिकवाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये।

इसी तरह से सिंचाई की बात है और बिजली के समय पर मिलने की बात है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे प्रदेश में ज्यादातर लोग किसानी करते हैं और किसानी पर निर्भर करते हैं। जहां पर नहरें हैं वहां पर कुछ सिंचाई हो जाती है लेकिन जहां पर मात्र ट्यूबवेल हैं वहां पर परेशानी हैं। नलकूप विभाग के लोगों पर विशेष ध्यान देना होगा। पिछले दिनों गाजीपुर में 56 फीसदी नलकूप ऐसे थे जो किसी न किसी खराबी से बन्द पड़े थे। इसलिये सरकार को सिंचाई की व्यवस्था ठीक करने की तरफ ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रदेश में कानून की वर्दी पहन कर पुलिस प्रशासन के लोग निरंकुश हो गये हैं। लम्बे समय से उनकी पीठ ठोंक उनसे गैर कानूनी काम कराये गये और गलत कामों को कराने के बाद उनकी सराहना की गयी तो उनको कन्ट्रोल करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

वह अपने रास्ते से भटक चुके हैं । पिछले दिनों भा०ज०पा० की सरकार ने उन लोगों से गैर कानूनी काम कराये और उनका जो नंगा नाच कराया आप और सदन में बैठे हुये सारे लोग उससे परिचित हैं । पुलिस प्रशासन पर इस बात का अंकुश लगाना होगा कि कानून की वर्दी पहनने के बाद वह गैर कानूनी काम करते हैं तो उनके विरुद्ध जांच करके कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय और सजा दी जाय । ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि कानून की वर्दी पहन कर घूमने वालों से अनुचित काम न करायें जायं और उनको अनुचित काम करने की इजाजत न दी जाय । इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया प्रश्न है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने घबराहट में एक घोषणा कर दी कि प्रधानों को एस०डी०एम० निलंबित नहीं करेंगे । लेकिन इस बात का उनका अहसास हुआ और आगे कुछ नहीं कहा कि क्या व्यवस्था बनायी जा रही है । पिछली सरकार ने जानबूझकर, पहचान कर गरीब लोग जो प्रधान थे, उनको डी० एम०, एस०डी०एम० पर दबाव डालकर सस्पेंड कराया । अब अन्दाजा यह था कि जिन्होंने चोरी की है, जवाहर रोजगार योजना में गड़बड़ियां की हैं उनको सजा मिलेगी और उनके खिलाफ जांच की जायगी । अगर उनको सजा नहीं दी जायगी तो यह उचित नहीं है ।

श्री बाबूराम यादव–

जांच के लिये कहीं रोक नहीं लगायी गयी है , जांच पर कहीं प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री अफजाल अंसारी–

हमारे गाजीपुर जिले में मनिया एक गांव है । वहां पर जांच हुयी, जे०ई०, ए०ई० ने टेक्निकल जांच की और 57 हजार का गबन पाया । इसकी फाइल बनाकर डी०एम० को दिया । वह भा०ज०पा० का प्रधान है, लेकिन उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुयी और निलंबित नहीं हो सका । मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी निलंबित नहीं किये जायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि इस घोषणा से जो चोर हैं उनको पनाह न मिल जाय । आज जब उनके गिरेबान पकड़ने का समय आया है तो कहीं उनको इस घोषणा से पनाह न मिल जाय इसकी व्यवस्था करनी होगी ।

[समय 4 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, एक विषय यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि राशन की दुकानों से चीनी या मिट्टी के तेल का वितरण गरीब लोगों में नहीं किया जाता है । मेरा अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाय जिससे कि गरीबों को भी राशन की दुकानों से मिट्टी का तेल और चीनी मिल सके । प्रायः राशन के दूकानदार गरीब लोगों का कार्ड इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं और उस पर चीनी और मिट्टी का तेल चढ़ा दिया करते हैं । इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में ठीक समय से कर्मचारियों और अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई शासनादेश जारी किया जाय, क्योंकि देखने में आता है कि 11 बजे दिन तक बहुत से कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंच पाते हैं । कृपया ऐसा आदेश जारी करें कि न्यायालयों से लेकर तहसील तक के सभी कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी समय से उपस्थित हों । यह सरकार इस प्रकार के यदि आदेश जारी करेगी, तो प्रदेश की जनता में यह विश्वास जागेगा कि सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो गयी है । मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि तहसील के माध्यम से जाति प्रमाण-पत्र देने की जो व्यवस्था है, उसमें घोर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार व्याप्त हैं । गरीब से गरीब व्यक्ति या दोनों हाथ का लूला व्यक्ति भी आय प्रमाण-पत्र लेने का जब प्रयास करता है, तो 400 रु० से कम मासिक आय का प्रमाण-पत्र उसे नहीं दिया जाता है । खरबार जाति एवं गोंड़ जाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र देने में भी बहुत ही परेशान किया जाता है या तो अवैध रूप से धन उगाही करने के बाद ही यह प्रमाण-पत्र दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है और यह बहाना बना दिया जाता है कि इस जनपद में जो सूची है, उसमें इन जातियों का उल्लेख नहीं है । मान्यवर, कृपया आप जांच करा लें, यदि इन जातियों के लोग इस जनपद में हों, तो शासनादेश जारी करें कि इन्हें जाति प्रमाण-पत्र देने में बाधा न डाली जाय और यदि कोई गरीब

आदमी की आय 100 रु० मासिक हो, तो उसे इसका प्रमाण-पत्र तहसील से दे दिया जाय । मान्यवर, एक गम्भीर विषय यह भी है कि दैवी आपदा अथवा किसी त्रासदी के कारण जन अथवा धन की जब हानि हो जाती है, तो बहुत छोटी धनराशि राहत के नाम पर दी जाती है । अगर किसी का घर जल गया, तो आंशिक रूप से जले हुए घर की मात्र 200 रु० तथा पूर्ण रूप से जले हुए घर को 1000 रु० दिये जाने का प्राविधान किया गया है, जो बहुत ही कम है ।

यदि किसी गरीब का घर जल जाय अथवा बाढ़ से बह जाय, तो एक ऐसी धनराशि देना चाहिए, जिससे गरीब के कुछ आंसू पुछ सकें तथा आंशिक और पूर्ण की जो परिभाषा है, उसको भी दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि अभी तक पूर्ण क्षति का तात्पर्य जब छत भी जल जाय और चारों तरफ की दीवारें भी समाप्त हो जायं तब माना जाता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि एक कमेटी बना कर इस विषय में अध्ययन करा लिया जाय और मानवीय दृष्टिकोण से ऐसी व्यवस्था बनाई जाय कि उचित धनराशि प्रभावित लोगों को दी जा सके । हमारे जनपद गाजीपुर में शेरपुर, गौसपुर और बीरपुर ऐतिहासिक महत्व के गांव हैं । इसी जनपद के शेरपुर गांव के स्वर्गीय शिव पूजन राय सहित 8 लोगों ने मोहम्मदाबाद तहसील पर झंडा फहराते हुए अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हुए थे । श्री शिव पूजन राय इसी शेरपुर गांव के निवासी थे ।

मान्यवर, गांव में गरीब और कमजोर तबके के लोग रहते हैं वहां पर जो [×××] होते हैं उनकी ओर आज तक किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया है । मैं चाहता हूं कि उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय उनको चीनी नहीं मिलती है और मिट्टी का तेल नहीं मिलता है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि क्षेत्र समिति ग्राम सभा एवं स्थानीय निकायों के चुनाव निकट भविष्य में होने हैं क्योंकि उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है किन्तु राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इन चुनावों को कराने के सम्बन्ध में अपनी सरकार की नीति के विषय में कुछ नहीं कहा है । मान्यवर, इन क्षेत्र समितियों का कार्यकाल एक बार छः महीने की अवधि के लिए बढ़ाये भी जा चुके हैं । यह कार्यक्रम भी मार्च के अन्त में समाप्त हो जायेंगे । मेरा अनुरोध है कि अब समस्त ग्राम सभाओं के चुनाव करा दिये जायें और इसके लिए जो ग्राम सभाओं में महिलाओं का कोटा आरक्षित करेंगे तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा आरक्षित करेंगे वह कार्य भी अतिशीघ्र करा लिये जायें । मेरा अनुरोध होगा कि यह सरकार क्षेत्र समितियों के चुनाव भी समय से करा दें । माननीय अधिष्ठाता महोदय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन के रूप में प्रस्तुत अन्त में इन बातों को जोड़ लिया जाय इन बातों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, इन्होंने अपने भाषण में कहा है कि [× × ×] गांव में चीनी नहीं मिलती है तो यह चमरौटी शब्द अससंदीय है इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अफजाल अंसारी–

मान्यवर, मेरी कोई ऐसी भावना नहीं थी मैंने केवल एक वर्ग विशेष का उल्लेख करने के लिए यह कहा था ।

श्री अधिष्ठाता–

यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

नोटः–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मुक्ति नाथ यादव–

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अभी-अभी जो माननीय सदस्य संशोधन का प्रस्ताव पेश किये हैं उन्होंने यह कहा है कि खेतिहर मजदूर के विषय में इस अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गयी है मैं कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में लिखा हुआ है समाज के निर्धन, दलित, मेहनतकश मजदूरों, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस सरकार ने समाज के दलित, शोषित और पीड़ित लोगों को उठाने का पूरा प्रयास किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव और मा० काशीराम के गठजोड़ से जो सरकार बनी है, उससे जनता में एक नयी जाग्रति आयी है। जिससे गरीब और दलित तबके को कभी छुआ नहीं गया था और उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया था उन लोगों की तरफ इस सरकार ने विशेष ध्यान दिया है।

माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाज के सबसे उपेक्षित तबका सफाई मजदूर के बच्चों की ओर ध्यान दिया है, उनके लिये स्कूल और कालेज की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है। यह पहली सरकार है, जिसने डाक्टर राम मनोहर लोहिया और डा० भीमराव अम्बेदकर के विचारों को साकार किया है। मान्यवर, कुम्हार जाति भी सबसे पिछड़ी हुई और गरीब जाति है, आज तक जितनी भी सरकारें आयी हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। यह पहली सरकार है, जिसने कुम्हारों को जिसे प्रजापति के नाम से जाना जाता है, गांव में वह अल्प संख्यक हैं और कमजोर हैं और मिट्टी के बरतन बनाकर गुजर बसर करते हैं, जिस तरह से अंग्रेजों ने बुनकरो की कला को समाप्त कर दिया था, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी कला को समाप्त कर दिया है, लेकिन मा० मुलायम सिंह की सरकार ने उनको पट्टे देने की व्यवस्था की है, जिससे उनमें एक आशा और संचार जागृत हुआ है। सूखे की ओर जो कदम उठाये गये हैं, यह पहली सरकार है जिसने बाढ़ सूखे की ओर ध्यान दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से स्वर्गीय चन्द्र बली जी आते थे, उसी रुद्रपुर जिला देवरिया से मैं चुनकर आया हूं वह सदैव इस सदन में बाढ़ की समस्या को उठाते रहते थे। मान्यवर, 52 गांव हैं, जो नदी की कटान से पीड़ित हैं। कटान से बचने के लिये वहां पर व्यवस्था की गयी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईर्ष्यावश और विद्वेशवश कटान निरोधक कार्यों को रोक दिया। मा० मुलायम सिंह यादव ने घोषणा की है कि हर ब्लाक में एक कन्या स्कूल की स्थापना की जायेगी।

पिछली सरकार ने कन्या इन्टर कालेज की स्थापना को रोक दिया है, बन्धन लगा दिया है। पिछली सरकार ने उन निर्माण कार्यों पर इसलिये रोक लगा दी है क्यों कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने ऐसा किया था और वह विद्यालय आज भी नहीं बन पाये हैं, जब कि वहां पर भूमि उपलब्ध है, भवन उपलब्ध है और सभी आवश्यक चीजे उपलब्ध हैं। मान्यवर, देवरिया जिले के अन्तर्गत ब्लाक भलोनी में पकरी बाजार, और रुद्रपुर और बैताल ब्लाक में छितही बाजार में कन्या विद्यालय नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के श्री सूर्य प्रकाश शाही ने उन्हें ईर्ष्यावश शुरू नहीं होने दिया। उनका विचार था कि यह कार्य शुरू हो जायेगा तो उनका प्रतिनिधि विधान में आ जायेगा। मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। पिछली सरकार ने उन तमाम विकास कार्यों को रोक दिये जिनको माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने पिछली बार स्वीकार किया था। मान्यवर, इस सरकार ने समाज के जो दबे हुये लोग हैं, दलित हैं उनके विकास के लिये विशेष ध्यान दिया है और साम्प्रदायिकता को मिटाने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो कदम उठा रही है, उससे साम्प्रदायिकता समाप्त होगी। इन शब्दों के साथ मान्यवर, अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं अपने माननीय सदस्य श्री हृदय नारायण दीक्षित जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 2-3 बाते कहना चाहता हूं। मान्यवर, जब से हमारी जनप्रिय सरकार आई तबसे सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि पिछले सालों में हमारे प्रदेश में जो साम्प्रदायिक जहर फैला हुआ था उस जहर से हमें छुटकारा मिला। सारा प्रदेश आज सद्भाव में रह रहा है। सबसे बड़ा काम हमारी सरकार में यह हुआ है कि सरकारी मशीनरी जिसमें जंग लग गयी थी वह सारी मशीनरी एकदम चालू हो गयी है। मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे जिले में मैंने स्वयं देखा है कि सारे जिले में रोडवेज की बसे नहीं चल रही थी, बसे जाती थी दिल्ली आगरा आदि तो रास्ते में खराब हो जाती थी लेकिन जब से हमारी सरकार आई है बसे ठीक से चलने लगीं हैं। सारा काम होने लगा है क्योंकि अधिकारी समझ रहे हैं कि बगैर काम किये उनकी गुंजाइश नहीं है इस समय जो बेईमान अधिकारी थे वह बगले झांक रहे हैं कि कैसे सरकार से बचेंगे। हमारे क्षेत्र में 40-42 साल से कोई सड़क नहीं बनी थी स्कूल नहीं खुले थे। आज स्थिति यह है कि सारा सर्वे शुरू हो गया है, सड़कों पर कम से कम मिट्टी पड़नी भी शुरू हो गयी है, जो पुल अधूरे बने पड़े थे उन पर काम शुरू हो गया है जो पिछली सरकार में विकास के काम रुके हुए थे वह सब शुरू हो गये हैं जबकि हमारे इलाके का मंत्री था लेकिन उस मंत्री के जमाने में भी कोई काम नहीं हुआ था वह अब शुरू होगया है और मैं समझता हूं कि सारे प्रदेश में काम शुरू हो गया है।

मास्टर स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाते थे, स्कूलों में बच्चे वैसे ही बैठे रहते थे लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तब से मास्टर स्कूलों में जाने लगे हैं। मान्यवर, हमारे इलाके में दहलिया में एक अस्पताल है वहां कभी डाक्टर नहीं रहता था जो गंगा और कुंडा के बीच में अस्पताल बना है वहां कभी दवाई नहीं रहती थी लेकिन हमारी सरकार के आते ही दवाई का इन्तजाम होगया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आई है तब से जो नहरे नहीं बह रही थी, बम्बे बह नहीं रहे थे और उनमें टेल तक पानी नहीं जा रहा था अब बह रही है उनमें अब टेल तक पानी जा रहा है। मान्यवर, जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं जो नदियों और नालों के किनारे रहते हैं जगे हैं हमारे क्षेत्र में तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हरदोई मुख्यालय नहीं देखा है, बस पर कभी नहीं चढ़े हैं, रेल नहीं देखी है उनके अन्दर कम से कम यह भावना पैदा हो गयी है कि हमारी जो यह सरकार आई है इससे हमारे प्रदेश के गरीबों का, हमारे जो समाज के पिछड़े और दलित लोग हैं उनमें विश्वास पैदा हुआ है जो सबसे बड़ा काम हुआ है वह है प्यार मुहब्बत का और वह इस सरकार ने ही दिया है। सरकार काम तो करेगी ही लेकिन जो सबसे बड़ा काम है वह यह कि विश्वास पैदा हुआ है लोगों में, यह इस सरकार के आने से ही हुआ है। इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।

(इस समय 4 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए)

श्री पूर्णमासी देहाती–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख किया है वह सराहनीय रहा है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो पडरौना जिला का शिलान्यास करने की घोषणा की है मान्यवर, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में

एक चर्चित गांव है जहां भूमि माफिया गिरोह होने के नाते वहां की स्थिति बहुत ही दयनी हो गयी है और एक बार भूमि के सवाल को लेकर वहां नरसंहार भी हुआ था । उस समय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी वहां गये थे और उस समय वहां की जनता ने और मैंने कुछ सुझाव भी दिये थे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पायी । 1990 में माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस संबंध में एक जांच समिति का गठन किया था लेकिन मान्यवर, उस जांच समिति का कार्यालय बलिया में है और वहां पर कार्यालय होने के नाते वहां की क्षेत्रीय जनता को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जो जांच समिति का कार्यालय है वह कार्यालय देवरिया जिले के स्थान पर खड्डा में बनाया जाय । मरचहवा बसन्तपुर, नारायणपुर, बालगोविन्द छपरा, बकुलादह आदि जो दर्जनों गांव नारायणी नदी पार हैं और जहां पर कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता है, वहां पर जनता को आने-जाने की सुविधा नहीं है वहां दूसरे जिलों के लोगों के नाम से भूमि पड़ी है जबकि वास्तविक स्थान उनका है जो वहां पर जोतते हैं और बोते हैं ।

मान्यवर, देवरिया जिला गन्ना बाहुल्य इलाका है और वहां पर 14 चीनी मिले हैं । यह मिले 1935 की हैं और अब उनकी स्थिति बिल्कुल कड़वाहट जैसी हो गयी है । मुलायम सिंह यादव जी जब 1990 में मुख्य मंत्री थे उन्होंने छितौनी, लक्ष्मीगंज, पिपराईच, धुधली और राम कोला खेतान चीनी मिलों का विस्तारीकरण का आश्वासन दिया था और उसमें काम भी शुरू हो गया था लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आयी तो उसने वह सारे काम रोक दिये । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन चीनी मिलों का विस्तारीकरण जितनी जल्दी से जल्दी हो सके किया जाय । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि देवरिया जिले और महराजगंज और गोरखपुर जिले के अन्तर्गत एक छोटी गण्डक है उस पर पुल का निर्माण न होने से देवरिया जिले के लोगों को महराजगंज और गोरखपुर जिले में आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जबकि मेरे क्षेत्र का कुछ गन्ना घुघली और सिसवां चीनी मिलों को जाता है जो महराजगंज क्षेत्र में पड़ती है । मान्यवर, नौरंगिया विधान सभा क्षेत्र में कप्तानगंज, बिलवाघाट, मकुनहीघाट और छितौनीघाट पर कोई पुल मार्ग न होने से जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हैं जबकि यह मार्ग बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का मुख्य मार्ग है । मान्यवर, इस समय देवरिया जिले में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था बहुत खराब है ।

वहां पर करीब-करीब 65 परसेन्ट स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक अध्यापक है । मेरा आपसे यह निवेदन है कि वहां पर सभी प्राइमरी स्कूलों में दो-दो अध्यापक अवश्य होने चाहिए । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि देवरिया जिले में गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है लेकिन गन्ने के मूल्यों का भुगतान नहीं किया जा रहा है और जो गन्ना पर आधारित किसान हैं आज सरकारी वसूली में उनके साथ बहुत ही बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है उन्हें तहसीलों के लाक-अप में बन्द किया जाता है । मान्यवर, हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि पहले गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाय और तब तक के लिये वसूली पर रोक लगाई जाय, साथ ही जिन लोगों को जबरदस्ती लाक-अप में बन्द किया गया है उनको तुरन्त बाहर किया जाना चाहिये ।

मान्यवर, देवरिया जिले का उत्तरांचल जो है, वह बहुत दूर पड़ता है । वहां के गांवों की स्थिति को देखते हुए तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने पडरौना को जिला बनाने की घोषणा

की थी और निर्देश दिया था कि पडरौना में जब तक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक जिलाधिकारी, देवरिया और पुलिस अधीक्षक, देवरिया हफ्ते में एक दिन पडरौना में कैम्प लगा कर जनता की समस्याओं का निस्तारण करेंगे, यह काम शुरू भी हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया और वहां के लोग आज परेशान स्थिति में हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक पडरौना में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, देवरिया को पुनः हफ्ते में एक दिन पडरौना कैम्प करने का आदेश दिया जाय। मान्यवर, आज इस सदन में माननीय दीक्षित जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री आनन्द यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं देवरिया जिलेके सलेमपुर क्षेत्र से विधान सभा का सदस्य चुनकर आया हूं। सलेमपुर उत्तर प्रदेश की सबसे पिछड़ी तहसील है वहां गंडक नदी से लगभग 100 गांव कटान की कगार पर पहुंच गये हैं। वर्ष 1990 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उस समय इन ग्रामों जैसे श्यामपुर, औरंगाबाद, नवलपुर, बनकटा दिक्षित, दनउर मठदनपुर, कनसड, विभादेई, रतनपुरा, गढवां, परासी, खखनिया, मउवां, डुमरी, मेहरौना, प्यासी, मनोहरपुर, बनकता, दलमऊ, मटकनऊ आदि गांवों को बचाने के लिये कुछ काम भी कराया गया था, लेकिन पिछली सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वह गांव कटान की बुरी स्थिति में पहुंच गये हैं। मेरा निवेदन है कि ठोकर बनवाकर इन गांवों को डूबने से बचाया जाय अन्यथा यह गांव इस नदी में समाहित हो जायेंगे।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में चनुकी घाट के पुल का शिलान्यास पूर्वांचल के श्री शारदानन्द अंचल जी ने 1990 में किया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने पूर्वांचल विकास निधि से वहां कुछ काम भी शुरू कराया था, लेकिन पिछली सरकार ने उस काम को भी रुकवा दिया और आज वहां काम बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है।

इसी प्रकार मान्यवर, वर्ष 1990 में सरकार ने जो वृद्धावस्था पेंशन, पट्टे आदि के विषय में जो काम शुरू किये थे, जिससे गरीब, कमजोर, अंधे, लूले, लंगड़े लोगों को पैसा मिलता था, उस योजना को पिछली सरकार ने बन्द कर दिया और आज क्षेत्र के गरीब लोग, विकलांग लोग परेशान हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष से, कि उस व्यवस्था को तत्काल लागू करने की कृपा की जाय। मैं प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सदन से उसे पास करने की आपके माध्यम से निवेदन करता हूं। रही बात सलेमपुर की। यह देवरिया जनपद का पिछड़ी तहसील है और सलेमपुर, भटनी भाटपार होते हुए बिहार को जो सड़क जाती है वहां सबरेजी गांव पर पुल न होने के कारण, पक्का पुल न होने के कारण लोगों को 40 किलोमीटर की दूरी तय करके तहसील पर जाना पड़ता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि इस पर पक्का पुल बनवाने की व्यवस्था करें। निवेदन के साथ मैं चाहूंगा कि वहां पर पक्का पुल बने जिससे वहां के लोगों का सीधा सम्पर्क उत्तर प्रदेश और बिहार से हो सके, लोगों को आने-जाने में आसानी हो जाय। इन शब्दों के साथ मैं, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जय भीम, जय भारत।

श्री मोहम्मद अरशद खान–

मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का एवं माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये यह कहना चाहूंगा कि मैं जनपद के जौनपुर विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। जौनपुर जनपद में केवल एक गन्ना मिल है, जो जौनपुर के उत्तरी हिस्से में शाहगंज कस्बे में कायम है, जहां आजमगढ़ के आधे हिस्से का पश्चिमी क्षेत्र और पूरे जौनपुर जनपद की पेराई होती है। लेकिन वहां पेराई पूरी नहीं हो पाती है और अलग जगह भेजना पड़ता है। इसलिये शाहगंज मिल की पेराई क्षमता को बढ़ाया जाये और मल्हनी तथा उसके आसपास मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक और गन्ना मिल की स्थापना की जाये। मान्यवर, पेयजल का संकट जौनपुर में बड़े पैमाने पर है। मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पानी पीने के साधन नहीं है। कम से कम 100 हैण्डपम्प की वहां पर तत्काल जरुरत है ताकि पीने के लिये पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से हो सके। जौनपुर नगर में कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहां 14 सालों से पीने के पानी की समस्या बरकरार है और वह दूर नहीं हो पायी है। तो मैं, मान्यवर, से निवेदन करूंगा कि वहां पर कम से कम 3 ट्यूबवेल ताइतला मोहल्ले में लगाने की व्यवस्था की जाये।

पूरे शहर में काफी दिनों से काम नहीं हुआ है, पाईप लाइनें गड़बड़ हैं, बिजली की सप्लाई बन्द पड़ी है, बिजली के लिये स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जाये, सड़कें ठीक करायी जायें, नलें खराब हैं, जिससे मच्छर, मलेरिया फैलाते हैं तो नगर विकास के लिये और पानी के लिये, टंकी, ट्यूबवेल की व्यवस्था, और सड़कों तथा नालियों की व्यवस्था की जाये। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां पर शाहगंज में एक कन्या विद्यालय तिलकधारी डिग्री कालेज है और वहां पर एक कन्या विद्यालय है। लेकिन जौनपुर के उत्तरी तरफ शाहगंज से लेकर कम से कम 35 किलोमीटर तक पूरे क्षेत्र में एक भी लड़कियों का विद्यालय नहीं है गोमती नदी के उत्तर व शाहगंज के बीच में दो कन्या विद्यालय की व्यवस्था की जाये। वहां पर दो लड़कियों के स्कूल खोलने की तत्काल व्यवस्था की जाय। मोहम्मद हसन डिग्री कालेज 2 साल से बना हुआ है और उसका ढाई लाख रुपया भी जमा है परन्तु पिछली सरकार ने अपने नजरिये से उसे मान्यता नहीं दी इसलिए में मौजूदा सरकार से निवेदन करूंगा कि उसे मान्यता दी जाय। इसी के साथ ही मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण का व श्री हृदय नारायण दीक्षित जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।

निर्वाचित सदस्य श्री रिजवान जहीर खां को जमानत पर रिहा किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

जिला मैजिस्ट्रेट गोण्डा ने अपने फैक्स संदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 जो इस सचिवालय में दिनांक 17 दिसम्बर, 1993 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि विधान सभा क्षेत्र संख्या–155, तुलसीपुर, जनपद–गोण्डा से निर्वाचित सदस्य श्री रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भैया को दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

उक्त माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या–05 दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 द्वारा प्रसारित की जा चुकी है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 17 दिसम्बर, 1993 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 2 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री मातबर सिंह कण्डारी जी की जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड उजौली स्थित लघु जल विद्युत परियोजना तिलवाड़ा को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है। दूसरी, सूचना श्री नरेन्द्र सिंह जी की उ० प्र० सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का चुनाव न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इस सूचना को अस्वीकार किया जाता है।

अब हम उठते हैं। सोमवार दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे। धन्यवाद।

(इसके बाद सदन 5 बजे सोमवार 20 दिसम्बर, 1993 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

17 दिसम्बर, 1993

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी (क)

(देखिये पीछे पृष्ठ संख्या 63 पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में उपस्थित किये हुए माने गये संशोधन

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–विधान सभा चुनाव के बाद सम्पूर्ण प्रदेश में सभी स्तरों पर सरकार की नीतियों के परिणामस्वरूप बढ़ते हुए साम्प्रदायिक एवं विघटनवादी ताकतों एवं अपराधशील तत्वों के उन्माद तथा जातीय संघर्ष पर गहरा दुख प्रकट करते हुए उसे नियंत्रित करने के लिये ठोस कदम उठाने, 2–प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु कारगर योजना बनाने, 3–गन्ना आपूर्ति करने वाले कास्तकारों को उनके बकाया का तुरन्त भुगतान सुनिश्चित करने, 4–मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के साथ ही जो जातियां मण्डल कमीशन तथा अनु० वर्ग में सम्मिलित नहीं हैं उनमें भी गरीबी के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, 5–सत्ता पक्ष के चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार बिक्रीकर तुरन्त समाप्त करने, 6–प्रदेश में बेरोजगारी समाप्त कर सभी को पूर्ण रोजगार देने, 7–उ० प्र० की भा० ज० पा० सरकार द्वारा स्वीकृत गो-हत्या बन्दी कानून को लागू कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु भेजे गये विधान सभा के निर्णय पर हस्ताक्षर कराने हेतु प्रभावी प्रयास करने, 8–खाद, बीज, बिजली, पानी, कीटनाशक दवायें और कृषि उपकरणों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने, 9–कृषि पर जनसंख्या के भार घटाने के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने, 10–खेतिहर मजदूरों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये उचित विधि व्यवस्था करने हेतु वर्तमान जटिल न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करने, न्यूनतम मजदूरी वर्तमान बाजार भाव पर तय करने तथा अचल सम्पत्ति के स्थान पर व्यक्तिगत जमानत पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था करने,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11–तथा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु प्रभावी योजनायें बनाने की घोषणा नहीं की गयी ।"
2	श्री सत्य प्रकाश विकल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— (1) प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में कोई प्रभावी कदम उठाये जाने के संबंध में, (2) प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे अपराधों व गुण्डा तत्वों पर नियंत्रण करने के लिये किसी ठोस कदम को उठाये जाने का उल्लेख नहीं है, (3) नकल जैसी घातक प्रवृत्ति को कठोरता से रोके जाने के लिये किसी कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में, (4) आगरा के भीषण पेयजल संकट के समाधान हेतु प्रस्तावित बैराज शीघ्र बनाये जाने के संबंध में, (5) जसवंत सिंह आयोग की संस्तुति के अनुरूप इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने के संबंध में, (6) पर्यटन की दृष्टि से आगरा के ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थलों को देखते हुए आगरा के सर्वांगीण विकास तथा सौन्दर्यीकरण के लिये उसे पर्यटन उद्योग का दर्जा दिये जाने के संबंध में, (7) प्रदूषण के कारण ताजमहल की सुरक्षा व सौन्दर्य की दृष्टि से आगरा व उसके आसपास (ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में) नये उद्योग लगाने पर लगे प्रतिबन्ध की वजह से वहां प्रदूषण विहीन उद्योगों की स्थापना किये जाने तथा वर्तमान में चल रहे उद्योगों को संरक्षण दिये जाने की नीति के संबंध में, (8) प्रदेश में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की नीति के अन्तर्गत आगरा के यमुनापार स्थित रामबाग के पिछड़े क्षेत्र में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में ।"
3	श्री मदन गोपाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–प्रदेश में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिये ठोस उपाय करने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2– प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का मूल्य को स्वयं में करने के संबंध में, 3– नोन नदी पर चांदपुर गौर पुल के निर्माण के संबंध में, 4– विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद, जनपद फतेहपुर में नालों की खुदाई का कार्य पूरा कराये जाने व सड़कों का निर्माण तथा विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के संबंध में, 5– पेयजल की व्यवस्था तथा किसानों को खाद बीज एवं पानी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।"
4	श्री विश्वनाथ (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–प्रदेश में शान्ति और सद्भाव का वातावरण बनाने के सगुण उपाय किये जाने, 2–दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिये जीवन के हर क्षेत्र में विशेष अवसर उपलब्ध कराने, 3–किसानों को खाद, बीज, पानी की व्यवस्था सस्ते दामों पर सुनिश्चित कराने तथा 4–शिक्षा के क्षेत्र में समान, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा माध्यमिक तक किये जाने के संबंध में।"
5	श्री सुन्दर लाल दीक्षित (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़ मुख्यालय पर डिग्री कालेज की स्थापना, 2–बाराबंकी जिले की तहसील हैदरगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर की सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर से हैदरगढ़, बाराबंकी की विद्युत लाइन को सम्बद्ध करके औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र में जन साधारण की समृद्धि हेतु विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने, 3–तहसील मुख्यालय हैदरगढ़, बाराबंकी में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना, 4–हैदरगढ़ तहसील मुख्यालय पर स्टेट बैंक की शाखा की स्थापना कराने संबंधी आवश्यक कार्यवाही,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

5–गोमती तट पर स्थित ओसेश्वर महादेव, बाबा टीकाराम का जीर्णोद्धार तथा पर्यटन केन्द्र बनाने तक गोमती में पुल बनाकर तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ को बाराबंकी से जोड़ने,

6–मकनपुर से शाहपुर सिदवी मझार मार्ग 6 किलोमीटर जो अधूरा मार्ग लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बाराबंकी से लेपन स्तर डामर करवाकर गोमती नदी विरहीमाबाद से होते हुए भानमऊ बाराबंकी जिला मुख्यालय से जोड़ने,

7–दलिहा–शिवनाम पोखरा मार्ग 20 कि०मी० में डामर लेपन स्तर तक पूरा करवाकर मार्ग निर्माण कराने,

8–छन्दरौली कान्हूपुर, परीवा, पूरे, देवीदास, मंझूपुर मार्ग का अधूरा कार्य पूरा करवाकर 20 कि०मी० मार्ग पर डामर कार्य लेपन स्तर तक करवाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाने,

9–लोनीकटरा से कान्हीपुर, तिलोकपुर, शाहपुर, मनोधापुर, जिला परिषद् द्वारा नव निर्मित अधूरा मार्ग को जिला परिषद् से स्थानान्तरित करके लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बाराबंकी के माध्यम से बड़वल तक मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न करवाने,

10–नरौली से बेहटा होते हुए बाबा टीकाराम 5 किलोमीटर मार्ग को डामर लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण करवाने,

11–दतौली से सराय हवत, थानपुर, लोहेशपुर, संतोषपुर होते हुए मल्हनपुरवा पूरब बेलाव घाट तक मिट्टी का कार्य तथा खड़न्जा स्तर 7 किलोमीटर मार्ग का निर्माण करवाने,

12–दतौली से रानीपुर, सालपुर, बैरिहा होते हुए बाबा टीकाराम तक 7 कि०मी० तक मिट्टी का कार्य खड़न्जा स्तर तक निर्माण कार्य करवाने,

13–तेजवापुर लिंक मार्ग, नरोतमऊ घाट 8 किलोमीटर खड़न्जा मार्ग का डामर डालकर मार्ग का निर्माण करवाने,

14–सुबेहा से देवीगंज मार्ग पर जैदपुर, बाराबंकी मार्ग पर सुबेहा राजघाट गोमती में पुल का निर्माण करवाकर जिला मुख्यालय से जोड़ने,

15–हैदरगढ़–महराजगंज मार्ग पर स्थित कबूलपुर से बहुता, श्रीकृष्णपुर, देवनगर, चिलूला होते हुए हैदरगढ़-बछरावां मार्ग से जोड़कर मिट्टी का कार्य 7 कि०मी० खड़न्जा लगाकर निर्माण कार्य पूरा कराने,

16–कमेला से मोहम्मदपुर होते हुए बाबा टीकाराम तक 7 कि०मी० मिट्टी का कार्य खड़न्जा लगाकर पूरा कराने,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

17–लदई का पुरवा, थलवार, मल्हनपुर, निन्दूरी, टिकुरी होते हुए हैदरगढ़ सुबेहा मार्ग का मिट्टी का कार्य खड़न्जा लगाकर 7 कि०मी० सड़क का निर्माण कराने,

18–असन्दरा बाजार से टिकुरिया तक 5 कि०मी० मिट्टी का कार्य खड़न्जा लगाकर जनसम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने,

19–कादीपुर, चकतारा, बबुरिहा, पेलौली होते हुए बाजपुरा, मेडिया 6 कि०मी० मिट्टी का कार्य तथा खड़न्जा लगवाकर निर्माण कराने,

20–जन साधारण का उपचार चिकित्सा हेतु बहुता, फतेहगंज दतोली, बरावां, पलिया, शरीफाबाद, चौबीसी–रतौली सुकुलपुर, रामनगर, पूरे देवीदास पुरवा, शिवनाम, मंझार, जौरास, भिलवल, गौरवा, उस्मानपुर सहरी इस्लामपुर, लाही, भितरी, तेजवापुर, गौरा, सोठमऊ आदि प्रमुख स्थानों पर राजकीय चिकित्सालयों की स्थापना कराने,

21–तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ पर फायर ब्रिगेड अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराने,

22–सिंचाई का पिछड़ापन दूर करने के लिये असिंचित भूमि को सिंचित बनाने के लिये नैपुरा, सालपुर, सोढ़मऊ, बैरिहा, गढ़ी गोसियामऊ, लदई का पुरवा, भलवारा, मल्हनपुरवा निदूरी, टिकुरी महानगर, मुस्तफाबाद, शरीफाबाद बाजपुरा, मेडिया, मनुहुआ, पलोली भोगला, चकौरा, मिटौरा, सन्तोषपुर दतौली, चंदा तहवांपुर, आल्हेपुर, मासूफपुर भितरी, धौरहरा, मौलाबाद, मंझार, बेहटा रनियामऊ, शेषवामऊ, दौलतपुर कोलवा आदि प्रमुख स्थानों पर कृषि कार्य हेतु राजकीय नलकूपों का निर्माण कराने,

23–छन्दराली, मनिकापुर, भगनियापुर, रामपुर होते हुए सराय पाण्डे तक 6 किलोमीटर मिट्टी का कार्य खड़न्जा लगवाकर निर्माण कराने,

24–कृषि कार्य हेतु किसानों, लघु उद्योग धन्धों तथा हरिजन बस्तियों, मन्झूपुर, पूरे देवीदास, गनहरी नरदही, हैसवापुर, बलवल खैराकनकू, खैराबीस, नरायनपुर, खमनखोरा, कोलदहा, लडहिया, फिरोजाबाद, रामनगर, ईश्वरी गंज टुक्मईखेर, दयालगंज, सहावर, चिल्लू बस्ती गंज, बेघेलपुरवा, भिखरीखेर, बड़भीती लाही, टिकरा रैल, रानीखेर, बेलवा, सुजारा, बनवार गंज, महिमापुर, चिलूला दयालगंज, कबूलपुर कान्दू, जौटास, जहानपुर, टिलया, लखौरा, दौलतपुर, दोहरी, बेहटा, मंझार, मौलाबाद, करमेमऊ, शाहपुर सिदवी, कटिहारख्वाजा, आल्हेपुर बभानपुरवा, तहवापुर, मोहम्मदपुर, हुसेनाबाद, यारूकपुर, मितरी,

क्रम सं० प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

धौरहरा–बुढ़नापुर मदना भिखारीपुर, जसकापुर, लौहंगपुर मिटौरा, मल्हपुरवा, मलौली बाजापुर, मेडिया गढ़ी, गोसियामऊ, आलापुर, शरीफाबाद, महानगर भोजियामऊ, नगरिया, मल्लाहन पुरवा निदूरी, टिकुरी, बाबा टीकाराम, आसवानेपुर महादेव, परीवा, दुर्गागंज, बल्लासाईखेड़ा, पोकोली, धुसमी, कबूलपुर रामपुर, फतेहपुर, जमरवा, कान्हू, जहानपुर, जहानपुर, राघवपुर, फतेहपुर जमरवा, ओबरी बन्हवापुर, वारीखेत, जासीपुर, बबुवापुर भागीखेर, बहादुरपुर, गनेशपुर, मंशारा, टिकरिया, असदरा मिर्चिया, मेनहुआ, पलौली, गनेशपुर, न्याय पंचायतों के सुबेहा पलिया, सराय गोपी, चौबीसी, नतौली चन्दा, फरसतिया, कमेला, बरावां, असारी, विकास खण्ड त्रिवेदीगंज के खैराकनकू, भिलवल दहिला, शिवनाम, रामनगर त्रिवेदीगंज की समस्त ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण कराया जाय,

25–शिक्षा का पिछड़ापन दूर करने के लिये सुबेहा, पलिया, रतौली, चौबिसी, पमेरा, बरावा, अंसारी, दतौली, चन्दा, बराये गोपी खरसतिया, विकास खण्ड हैदरगढ़ में तथा विकास खण्ड त्रिवेदीगंज बहुदा, दहिला, भिलवल, खेराकनकू, रामनगर, शिवनाम आदि प्रमुख स्थानों पर राजकीय हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट विद्यालयों की स्थापना की जाय ।

26–शिक्षित बेरोजगार युवकों की गरीबी दूर करने के लिये तहसील मुख्यालय हैदरगढ़, बाराबंकी में भारी उद्योग धन्धा एक करोड़ लागत लगाकर रोजगार धन्धे की स्थापना की जाय । जिससे शिक्षित और अशिक्षित युवकों को रोजगार मिल सके ।

27–तहसील हैदरगढ़ मुख्यालय जिसकी जनसंख्या 5 लाख के लगभग है, पर किसानों एवं मजदूरों की गरीबी दूर करने के लिये चीनी मिल की स्थापना करने,

28–हैदरगढ़ क्षेत्र में 20 वर्षों से अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय मधुकर शाह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनिकपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरास, उ० मा० वि०जमीर हुसैनाबाद, लालजी स्मारक उ० मा० वि० किस्तीनगर सिद्धीयावा आदि विद्यालयों को स्थायी मान्यता देने,

29–पेयजल संकट दूर करने के लिये सराय गोपी, पलिया, सुबेहा, चौबीसी कमेला, बरावां, रतौली, चन्दा, अंसारी विकास खण्ड त्रिवेदीगंज भिलवल, त्रिवेदीगंज, दहिला, शिवनाम, खैराकनकू, रामनगर, बहुदा

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		आदि न्याय पंचायतों की समस्त ग्रामसभाओं में आबादी के अनुसार इण्डिया मार्का नलकूप लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने, 30–राजकीय परिवहन निगम बस स्टेशन हैदरगढ़ बाराबंकी में डिपो की स्थापना करने, 31–बाराबंकी जनपद के बाबा लोधेश्वर महादेव रामनगर, बाबा टीकाराम हैदरगढ़, बाबा औसानेश्वर महादेव, हैदरगढ़ नीलकन्ठेश्वर महादेव हरिपालपुर, किल्लेश्वर महादेव लालपुर, बाबा महादेव मंदिर शिवनाम, बाबा जगजीवन साहब कोटवा धाम आदि प्रमुख ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने, 32–तहसील मुख्यालय हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी में पालीटेक्निक आई० टी० आई० विद्यालयों की स्थापना तहसील मुख्यालय हैदरगढ़ पर कराने तथा 33–बाराबंकी जनपद को सुल्तानपुर और रायबरेली की भांति औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में।"
6	श्री महेन्द्र प्रताप नारायन सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–फतेहपुर जिले का हसवा निर्वाचन क्षेत्र बहुत अविकसित एवं पिछड़ा है। वहां की नहरें सूखी हैं। ट्यूबवेल खराब हैं व बन्द हैं। इस समय धान की कटाई के बाद पलेवा का समय है, पर पानी न नहरों से उपलब्ध है और न नलकूपों से। उक्त सभी समस्याओं के समाधान हेतु उचित व्यवस्था करने, 2–हसवा क्षेत्र में साधारणतया ग्रामीण सम्पर्क मार्ग नहीं है। जो हैं भी वह टूटे फूटे व अपूर्ण हैं। उनसे किसी प्रकार की यात्रा व यातायात असम्भव है। उक्त सम्पूर्ण कार्यों को पूरा कराने तथा 3–पूरे क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है। वहां पर पर्याप्त गन्ना उत्पन्न होता है, पर कोई शक्कर मिल नहीं है। अविलम्ब शक्कर मिल स्थापित करने के संबंध में।"
7	श्री रमापति शास्त्री (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		1–उ० प्र० में अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को कक्षा–1 से लेकर इण्टरमीडिएट तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में,
		2–प्रदेश के सभी विकास खण्डों में बालिका इण्टरमीडिएट कालेज खोलने के संबंध में,
		3–प्रदेश के सभी प्रतियोगी छात्रों को जो कहीं भी परीक्षा देने जायं, निःशुल्क यात्रा या भत्ता दिलाये जाने के संबंध में,
		4–प्रदेश के सभी बेरोजगार नौजवानों को समयबद्ध योजना के तहत बेरोजगार भत्ता या रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,
		5–नकल अध्यादेश को समाप्त करने की घोषणा करने को अवैध ठहराकर छात्रों के भविष्य को सुधारने के संबंध में,
		6–नवाबगंज-गोण्डा शुगर मिल जो चीनी निगम द्वारा संचालित है, गन्ना किसानों के पुराने एवं नये बकाये भुगतान तथा कर्मचारियों के बकाये वेतन के दिलाये जाने के संबंध में,
		7–शुगर मिल नवाबगंज, गोण्डा जो चीनी निगम द्वारा संचालित है पेराई क्षमता बढ़ाकर नई यूनिट लगाये जाने के संबंध में,
		8–तहसील तरबगंज गोण्डा के मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड स्टेशन स्थापित कराये जाने के संबंध में,
		9–तहसील तरबगंज, गोण्डा में सरयू घाघरा कटान से प्रत्येक वर्ष हजारों घर बरबाद हो जाते हैं, उनके पुनर्वास एवं स्थायी कटान रोकने के संबंध में,
		10–नवाबगंज गोण्डा में जो बहुत पुरानी नगरपालिका हैं, तीस बेड अस्पताल (उच्चीकृत अस्पताल) कराये जाने के संबंध में,
		11–नगरपाकिा नवाबगंज गोण्डा में पानी की टंकी जिसकी आबादी के अनुसार क्षमता कम हो गयी है, बड़ी क्षमता की टंकी के संबंध में,
		12–दुर्जनपुर घाट से गौहानी, अकबरपुर, रामपुर गहा मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में,
		13–डिडिसिया कला (आजाद नगर) से दुर्जनपुर पाण्डेय ग्राम तक पक्की सड़क बनाये जाने के संबंध में,
		14–कटहा खजुरी पथार मार्ग तथा पकड़ी जमथा भानपुर एवं मनहना गड़ौनी मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में,
		15–बन्धा से परास तक, उमरी, सेमरी से सिधौरी मार्गों तक पक्का कराये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16–चौखड़िया घाट, सेमरा घाट, तिवारी बाजार, रामपुर टैगरहा व रानीपुर में नदी एवं नालों पर पुल बनाये जाने के संबंध में, 17–कटरा शिवदयालगंज राजमार्ग से नवाबगंज, तरबगंज, बेलसर होते हुए जरवन बाराबंकी राज मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में, 18–जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज के सभी वंचित गांवों में सघन विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में, 19–तहसील तरबगंज के विकास खण्ड नवाबगंज, तरबगंज, बेलसर एवं वजीरगंज में लघु उद्योग स्थापित कराये जाने के संबंध में, 20–तरबगंज तहसील एवं बाजार में जल निकासी एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने तथा 21–डिक्सिर विधान सभा क्षेत्र में पुरुष एवं महिला डिग्री कालेज स्थापित करने के संबंध में।''
8	श्री श्याम देव राय चौधरी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–वाराणसी नगर में विशेषकर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त गम्भीर पेयजल अनापूर्ति समस्या के समाधान के विषय में, 2–वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में ध्वस्त सीवर लाइनों को बदलने तथा नयी सीवर लाइन डालने के संबंध में, 3–वाराणसी नगर में विशेषकर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति दुर्व्यवस्था, नये ट्रांसफार्मरों को लगाये जाने, बिजली के जर्जर तारों को बदलने तथा नियमित मीटर रीडिंग तथा बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से नागरिकों को मुक्ति दिलाये जाने के संबंध में, 4–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन तथा मिट्टी के तेल की सहज उपलब्धता बनाये रखने तथा नये राशन कार्ड बनाये जाने के संबंध में, 5–वाराणसी में वृद्धावस्था तथा विधवा पेन्शन नियमित वितरण कराये जाने के संबंध में, 6–वाराणसी में गंगा नदी में मछली मारने पर शासन द्वारा लगाये गये रोक से जनपद के करीब 20 हाजर मल्लाह तथा निषाद परिवारों के समक्ष उत्पन्न भुखमरी को रोक हटाकर दूर करने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7–तुरन्त पूर्ववर्ती चुनी हुई सरकार द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से रोकने के संबंध में, 8–पूर्वांचल विकास निधि के धनराशि में वृद्धि किये जाने के संबंध में, 9–वाराणसी के हरिजन बस्तियों में नये सीवर लाइन डालने तथा पेयजलापूर्ति कराये जाने के संबंध में, 10–वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली कालोनियों तथा सड़कों पर जल भराव के भीषण समस्या को दूर करने के संबंध में जैसे :—नगवा क्षेत्र, रविन्द्रपुरी, रविन्द्रपुरी विस्तार, खोजवां, दशाश्वमेघ बाजार गोदौलिया, कबीर नगर कालोनी आदि, 11–महान देश भक्त स्वतंत्रता के अमर सेनानी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस को सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करने के संबंध में, 12–काशीनगरी को धर्मिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में, 13–प्रदेश में निरन्तर बढ़ रही बेरोजगारी को दूर करने के संबंध में, 14–वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खराब पड़े हुए हैण्ड पम्पों को रिबोरिंग करके ठीक करने के संबंध में, 15–बिक्रीकर की समाप्ति तथा वैकल्पिक राजस्व प्राप्ति के स्रोत के संबंध में, 16–नेता विरोधी दल माननीय कल्याण सिंह को आदरणीय सदन में प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।"
9	डा० राम बाबू हरित (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–आगरा महानगर में जमुना नदी पर बैराज बनाने, 2–आगरा पश्चिमी क्षेत्र की मलिन बस्तियों में सुलभ शौचालय बनाने, 3–आगरा महानगर में विद्युत कटौती रोकने, 4–आगरा पश्चिमी क्षेत्र में विद्युत तारों, ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल की दयनीय स्थिति को सुधारने, 5–आगरा पश्चिमी क्षेत्र में छात्र, छात्राओं हेतु नये विद्यालय खोलने,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6–आगरा महानगर में गरीब लोगों हेतु सरकारी चिकित्सा व्यवस्था को अस्पतालों (एस० एन० मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल, लेडी लायल महिला अस्पताल, मानसिक अस्पताल, ई० एस० आई० डिस्पेंसरी) में सुधारने,
		7–संस्कृत को प्रदेश की अनिवार्य भाषा बनाने के,
		8–नकल अध्यादेश को जनहित में लागू रखने के संबंध में,
		9–आगरा पश्चिम क्षेत्र में स्थायी खराब हैण्ड पम्पों को युद्ध स्तर पर ठीक कराने,
		10–आगरा के जूता व्यवसाय की स्थिति को सुधारने,
		11–आगरा राजकीय इण्टर कालेज में प्रवेश हेतु एक ही बार में चयनित सूची घोषित करने, भ्रष्टाचार रोकने,
		12–आगरा के अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले विद्यालयों द्वारा अभिभावकों की खुली लूट रोकने,
		13–आगरा में अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण कोटे को पूरा करने तथा फीस माफ के नियमों को पालन कराने,
		14–आगरा में विधवाओं व वृद्धों को अधिकाधिक संख्या में पेंशन दिलवाने,
		15–आगरा महानगर में गरीब, पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों को बिना बचत पत्र जमा कराये सुरक्षा हेतु अधिक से अधिक आर्म लाइसेंस दिलवाने,
		16–आगरा महानगर में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग विकसित कराने,
		17–आगरा में राशन कार्ड कैम्प कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने,
		18–आगरा महानगर में टी० बी० अस्पताल की दयनीय स्थिति सुधारने तथा
		19–आगरा महानगर को ताजमहल के कारण पर्यटन स्थल बनाने के संबंध में।"
10	श्री बची सिंह रावत (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :—
		1–उत्तरांचल क्षेत्र के दिनांक 25-11-92 को गठित पर्वतीय सेवा उप संवर्ग 1992 को तत्काल लागू करना,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2–उ० प्र० विधान सभा द्वारा 12 अगस्त, 1991 को पारित उत्तरांचल राज्य के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा पारित कराये जाने हेतु प्रदेश सरकार के प्रयास,

3–विधान सभा क्षेत्र रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत पट्टी बासोट-भिकियासैण मोटर मार्ग, सौगढ़–पन्तगांव चमड़खान मोटर मार्ग, हरड़ा–भिकियासैण मोटर मार्ग, पैसिया–पीपना–झीपा मोटर मार्ग, डभरा–क्वैराला मोटर मार्ग, देघाट–खल्डुवा मोटर मार्ग, जौरासी–सराई खेत मोटर मार्ग, गनियाधोली–सिगौली–अल्मोड़ी मोटर मार्ग, मांसी–नौवाड़दौला मोटर मार्ग, चौवटिया–कुन्तिलाखेत–बमसों मोटर मार्ग, टाना–विशालकोट मोटर मार्ग, गनाई–खीड़ा मोटर मार्ग, गनाई वड़ागवाल मोटर मार्ग, सौंनी–देवलीखेत–डौड़ाखाल सिलार महादेव मोटर मार्ग के अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराना,

4–रानीखेत को नये जिले का दर्जा प्रदान करना,

5–जालली, मछोड़ व मांसी में नये विकास खण्डों की स्थापना,

6–चौखुटिया–भिकियासैण में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना,

7–रानीखेत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व ग्रामों का पूर्ण विद्युतीकरण व प्रत्येक ग्राम के लिये पेयजल योजना का पुनर्गठन करना,

8–पूर्व स्वीकृत सरकारी प्रशिक्षण केन्द्र रानीखेत के भवन का निर्माण किया जाना,

9–प्राइमरी से महाविद्यालय स्तर तक अध्यापकों व प्राचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करना,

10–राजकीय चिकित्सालयों में पूर्ण स्टाफ की नियुक्ति व आवश्यक दवाओं का उपलब्ध करवाना,

11–सिंचाई नहरों का निर्माण व मरम्मत कराकर रानीखेत क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करवाना,

12–उत्तरांचल क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों के लिये रोजगार उपलब्ध करवाना,

13–11, 12 सितम्बर, 1993 की अतिवृष्टि से कुमायूं मंडल में हुई जनधन की क्षतिपूर्ति हेतु राहत राशि की वृद्धि व राहत कार्य व सुरक्षात्मक उपाय लागू करवाना,

14–रानीखेत नगर को मंसूरी व नैनीताल की तरह "ए" क्लास नगर घोषित करना या रानीखेत कटकपालिका को नगरपालिका बनाना,

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड
उत्तर प्रदेश

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15–रानीखेत–ताड़ीखेत में स्वीकृत स्पोर्ट्स हास्टल का निर्माण करवाना, 16–रुकी हुई योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना, 17–विल्लेख–लोधियाखान–खैरनी मोटर मार्ग तथा खरगोली-पैतमोहन मोटर मार्ग का नव निर्माण स्वीकृत करना, 18–रानीखेत क्षेत्र के वर्षों पुराने मोटर मार्गों का पक्कीकरण (डामरीकरण) करवाना तथा 19–रानीखेत क्षेत्र में स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना के संबंध में।"
11	श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–प्रदेश को साम्प्रदायिकता के वातावरण से मुक्त कराकर विकास की दिशा में गति प्रदान की जायेगी, 2–राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं उच्चवर्गीय निर्धनों को विशेष अवसर उपलब्ध कराकर समानता की श्रेणी में लाया जायेगा, 3–किसानों को खाद, बीज और पानी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा, 4–जनपद हमीरपुर के हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र में वन रोगों के प्रकोप से मुक्त करने के कारगर उपाय किये जायेंगे, 5–उक्त क्षेत्र को आर्थिक, औद्योगिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में विकास की नयी दिशा प्रदान करने के संबंध में।"
12	श्री सुन्दर लाल लोधी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा तथा उन्नाव जनपद की कानून व्यवस्था में सुधार के संबंध में, 2–थाना अचलगंज तथा थाना अजगैन, जनपद उन्नाव के गरीब, निर्धन, पिछड़े व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शोषण एवं प्रताड़ना से बचाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3–हड़हा–95 के अवरुद्ध विकास का जैसे सड़कें जो पूर्व प्रस्तावित थीं, जैसे अचलगंज से पुरवा, सोहरामऊ से गोरिन्दा, आशा खेड़ा से पैंथर आदि अनेक मार्गों की स्वीकृति पर विचार के संबंध में, 4–हड़हा–95 जनपद उन्नाव के निर्धन व अनुसूचित आबादी वाले गांवों के विद्युतीकरण के संबंध में, 5–उन्नाव में शिक्षा की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र हड़हा के भारी आबादी वाले गांवों जैसे गयादीन खेड़ा, दिरगंज खेड़ा कोलुहागाड़ा आदि में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के संबंध में, 6–क्षेत्र हड़हा–उन्नाव में हजारों की जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ने वाली सड़कों जैसे जैतीपुर से नवाबगंज के निर्माण के संबंध में, 7–क्षेत्र हड़हा–उन्नाव में गन्ना मिल स्थापित करने के संबंध में।"
13	श्री बदन सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–आगरा में पेयजल संकट के निवारण हेतु जमुना नदी पर बैराज निर्माण के संबंध में, 2–आगरा में हाईकोर्ट की बेंच खुलवाने के लिए केन्द्र सरकार से अपनी संस्तुति करने के संबंध में, 3–कृषि विश्वविद्यालय खुलवाने की भी केन्द्र सरकार से कोई पहल किये जाने के संबंध में, 4–प्रदेश में होमगार्ड जवानों की सेवाओं का नियमितीकरण के संबंध में, 5–सेलटैक्स की समाप्ति के साथ-साथ राजस्व में होने वाली हानि की पूर्ति के लिये कोई विकल्प के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6–प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिये कोई ठोस कदम उठाने के संबंध में,
		7–प्रदेश के ग्रामों के विद्युतीकरण करने की नीति के संबंध में,
		8–प्रदेश में नहरों के छोर पर पानी पहुंचाने की कोई विशेष योजना के संबंध में,
		9–जनपद आगरा की तहसील किरावली में खारी नदी के बरसाती जल को रोककर जल स्तर ऊंचा लाने के लिये तथा पानी को मीठा करने के लिये उस पर जैगारा, खेडिया, रिठौरा, ककौला, खेड़ा वाकन्दा घाटों पर बांध बनाने के संबंध में,
		10–जनपद आगरा की तहसील किरावली में स्थित खारी नदी, वेस्टर्न रिप्रशन ड्रेन और गवंश नाले में पशु पेयजल आपूर्ति तथा कृषि सिंचाई के लिये पानी छोड़ने के संबंध में,
		11–जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्रामों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कुछ ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में,
		12–जनपद आगरा की तहसील किरावली के खारे पानी को ध्यान में रखकर प्रत्येक ग्राम के पेयजल संकट को दूर करने के लिये छोटी-छोटी पेयजल की योजनायें बनाये जाने के संबंध में,
		13–प्रदेश के जनपदों में खारे पानी के क्षेत्र में वृद्धि रोकने के लिये तथा उसको मीठा बनाने की सम्भावना खोजने तथा प्लांट लगवाने के संबंध में,
		14–जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में लगे राजकीय नलकूपों को खारिज करने के आदेशों को वापस ले कर उन्हें पी० बी० सी० के पाइपों से बनाने के संबंध में,
		15–जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी के पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर तोड़ मशीन से बोरिंग करके क्षेत्र को सिंचाई साधन विहीनता से बचाने के संबंध में।"

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
14	श्री रंगनाथ (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–औराई में डिग्री कालेज खोलने के संबंध में, 2–चौरी (भदोही) में कन्या हाईस्कूल खोलने के संबंध में, 3–नकल विरोधी अध्यादेश को जारी रखने के संबंध में, 4–भारत के गौरवशाली अतीत का अवबोध कराने वाली वैदिक गणित की शिक्षा दिये जाने के संबंध में, 5–भदोही को जिला बनाने के संबंध में, 6–ममहर से उगापुर सड़क के निर्माण के संबंध में, 7–डेरवा से चन्दपुरा तक सड़क निर्माण के संबंध में, 8–चकवा से आछवर, पीपर गांव तक सड़क निर्माण के संबंध में, 9–हाथी से भिटकुरी मटुका रामडीह तक सड़क निर्माण के संबंध में, 10–भीखमपुर से दिलावरपुर बरकी तक सड़क निर्माण के संबंध में, 11–जी० टी० रोड से कैयरमऊ तक सड़क निर्माण के संबंध में, 12–चौरी से अनेकपुर तक सड़क निर्माण के संबंध में, 13–जी० टी० रोड से लालपुर बरकी तक सड़क निर्माण के संबंध में, 14–सहसेपुर गांव से जल निगम की टंकी निर्माण के संबंध में। 15–संस्कृत को अनिवार्य भाषा के रूप में शिक्षा दिये जाने के संबंध में, 16–सकलपुर में जल निगम की टंकी बनाने के संबंध में।"
15	श्री राम आसरे वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— प्रदेश को साम्प्रदायिकता के माहौल से मुक्त बनाकर विकास की नयी दिशा प्रदान की जायेगी तथा समाज के दबे कुचले एवं मेहनतकश लोगों को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में न्याय प्रदान किया जायगा।"

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
16	श्री चन्द्र किशोर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–शिक्षा के क्षेत्र में, कन्या महाविद्यालय तथा विधि स्नातक की कक्षाओं की स्थापना के संबंध में, 2–तकनीकी शिक्षा के लिये पालीटेक्निक व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में, 3–क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा के लिये इंटर कालेज व प्राइमरी पाठशालाओं पर अध्यापकों की व्यवस्था के संबंध में, 4–चिकित्सा सुविधा के लिये महराजगंज में सुव्यवस्थित चिकित्सालय तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के संबंध में, 5–सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिये नहरों को और अधिक लम्बा करने के संबंध में, 6–बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिये उद्योग की स्थापना के संबंध में, 7–क्षेत्र में समुचित सड़क व्यवस्था तथा निर्माण के संबंध में, 8–महराजगंज जनपद के महाराजगंज व मिठौरा विकास खण्डों के सभी गांवों में विद्युतीकरण कराने के संबंध में, 9–बनदांगिया मजदूरों को विकास खण्ड से जोड़कर सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में, 10–जिला मुख्यालय के विकास के संबंध में, 11–सिंचाई के नलकूप की व्यवस्था के संबंध में, 12–क्षेत्र में खेल प्रतिभा के विकास के लिये मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण के संबंध में, 13–नगरपालिका महराजगंज में समुचित जल निकासी व नाली निर्माण के लिये अनुदान के संबंध में, 14–नये जिला मुख्यालय के निर्माण एवं विकास के लिये अनुदान के संबंध में, 15–बागापार जनपद महराजगंज में पुलिस द्वारा हरिजनों के ऊपर किये गये अत्याचार पर कार्यवाही के संबंध में, 16–ओला पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17–राजकीय परिवहन की बसों को महराजगंज जनपद के प्रमुख कस्बों से जोड़कर बसों की व्यवस्था किये जाने के संबंध में, 18–बिजली और खाद के बढ़े हुए मूल्यों को कम करने के संबंध में, 19-किसानों को मिलने वाली ऋण सुविधा में पड़ने वाली स्टाम्प ड्यूटी समाप्त किये जाने के संबंध में, 20–तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार इंजीनियरों तथा डाक्टरों आदि को रोजगार की गारण्टी दिये जाने के संबंध में, 21–ग्रामीण युवकों तथा शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने अथवा उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में।"
'17	श्री मातवर सिंह कण्डारी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1–वन अधिनियम को लचीला किया जायेगा ताकि उत्तरांचल में विकास कार्य हो सके, 2–मूल्य वृद्धि को रोकने का प्रयास किया जायेगा ताकि गरीब जनता को राहत मिल सके, 3–उत्तरांचल में राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों की नियुक्ति की तुरन्त व्यवस्था करना, 4–उत्तरांचल में "हिल कैडर" का लागू करना ताकि बाहर का व्यक्ति उत्तरांचल में नियुक्ति न पा सके, 5–अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण को पूर्ण कराने की व्यवस्था का उल्लेख, 6–गढ़वाल में भूकम्प पीड़ितों को राहत दिलाना, 7–उत्तरांचल में मत्स्य पालन, फलपट्टी योजना लघु जल विद्युत गृहों का निर्माण कराना, 8–उत्तरांचल में बन्द पड़े लघु जल विद्युत गृहों को चालू करना, 9–दस हजार के कर्जे माफ करने की घोषणा को पूर्ण करना, 10–उत्तरांचल में दलित पिछड़ी जातियां नहीं होती हैं इसलिये उत्तरांचल में सभी लोगों को आरक्षण की श्रेणी में रखकर गरीबी से बचाना, 11–महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के लिये ठोस कदम उठाना,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12–उत्तरांचल में शिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार योजना बनाना, 13–जातीय समीकरण को समाप्त कर आदर्श समाज की स्थापना करना, 14–जले हुए ट्रान्सफार्मरों को तुरन्त बदलने की व्यवस्था करना, 15–उत्तरांचल में जड़ी बूटियों के आधार पर दवाई के कारखाने लगाना, 16–विकास खण्ड नरेन्द्र नगर टि० ग० जहां चूना पत्थर का अपार भण्डार है, में चूना उद्योग, सीमेन्ट उद्योग तथा कैल्सियम कार्बोनेट उद्योग लगाना, 17–विकास खण्ड देवप्रयाग जहां पर सोयाबीन का बहुत उत्पादन होता है, में सोयाबीन प्लान्ट जामनीखाल में लगाना, 18–विकास खण्ड कीर्तिनगर टि० ग० में चौरास में कलर टी० वी० का कारखाना लगाना, 19–विकास खण्ड जखोली में कागज का उद्योग लगाना, 20–नकल में सुधार लाने व नकल को प्रोत्साहन न देते हुए देश के भविष्य के विधाताओं को आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाना, 21–गुण्डागर्दी को समाप्त कर राम राज्य की स्थापना करना।"
18	मुख्तार अनीस (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–गन्ने का मूल्य 60 रु० कुन्तल करने के संबंध में, 2–गन्ना का भुगतान गन्ना सोसाइटियों से करवाये जाने के संबंध में।"
19	श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–देवरिया जनपद में छोटी गण्डक पर गोरयाघाट के पुल का निर्माण कराने के संबंध में, 2–बरियापुर में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कराकर किसानों, मजदूरों, व्यापारियों को भरपूर विद्युत सुलभ कराने के संबंध में,

क्रम सं० प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

3–देवरिया मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालयों में एम० ए० कक्षायें चलाये जाने की घोषणा करने के बारे में,

4–पड़रीमल्ल से पिपरपाती–गोवराने–पोखरभिण्डा तक नहर की पटरियों, रणछेरकुटी से पिपरतिया तक बन्धों की सोलिंग कराने एवं अतरौली से कैथवालिया तक नहर की पटरियों की सोलिंग कराकर आवागमन हेतु मार्ग प्रदान के संबंध में,

5–बैकुण्ठपुर एवं कैथवालिया में छोटी गण्डक में पीपे के पुल के निर्माण की घोषणा के संबंध में,

6–कठिनतिया–वेलडाढ़ सड़क को बरहज तक लोक निर्माण विभाग द्वारा पिच करने के संबंध में,

7–रामपुर कारखाना टाउन एरिया एवं पथरदेवा में जल निगम द्वारा अर्धनिर्मित कार्यों को पूरा कराकर नागरिकों को पेयजल की व्यवस्था करने के संबंध में,

8–देवरिया नगर में छोटे-छोटे गुमटी दुकानदारों को स्थायी रूप से बसाकर व्यापार कर अपनी जीविका चला सकें, दुकानों के निर्माण के संबंध में,

9–ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 10-10 वर्षों से अधूरे पड़े ग्रामों जैसे घटैलागांजी, असना तिरन्दापुर, जलपुखा, पचौता, रघवापुर, बनुआडीह मरेरालाला आदि ग्रामों का अविलम्ब विद्युतीकरण एवं देवरिया नगर के विभिन्न मुहल्लों देवरियाखास, भुसौली, देवरिया राजनाथ, भरतलिया, सिन्धी मिल, रामगुर भूटोला, साकेतनगर एवं रामपुर कारखाना टाउन एरिया में अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगाकर बिजली की अव्यवस्था दूर करने की घोषणा करने के संबंध में,

10–स्थानीय निकाय द्वारा प्रस्तावित टैक्स जिसे आपने स्वयं छोटे-छोटे दुकानदारों खोमचों, ठेलों, मोची, दर्जी, चिकित्सक, बढ़ई, नाई एवं समस्त व्यवसायियों पर लगाकर स्थगित किया है, उसको समाप्त करने की घोषणा के संबंध में,

11–बिक्रीकर समाप्त करने, समस्त प्रकार के व्यापारी उत्पीड़न करने वाले मण्डीशुल्क, श्रम, बांट-माप, ड्रग-लाइसेन्स, खाद्य विभाग, सेम्पुलिंग की आजीवन लाइसेंस बनाने एवं अनुपयोगी लाइसेन्सों को समाप्त करने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		12–गन्ना किसानों की सुविधा हेतु नई चीनी मिल लगाने, पुरानी मिलों का विस्तार एवं बकाये गन्ने का भुगतान ब्याज सहित अविलम्ब कराने के संबंध में, 13–देवरिया नगर में रेलवे क्रासिंग पर निर्मित हो रहे ओवरब्रिज एवं भागलपुर निर्मित घाघरा नदी के पुल के निर्माण को अविलम्ब पूरा कराने के संबंध में, 14–देवरिया जनपद में स्थित समस्त राजकीय ट्यूबवेलों की नालियों के निर्माण नहरों की पटरियों की सोलिंग कराकर किसानों को सिंचाई के लिये आवागमन के लिये उपयोगी बनाने के संबंध में, 15–सोनूधार में लगभग 65 एकड़ रक्षा विभाग द्वारा राडार के लिये अधिगृहीत भूमि जिसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है उसे अधिग्रहण करने वाले किसानों को वापस करने की घोषणा के संबंध में, 16–महुआपास से घुसवा होते हुए पथरदेवा तक सड़क को पिच कर रोडवेज को बसें चलाने, देवरिया से करौन्दो तक नियमित बस चलाकर यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की घोषणा के संबंध में, 17– देवरिया नगर में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए नागरिकों को कम लागत पर निर्मित आवास प्रदान करने के संबंध में, 18–देवरिया जनपद में स्थित समस्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को नियमित चलाने, नये उपकेन्द्रों का निर्माण, दवाओं को भरपूर व्यवस्था करने एवं अयोग्य कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण की घोषणा के संबंध में, 19–देवरिया जनपद में छोटे-छोटे सरकारी उद्योगों की स्थापना कर बेरोजगारी दूर करने के प्रयास की घोषणा के संबंध में।"
20	श्री काशी सिंह ऐरी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) एवं अल्मोड़ा स्थित दोनों मिनी सचिवालयों का एकीकरण कर उत्तराखण्ड के केन्द्र स्थान चन्द्रनगर (गैरसैण) वर्तमान जिला चमौली में उत्तराखण्ड विकास सचिवालय की स्थापना के संबंध में, 2–उत्तराखण्ड की दुरुह भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जनता को सुलभ प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड में छोटे जिलों/तहसीलों/विकास खण्डों के गठन के संबंध में, 3–पूर्व में पर्वतीय क्षेत्र के आठ जनपदों के लिये गठित पर्वतीय विकास मंत्रालय के अन्तर्गत हरिद्वार को नौवें जनपद के रूप में सम्मिलित करने तथा विभाग का नाम पौराणिक/ऐतिहासिक एवं सरकारी गजटों के

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		करने तथा विभाग का नाम पौराणिक/ऐतिहासिक एवं सरकारी गजटों के आधार पर उत्तराखण्ड विकास विभाग रखे जाने के संबंध में,
		4–उत्तराखण्ड विकास सचिवालय के सफल संचालन व विकास को गति प्रदान करने हेतु उसे अतिरिक्त मुख्य सचिव की प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने के संबंध में,
		5–उत्तराखण्ड विकास से संबंधित समस्त सरकारी, अर्द्ध सरकारी, विभागों के कार्यालयों तथा निगम व परिषदों के कार्यालयों को उत्तराखण्ड क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में,
		6–उत्तराखण्ड विकास हेतु निर्धारित परिव्यय में से कम से कम रु० 5 करोड़ तक की स्वीकृति उत्तराखण्ड विकास विभाग के ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जाने का अधिकार प्रदान किये जाने के संबंध में,
		7–उत्तराखण्ड हेतु गैर आयोजनागत परिव्यय को पृथक से मात्रीकृत किये जाने तथा योजनाओं के उचित रखरखाव हेतु अधिक परिव्यय उपलब्ध किये जाने के संबंध में,
		8–उत्तराखण्ड हेतु हिल कैडर सभी सरकारी व अर्द्ध-सरकारी विभागों तथा निगमों व परिषदों में लागू किये जाने एवं प्रादेशिक सेवा के प्रथम श्रेणी राजपत्रित पदों तक हिल कैडर की परिधि में लाये जाने के संबंध में,
		9–उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग, परम्परागत हस्तशिल्प, लघु पन बिजली योजनाओं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक विकास द्वारा रोजगार के स्रोत बढ़ाये जाने के संबंध में,
		10–उत्तराखण्ड में परम्परागत कृषि को बदल कर उसे नकदी फसल उत्पादन के रूप में विकसित करने तथा शिक्षित बेरोजगारों को हिमांचल पद्धति के आधार पर कम से कम पांच एकड़ भूमि पट्टे पर प्रदान कर फल पट्टियों का विकास किये जाने के संबंध में,
		11–उत्तराखण्ड के परम्परागत लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सहित कच्चा माल प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,
		12–उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक/सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां के शिल्पकारों हेतु पृथक से वित्त व विकास निगम स्थापित किये जाने के संबंध में,

क्रम सं० प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

13–उत्तराखण्ड में सेवारत व सेवा निवृत्त सैनिकों की अधिसंख्या को देखते हुए उनके लिये उत्तराखण्ड में एक "पूर्व सैनिक कल्याण निगम" की स्थापना किये जाने के संबंध में,

14–उत्तराखण्ड में होने वाले भूस्खलनों को दैवी आपदा में सम्मिलित करते हुए प्रभावित परिवारों/गांवों के पुनर्वास की प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने तथा पर्वतीय क्षेत्र में फलों को भी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लिये जाने के संबंध में,

15–भारत-तिब्बत व्यापार को बढ़ावा दिये जाने हेतु उत्तराखण्ड के अन्तर्गत 1962 से पहले के सभी मार्गों से व्यापार खोले जाने हेतु केन्द्र को सबल संस्तुति प्रदान किये जाने के संबंध में,

16–माननीय मुलायम सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तराखण्ड के लोगों को माननीय कौशिक समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने के संबंध में,

17–शासकीय विद्यालयों में कार्यरत सभी तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकृत करने तथा शेष बचे अंशकालिक शिक्षकों को नियमित नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में,

18–उत्तराखण्ड में शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में सभी स्तर के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने के संबंध में,

19–जनपद पिथौरागढ़ में गत वर्ष निरस्त की गई पुलिस भर्ती को पिथौरागढ़ में ही अविलम्ब आयोजित किये जाने के संबंध में,

20–उत्तराखण्ड में यातायात की सुविधा बढ़ाये जाने हेतु स्वीकृत मोटर मार्गों तथा पुलों के शीघ्र निर्माण किये जाने तथा दुर्गम क्षेत्रों में नये मोटर मार्ग स्वीकृत किये जाने के संबंध में,

21–वर्ष 1989 में प्रस्तावित बस्तियों से झूलाघाट-बगड़ीहाट मोटर मार्ग में से उसी वर्ष स्वीकृत झूलाघाट-तालेश्वर मार्ग के दोनों ओर विस्तार किये जाने के संबंध में,

22–जन जातीय तहसीलों–धारचूला एवं मुनस्यारी के उन लगभग 114 गांवों के निवासियों को भी जो कि पहले से इस सुविधा से वंचित किये गये हैं, सब्सिडाइज्ड मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध किये जाने के संबंध में,

23–सीमान्त जनपदों में कार्यरत कर्मचारियों को सीमान्त भत्ते के स्थान पर विशेष सीमान्त वेतन दिये जाने तथा पर्वतीय क्षेत्र के

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		कर्मचारियों को विशेष पर्वतीय भत्ते के स्थान पर विशेष पर्वतीय वेतन दिये जाने के संबंध में, 24–उत्तराखण्ड हेतु पृथक से 'उत्तराखण्ड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग' गठित किये जाने के संबंध में।"
21	श्री रवीन्द्र प्रताप (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–जनपद सिद्धार्थनगर के एक मात्र सहकारी गन्ना विकास समिति, बढ़नी के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में, 2–जनपद में राजकीय कन्या महाविद्यालय के स्थापना एवं तकनीकी शिक्षा के संबंध में, 3–जनपद में स्वीकृत चीनी मिल के तत्काल शोहरतगढ़ क्षेत्र में स्थापना के संबंध में, 4–सिद्धार्थनगर जनपद के नौगढ़ तहसील अन्तर्गत विगत में आये बाढ़ व ओला से हुई अपार जान-माल क्षति के संबंध में, 5–जनपद सिद्धार्थनगर में कृषि के सिंचाई व्यवस्था नलकूप एवं सरयू नहर के संबंध में, 6–बढ़नी विकास खण्ड जनपद सिद्धार्थनगर में उच्चीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के संबंध में, 7–जनपद सिद्धार्थनगर अन्तर्गत, बढ़नी में राजकीय कन्या इन्टर कालेज के संबंध में, 8–जनपद सिद्धार्थनगर मुख्यालय से बढ़नी टाऊन एरिया होते हुए बलरामपुर, गोण्डा–लखनऊ मार्ग से यातायात हेतु परिवहन के राजकीय वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में, 9–जनपद सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ में तहसील मुख्यालय स्थापित करने के संबंध में, 10–जनपद सिद्धार्थनगर में विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के संबंध में।"
22	श्री शिवेन्द्र (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया : 1–शिक्षा के क्षेत्र में महराजगंज जनपद के फरेंदा, धानी, बृजमनगंज विकास खण्डों में प्राथमिक विद्यालयों तथा अध्यापकों की समुचित व्यवस्था के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2–बालिकाओं की शिक्षा के लिये विकास खण्ड धानी, बृजमनगंज में कन्या इण्टर कालेज तथा फरेन्दा में कन्या महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में,
		3–तकनीकी शिक्षा के लिये पालीटेक्निक कालेज व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में,
		4–तहसील केन्द्र फरेन्दा में फायर ब्रिगेड की स्थापना के संबंध में,
		5–सिंचाई व्यवस्था के लिये नहरों के निर्माण के संबंध में,
		6–सिंचाई व्यवस्था के लिये नलकूपों के निर्माण तथा कई वर्षों से बन्द पड़े नलकूपों के पुनर्निर्माण कर संचालित किये जाने के संबंध में,
		7–चिकित्सा व्यवस्था के लिये विकास खण्ड धानीण बृजमनगंज में उच्चीकृत प्राथ० स्वास्थ्य केन्द्र तथा फरेन्दा में एक्सरे प्लान्ट व प्रयोगशाला युक्त चिकित्सालय के निर्माण के संबंध में,
		8–आनन्दनगर टाउन एरिया को नगर पालिका तथा बृजमनगंज व धानी को नगर पालिका बनाये जाने के संबंध में,
		9–गनेश शुगर मिल आनन्दनगर पर गन्ना किसानों का लगभग दो करोड़ तीस लाख रुपया तथा कर्मचारियों को वेतन बकाया लगभग तीस लाख है और इस वित्तीय वर्ष में वित्तीय संसाधनों के अभाव में मिल बन्द होने के कगार पर है, को पुनः संचालित करने के संबंध में,
		10–सरकारी रोडवेज बसों की सुविधा को धानी व बृजमनगंज तक संचालित करने के संबंध में तथा महराजगंज से सिद्धार्थनगर तक बस सेवा के संबंध में,
		11–गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य 6 रु० प्रति कु० दिये जाने के संबंध में,
		12–महराजगंज जनपद में विकास खण्ड धानी, बृजमनगंज, फरेन्दा के समस्त गांवों में विद्युतीकरण के संबंध में,
		13–सड़क मार्ग पर बने पुलों से पथकर समाप्त कर यात्रा अबाध गति से चलाये जाने के संबंध में,
		14–महराजगंज जनपद के बनटंगिया मजदूरों को विकास खण्डों से जोड़कर उन्हें समुचित सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।"
23	श्री प्रेम सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया :
		1–मुरादनगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2–मुरादनगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में,
		3–मुरादगनगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में डी० आर० डी० ए० के अन्तर्गत लिंक रोडों के निर्माण के सम्बन्ध में,
		4–हिण्डन नदी पर पुल ग्राम सुराना में बनाये जाने के सम्बन्ध में,
		5–मुरादनगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में कन्याओं का डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में,
		6–मुरादनगर शहर व ग्रामों में नालों के निर्माण व खुदाई के संबंध में,
		7–मुरादनगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में परिवहन निगम की बसों की सुचारु रूप से व्यवस्था करने के संबंध में,
		8–मुरादनगर, शहर जनपद गाजियाबाद में मलिन बस्ती का निर्माण तथा विकास किये जाने के संबंध में जिससे गरीब व दलितों का विकास हो सके,
		9–मुरादनगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद मे छोटे-छोटे स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में,
		10–मुरादनगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में मुस्लिम समुदायों हेतु मदरसा खुलवाये जाने के संबंध में,
		11–बुनकरों को सस्ते दामों पर धागा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,
		12–गन्ने के दाम बढ़ाये जाने के संबंध में,
		13–किसानों हेतु खाद/उर्वरकों के दाम कम किये जाने के संबंध में,
		14–ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों का आवास भत्ता एक समान किये जाने के संबंध में,
		15–शिक्षित युवकों को रोजगार दिये जाने के संबंध में,
		16–मुरादनगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद के ग्रामीण अंचल में राजकीय नलकूप लगाये जाने के संबंध में,
		17–मुरादनगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में,
		18–शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किये जाने के संबंध में तथा दोहरी शिक्षा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		व्यवस्था को समाप्त किये जाने के संबंध में, 19–वृद्धावस्था पेंशन में संशोधन किये जाने के संबंध में जिससे कि समस्त निराश्रित लोगों को पेंशन का लाभ मिल सके, 20–मुरादनगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद में बन्द पड़े रजबहों की सफाई तथा चलवाने के संबंध में, 21–मुरादनगर क्षेत्र, जनपद गाजियाबाद के ग्रामीण इलाके में पांच-पांच ग्रामों को जोड़कर एक-एक जूनियर हाई स्कूल/इण्टर कालेज खुलवाये जाने के संबंध में, 22–प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के संबंध में, 23–मुरादनगर नगरपालिका को क्षेत्रीय विकास हेतु और अधिक धन आवंटित किये जाने के संबंध में।''
24	श्री बंशीधर भगत (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–भूकम्प व बाढ़ से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते समय कुछ समय पूर्व पूरे कुमायूं में वर्षा के कारण अतिवृष्टि में हुई जन हानि का जिक्र नहीं किया न ही मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के संबंध में, 2–सिंचाई व पेयजल व्यवस्था का जिक्र किया। पूरे भावर के जीवन मरण से जुड़े जमरानी बांध जिस पर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी लावारिस की तरह पड़ी परियोजना के संबंध में।''
25	श्री रमेश कान्त लवानिया (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अतिरिक्त शेष जातियों के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने के संबंध में, 2–आगरा महानगरों में पेयजल के अभाव को दूर करने के लिए शीघ्र बैराज का निर्माण कराये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3–आगरा मे कच्चे पानी का एक मात्र स्रोत यमुना नदी है । दिल्ली में ओखला पर यमुना जल को रोक कर बांध बनाया गया है और आगरा में यमुना नदी में दिल्ली का मल-मूत्र व फरीदाबाद, बल्लभगढ़ व मथुरा आदि का प्रदूषित जल उपलब्ध होता है जिसके शुद्ध करने के लिए जल संस्थान, आगरा को रसायनों का बहुत भारी व्यय करना पड़ता है, अतः जल संस्थान को रसायनों के लिए शासन की तरफ से नियमित दो करोड़ रुपया वार्षिक अनुदान दिये जाने के संबंध में, 4–आगरा देश का बहुत बड़ा पर्यटन केन्द्र है किन्तु विद्युत की सुचारु आपूर्ति नहीं होने के कारण पर्यटक आगरा में बहुत कम मात्रा में ठहरते हैं । अतः विद्युत की सुचारु आपूर्ति की व्यवस्था किये जाने के संबंध में, 5–आगरा महानगर के उद्योगों के लिए निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में, 6–विद्युत सुचारु व निरन्तर आपूर्ति होने तक आगरा में जनरेटर लगाने की छूट दिये जाने के संबंध में, 7–आगरा महानगर में ताजमहल व अन्य ऐतिहासिक इमारतों के कारण प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर प्रतिबन्ध है अतः प्राथमिकता के आधार पर आगरा में इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों को लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में, 8–आगरा एक ऐतिहासिक नगर है और भारी मात्रा में देश-विदेश के पर्यटक आते हैं और आगरा देश में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है । अतः आगरा के सौन्दर्यीकरण व सड़कों के सुधार के लिए 5 करोड़ रुपया वार्षिक विशेष अनुदान महापालिका को दिये जाने के संबंध में ।"
26	श्री गिरीश नारायण पाण्डेय (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–रायबरेली जिले के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में आने वाली अधिकांश नहरों में पिछले कई वर्षों से पानी न आने के कारण किसानों की लाखों बीघा जमीन पर सिंचाई न होने के कारण से उत्पन्न सूखे की स्थिति के निराकरण करने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2–सरेनी विधान सभा क्षेत्र के पूरे पाण्डेय–छिबलहा मयुरपुर मार्ग, रालपुर–रामपुर मार्ग, सेमरपहा-चिलौला मार्ग, जनता बाजार-चिलौला मार्ग, डलमऊ–भीटी खजूरगांव मार्ग, सरेनी-समोधा मार्ग, चांदा टीकर-सोन्डासी मार्ग, उतरा-गौरी मार्ग, जगतपुर-मिचकीरा मार्ग, अम्बारा–वहाई मार्ग, ऐहारलोधीपुर उतरावां मार्ग, बेलहनी–ऐहार मार्ग के निर्माण कराये जाने के संबंध में, 3–सरेनी विधान सभा क्षेत्र के लालगंज नगर के राजकीय कन्या हाई स्कूल के इण्टर हेतु, उच्चीकरण व भवन निर्माण, खजूरगांव, बेहटाकलां, गेगासों में राजकीय हाई स्कूलों के निर्माण व नीबी में कन्या हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में, 4–सरेनी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चिलौला, हरीपुर, तिवारीपुर लछईखेड़ा आदि ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में, 5–सरेनी विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों में जल स्तर बहुत अधिक नीचे चले जाने से उत्पन्न पेयजल संकट के निवारण हेतु कम से कम 500 इण्डिया टाइप II हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में ।''
27	श्री छोटे लाल वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग पर यमुना नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में, 2–फतेहाबाद कस्बे में आगरा-वाह-कचौरा घाट मार्ग के कि०मी० 500 से 36 तक चौड़ा करके सौन्दर्यीकरण करना, 3–आगरा–रोजा खेड़ा मार्ग में शमयाबाद कस्बा कि०मी० 22 में पड़ने वाले का 12 फुट से चौड़ा करके डबल बीच में चैनल बनाकर सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में, 4–विधान सभा क्षेत्र 313–फतेहाबाद में 10 वर्ष पुरानी खड़ंजा स्तर की पत्थर से कटे हुए मार्ग अवरुद्ध है जिन पर जनता को असुविधा है उसे पेंटिग स्तर तक पक्के कराने के संबंध में, 5–विधान सभा क्षेत्र 353–फतेहाबाद में बिजली के बहुत कम पावर के पावर हाउस हैं । लोड अधिक नहीं उठा पाते हैं । किसानों को पूरी मात्रा में बिजली न मिलने से फसल में भारी हानि उठानी पड़ती है । दो नये

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		और पावर हाउस 1–गांव साजीदपुर, 2–ग्राम नगमाम घाटम में बनाये जायें जिससे किसान की फसल की हानि कम होने के संबंध में,
		6–विधान सभा क्षेत्र 353–फतेहाबाद यह एरिया यमुना तथा उरजन नदी के बीच में पड़ता है और जंगल अधिक है यहां पर डकैतों का आतंक रहता है । पुलिस स्टेशन कम हैं । कम से कम 2 पुलिस स्टेशन खोले जाने के संबंध में,
		7–फतेहाबाद, रिहावली मार्ग तथा सांकुरी, कालोनी, नारावीरामर, रिहायवी मार्ग के क्रास पर मझारा, रोहई, कुतुबपुर ग्राम सभा के बीच भट्टे पर खोले जाने के संबंध में,
		8–आगरा व कचौरा घाट मार्ग से परतापुरा नगर चन्द मार्ग से इधाने हिफाहपुर मार्ग को डाकगस्ट या राज्य सेक्टर में स्वीकृत किये जाने के संबंध में,
		9–फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र थोड़ा जंगल का एरिया होने से यहां जनता पानी के लिए बहुत परेशान रहती है । यहां कम से कम 4 पानी की टंकी निम्न स्थानों पर (1) ग्राम–कमीदपुर, (2) कुतफपुर रोहरी पकारा मार्ग कचेहरे पर, (3) नगला पाटप, (4) कालोनी साधु की तारौवी गूमर मार्ग के कि०मी० 9 ये बरना ग्राम पर पेयजल योजना के अन्तर्गत बनवाये जाने के संबंध में,
		10–फतेहाबाद कस्बा यह तहसील हेड क्वार्टर भी है तथा मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी तथा ब्लाक भी है । यहां पर मिनी स्टेडियम बनवाये जाने के संबंध में,
		11–चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 10 वर्ष पुराने पस्टौली पर चले आ रहे हैं जिनको रेगुलर किये जाने के संबंध में,
		12–विधान सभा क्षेत्र में नहरों में पानी पूरी मात्रा में नहीं छोड़ा जाता है और कभी भी आखिर तक नहीं पहुंचता है और सिंचाई का बिल किसानों पर आते रहने के संबंध में,
		13–क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत सी ग्राम सभाओं में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के संबंध में ।''
28	श्री किशन लाल दिलेर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर कन्या इण्टर कालेज खोलने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2–प्रत्येक विकास खण्ड स्तर में 10 हजार की आबादी की एरिया में चिकित्सालय खोलने के संबंध में, 3–प्रत्येक प्राइमरी पाठशाला में शिक्षा निःशुल्क करने के संबंध में, 4–प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण करने के संबंध में, 5–जिन गांवों में स्कूल नहीं हैं उनमें स्कूल खोलने के संबंध में, 6–प्रत्येक गांव के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराकर बड़ी सड़कों से जोड़ने के संबंध में, 7–जनपद अलीगढ़ तहसील कोल में साधू आश्रम से पनैठी तक, टाउन एरिया जलाली से टाउन एरिया हरदुआगंज तक, बुढ़ासी से रहसूपुर तक, अलीगढ़ छावनी से शहबाजपुर तक, गोण्डा रोड से पींजरो से इग्लास रोड तक वाया शहरी मदन गढ़ी पक्का कराये जाने के संबंध में, 8–अलीगढ़ नगर कोल विधान सभा क्षेत्र में मलिन बस्तियों के सुधार का तथा मोहल्लाओं में मार्गों को पक्का कराये जाने के संबंध में, 9–नगर अलीगढ़ में सारे शहर में सड़कें छिन्न-भिन्न पड़ी हैं उन सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, 10–प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिये जाने के संबंध में, 11–नगर पालिका टाउन एरियाओं में सफाई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के संबंध में।''
29	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–उत्तर प्रदेश में समस्त छात्रों को कक्षा एक से लेकर इण्टरमीडिएट तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाये जाने के संबंध में, 2–प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में, 3–प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना उत्पादन मूल्य रु० 65 प्रति कुन्टल तक बढ़ाये जाने के संबंध में, 4–प्रदेश के सूखा ग्रस्त घोषित होने के बाद बकाया लगान माफ किये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5–प्रदेश के थाना रामपुर कलां में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं पर किये गये लाठी चार्ज, गिरफ्तारी, ट्रैक्टर, साइकिल आदि के हर्जाने के व उक्त घटनाओं के दोषी कर्मियों को दण्डित किये जाने के संबंध में,
		6–चीनी मिल, महमूदाबाद व चीनी मिल, बिसवां में किसानों का बकाया गन्ना मूल्य तथा कर्मचारियों के बकाया वेतन को दिलाये जाने के संबंध में,
		7–तहसील महमूदाबाद, सीतापुर में मुंसिफ कोर्ट स्थापित किये जाने के संबंध में,
		8–तहसील महमूदाबाद, सीतापुर में फायर ब्रिगेड स्थापित किये जाने के संबंध में,
		9–नगर पालिका महमूदाबाद में पानी की टंकी दिये जाने के संबंध में,
		10–कटुआ घाट, बासुरा घाट, सुहिलया सुहेला, धमौड़ा, नन्दवा बकवा नाले पर पक्का पुल बनाये जाने के संबंध में,
		11–पोखरा कला से बिस्वां-सदरपुर बिस्वां–महमूदाबाद, भगौली फतेहपुर, रामपुर मथुरा से गोण्डा, देवरिया, रामपुर से थान गांव, रामपुर से अंगरौरा, चांदपुर से झण्डिया, पवतपुर-सदरपुर सरैया बलसिंहपुर, कहारपुर, फिरोजपुर चांदपुर से पैतेपुर, चन्दौली से देशा लौकिया के बीच में पक्की सड़क बनाये जाने के संबंध में,
		12–तहसील महमूदाबाद, सीतापुर को नया जिला घोषित किये जाने के संबंध में,
		13–तहसील महमूदाबाद, सीतापुर के समस्त गांवों का विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में,
		14–सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद में आसवनी भट्टी लगाये जाने के संबंध में,
		15–लखनऊ-महमूदाबाद-बहराइच मार्ग में घाघरा नदी चहलारी घाट पर पक्का पुल बनाये जाने के संबंध में,
		16–तहसील महमूदाबाद घाघरा नदी में किनारे बसे गांवों अखरी, सहरिया कनरखी, शुकुलपुरवा, केऊड़ा में हो रहे नदी के कटान को रोके जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		17–टाउन एरिया पैतेपुर में पेयजल निकासी, सड़क निर्माण हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में, 18–लखनऊ-महमूदाबाद मार्ग पर यात्रियों की सुविधा हेतु चल रही बसों के अतिरिक्त बसें चलाये जाने के संबंध में, 19–सीतापुर-पोखरा कलां के बीच में बन्द पड़ी परिवहन सेवा को पुनः चलाये जाने के संबंध में, 20–आरक्षण के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, भू० पू० सैनिक, विकलांगों को कितने-कितने प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के संबंध में, 21–सवर्णों में विपन्न लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण घोषित किये जाने के संबंध में।"
30	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–जनपद ललितपुर में निर्माणाधीन जाखलोन पम्प कैनाल एवं राजघाट बांध को सिंचाई हेतु अविलम्ब पूर्ण कराये जाने के संबंध में, 2–जनपद ललितपुर में निर्माणाधीन 33 के०वी० विद्युत स्टेशन, महरौनी को अविलम्ब पूर्ण कराकर एवं 33 के०वी० विद्युत लाइन से ललितपुर से अविलम्ब जोड़े जाने के संबंध में, 3–जनपद ललितपुर को मध्य प्रदेश की सड़कों से जोड़े जाने हेतु केलगुवा दानपुर में जामनी नदी पर परिघाट, धौर्रा में नारायणी नदी पर, देवगढ़ में बेतवा नदी पर, गिरार में धसान नदी पर पुल बनवाये जाने के संबंध में, 4–जनपद ललितपुर की बेतवा, धसान, जामनी, सजनाम, शहजाद, रोहिणी, बन्डई, औड़ी नदियों के किनारे-किनारे विद्युत लाइनों को सिंचाई सुविधा हेतु स्थापित करने के संबंध में, 5–जनपद ललितपुर में डाकूग्रस्त क्षेत्र में बनने वाले धौर्रा-बालाबेहट मार्ग को अविलम्ब पूर्ण कराये जाने के संबंध में, 6–ललितपुर जनपद के मुख्यालय पर बन रहे जिला चिकित्सालय को वर्ष 1994 में पूर्ण कराये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7–जनपद ललितपुर में प्राप्त होने वाले राक फास्फेट एवं ग्रेनाइट पर कोई भारी उद्योग स्थापित कराये जाने के संबंध में,
		8–जनपद ललितपुर में कोई भारी उद्योग के स्थापना के संबंध में,
		9–जनपद ललितपुर के अधिक जनसंख्या वाले ग्राम बालाबेहट, गिरार, सौजना तथा कैलगुआं में ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने के संबंध में,
		10–जनपद ललितपुर में सिंचाई हेतु भदेश्वर पम्प कैनाल विकास खण्ड बार में, देवगढ़ पम्प कैनाल, ढोगरा कलां का बंदरझिरा का बांध विकास खण्ड विरधा में, लखनजर बांध विकास खण्ड मडावरा में भोरट बांध, विकास खण्ड महरौनी में अविलम्ब योजना लेकर बनवाने के संबंध में,
		11–जनपद ललितपुर में नीबू प्रजाति के बाग लगाने हेतु ''दीनदयाल फल उद्यान योजना'' को जनपद के समस्त विकास खण्डों में प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में,
		12–जनपद ललितपुर को उत्तर प्रदेश रा० स० प० से जोड़े जाने के एवं बसों के चालन के सम्बन्ध में,
		13–जनपद ललितपुर में वन्य जन्तुओं की विलुप्त होती जा रही हिरन प्रजाति जैसे चौसिंहा, जंगली भेड़ तथा चिंक को बचाने हेतु ''महावीर सेन्चुरी ब्लाक'' को पूर्ण तथा विकसित करने के सम्बन्ध में,
		14–जनपद ललितपुर में देवगढ़, पर्यटन स्थल में मूर्ति संग्रहालय को विकसित एवं पूर्ण कर पर्यटकों के दर्शनार्थ खोले जाने के सम्बन्ध में,
		15–जनपद ललितपुर में खड़ंजा स्तर तक निर्मित मार्गों को पूर्ण कराकर उनको डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,
		16–जनपद ललितपुर में महरौनी विधान सभा क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय, राजकीय इण्टर कालेज तथा बालकों के लिए कोई भी राजकीय हाई स्कूल न होने एवं क्षेत्र महरौनी में एक महाविद्यालय, बालिकाओं के लिए इण्टर कालेज की स्थापना एवं क्षेत्र के ग्राम बानपुर, सैदपुर, कुम्हेड़ी कारीटोरन (मड़ौरा) तथा बालाबेहट में एक-एक हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में,
		17–जनपद ललितपुर में सूखा राहत कार्यों में किये गये अधूरे कार्यों को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

18–उत्तर प्रदेश की जेलों में बन्द कैदियों को भोजन व्यवस्था के अधिक सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में,

19–उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेन्शन, विधवा पेन्शन, विकलांग पेन्शन को 100 रु० प्रतिमाह से बढ़ाकर 200 रु० प्रतिमाह किये जाने के सम्बन्ध में,

20–जनपद ललितपुर के विरधा ब्लाक के पठारी क्षेत्र बाला बेहट के 36 ग्रामों, मड़ौरा ब्लाक के पठारी क्षेत्र के 21 ग्रामों तथा महरौनी क्षेत्र के 30 ग्रामों में अविलम्ब विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में,

21–ललितपुर जनपद में ग्राम मदनपुर में नवनिर्मित प्रा० स्वा० केन्द्र को अविलम्ब प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में,

22–जनपद ललितपुर के ढोंगरा कलां गांव में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

23–जनपद ललितपुर की तह० ललितपुर तथा तालबेहट में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में,

24–जनपद ललितपुर में सिंचाई हेतु कम से कम दस सरकारी ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में,

25–उ० प्र० में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में,

26–जनपद ललितपुर में प्रत्येक गांव में पेयजल व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल स्थापित कर नल योजना द्वारा पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में,

27–जनपद ललितपुर में ग्रामबार में चन्दन वन को अधिक विकसित करने तथा सम्पूर्ण जनपद में चन्दन वन लगाये जाने के सम्बन्ध में,

28–जनपद ललितपुर के विकास खण्ड जखौरा के जखौरा में पीतल की मूर्ति के लघु उद्योग एवं विकास खण्ड बार के कैलगुओं में गौरा पत्थर से निर्मित मूर्तियों के लघु उद्योग को और अधिक विकसित करने के सम्बन्ध में,

29–जनपद ललितपुर में निर्मित बांध सजनाम, सहजाद, राजघाट, जामनी के डूब क्षेत्र के विस्थापित को पुनः बसाये जाने के सम्बन्ध में,

30–जनपद ललितपुर में ग्राम पाली में पान की खेती को बचाने एवं विकसित कर किसानों के पलायन करने के सम्बन्ध में ।''

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
31	श्री नरेन्द्र सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने भाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–जनता वैदिक कालेज, बड़ौत, मेरठ में पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय चौ० चरण सिंह जी के नाम पर कृषि विद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 2–मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में, 3–ग्रा० टान्डा, मेरठ में यमुना नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 4–पूर्वी यमुना कैनाल का आधुनिकीकरण कर सिंचाई क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 5–चौगामा क्षेत्र, तहसील सरधना, जिला मेरठ के चिन्ताजनक गिरते हुए जलस्तर को रोकने के लिये कृष्ण-हिन्डन नदियों पर लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में, 6–'डंकल प्रस्तावों' को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने का उ०प्र० सरकार विरोध करेगी, के सम्बन्ध में।"
32	श्री लल्लू सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय : "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–फैजाबाद जो मंडलीय केन्द्र है 500 शैय्या चिकित्सालय का निर्माण कराने के सम्बन्ध में, 2–फैजाबाद और अयोध्या बाई पास निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में, 3–फैजाबाद में पुरुष व महिला महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में, 4–फैजाबाद में 220 के०वी०ए० सब-स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में, 5–फैजाबाद नगरपालिका के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु 32 के०वी०ए० के दो सब-स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में, 6–अयोध्या में राम की पौड़ी में सुधार कर चालू कराने के सम्बन्ध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7–फैजाबाद नगरपालिका में प्याऊ जल व्यवस्था के सुधार हेतु नये ट्यूबवेल व पाईप लाइन के विस्तार के सम्बन्ध में, 8–पूरा ब्लाक, मया ब्लाक में बालिका इण्टर कालेज स्थापित करने के सम्बन्ध में, 9–दुगवा ग्राम से अरतत तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में, 10–ऐयी घाट से अरतत तक सड़क पक्की कराने के सम्बन्ध में, 11–फैजाबाद जिले में मिल्कीपुर व रामनगर में नई तहसील स्थापित करने के सम्बन्ध में।"
33	श्री राजकुमार शिवहरे (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–बांदा विधान सभा क्षेत्र में गांव विद्युतीकरण के सम्बन्ध में, 2–बांदा विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक विभाग द्वारा सड़कें बनाने में की गई भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, 3–बांदा में नहरों में फर्जी काम करवाने के सम्बन्ध में, 4–बांदा नगर में व्याप्त गम्भीर पेयजल अनापूर्ति समस्या के समाधान के सम्बन्ध में, 5–बांदा विधान सभा क्षेत्र में समस्त हैण्ड पम्प युद्ध स्तर से ठीक कराने के सम्बन्ध में, 6–बांदा विधान सभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति दुर्व्यवस्था, नये ट्रांसफारमर्स को लगाये जाने, बिजली के जर्जर तारों को बदलने तथा नियमित बिजली रीडिंग तथा बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से नागरिकों को मुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 7–बांदा विधान सभा क्षेत्र में हरिजन बस्तियों में पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में, 8–ग्रामीण युवकों तथा शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने अथवा बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में, 9–अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण को पूर्ण कराने की व्यवस्था का उल्लेख,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10–बांदा विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ी उद्योग/फैक्ट्री की स्थापना, ताकि बेरोजगारी दूर हो सके के सम्बन्ध में ।''
34	श्री तेजपाल सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–मथुरा जनपद विकास कार्यों में बहुत पिछड़ा हुआ है अतः उसकी गंभीर समस्याओं का निराकरण जनहित में किये जाने के सम्बन्ध में, 2–यमुना नदी पर शेरगढ़ एवं वृन्दावन पर पुलों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में, 3–छाता क्षेत्र पेयजल संकट जहां खारी पानी है वहां बाहर से मीठे पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था कराने हेतु, 4–छाता क्षेत्र में जल भराव की समस्या का निवारण कराने हेतु, 5–छाता क्षेत्र में धान की भारी पैदावार को देखते हुए सरकारी स्तर पर धान मिल लगाई जाने के सम्बन्ध में, 6–छाता क्षेत्र में नहरी सिंचाई की समुचित व्यवस्था हेतु नहर और माइनरों की रिमाडलिंग कराये जाने और उनकी क्षमता के अनुसार पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 7–छाता तथा मांट में गन्ना की उपलब्धता के आधार पर एक-एक चीनी मिल और लगाई जाने के सम्बन्ध में, 8–छाता क्षेत्र के अनेकों गांवों में विद्युत स्वीकृति एवं अग्रिम धनराशि जमा होने के बवजूद भी बिजली नहीं लगायी गयी है । ऐसे गांवों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण कराने के विषय में, 9–गोकुल बैराज की अधूरी पड़ी योजना को पूर्ण कराने के विषय में ।''
35	श्री अमित अग्रवाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित्त जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–आयोग की रिपोर्ट आने के बावजूद पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2–मेरठ में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के विषय में, 3–हजारों वर्ष की मुगल व अंग्रेजी दासता से दलित और शोषित हिन्दू समाज को गुलामी से दूर व मुक्त होने का अहसास 6 दिसम्बर, 92 को हुआ, के सम्बन्ध में, 4–मेरठ के गांवों को नगरों व जिला केन्द्रों से जोड़ने वाले लिंक व पहुंच मार्गों के पक्कीकरण के सम्बन्ध में, 5–पिछले सरकार को भंग किये जाने के बाद मेरठ में गिरती कानून व्यवस्था, हत्याओं, अपहरण, फिरौती, लूट, डकैती की बढ़ती घटनाओं के उन्मूलन के सम्बन्ध में, 6–मेरठ महानगर की रेग्युलराईज्ड बस्तियों विशेषकर गुरुनानक नगर, देवपुरी तथा प्रभात नगर, नगलाबट्टू तथा ग्रामीण क्षेत्र में पक्की सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाईट्स, ओवर हेड वाटर टैंक के निर्माण के सम्बन्ध में, 7–प्रान्तीय बिक्रीकर की प्राप्ति के साथ-साथ केन्द्रीय बिक्रीकर के प्रभाव को प्रदेश में किस प्रकार समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में, 8–आवश्यक वस्तु अधिनियम (केन्द्रीय कानून) के प्रभाव को प्रदेश में किस कानून के अन्तर्गत समाप्त करेंगे, के सम्बन्ध में, 9–मेरठ कचहरी, पुलिस लाइन के बीच में उजाड़े गये खोखे वालों के लिए बनाई जा रही दूकानों को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के सम्बन्ध में, और उन उजड़े गरीबों के पुनः स्थापन के सम्बन्ध में, 10–मेरठ महानगर की बस्ती कंकरखेड़ा में राजकीय अस्पताल के निर्माण व इसी बस्ती मे वर्षों पुराने शिशु शमसान को गलत तरीके से परगनाधिकारी द्वारा शराब की फैक्ट्री को पट्टे पर दिये जाने की जांच के सम्बन्ध में।"
36	श्री सतीश महाना (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–कानपुर में भीषण जल समस्या के समाधान हेतु गंगा बैराज के निर्माण के सम्बन्ध में, 2–कानपुर में व्याप्त प्रदूषण के सम्बन्ध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3–गंगा सफाई अभियान योजना के अन्तर्गत गंगा में बह रहे प्रदूषित पानी को रोकने के सम्बन्ध में, 4–कानपुर कैन्टोनमेन्ट बोर्ड के अन्तर्गत रह रहे सिविल आबादी की जन समस्याओं के सम्बन्ध में, 5–छावनी विधान सभा में गम्भीर पेयजल समस्या के सम्बन्ध में एवं दूषित जल आपूर्ति के सम्बन्ध में, 6–छावनी विधान सभा क्षेत्र में नया विकसित क्षेत्र कैलाश नगर, ओमपुरवा, शिवपुरी, शिव कटरा, काजी खेड़ा की नागरिक सुविधाओं के सम्बन्ध में, 7–सदर बाजार, धनकुट्टी, कुली बाजार में जन समस्याओं के सम्बन्ध में, 8–छावनी विधान सभा क्षेत्र स्थित ग्राम मवइया, मदारपुर, जाना, शेखपुर, अलैलपुर आदि जिनको न तो शहर की सुविधाएं उपलब्ध हैं और न ही ग्राम की इनके विकास के सम्बन्ध में, 9–कानपुर में गत नवम्बर को हुई नाव दुर्घटना में मरे व्यक्तियों की सहायता एवं जिन-जिन मृतकों ने दुर्घटना के समय सहयोग किया उनको सम्मानित करने के सम्बन्ध में।"
37	श्री राकेश सोनकर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1– सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र (सु०) के अन्तर्गत मलिन बस्तियों के सुधार हेतु तथा उनमें रह रहे गरीब एवं अनुसूचित जाति के परिवारों को सुविधा हेतु अविलम्ब सुधार किए जाने के सम्बन्ध में, 2–सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र (सु०) के अन्तर्गत सीवर लाइनों के भराव क्षेत्र के उत्पन्न से महामारी एवं बीमारी फैले खतरा ठीक किए जाने के सम्बन्ध में, 3–सीसामऊ विधान सभा क्षेत्र (सु०) में पानी की समस्या से उत्पन्न स्थिति में अविलम्ब सुधार करें तथा उन बस्तियों एवं मलिन क्षेत्रों में पानी की सम्पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	श्री नीरज चतुर्वेदी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–विकलांगों की समस्याओं तथा सरकारी नौकरी में आरक्षण को अनदेखा करने के सम्बन्ध में, 2–शहरों की मलिन बस्तियों के नवीनीकरण तथा उनमें रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सामान्य बनाने के सम्बन्ध में।"
39	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–उत्तर प्रदेश के दक्षिण चरण में गंगा नदी के किनारे बसे जिलों में "घवेच" के व्यापक व विनाशकारी उपद्रवों, जिससे हजारों एकड़ खेत परती पड़ी है, से किसानों के रक्षा के कदम उठाने के सम्बन्ध में, 2–उत्तर प्रदेश के कैन्ट क्षेत्र के काशी विद्यापीठ ब्लाक के अन्तर्गत आने वाली "मलहां" गांव में निर्माणाधीन पुल के कारण विस्थापित होने वाले किसानों को पुनः स्थापित करने हेतु बंजर भूमि वितरित करने के सम्बन्ध में, 3–काशी विद्यापीठ ब्लाक के शहरी सीलिंग से प्रभावित क्षेत्र में पिछले वर्षों में प्रशासन की ओर से एकतरफा कार्यवाही के कारण जो किसान अपने भूमि से वंचित हो रहे हैं, उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में, 4–वाराणसी के कैन्ट क्षेत्र के अति पुराने क्षेत्र लहरतारा, मडुआडीह, सरावननन्दन व सुन्दरपुर क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के सम्बन्ध में, 5–वाराणसी कैन्ट के भीषण पेयजल संकट को दूर करने के लिए रोहनिया तथा सोनिया, हरिनगर, काली महाल के इलाके में नलकूप के निर्माण के सम्बन्ध में, 6–बिजली के दुर्व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक बिजली सब-स्टेशन निर्माण के सम्बन्ध में, 7–एक दशक पूर्व बने सभी नलकूपों के तथा उनकी नालियों के मरम्मत के सम्बन्ध में।"

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
40	श्री शिव प्रताप शुक्ल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1– गोरखपुर में गीड़ा के प्रभाव को समुन्नत ढंग से बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, 2–बुद्ध बिहार परियोजना की अधूरी योजना को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में, 3–मेडिकल कालेज गोरखपुर के कैट स्केन मशीन के लिए धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 4–गोरखपुर में अर्ध निर्मित प्रेक्षागृह के निर्माण के सम्बन्ध में, 5–धर्मशाला बाजार पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाने हेतु केन्द्र सरकार से संस्तुति करने के सम्बन्ध में, 6–गोरखपुर नगर की सभी सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, 7–गोरखपुर में विद्युत शवदाह गृह के लिए बकाया धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, 8–गोरखपुर की मलिन बस्तियों में सुधार योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में, 9–गोरखपुर नगर में ड्रेनेज की व्यवस्था के सम्बन्ध में, 10–गोरखपुर महानगर की महायोजना को लागू किये जाने के सम्बन्ध में, 11–रामगढ़ ताल का सुन्दरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, 12–पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर करने के लिए योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में, 13–गोरखपुर विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति सुधारे जाने के सम्बन्ध में।"

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
41	सुश्री शशीबाला पुंडीर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–देवबन्द 416 को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में, 2–देवबन्द 416 के गांव महतौली खजूरी, बालुमाजरा, भटपूरा, उमरी व दादनपुर में विद्युतीकरण के विषय में विचार किये जाने के सम्बन्ध में, 3–देवबन्द 416 के नानौता में डिग्री कालेज खोले जाने पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में, 4–देवबन्द 416 के रठारवन्डी गांव में आई० टी० आई० खोले जाने के सम्बन्ध में।"
42	श्री सतीश भाटिया (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–104 कैन्ट लखनऊ क्षेत्र में जय प्रकाश नगर (आलमबाग) में पड़ने वाले मुहल्लों में जल भराव की समस्या के निदान हेतु वी० आई० पी० रोड से एक नाले की आवश्यकता है जो सिंगार नगर (अवध नर्सिंग होम) से तेलीबाग तक बनवाने के सम्बन्ध में, 2–पेयजल आपूर्ति नलकूप कन्नौसी, पारा, जलालपुर, बड़ा बरहा, जयप्रकाश नगर, आदर्शनगर, कृष्णानगर, चारबाग, लालकुआं तथा हुसैनगंज में कम से कम 500 हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में, 3–सिंगार नगर, पूरन नगर, नटखेड़ा रोड, श्रीनगर, सरदारी खेड़ा, पटेलनगर की सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव, 4–लखनऊ नगरमहापालिका क्षेत्र में मवैइया के आगे पूरे आलमबाग क्षेत्र में सीवर लाइन डलवाने के सम्बन्ध में, 5–टेढ़ी पुलिया में सैन्डर्सडम्प पर अन्तर्राज्यीय बस अड्डा तथा बहुउद्देशीय मार्केट बनवाने के सम्बन्ध में, 6–आलमबाग क्षेत्र में 100 शैया का सभी सुविधाओं से युक्त अस्पताल बनवाने के सम्बन्ध में, 7–आलमबाग में लड़कियों का डिग्री कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8–नगरमहापालिका के सभासदों को वाहन भत्ता तथा टेलीफोन शासन से दिलवाये जाने के सम्बन्ध में,
		9–कानपुर रोड से अमौसी तथा राजाजीपुरम् से पारा तक सड़क बनवाने के सम्बन्ध में,
		10–फल, सब्जी तथा पटरी दुकानदारों को समुचित स्थान पर पुनर्वासित किए जाने के सम्बन्ध में,
		11–एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड में सड़कों, पेयजल तथा बिजली की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,
		12–कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रस्ताव,
		13–आलमबाग, मवैइया, चारबाग, लालकुआं तथा हुसैनगंज में सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		14–हैदर कैनाल नाले के किनारे बसी बस्तियों में सड़क बिजली तथा पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		15–हैदर कैनाल नाले की सफाई किये जाने के सम्बन्ध में,
		16–कैन्टोंनमेंट बोर्ड में विधायक को नामित सदस्य बनवाने के प्रस्ताव पर विचार के सम्बन्ध में,
		17–छावनी (कैन्टोंनमेन्ट बोर्ड) में जल संस्थान द्वारा पेयजल आपूर्ति में लिये गये धन की वापसी के सम्बन्ध में,
		18–छावनी (कैन्टोंनमेंट) में जल आपूर्ति की व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		19–गरीब 500 रु० प्रतिमाह से कम आमदनी वाले व्यक्तियों के लिए निःशुल्क आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में,
		20–एल० डी० ए० कानपुर रोड पर नया पुलिस थाना बनवाने के सम्बन्ध में,
		21–छोटे दुकानदारों को छोटी दुकानें सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव,
		22–वर्ष 1992-93 की जन सुविधाओं की योजनायें समय से पूरा करवाने के सम्बन्ध में,
		23–एल० डी० ए० में प्रस्तावित चांद सितारों की जानकारी से युक्त पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		24–पारा, ननौसी, देवपुर, जलालपुर तथा सूर्यनगर इत्यादि गांवों का नगर महापालिका लखनऊ में अलग वार्ड बनवाने के सम्बन्ध में ।"
43	श्री राम प्रकाश (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–जिला बस्ती के खलीलाबाद तहसील में स्थित खलीलाबाद शुगर मिल जो विगत 2 वर्षों से बन्द पड़ी है को खोले जाने के सम्बन्ध में, 2–खलीलाबाद में बालिकाओं के लिए इन्टरमीडिएट विद्यालय खोले जाने एवं वर्तमान राजकीय हाई स्कूल को भी इन्टरमीडिएट की मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में, 3–खलीलाबाद में विकास कार्य जैसे सड़कों का निर्माण एवं सरकारी औद्योगिक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में ।"
44	श्री लक्ष्मीनारायन पाण्डेय (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–कृषकों को उनकी उपज व लागत के अनुरूप मूल्य दिलाने के सम्बन्ध में, 2–प्रतापगढ़ में आंवला पट्टी पर आंवला कृषकों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में, 3–प्रतापगढ़ के बीरापुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड गौरा के पूर्व उद्घाटित पावर हाउस के निर्माण के सम्बन्ध में एवं विधान सभा के समस्त गांवों में सघन विद्युतीकरण के सम्बन्ध में, 4–बीरापुर विधान सभा के पट्टी व शिवगढ़ विकास खण्ड में खारे पानी को पीने योग्य बनाने के सम्बन्ध में, 5–प्रतापगढ़ के कादीपुर घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में, 6–विधान सभा क्षेत्र बीरापुर की शीतलागंज से उड़ैयाडीह व उड़ैयाडीह से पृथ्वीगंज व चिरकुटी से दांदूपुर, लच्छीपुर से चौहरजन मार्ग व लच्छीपुर से रामापुर मार्ग, उड़ैयाडीह से बड़ारी तक का मार्ग व तेरह मील से गोलाही तक के मार्ग को पक्का कराने के सम्बन्ध में, 7–वैदिक गणित पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8–विधान सभा क्षेत्र बीरापुर में कन्या इण्टरमीडिएट कालेज व कन्या महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में,
		9–नकल को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने के सम्बन्ध में,
		10–रानीगंज से देल्हूपुर तक के मार्ग को पूरी मरम्मत व गाजी की बाग से मुबारकपुर तक के मार्ग को मरम्मत करने के सम्बन्ध में।''
45	श्री रमेश पौखरियाल ''निशंक'' (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–उत्तरांचल क्षेत्र का शिक्षा सम्बन्धी कार्य देखने एवं निर्वाहन करने हेतु अपर शिक्षा निदेशक (उत्तरांचल) के कार्यालय को लखनऊ से गैरसैंण (चमोली) में तत्काल स्थानान्तरण हेतु शासनादेश सं० 1570/15-2-9214 (3)/92 का कड़ाई से लागू करना,
		2–वन अधिनियम से 15-15 वर्षों से रुकी हुई पैठाणी-त्रिपालीसैंण-थलीसैंण-व्यासी-बूंगीधार-देघाट मोटर मार्ग, बैजरां-चौखाल-बूंगीधार-नागचूलाखाल मोटर मार्ग, सराईखेत-जोगीमढ़ी-बैजरो मोटर मार्ग, खिर्सू-मूसागली-दमदेवल मोटर मार्ग, खिर्सू-पिठूण्डी-मोन्सरायल मोटर मार्ग, सोनला-कण्डारा-मैखुरा-कनखुल मोटर मार्ग, जैटा-कोटी मोटर मार्ग को तत्काल पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,
		3–अधूरी पड़ी कर्णप्रयाग-कनखुल-नैनीसेण मोटर मार्ग, सिमली रतूड़ा-पाण्डियाल-बेनी-ताल मोटर मार्ग, पावौदमदेवल मोटर मार्ग, जोगीमढ़ी-चौखाल-थलीसैंण मोटर मार्ग को शीघ्र पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,
		4–जनपद चमोली में वर्षों से अधिग्रहीत भूमि सिमली में शीघ्र इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की स्थापना करना,
		5–सबसे पिछड़ी धनपुरी पट्टी (चमोली गढ़वाल) में रैतोली-जसोली मोटर मार्ग पर संस्तुति देकर कार्य शुरू करना,
		6–जनपद पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण-पावौ विकास खण्ड के मध्य चाकीसैंण में डिग्री कालेज की स्थापना करना,
		7–थलीसैंण विकास खण्ड क्योंकि बहुत बड़ा है और वर्षों से जनता आन्दोलित है कि उसके दो हिस्से कर चाकीसैंण अथवा पैठाणी में अलग विकास खण्ड की स्थापना करना,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

8–जनपद चमोली में गैरसैंण ब्लाक भी अधिक बड़ा है जनता की वर्षों की मांग कि चांदपुरगढ़ी का अलग विकास खण्ड आदिवदरी में स्थापित हो को तत्काल पूरा करना,

9–पावौ (पौड़ी गढ़वाल) एवं वीरौखाल में पालिटेक्निक की स्थापना करना,

10–गैरसैंण एवं थलीसैंण के क्षेत्रों को सब्जी पट्टी घोषित करना,

11–द्वितीय श्रेणी तक हिल कैडर कड़ाई से लागू करना,

12–पर्वतीय क्षेत्र के समस्त राजकीय हाई स्कूल इण्टरमीडिएट कालेजों में रिक्त अध्यापकों के पदों को शीघ्र भरना,

13–पोखड़ा (पौड़ी गढ़वाल) आई०टी०आई० भवन एवं गैरसैंण (चमोली गढ़वाल) में आई०टी०आई० के भवनों का तत्काल निर्माण करना,

14–राजकीय इण्टर कालेज त्रिपालीसैंण, गुलियारी, दसदेवल, चम्पेश्वर, पावौ, पैठाणी, सांकर सैंण, वीरौंखाल बाड़ा, पोखड़ा चौरीखाल (सभी जनपद पौड़ी) में तथा राजकीय हाईस्कूल, हिवालीधार, चिपलघाट, गंगाऊ सकनोलीखाल, पौड़ी गढ़वाल के भवनों का तत्काल निर्माण करना एवं जनपद चमोली गढ़वाल के राजकीय कालेज, लंगासू, जाख, सिमली, उज्जवलपुर, आदिबदरी, मैहलचोरी, रोहिड़ा, बछुब्रूवान, रतूड़ा, सिद्धौली, कनखुल, कण्डारा एवं राजकीय उच्चतर महाविद्यालय, नैल, कंसूवा, धनपुर, लदोली, के भवनों का तत्काल निर्माण करना,

15–पेयजल की तमाम अधूरी योजनाओं को पूरा करना,

16–जनपद चमोली में धनपुर एवं जनपद पौड़ी गढ़वाल में चौथान पट्टी की विद्युतीकरण हेतु विशेष योजना बनाना,

17–सभी मण्डलीय अधिकारियों को शासनादेश के अनुरूप मण्डल मुख्यालय पौड़ी में अनिवार्य रूप में बिठाना,

18–कर्ण प्रयाग विधान सभा के अन्तर्गत छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना कर बेरोजगारों को रोजगार देना,

19–सिमली-शैलेखर मोटर मार्ग, काणाखेत भराडसैव मोटर मार्ग, चपलोड़ीफलद्वाड़ी-बुरांरी धुलेत मोटर मार्ग पिठुण्डी, चौरीखाल, पैठाणी, मोटर मार्गों को तत्काल स्वीकृति प्रदान करना,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		20–शिक्षा निदेशालय सहित, उत्तरांचल के समस्त निदेशालयों को गैरसैंण में स्थापित करने के सम्बन्ध में।"
46	श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–पिलखुंआ नगर में कन्या डिग्री कालेज की स्थापना, 2–प्राइमरी स्कूलों के बिल्डिंग व अध्यापक न होने, 3–गाजियाबाद जिले में कादरावाद नाला गुजरता है, उन स्थानों पर पुल बनाने, 4–पिलखुआ नगरपालिका ए श्रेणी में होते हुए भी विद्युत आपूर्ति से हीन होने, 5–मोदी नगर में अधिकतर फैक्ट्री बन्द हो रही हैं मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं उन मजदूरों के जीवन निर्वाह, 6–प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लगभग 16 घण्टे आने, 7–जिले के अधिकांश गांव पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं, उन्हें पक्की सड़कों से जोड़ने, 8–प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पी० एच० सी० जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने, 9–प्रदेश में बीज भण्डार व खाद भण्डारों पर बीज व खाद उपलब्ध न होने, 10–वैदिक गणित व संस्कृत भाषा अनिवार्य करने, 11–विद्यालयों में अपने पूर्वजों की जीवनी, 12–विकलांगों की समस्याओं को अनदेखा करने, 13–मलिन बस्तियों के सुधार, 14–मोदीनगर क्षेत्र में नाले खुदवाने, 15–सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सक उपलब्ध कराने, 16–पशु चिकित्सालय में दवाइयां न होने के संबंध में।"

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
47	श्री किरनपाल सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास पर वहां से प्राप्त होने वाले राजस्व के अनुपालन में बजट खर्चे में प्राविधान, 2–प्रदेश की गरीब जनता को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना किये जाने, 3–प्रदेश की कानून व्यवस्था को निष्पक्ष व चुस्त-दुरुस्त बनाये जाने, 4–करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा रोजगार उपलब्ध कराये जाने पर बेरोजगारी भत्ता दिलाये जाने, 5–सरकारी खर्चों में मितव्ययता बरतने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, 6–गन्ने का दाम 60 रु० प्रति कुन्तल किये जाने, 7–जनपद बुलन्दशहर में अगौता के नाम से नया विकास खण्ड बनाने, 8–जनपद बुलन्दशहर के बी० बी० नगर कस्बे में एक डिग्री कालेज स्थापित किये जाने, 9–बुलन्दशहर जनपद के कस्बे औरंगाबाद को काली नदी पर पुलों का निर्माण कराकर बराल तथा गुलावटी से जोड़ने, 10–जनपद बुलन्दशहर के अमर सिंह कृषि महाविद्यालय लखावटी को उच्चीकृत करके कृषि विश्वविद्यालय बनाये जाने, 11–अकबरपुर रैना जनपद बुलन्दशहर में प्रस्तावित नये विद्युत सब-स्टेशन को धन उपलब्ध कराने तथा 12–जनपद बुलन्दशहर के लखावटी तथा बी० बी० नगर विकास खण्ड जो जल स्तर जमीन में बहुत नीचे पहुंच जाने के कारण "डार्क ब्लाक" घोषित कर दिये गये हैं वहां के कस्बा बी० बी० नगर तथा औरंगाबाद व ग्रामीण अंचलों में पीने व सिंचाई के पानी की विशेष योजना बनाये जाने के संबंध में।"

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
48	श्री मामचन्द लाम्बा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर नागल में एक चीनी मिल का निर्माण कराने, 2–दीवाल छेड़ा-साल्हापुर के बीच काली नदी के पुल का निर्माण कराने, 3–नागल में बालिकाओं का इण्टरमीडियेट स्कूल खोलने, 4–अहमदपुर से बड़गांव तक सड़क निर्माण कराने, 5–सहारनपुर को कमिश्नरी बनाने तथा 6–लाखनौर हिन्डन नदी पर पुल का निर्माण कराने के संबंध में ।"
49	श्री अक्षयवर लाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–विधान सभा क्षेत्र इकौना में किसानों एवं जनहित में नयी चीनी मिल की स्थापना के संबंध में, 2–बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उद्योग की स्थापना तथा उन्हें नौकरी देने के संबंध में, 3–विकास खण्ड पयागपुर में डिग्री कालेज की स्थापना के संबंध में, 4–विशेश्वरगंज में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के संबंध में, 5–विशेश्वरगंज में 1983 से स्वीकृत उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना के संबंध में, 6–इकौना से विशेश्वरगंज सड़क निर्माण के संबंध में, 7–विलरंवामोड़ से धनुही तक सड़क निर्माण के संबंध में, 8–विंशेश्वरगंज से गंगवल तक सड़क निर्माण के संबंध में, 9–विशेश्वरगंज-गंवा जमुनी मार्ग को 3 कि० मी० बढ़ाकर रामपुर दुषहा मार्ग में जोड़ने के संबंध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10–कटरा बाजार से मथुरा तक की सड़क को लेपन करने एवं पुल निर्माण के संबंध में, 11–परशरामपुर से लालवीझी की 4 कि० मी० सड़क को पक्की कराने के संबंध में, 12–इकौना खरगपुर मार्ग पर पुल निर्माण के संबंध में, 13–विकास खण्ड विशेश्वरगंज में ग्राम निगोह के पास विसुही नाला पर पुल के संबंध में, 14–विधान सभा क्षेत्र इकौना में जिन ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उसे विद्युतीकरण करने के संबंध में, 15–विधान सभा क्षेत्र इकौना में जिन ग्रामों में प्रा० पाठशाला भवन नहीं है वहां भवन निर्माण के संबंध में, 16–प्रत्येक प्रा० पाठशाला में कम से कम दो अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में, 17–सिंचाई हेतु खोदी गयी सरयू नहर को चालू करने के संबंध में, 18–विधान सभा क्षेत्र चरदा के जमदान माली के लिये भकलापुल पूर्वांचल निधि से स्वीकृत 45 लाख रुपये से पुल निर्माण के संबंध में, 19–उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति (गोंड) के व्यक्तियों को सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रमाण-पत्र तथा सरकार द्वारा प्रबल सुविधाओं को न देने वाले कर्मचारियों को दण्डित करने के संबंध में, 20–तहसील व जिला बहराइच के ग्राम लालवोझी-जोरडीह व रमवापुर के किसानों को खतौनी खसरा दिलाने के संबंध में, 21–जनपद बहराइच में अराजकतत्वों द्वारा जंगल की लकड़ी को अवैध ढंग से कटान को रोकने के संबंध में, 22–पक्की सड़क से सीला द्वार तक की सड़क लेपन करने के संबंध में।"
50	श्री अजय कुमार पोइया (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–यह कि गोवर्धन गिरीज महराज जनपद-मथुरा की परिक्रमा मार्ग के सौन्दर्यीकरण हेतु स्वीकृत योजना को सम्पूर्ण आवंटित धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में दिया जायेगा,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

2–यह कि अपर कैनाल एवं लोअर कैनाल आगरा के द्वारा गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में समस्त खेतों की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जायेगा तथा हर सूरत में पानी टेल तक पहुंचेगा चाहे इसके लिए शासन/प्रशासन को कुछ भी करना पड़े,

3–गोवर्धन एवं फरह ब्लाक में उद्योग धन्धों की स्थापना की जायेगी जिससे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा,

4–यह कि फरह एवं गोवर्धन क्षेत्र में खारे पानी की समस्या के हल हेतु पेयजल एवं सिंचाई नलकूप की स्थापना होगी जिससे जतौपुरा में भयंकर पेयजल की समस्या से छुटकारा मिलेगा,

5–यह कि फरह एवं गोवर्धन मथुरा ब्लाक के विकास की दृष्टि से बिजली सड़क हेतु अधिकतम धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी,

6–परखम (फरह) बसोती (मथुरा) में चीनी मिल की स्थापना की जायेगी,

7–मथुरा जनपद के गाय एवं बैलों के लदान पर रोक लगेगी,

8–गोवर्धन एवं फरह कस्बा में महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी,

9–यमुना के प्रदूषित जल का शुद्धिकरण किया जायगा,

10–मानसी गंगा के प्रदूषित जल को शुद्धिकरण किया जायेगा,

11–कोनई मथुरा का राधा कुण्ड से पूर्व क्षतिग्रस्त पुल को अविलम्ब लोक निर्माण विभाग से निर्मित कराया जायेगा,

12–गोवर्धन में तीस शैय्याओं के अस्पताल का निर्माण कराया जायेगा,

13–लोअर कैनाल आगरा के वरिष्ठ अधिकारी को आगरा में कार्यालय को समाप्त करके उस कार्यालय को मथुरा में स्थापित कराया जायेगा,

14–यह कि फरह ब्लाक की पूर्व मण्डी समिति की प्रस्तावित सभी

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		सड़कों पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा, 15–यह है कि गोवर्धन में रंग मंच सभागार की स्थापना किया जायेगा, 16–यह है कि सूर स्थली पारसोली में गायों की रक्षा हेतु सरकारी पशु अस्पताल की स्थापना किया जायेगा, 17–अनुसूचित एवं निर्बल वर्ग के लिए विशेष योजना के अन्तर्गत निश्चित अवधि में (छः माह) रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दिया जायेगा, 18–बेरोजगार युवकों को रोजगार कार्यालय के पंजीयन युवकों को तीन सौ रु० प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा । 19–यह है कि अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ी जाति के छात्रों से विद्यालय में ग्राम प्रधान, नगर क्षेत्र समिति, नगरपालिका, महापालिका के अध्यक्षों के ही द्वारा दिये गये जाति एवं आय प्रपाण-पत्रों को ही मान्यता प्रदान किया जायेगा । प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु राजपत्रित अधिकारी की मान्यता समाप्त कर दिया जायेगा, 20–यह है कि विधवा/वृद्धाओं को पेंशन राशि में वृद्धि के साथ उनकी संख्याओं में वृद्धि किया जायेगा, 21–यह है कि अनुसूचित जाति के अत्याचारों के मामले में सक्षम न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता अनुसूचित वर्ग का ही होगा ।''
51	श्री शिवदानी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–विधान सभा क्षेत्र चायल में किसानों के विकास की योजनाओं के संबंध में, 2–चायल विधान सभा क्षेत्र में पिपरी से टाटा तक चायल से चौराडीह व जलालपुर साना सटई तक व काजू से मनोहरगंज तक के मार्ग को पक्का कराने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3–विधान सभा क्षेत्र चायल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में, 4–विधान सभा क्षेत्र चायल में कला विद्यालय खोलने के संबंध में, 5–नकल अध्यादेश हटाये जाने के कठोर कार्यवाही के संबंध में, 6–राजकीय बालिका विद्यालय खोलने के संबंध में, 7–चायल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक डिग्री कालेज स्थापित करने के संबंध में तथा 8–सरकारी ट्यूबवेल लगाने के संबंध में।"
52	श्री बेचनराम (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:– 1–विधान सभा मुण्डेरा बाजार गोरखपुर बहुत ही पिछड़ा अविकसित क्षेत्र है बालिकाओं की शिक्षा के लिये ब्रह्मपुर तथा खोराबार ब्लाक में कोई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है जबकि ब्रह्मपुर ब्लाक में बालिकाओं का विद्यालय स्वीकृत है तत्काल खोलने के संबंध में। 2–गौरी घाट पुल अर्द्धनिर्मित है आवश्यक धन उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य पूरा कराया जाना। 3–इटौवा घाट पर पीपे का पुल स्वीकृत है शीघ्र पीपे का पुल लगवाया जाना। 4–नई बाजार बोहावार की सड़क लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत है शीघ्र पिच करवाया जाये। 5–गौरी घाट से बोहावार मार्ग पिच कराया जाये। 6–गोबड़ौर में बालिकाओं का विद्यालय स्वीकृत है शीघ्र खोला जाये। 7–नैवावारी पलिया में सब विद्युत स्टेशन स्वीकृत है उसकी स्थापना करायी जाय। 8–झताहा से कुंवई प्यासी मार्ग की मरम्मत तथा बरसईता से कुंई के बीच राप्ती नदी के बगल में स्थित छपरा के पास बन्धे के कटान को रोकने की व्यवस्था की जाये।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9–विधान सभा मुण्डेरा बाजार के अधिकांश गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं । जबकि कागज में विद्युतीकरण दिखाया जा चुका है । सर्वे कराकर विद्युतीकरण से वंचित गांवों में विद्युतीकरण कराया जाये ।
		10–चौरी-चौरा टाउन एरिया को नगर पालिका का दर्जा दिया जाये ।
		11–विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति का कोटा अधूरा है उसे दो महीने के अन्दर पूरा कराया जाये ।
		12–मुण्डेरा बाजार क्षेत्र में शीघ्र कोई न कोई कारखाना लगाया जाये ।
		13–ब्रह्मपुर ब्लाक में कोई डिग्री कालेज नहीं है शीघ्र ही डिग्री कालेज खोला जाये ।
		14–बचत एवं सीलिंग की भूमि को शीघ्र ही भूमिहीनों में वितरित कर दिया जाये ।
		15–सरैया इस्पात का कारखाना बन्द है उसे चालू कराया जाये ।"
53	श्री मर्यकर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)–	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		जनपद बहराइच के अन्तर्गत–
		(1) जनपद बहराइच व सीतापुर के मध्य घाघरा नदी में चहलारी घाट के पुल का निर्माण तत्काल कराया जाय ।
		(2) बहराइच रोडवेज बस स्टेशन पर कार्यशाला का निर्माण कराया जाय ।
		(3) बिक्री कर तत्काल समाप्त किये जाने की घोषणा की जाय ।
		(4) किसानों से कर्जों की वसूली रोकी जाय, उनका उत्पीड़न बन्द किया जाय तथा दस हजार रुपये तक सभी भूमिहीन, अनुसूचित जाति, छोटे रोजगारी व किसानों का कर्जा माफ किया जाय ।
		(5) प्रत्येक साठ वर्ष से अधिक वृद्ध महिलाओं व पुरुषों को 150 रु० मासिक पेंशन दी जाय ।
		(6) प्रत्येक भूमिहीन, अनुसूचित जाति तथा निर्धन परिवार को एक भैंस व एक गाय दुधारु पशु दिये जायं ।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(7) महसी व फखरपुर विकास क्षेत्र के जो गांव घाघरा कटान में कट कर बह गये हैं वहां के निवासियों को अन्यत्र बसाया जांय।

(8) विकास खण्ड हुजूरपुर में रमवापुर से सिसैय्या वाया हरिहरपुर तथा प्रेमीदास कुटी से चिलवरिया स्टेशन, प्रेमीदास कुटी से रत्तापर, जिगनिया छत्रपाल तक पक्के मार्ग का निर्माण कराया जाय।

(9) विकास क्षेत्र फखरपुर, हजूरपुर, तजवापुर तथा महसी के उन सभी ग्रामों जिनकी आबादी पन्द्रह सौ व उससे अधिक है उसे निकट के पक्के मुख्य मार्ग से पक्का सम्पर्क मार्ग बनाकर जोड़ा जाय।

(10) विकास क्षेत्र फखरपुर, तजवापुर, महसी तथा हुजूरपुर की समस्त ग्राम सभायें विद्युतीकृत करायी जायं।

(11) विकास क्षेत्र फखरपुर व हुजूरपुर के मध्य सरयू नदी में जगतापुर घाट व सिकही घाट तथा खोथवा घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराया जाय।

(12) विकास क्षेत्र फखरपुर के अन्तर्गत मझारा तौकली में भकोसा, शिवपुरा के लिये सरयू तथा चन्दहा नाले पर पुल का निर्माण कराया जाय।

(13) विकास क्षेत्र तजवापुर में बडनापुरे तथा खैरा में एक-एक राजकीय इण्टर कालेज खोला जाय।

(14) विकास क्षेत्र हुजूरपुर के अन्तर्गत चाकूजोत तथा सुखनदिया पर एक-एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की जाय।

(15) विकास क्षेत्र महसी के अन्तर्गत पिपरी तथा विकास क्षेत्र फखरपुर के अन्तर्गत, भिलौरा बोसू गजाधरपुर, नन्दवल में एक-एक राजकीय इंटर कालेज की स्थापना की जाय।

(16) फखरपुर, बडनापुर, महसी व हुजूरपुर इन चारों विकास क्षेत्र मुख्यालय पर एक-एक महाविद्यालय खोला जाय।

(17) फखरपुर, महसी, तजवापुर व हुजूरपुर विकास खण्ड की समस्त न्याय पंचायतों में प्रत्येक पर एक राजकीय हाई स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पशुचिकित्सालय की स्थापना की जाय।

(18) बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों को रोजगार दिया जाय अन्यथा जब तक उनके रोजगार का प्रबन्ध न हो बेरोजगारी का भत्ता दिया जाय।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(19) ग्रामीण महिलाओं, अनुसूचित व पिछड़ी जाति के लोगों को कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण देकर उन्हें पचास हजार रुपये देकर कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाय।
		(20) मौर्या जाति के लोगों को सब्जी उत्पादन हेतु निःशुल्क बोरिंग तथा बिना ब्याज के ऋण, सिंचाई हेतु पम्पिंग सेट्स तथा लागत मूल्य उपलब्ध कराया जाय तथा सब्जी व्यवसाय करने हेतु अनुदान दिया जाय।
		(21) निषाद, गोडिया, कहार वर्ग के सभी परिवारों को नदी, तालाब, पोखरों में भागीदारी स्वामित्वपूर्ण दी जाय।
		(22) लोहार व लोनिया वर्ग के लोगों को लोहारी तथा मिट्टी कार्य हेतु पांच वर्षों के लिये बिना ब्याज के दस हजार का ऋण दिया जाय।
		(23) अनुसूचित जाति के लोगों की सुअर पालन तथा चमड़े व अन्य रोजगार हेतु बिना ब्याज का ऋण दिया जाय। अनुसूचित जाति के लोगों को पूर्णतयाः ब्याज मुक्त किया जाय।
		(24) कुम्हारों को मिट्टी के कार्य हेतु मिट्टी निकालने के लिये तत्काल प्रत्येक कुम्हार परिवार को ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर ही दी जाय।
		(25) धोबी जाति के लोगों को दस हजार रुपया तक बिना ब्याज के ऋण दिया जाय जिससे वह आधुनिक ढंग से अपने व्यवसाय में सुधार कर सकें।
		(26) भुर्जी जाति के लोगों को उनको लाई, चूड़ा व भूजा का कुटीर उद्योग लगाने हेतु बिना ब्याज का ऋण दिया जाय।
		(27) कुर्मी वर्ग के कृषकों को अधिक अन्न उत्पादन हेतु ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण तथा खाद के ऋण को ब्याज मुक्त किया जाय।
		(28) यादव वर्ग को पशुपालक घोषित करके प्रत्येक परिवार को दुधारू पशु व्यापक स्तर पर मुहैय्या कराकर लघु डेयरी खुलवाई जाय तथा रख रखाव हेतु सम्पूर्ण डेयरी पर आने वाले व्यय पर ब्याज मुक्त ऋण दिया जाय।
		(29) बहराइच जनपद में लोधी वर्ग सर्वोत्तम पिछड़ी जाति है इसके विकास हेतु कुटीर उद्योग व पशुपालन हेतु अनुदान दिया जाय।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(30) लोहार व बढ़ई वर्ग के लोगों को लोहा व लकड़ी सुलभता से उपलब्ध कराने तथा आधुनिकतम प्रशिक्षण के साथ ऋण ब्याज मुक्त उपलब्ध कराने के संबंध में।
		(31) पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण व अनुसूचित जाति को तत्काल आरक्षण दिये जाने के संबंध में।
		(32) गड़रिया वर्ग के लोगों को नई प्रजाति व पुरानी प्रजाति की भेंड़ पालन में सुविधा तथा उनके कच्चे माल ऊन को आधुनिकतम ढंग से उपयोग करने हेतु कुटीर उद्योग ब्याज मुक्त ऋण देकर स्थापित कराने के संबंध में।
		(33) 15 प्रतिशत गरीब सवर्णों को सर्वत्र आरक्षण दिये जाने के संबंध में।
		(34) माली वर्ग के लोगों को पुरुष क्यारी हेतु पट्टे पर जमीन तथा अनुदान दिया जाय।
		(35) नाई व दर्जी वर्ग के लोगों को अपने परम्परागत रोजगार को आधुनिक ढंग से विकसित करने के लिये अनुदान दिया जाय।"
54	श्री धनराज यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)–	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		(1) राजस्व विभाग द्वारा आबादी की हदबन्दी कर (बन्दोबस्त) कराकर गांवों में प्रतिदिन हो रहे विवादों को समाप्त करने के संबंध में।
		(2) भाजपा सरकार द्वारा प्रारम्भ की दीनदयाल विकास योजना के तहत हरी छाल केला उत्पादन अनवरत चालू रखने के साथ-साथ सिद्धार्थनगर, महराजगंज, गोरखपुर, बस्ती एवं बहराइच के साथ अन्य जिलों में विस्तार किया जाय।
		(3) राज मार्गों के बने पुलों के कर समाप्त करके यातायात व्यवस्था अबाधगति से चलाने के संबंध में।
		(4) गोरखपुर, महराजगंज के फूलों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु गोरखपुर महानगर के चारों तरफ उद्यान विभाग की सहायता से फूल पट्टी बनाने के संबंध में।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(5) सिद्धार्थनगर जनपद में लोटन बाजार को विकास खण्ड तथा सोहरतगढ़ को तह० का दर्जा दिया जाय ।
		(6) कूड़ा नदी पर उसका बाजार तथा सोहांस के पास पक्के पुल तथा बृजमनगंज को जोड़ने के लिये पाहान बृज बनाया जाय ।
		(7) सिद्धार्थनगर के सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जाय ।
		(8) सरजू नहर को राप्तीबाम (फरेन्द्रा ब्रांच) जिससे सिद्धार्थनगर तथा महराजगंज के क्षेत्रों की सिंचाई हो सकती है, खुदवाई करवाई जाय ।
		(9) उसका बाजार, बर्डपुर, ककरहवा, लोटन में कन्या हाई स्कूल तथा जिला मुख्यालय पर स्थित कन्या इण्टर कालेज को डिग्री कालेज का दर्जा दिया जाय ।
		(10) सिद्धार्थनगर जनपद में विभिन्न नदियां एवं जलाशयों के पानी का सिंचाई के लिये उपयोग करने हेतु स्थान-स्थान पर लिफ्ट मशीन लगाकर सिंचाई कराने के संबंध में ।
		(11) सिद्धार्थनगर जनपद के मुख्यालय के लिये दूसरे फेज के लिये अधिग्रहण होने वाली एक सौ पचास एकड़ भूमि पुराने नौगढ़ के उत्तर एल० डी० मार्ग के दोनों तरफ की भूमि अधिग्रहण की जाय ।
		(12) सिद्धार्थनगर जनपद में ककरही, टडिया, अमहिया, रीवां, नानपार से भक्वापुर भट्ठे तक नौनहवा-भगवानपुर बाया हरैयाघाट, ककरहवा, बरदहवां के भाग उस्का से सेमरहना मार्ग तथा वर्डपुर से कपिलवस्तु मार्ग से भटौली बाया मजगवां-विशुनपुर मार्गों को पक्का करायें ।
		(13) सिद्धार्थनगर जनपद में बाढ़ एवं वर्षा से गिरे मकानों को सही ढंग से गृह अनुदान दिया जाय ।"
55	श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अन्त में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		(1) महराजगंज जनपद के सिसवा बाजार को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दलितों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(2) कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर चीनी उद्योग, कागज उद्योग तथा स्प्रिट उद्योग लगाने के संबंध में।
		(3) महराजगंज जनपद के सिसवा, निचलौल, निठौरा विकास खण्ड के समस्त ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में।
		(4) महराजगंज जनपद के मिठौरा, निचलौल, सिसवा विकास खण्डों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में।
		(5) सरकारी बस सेवा की सुविधा को देखते हुए महराजगंज जनपद के सिसवा, निचलौल को सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों, न्यायपालिकाओं, प्रदेश मुख्यालय तक परिवहन निगम की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में।
		(6) महराजगंज जनपद के सिसवा, निचलौल व मिठौरा विकास खण्डों में शासकीय नलकूप व नहर विकास खण्डों में राजकीय नलकूप व नहर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
		(7) नवसृजित जनपद महराजगंज के जिला मुख्यालय पर जिला परिषद् को-आपरेटिव संस्थाओं, सिंचाई से संबंधित विभागों का स्थानान्तरण न होने के संबंध में।
		(8) महराजगंज जनपद के विकास खण्ड सिसवा, निचलौल, मिठौरा में कन्या इंटर कालेज व महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में।
		(9) तकनीकी शिक्षा के लिये पालीटेक्निक कालेज व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के संबंध में।
		(10) प्राकृतिक आपदाओं में कृषि क्षति को पुराने नियमों के आधार पर भुगतान के संबंध में।
		(11) महराजगंज जनपद को देवरिया जनपद से जोड़ने के लिये विकास खण्ड सिसवा के छोटी गन्डक नदी पर बेलवाघाट, रमईतापुर घाट, निचलौल ब्लाक के चरगैहा घाट, गोबिनिया घाट पर पुल का निर्माण के संबंध में।
		(12) महराजगंज जनपद के निचलौल विकास खण्ड में कलनही में बांध निर्माण के संबंध में।
		(13) महराजगंज जनपद के डोमा खास कटहरी, गडौरा, बहुभार बढ़या, चिउठहा, मुंडेरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के संबंध में।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(14) महराजगंज जनपद में कटहरी मुंडेरी, देउरवा में पशु चिकित्सालय के निर्माण के संबंध में।
		(15) महराजगंज जनपद के निचलौल ब्लाक में बकुलीडीहा से वोदना होकर लोहरवली पी० डब्लू० डी० तक, वसुवी से बढ़या तक, गोसाइपुर से भेड़ीपारी स्केप तक, वीसाखोर से चरंगहा तक, हेवली से वरवासुनियां तथा देउरवा तक, जगदौर से सेमरा तक सड़क निर्माण के संबंध में।
		(16) महराजगंज जनपद के जंगल क्षेत्र पैसिया बनकसिहा, बढ़या के हरिजन दलित काश्तकारों की खेती पर राजस्व विभाग के अभिलेखों में हेराफेरी कराकर दलित काबिजदारों को बेदखल किये जाने के संबंध में।
		(17) प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अकृषि भूमि की जमींदारी तोड़कर शहरी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति के सघन में तह-बाजारी की वसूली से आय के स्रोतों में वृद्धि के संबंध में।
		(18) महराजगंज जनपद के निचलौल के दूढीवारी तथा मिठौरा ब्लाक के मिठौरा को टाउन एरिया बनाने के संबंध में।
		(19) महराजगंज जनपद की सीलिंग से निकाली गयी भूमि को गरीबों, दलितों भूमिहीनों में आवंटित कराने तथा बैनामी जमीन जो महराजगंज जनपद की सिसवा उपनगर में हैं को पूर्व जमींदार द्वारा बेचा जा रहा है, को रोक कर दलितों, गरीबों में बांटे जाने के संबंध में।
		(20) सम्पूर्ण जनपद में इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प जो खराब पड़े हैं, को ठीक कराने के संबंध में।
		(21) एन० आर० वाई० की जांच तथा हरिजन बस्तियों के निर्माण के लिए निर्माण हेतु आवंटित राशि का दुरुपयोग कर अधूरे कार्यों को पूरा दिखाकर गबन किये जाने की जांच के संबंध में।"
56	श्री हरेन्द्र सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अन्त में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		(1) गन्ना किसानों को गन्ने का भाव 10 रु० प्रति कुन्तल बढ़ा दिया जाय।
		(2) किसानों को उर्वरकों पर उपादान दिया जाय।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(3) पश्चिमी उ० प्र० से प्राप्त राजस्व के अनुपात से विकास हेतु धन व्यय किया जाय ।
		(4) बघरा विधान सभा क्षेत्र में लालू खेड़ी में एक डिग्री कालेज की स्थापना की जाय ।
		(5) पश्चिमी उ० प्र० में उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित की जाय ।
		(6) हरड़फतेहपुर करोड़ी कुर्रमाली, बरवाला, गोगवान, जलालपुर तथा पिन्ना में 33/11 के० वी० विद्युत उप संस्थान की स्थापना की जाय ।
		(7) ग्राम बन्ती खेड़ा में कृष्णा नदी में पुल का निर्माण किया जाय ।
		(8) बुड़ीना कलां हिरनवाड़ा तथा छतेला में एक कन्या हाई स्कूल की स्थापना की जाय ।
		(9) बघरा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु शासन की नीति के अनुसार 250 की आबादी पर एक-एक हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क-2 लगवाये जायें ।
		(10) बघरा विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में ।
		(11) बघरा में पालीटेक्निक खोलने के संबंध में ।''
57	श्री रमापति उर्फ रमाकान्त (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		(1) यह कि हाटा (अ० जा०) (देवरिया) विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पिपराइच ताल में पिपरइचा, लेहनी, सिंहपुर, पटनी, पल्टन, वलुआ, चिलुआ हासखोर आदि चौदह गांवों के किसानों की दस हजार एकड़ भूमि है, जो जल जमाव के कारण नष्ट हो जाती है और चूंकि इस ताल में 3 गूलें आकर गिरती हैं इसलिये किसानों को पानी का पनिवट भी देना पड़ता है और पानी के जमाव के कारण उनकी फसलें नष्ट भी हो जाती हैं जिससे किसानों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है । इस ताल से पानी निकास की व्यवस्था अंग्रेजी शासन काल में एक ड्रेन खोदकर की गयी थी परन्तु यह ड्रेन लेहनी बालू के धूस के नीचे से

क्रम सं० · प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

गुजरती है, इसलिये प्रत्येक बरसात में धूस का बालू ड्रेन में भर जाने के कारण पानी निकल नहीं पाता है ।

अस्तु लेहनी के पास पुल के दोनों तरफ ड्रेन के दोनों किनारों पर पक्की दिवाल बनवाया जाय जिससे ड्रेन बालू से भरने न पावे और पानी का निकास आसानी से हो जाय ।

(2) यह कि विधान सभा क्षेत्र हाटा (देवरिया) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है । इस क्षेत्र में विद्युत सप्लाई विद्युत सब सेन्टर कप्तानगंज और विद्युत सब सेन्टर हाटा से होता है । कप्तानगंज इस क्षेत्र के बाहर बहुत दूर स्थित है और हाटा इस क्षेत्र के पूर्वी, दक्षिणी कोन पर किनारे स्थित है जहां से 500 पोलों को पार करती हुई लाइन जाती है जिससे विद्युत सप्लाई में बाधा होती है और महीनों करेन्ट नहीं मिलने के बावजूद भी उपभोक्ताओं को विद्युत बिल का भुगतान करना पड़ता है । इस विधान सभा क्षेत्र के मध्य में ग्राम गोट्ठा हाटा-पिपराइच मार्ग पर स्थित है जहां पर 3 एकड़ भूमि विद्युत सब सेन्टर स्थापित करने के लिये विद्युत विभाग को दी जा चुकी है परन्तु आज तक विद्युत सब सेन्टर की स्थापना नहीं हुई है जिससे विद्युत आपूर्ति की समस्या बनी रहती है । अस्तु खोट्ठा ग्राम सभा में विद्युत सब सेन्टर स्थापित करने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(3) यह कि राजमार्ग 28 गोरखपुर कसया (कुसीनगर) पर स्थित गांव बलडीहां (महुआरी) के पास से एक सड़क पड़री होते हुए प्रसिद्ध देवालय वनचरा देवी स्थान तक जाती है यह सड़क लगभग 15 कि० मी० लम्बी है । इसी सड़क से वनचरा गन्ना क्रय केन्द्र तक किसान बैलगाड़ी से गन्ना ले जाते हैं । बरसात के दिनों में यह सड़क इतनी खराब हो जाती है कि सड़क से आवागमन मुश्किल हो जाता है । देवी के दर्शन करने के लिये श्रद्धालु इसी रास्ते का सहारा लेते हैं । अस्तु वलडीहा से वनचरा कुटी 15 कि० मी० तक सड़क पिच कराना नितान्त आवश्यक तथा जनहित में है ।

(4) विकास खण्ड सुकरौली के पास से जोल्हिनिया, मोहनापुर, चिलुआ होते हुए खोट्ठा तक जाने वाली लगभग 13 कि० मी० सड़क इस क्षेत्र की मुख्य सड़क है परन्तु आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण अम्बेडकर गांव मोहना सहित सड़क के दोनों तरफ के सभी गांवों का मुख्य राजमार्ग 28 से सम्पर्क टूट जाता है । अस्तु जोल्हिया से मोहनापुर, चिलुआ होते हुए खोट्ठा तक सड़क पिच कराया जाय ।

क्रम सं० प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

(5) यह कि अहिरौली थाना से मुण्डेरा लाला, महुअवा, धनहा, वैरिया वेलवा, वरसैना होते हुए एक सड़क राजमार्ग 28 पर रामपुर (पन्द्रह मील) के पास मिलती है। इस सड़क की लम्बाई लगभग 18 कि० मी० है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 2 कि० मी० सड़क पिच भी हो गयी है, लेकिन शेष 16 कि० मी० सड़क बिल्कुल खराब है। अस्तु शेष 16 कि० मी० सड़क पिच कराया जाय ताकि अहिरौली थाना से रामपुर (पन्द्रह मील) तक आवागमन सुचारु रूप से चल सके।

(6) यह कि सुबुधिया मझने नाले के पुल के पास से इण्टर कालेज सिरसिया नं० 2 तक जाने वाली सड़क जिसकी लम्बाई लगभग 10 कि० मी० है बिल्कुल खराब है जिससे पिपरही, वसन्तपुर, भगवानपुर, सिरसिया, विजयीकाफ, कैथवलिया, भगवानपुर बुजुर्ग के किसानों को काफी परेशानी होती है तथा इण्टर कालेज के अध्यापकों व छात्रों को विद्यालय जाने में असुविधा होती है। अस्तु सुबुधिया मझने नाले से इण्टर कालेज सिरसिया नं० 2 तक 10 कि० मी० सड़क पिच कराया जाय।

(7) यह कि हाटा से करमहामट (करमहा काटा गन्ना क्रय केन्द्र) होते हुए महुई ग्राम सभा तक लगभग 8 कि० मी० सड़क पिच कराना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि गन्ना क्रय केन्द्र करमहा तक हाटा एवं महुई दोनों तरफ से बैलगाड़ियों से गन्ना आता है।

(8) यह कि हाटा तहसील मुख्यालय है और बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि पूरे तहसील में आज तक एक भी डिग्री कालेज की स्थापना नहीं हुई है। जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से इस क्षेत्र के गरीब छात्र वंचित हो जाते हैं अस्तु हाटा तहसील में एक राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना करना आवश्यक है।

(9) यह कि हाटा तहसील में कई इण्टर कालेज व कई हाईस्कूल हैं परन्तु डिग्री कालेज नहीं है जिससे हाई स्कूल या इण्टर पास करने के बाद लड़के बेरोजगार होकर घूमते हैं। यदि इस क्षेत्र में एक आई० टी० आई० कालेज खुल जाता तो बेरोजगारी की समस्या अधिक सीमा तक दूर हो जाती। अस्तु साग्रह निवेदन है कि हाटा में एक आई० टी० आई० कालेज खोलने की व्यवस्था की जाय।

(10) यह कि पगरा, रामपुर, परसैना, कैथवलिया आदि गांव का गन्ना सरदार नगर शुगर फैक्ट्री पर जाता है। यहां से मिल गेट लगभग 20 कि० मी० पड़ता है। कई वर्षों से बरसैना में गन्ना क्रय केन्द्र (काटा)

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		लगाना प्रस्तावित होकर भी नहीं लगता है जिससे गन्ना कास्तकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है । अस्तु वरसैना से सरदारनगर शुगर फैक्ट्री का गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित किया जाय । (11) नरायनपुर झांगा के बीच दोरांची नाले पर पुल बनना दो बार स्वीकृत हो चुका है । दोनों बार ठेकेदारों द्वारा पुल की तली खोदी गयी थी नाले के दोनों तरफ सड़क भरी जा चुकी है सरकारी पैसों का दुरुपयोग भी वहां हुआ है, परन्तु आज तक इस महत्वपूर्ण पुल का निर्माण नहीं हो सका । अस्तु नरायनपुर झांगा (हाटा देवरिया) के मध्य दोरांची नाले पर पुल का निर्माण करायां जाय । (12) यह कि सोढ़रा के पास दोरांची नाले पर पुल बनना स्वीकृत है एक लाख दस हजार रुपये निकाल लिये गये हैं और पुल का निर्माण नहीं हो रहा है । अस्तु सोढ़रा के पास दोरांची नाले पर पुल का निर्माण कराया जाय । (13) यह कि विकास खण्ड सुकरौली के ग्राम सभा रामपुर सोहरौना में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की सारी कार्यवाही होकर स्वीकृत है, परन्तु आज तक उसका निर्माण कार्य नहीं हो रहा है । अस्तु रामपुर सोहरौना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनवाया जाय । ''
58	श्री लाज कृष्ण गांधी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– ''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–सहारनपुर नगर जिसकी आबादी लगभग 5 लाख हो गयी है, महानगर घोषित किया जाय । 2–सहारनपुर को कमिश्नरी घोषित किया जाय । 3–सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्य औद्योगिक नगर है उसमें ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था की जाय । 4–सहारनपुर नगर में प्राइवेट व रोडवेज का बस अड्डा नगर के बीचोबीच है जिससे ट्रैफिक कई-कई घण्टे जाम रहता है एक बड़ा सामूहिक अड्डा नगर की सीमा से लगता हुआ बाहर ले जाया जाय ।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5–1962 के बाद कोई इण्टर कालेज नहीं खोला गया । विद्यार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ गयी है । नया विद्यालय खोला जाय ।"
59	श्री प्रणतपाल सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–मथुरा जिला के अन्तर्गत नगला संज्ञा, अकोस, आर खेड़ा, अनौड़ा, सोनई, मदैय, हर्दपुर, मनीनावालू आदि अनेकों ग्राम ऐसे हैं जिनके लोगों के लिये पानी भी उपलब्ध नहीं है । इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थानों पर पातालतोड़ नलकूप अविलम्ब लगाने के संबंध में । 2–उक्त विधान सभा क्षेत्र गोकुल में सिंचाई की भीषण समस्या है । चार माइनर ऐसी हैं जिनमें 1968 से आज तक टेल तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है । जैसे गड़सौली माइनर, औगई माइनर, दौलतपुर माइनर, डहकुआ माइनर, इन माइनरों के क्षेत्र में किसानों से फर्जी सिंचाई दर्ज करके सिंचाई शुल्क वसूला जाता है । गोकुल बैराज जैसी महत्वपूर्ण योजना भी अभी अधूरी पड़ी है जिसके पूर्ण होने से जहां सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी । 3–भगवान श्रीकृष्ण ने जिस गोकुल में क्रीड़ा की तथा दाऊ जी महराज जो वृज के राजा हैं जहां पवित्र क्षीर सागर है किन्तु वहां यातायात के कोई ठीक साधन नहीं हैं यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है । अतः अविलम्ब उसे तीर्थ स्थल घोषित कर बल्देव में सरकारी बस स्टैण्ड की स्थापना कर सरकारी बसें चलाये जाने के संबंध में । 4–ऐसे गांव जहां पक्की सड़क तो दूर पैदल तक आने जाने का रास्ता नहीं है । जैसे नगला हगा (बल्देव) हरी, नगला हरगोविन्द, देह, दानी का नगला, नगला मोहन (पटलौनी), नगला मऊ, मरऊगढ़ एवं नगला चिकन, शेरनी सुधरिया (लालपुर महावन) एवं बसेला आदि अनेकों गांव हैं, उक्त स्थानों पर सड़क निर्माण के संबंध में । 5–विधान सभा क्षेत्र गोकुल में विद्युतीकरण करने के संबंध में ।"
60	श्री अमरनाथ यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– (1) वाराणसी महानगर विशेषकर 243, वाराणसी उत्तरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(2) उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति के अभाव से हुए नागरिकों के कष्ट को भी अनुभव के रूप में दर्शाया नहीं है।

(3) उक्त क्षेत्र में बराबर जलापूर्ति होती रहे, इसका भी आश्वासन नागरिकों को नहीं दिया गया है।

(4) उक्त क्षेत्र में बराबर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बनी रहे, इसके लिये कोई कार्ययोजना का भी वर्णन नहीं किया है।

(5) उक्त क्षेत्र में राजघाट व कोनिया तथा हनुमान फाटक के बीच पम्प हाउस बनाकर गंगा जल को शुद्ध कर जलापूर्ति करने की योजना का भी कोई उल्लेख नहीं किया है।

(6) उक्त क्षेत्र के पितरकुंडा कालीमहल, जगतगंज, हनुमान फाटक, दारानगर, आजागंज, उस्मानपुर, काटन मिल, चौकाघाट, ढेलवरिया, धौसाबाद, राजाबाजार, कोनिया सट्टी, पलंगशहीद, नक्खीघाट, शैलपुत्री, औसानगंज, बौलिया बाग, कतुआपुरा, भैरोनाथ, बंगाली वाड़ा, नवापुरा, खोजापुरा आदि क्षेत्रों में समुचित जलापूर्ति हेतु नये ट्यूबवेल लगाने का कोई वर्णन नहीं किया है।

(7) उक्त क्षेत्र में खराब हुए हैण्ड पम्पों को पुनः चालू करने का कोई उल्लेख नहीं किया है।

(8) उक्त क्षेत्र के जिन क्षेत्रों में वाटर पाइप लाइन नहीं बिछायी गयी है वहां लाइन बिछाने का भी कोई उल्लेख नहीं है।

(9) उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक नल लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) बढ़े हुए जलकर को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) उक्त क्षेत्र की टूटी-फूटी सड़कें व गलियों के मरम्मत का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(12) उक्त क्षेत्र में बने हुए कालोनियों की सड़कों को मरम्मत करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(13) उक्त क्षेत्र के कोनिया, जलालीपुरा, सरैया, नक्खीघाट, ढेलवरिया, राजाबाजार, धौंसाबाद, नदेसर, पलंग शहीद आदि क्षेत्रों में सफाई मजदूर नियुक्त करने का कोई उल्लेख नहीं किया है।

(14) उक्त क्षेत्र में दोनों समय सफाई करने का कोई उल्लेख नहीं है।

क्रम सं० प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप

(15) उक्त क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर पड़े कूड़े के ढेर को बराबर हटाने की कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है।

(16) उक्त क्षेत्र के कोनिया, जलालीपुरा, शैलपुत्री, नक्खीघाट, चौकाघाट, धौंसाबाद, नदेसर, पितरकुंडा आदि क्षेत्रों में शौचालय या सुलभ शौचालय बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(17) उक्त क्षेत्र के मछोदरी, विशेश्वरगंज, लहुरावीर, मलदहिया, तेलियाबाग, लाट भैरा सट्टी आदि बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर मूत्रालय की कोई व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

(18) उक्त क्षेत्र में बराबर हो रहे विद्युत चोरी को समाप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(19) उक्त क्षेत्र में बराबर विद्युत आपूर्ति बनी रहे, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(20) उक्त क्षेत्र में संजय गांधी नगर, चौकाघाट, गोपालबाग पम्प हाउस, आगागंज, डिगिया आदि मुहल्लों में नये ट्रांसफार्मर बनाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(21) उक्त क्षेत्र में काटन मिल चौकाघाट, जगतगंज, दारानगर, नाटीइमली, चेतगंज, सेनपुरा, सरायगोवर्धन आदि क्षेत्रों में विद्युत एवं स्टेशन लगाने एवं सड़े गले तारों को बदलने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(22) उक्त क्षेत्र में चल रहे पावर लूमों को पावर देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(23) उक्त क्षेत्र में बराबर प्रकाश बना रहे, इसका कोई उल्लेख नहीं है।

(24) उक्त क्षेत्र में अव्यवस्थित छुतहा (आई० डी० एस०) अस्पताल को 500 बेड के अस्पताल के रूप में करने का कोई प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।

(25) उक्त क्षेत्र सुविधा के कोनिया, सरैया, नक्खीघाट, नदेसर आदि मुहल्लों में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है।

(26) उक्त क्षेत्र के गरीब बुनकर मजदूरों में मुफ्त दवाइयां वितरित नहीं की जाती हैं। दवाइयां उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(27) संस्कृत भाषा को सभी कक्षाओं कक्षा 1 से 12 तक में अनिवार्य किये जाने का उल्लेख नहीं है ।
		(28) उक्त क्षेत्र के जैतपुरा, कोनिया, हनुमानफाटक, चौकाघाट, नदेसर आदि क्षेत्रों की बालिकाओं के लिये शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है ।
		(29) उक्त क्षेत्र में बालिकाओं के लिये इण्टर कालेज खोलने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
		(30) उक्त क्षेत्र के बच्चों को प्रवेश की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है ।
		(31) छात्रों के प्रतिभाओं के उजागर करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
		(32) प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों के अन्दर व्याप्त भय के निवारण का कोई उल्लेख नहीं है ।
		(33) प्रदेश में नकल विरोधी कानून को वापस लेने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था का उल्लेख नहीं है ।
		(34) प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों को वित्त सहित करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
		(35) प्रदेश के असहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता देने का कोई उल्लेख नहीं है ।
		(36) प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा से उत्पन्न कठिनाइयों के निवारण तथा विद्यालयों के रख-रखाव की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है ।
		(37) प्रदेश में मानक के अनुसार अध्यापक दिये जाने का उल्लेख नहीं है ।
		(38) प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 40 हजार अध्यापकों की कमी को पूरा करने का उल्लेख नहीं किया गया है ।
		(39) प्रदेश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों को एक शारीरिक शिक्षक अनिवार्य रूप से देने का कोई उल्लेख नहीं है ।
		(40) प्रदेश में पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति के छात्रों को उचित छात्रवृत्ति देने का कोई उल्लेख नहीं है ।
		(41) प्रदेश में चल रहे कोचिंग क्लासेज को नियमित एवं बंधित करने के संबंध में ।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(42) प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अर्थदोहन को रोकने के संबंध में।
		(43) पूर्वांचल निधि के राष्ट्रपति शासन के दौरान हुए दुरुपयोग को ठीक करने एवं विधायकों को क्षेत्रानुसार उचित आवंटन करने के संबंध में।
		(44) मेरे निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी उत्तरी के नक्खीघाट व ढेलवरिया क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।"
61	श्री प्रीतम सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)–	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–पर्वतीय क्षेत्रों में 300 की जनसंख्या वाले ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ा जाय।
		2–चकराता निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित परियोजनाओं में स्थानीय लोगों को रोजगार व सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाय।
		3–चकराता निर्वाचन क्षेत्र में आसन नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ सुरक्षा का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाय तथा लाखामण्डल में यमुना नदी से भूमि कटाव को रोकने का कार्य शीघ्र किया जाय एवं पहाड़ी क्षेत्र में भू-स्खलन को रोकने का कार्य शीघ्र किया जाय।
		4–सरकार की घोषणा के बाद भी 2 अक्टूबर, 1989 तक की 10,000 रु० के काश्तकारों के ऋण माफ नहीं हुए। कृषकों के उक्त ऋण को माफ किया जाय।
		5–लखवाड बांध परियोजना का कार्य शीघ्र पुनः आरम्भ किया जाय।
		6–पर्वतीय क्षेत्र में नये उद्योग धंधों की स्थापना तथा जनपद देहरादून के अन्तर्गत शासन द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में बीमार व बन्द पड़े उद्योगों के पुनरुत्थान के संबंध में।
		7–लखवाड बांध के विस्थापितों के प्रतिकर का शीघ्र पूर्ण भुगतान किया जाय।
		8–यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये देहरादून से वाया चकराता होते हुए केराड़ तक, देहरादून से वाया साहिया होते हुए दसऊ

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

तक, देहरादून से वाया चकराता होते हुए लाखामण्डल तक तथा देहरादून से मीनस होते हुए त्यूनी तक रोडवेज बस व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

9–चकराता निर्वाचन क्षेत्र के डाकपत्थर, चकराता, त्यूनी, मुण्डाली, दसऊ, हनोल, लाखामण्डल एवं नागथात, कोटी इच्छाड़ी को पर्यटन स्थल बनाया जाय ।

10–शिक्षा का पिछड़ापन दूर करने के लिये चकराता निर्वाचन क्षेत्र के जनजाति क्षेत्र में डिग्री कालेज की स्थापना तथा ग्राम केराड़, मान्थात, कोरुवा, कचटा, दसऊ, कोटा, पंजिया, बाड़वाला, जस्सोवाला बद्रीपुर, आरकेडिया, सुधोवाला, कुन्डोली, लेस्ट, हरीपुर में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना एवं प्रत्येक ग्राम में प्राइमरी पाठशाला की स्थापना की जाय ।

11–डाकपत्थर में स्वीकृत डिग्री कालेज में शीघ्र अध्यंयन कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

12–चकराता निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में चार-चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाय । त्यूनी में स्थित राजकीय चिकित्सालय के भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है अतः एक्सरे मशीन, एम्बुलेन्स, शल्य चिकित्सा उपकरण व डाक्टरों की नियुक्ति शीघ्र की जाय ।

13–चकराता निर्वाचन क्षेत्र के जनजाति व अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की उपस्थित सुनिश्चित की जाय ।

14–चकराता निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत मोटर मार्ग, मोटर मार्ग के पुलों व पैदल पुलों का शीघ्र निर्माण कराया जाय ।

15–चकराता निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम का विद्युतीकरण किया जाय ।

16–चकराता निर्वाचन क्षेत्र के दो ब्लाक कालसी व चकराता का विभाजन जो पूर्व से शासन के विचाराधीन है, शीघ्र किया जाय ।

17–देहरादून में मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय ।

18–देहरादून में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना करने के संबंध में । ''

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
62	श्री भगवत सरन गंगवार (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– 1–जनपद बरेली के तहसील नवाबगंज में एक डिग्री कालेज की स्थापना करने के संबंध में । 2–इसी तहसील के विकास खण्ड मदपुरा में एक इण्टरमीडिएट विद्यालय की स्थापना के संबंध में । 3–जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज की शिक्षा का पिछड़ापन दूर करने एवं एक बालिका इण्टर कालेज व महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में । 4–जनपद बरेली की तहसील नवाबगंज के दोहा नदी पर किसानों की यातायात सुविधा के लिये ग्राम वहरजामीर व ज्योतिजागीर के पास पक्के पुल के निर्माण के संबंध में । 5–मण्डल बरेली में कोई मेडिकल, इंजीनियरिंग कालेज नहीं है , इसलिये तकनीकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु बरेली जनपद में शीघ्र मेडिकल कालेज व इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना करने के संबंध में । 6–बरेली जनपद की तहसील व नगर नवाबगंज अच्छा कृषि बाजार है, शीघ्र कृषि उत्पादन मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने के संबंध में । 7–इसी तहसील में ग्राम मौआबाजार से वीसलपुर मार्ग पर 6 कि० मी० पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने के संबंध में । 8–ग्राम हेस्व से रेलवे स्टेशन डिवनापुर रघोन्ना ताराच्दे होता हुआ तमेड़ा बरेली पीलीभीत मार्ग तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने के संबंध में । 9–इसी जनपद बरेली में 500 शैय्याओं के अस्पताल का निर्माण कराये जाने के संबंध में ।"
63	श्री राम सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :– (1) मेरे क्षेत्र के डिबाई के अन्तर्गत बुलन्दशहर धर्मपुर न्याय पंचायत, किलौली न्याय पंचायत व दानपुर व शेखूपुर न्याय पंचायत आदि ग्राम ऊसर क्षेत्र में है जिनमें लोगों के लिए पानी भी पीने को उपलब्ध नहीं है । इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थानों पर पाताल-तोड़ नलकूप या टंकी अथवा बड़े हैण्ड नल अविलम्ब लगवाये जाने चाहिए,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(2) मेरे क्षेत्र डिबाई में सिंचाई की भीषण समस्या है कि चार माइनर ऐसी हैं जिनके 1968 से आज तक टेल तक एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है जैसे लच्छिमपुर माइनर, धारिकपुर माइनर, मखना माइनर, घोसीपुरा माइनर जबकि इन माइनरों के क्षेत्र में किसानों से फर्जी सिंचाई शुल्क वसूला जाता है । धर्मपुर राजवाह जैसी महत्वपूर्ण व अन्य सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी वही अन्य समस्याओं का निदान होगा । मेरे क्षेत्र के राजकीय नलकूप मोटर स्टारटर की खराबी से अक्सर बन्द पड़े रहते हैं,

(3) मेरे क्षेत्र डिबाई में यातायात के साधनों का बहुत ही अभाव है । जहां पर रोड होते हुए भी बसें नहीं चलती हैं जैसे कि डिबाई से धर्मपुर, डिबाई से कर्णवास गंगा तट पर मुख्य तीर्थ स्थान है पहासू से दानपुर व धर्मपुर, पहासू से अहमदगढ़, डिबाई से रामपुर जरगवां, ऊंचागांव यातायात के कोई साधन नहीं हैं यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है । अतः प्राइवेट या सरकारी बसें चलाई जायं । नगर डिबाई में राजकीय बसों को खड़ा करने के लिए आज तक कोई बस स्टैण्ड नहीं है जहां पर प्रतिदिन हजारों सवारियां निकलती हैं और लगभग 70 बसें प्रतिदिन बरेली, बदायूं से दिल्ली व हल्द्वानी, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा व राजस्थान को डिबाई होकर चलती हैं । स्टैण्ड न होने के कारण सवारी को बहुत ही असुविधा व परेशानी उठानी पड़ती है अतएव अविलम्ब डिबाई नगर में स्टैण्ड बनाने की कार्यवाही की जाय,

(4) मेरे क्षेत्र में ऐसे भी गांव हैं जहां पक्की सड़कें तो दूर पैदल तक चलने का आने जाने का रास्ता नहीं है जैसे डिबाई से बाघौर, रल्ला, अकरवास, अकबरपुर, नगलाछत्तू, शेखूपुर, मौदीपुर, दीवला खेड़ा, प्रकाशपुर, बिलौली, डिस्रौल, आर्यपुरा, हुसैनपुरा, धर्मपुर, ईसनपुर, केसर खुर्द व बेलौन, त्रिलोनपुर खिकडवाली, बामनी, भमरऊ, ऊंचागांव आदि अनेक गांव हैं । यहां पर तुरन्त राज्य सेक्टर से धन देकर सड़कों का निर्माण करवाया जाये । इसके अतिरिक्त कुछ सड़कें जैसे पहासू से दानपुर, दानपुर से धर्मपुर सड़कों पर पत्थर गिट्टी पड़ी है आज तक उन पर पेंटिंग नहीं हुई है जिसके कारण पत्थर की गिट्टी उखड़ गयी है और सड़कें ऊबड़ खाबड़ हैं और आवागमन में बहुत बाधा होती है । यहां पर घोड़ा तांगा भी नहीं चल पाते हैं । राज्य सेक्टर द्वारा तुरन्त पेंटिंग कराने का कष्ट करें,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप

(5) विद्युत विभाग की जितनी भी निन्दा की जाये सम्भवतः कम ही पड़ेगी इस विभाग में घोर भ्रष्टाचार है विगत दस वर्षों से कई गांवों में विद्युत कनेक्शन हेतु खम्भे खड़े हैं किन्तु उन पर कोई कार्य नहीं हो सका उन पर तार खिंचवाये जाने चाहिए जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुए हैं उनका विद्युतीकरण कराया जाना चाहिए । मेरे क्षेत्र में विद्युत सब-स्टेशन 11 के० वी० की कमी है जिसके कारण विद्युत लाइनें बहुत ही लम्बी बनी हैं जिनमें आये दिन खराबी होती रहती है । वोल्टेज बहुत कम रहती है । किसानों की सिंचाई नहीं हो पाती है । अतः धर्मपुर व शेखूपुर, कुमरपर, केसर कलां पर 11 हजार के० वी० का विद्युत सब-स्टेशन बनाया जाये,

(6) धर्मपुर, सैदवा, रहीमकोट, बिलौनी, प्रकाशपुर की ऊसर रिक्त पड़ी भूमि पर किसानों एवं मजदूरों की गरीबी दूर करने के लिए चीनी मिल की स्थापना की जाये,

(7) किसान वैदिक इण्टर कालेज, खिड़कवारी, जनपद बुलन्दशहर को 20 वर्षों से ग्रान्ट इन एड पर नहीं लिया गया है कृपया ग्रान्ट इन एड की स्वीकृति की जाय,

(8) 60 हजार आबादी वाली नगरपालिका डिबाई में आज तक कोई भी राजकीय अस्पताल मर्दाना नहीं है, जिस नगर से करीब एक डेढ़ लाख आबादी के गांव लगते हैं डिबाई से जिला अस्पताल भी 65 कि० मी० दूर है ऐसी जगह 50 बेडों वाले राजकीय अस्पताल को स्थापित किया जाये,

(9) क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाने की गांवों में कोई व्यवस्था नहीं है अतः नरौना रतनपुर रामघाट व शेखूपुर व विलोनी, अहमदगढ़ पर महिला राजकीय इण्टर कालेज खुलवाने की व्यवस्था की जाय,

(10) मेरे क्षेत्र के गांवों से तहसील अनूपशहर काफी दूर पड़ती है अतः नई बिल्डिंग भीमपुर दुराहा पर तहसील व रजिस्ट्री दफ्तर को ऊसर रिक्त पड़ी भूमि में बनवायी जाय जो कि तहसील अनूपशहर का केन्द्र बिन्दु है,

(11) नगरपालिका डिबाई में पानी की टंकी जिसकी आबादी के अनुसार क्षमता कम हो गयी है बड़ी क्षमता की टंकी बनाने की व्यवस्था की जाय,

(12) राष्ट्रीय राजमार्ग–18 को बुलन्दशहर से नरौरा तक जनहित में चौड़ा कराने की कृपा की जाय, आवागमन में बहुत ही असुविधा रहती है,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		(13) शिक्षित बेरोजगार युवकों की गरीबी दूर करने के लिए डिबाई क्षेत्र में भारी उद्योग धन्धा एक करोड़ लागत लगाकर रोजगार की स्थापना की जाय जिससे शिक्षित और अशिक्षित युवकों को रोजगार मिल सकें,
		(14) गंगा नदी पर ऐतिहासिक कर्णवास, राजघाट, नरौरा, रामघाट को तीर्थ स्थलों में पर्यटन केन्द्र स्थापित कराने की व्यवस्था की जाय,
		(15) नरौरा में पालीटेक्निक, डिबाई में आई० टी० आई० की स्थापना की जाय ।"
64	श्री सुरेश कुमार खन्ना (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
		"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–
		1–प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के उपायों के संबंध में ।
		2–प्रदेश के समस्त ग्रामों को सड़क/मार्ग से जोड़ने के संबंध में ।
		3–प्रदेश के समस्त ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में ।
		4–प्रदेश में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के संबंध में ।
		5–प्रदेश की लगभग एक लाख जनता जो कि प्रतिदिन लखनऊ-बरेली मार्ग पर (वाया सीतापुर) यात्रा करती है की सुविधा हेतु शाहजहांपुर में बाईपास बनने के संबंध में ।
		6–शाहजहांपुर नगर में पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में ।
		7–शाहजहांपुर के ब्लाक मावलखेड़ा में इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में ।
		8–शाहजहांपुर नगर की सड़कों के पुनर्निर्माण के संबंध में ।
		9–शाहजहांपुर जनपद की तहसील जलालाबाद में कोलाघाट पर तथा तहसील तिलहर के मुण्डी घाट पर पुलों के निर्माण के संबंध में।
		10–प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने अथवा बेरोजगारी का भत्ता देने के संबंध में ।
		11–पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के स्थापित किये जाने के संबंध में ।
		12–प्रदेश की प्रत्येक नहर के छोर तक पानी पहुंचाने के संबंध में ।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13–प्रदेश के अधिकांश स्थानीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन समय से न मिलने पर तथा इस संबंध में होने वाली हड़तालों के संबंध में।"
65	प्रो० रविन्द्र पुण्डीर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–राज्यपाल के अभिभाषण में गैर सरकारी महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों में एक प्राथमिक स्कूल में रिक्त पड़े हजारों शिक्षकों के पदों को भरे जाने के संबंध में।

2–राज्यपाल के अभिभाषण में साधन विहीन हो रहे महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों को साधन सुलभ बनाने के लिए कोई कार्य योजना इंगित किये जाने के संबंध में।

3–राज्यपाल के अभिभाषण में बढ़ती हुई छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कम पड़ती जा रही अध्यापकों की संख्या को पूरा करने के संबंध में।

4–राज्यपाल के अभिभाषण में दोहरी शिक्षा की समाप्ति के संबंध में।

5–राज्यपाल के अभिभाषण पर छूटे हुए असहाय एवं सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों की सहायता सूची पर लिये जाने के संबंध में।

6–राज्यपाल के अभिभाषण में नकल विरोध में कानून को खात्मे के साथ विकल्प के रूप में कोई विश्वसनीय परीक्षा पद्धति का प्रस्ताव किये जाने के संबंध में।

7–गैर सरकारी विद्यालयों के दोहन के विसंगतियों का कोई प्रस्ताव किये जाने के संबंध में।

8–सरकार प्रदेश के शिक्षा विभाग में बढ़ते व्याप्त भ्रष्टाचार की स्थिति में काबू पाने पर असफल है।

9–सरकार विशेषकर स्नातक बेरोजगारों की समस्या का समाधान किये जाने के संबंध में।

10–मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराने के संबंध में।

11–किसानों को फसलों के उचित मूल्य तथा गन्ने के शेष भुगतान के संबंध में।

क्रम सं० प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	12–बिजली ट्रान्सफार्मर फुंके पड़े हैं उन्हें पुनः लगाने के संबंध में ।"
66–श्री घनश्याम शुक्ल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1–जनपद गोण्डा के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र–मुजेहना में कन्याओं के लिए कोई भी बालिका इण्टर कालेज नहीं है तथा न इस क्षेत्र में कोई महाविद्यालय है,

2–खरगूपुर टाउन एरिया में उच्चीकृति चिकित्सालय खोले जाने के संबंध में,

3–मुजेहना क्षेत्र में बनकसिया–मोतीगंज मार्ग उल्हापुर से मोतीपुर से इसी मार्ग पर बिसुही/कुआना नदी पर सेतु का निर्माण करने के संबंध में,

4–धानेपुर से विशम्भरपुर होते हुए पारा सरांय मार्ग/पारा सरांय से अलवल देवरिया मार्ग/सुभागपुर, सिसऊ रन्दूपुर मार्ग/गिलौली से तिर्रे मनोरमा होते हुए अनेगी मार्ग/तिर्रे मनोरमा से बल्हीजोत/इटिया थोक मार्ग से रुपईडीहा मार्ग/सदाशिव से पूर बसालत मार्ग/सदाशिव से बेलभिरिया होते हुए रानी जोत/धनेपुर मार्ग से ककरहा घाट पर बिसुही नदी पर सेतु का निर्माण/खरगुपुर मार्ग से रैकरवा रनियापुर, छिटनापुर होते हुए विशुनापुर मार्ग/पचरंग से असका होते हुए रुपईडीह तक मार्ग/असधा से कमरावा बड़ा हिमा होकर गोकरन शिवाला तक मार्ग/असधा से कमरावा होते हुए भुलईडीह तक मार्ग/धानेपुर–उतरौला मार्ग से मेई दूबे–नौसी तक मार्ग पक्का करने के संबंध में,

5–विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में 80 प्रतिशत ग्राम सभाओं में ग्रामीण विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में,

6–विकास खण्ड रुपईडीह/इटियाथोक मुजेहना में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग की स्थापना तथा खरगूपुर में इण्डस्ट्रियल एरिया स्थापित करने के संबंध में,

7–गोण्डा से धानेपुर होते हुए दतौली मार्ग पर परिवहन निगम के बसों के चलाये जाने के संबंध में,

8–गोण्डा जनपद में नवाबगंज शुगर मिल जो चीनी निगम द्वारा संचालित है । इस मिल पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया का भुगतान तत्काल दिलाये जाने के संबंध में,

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9–मुजेहना विधान सभा क्षेत्र में बलरामपुर चीनी मिल का गन्ना क्रय केन्द्र सेखुई/बनगाई में खोले जाने के संबंध में,
		10–मुजेहना विधान सभा क्षेत्र में कलस्टर नलकूप लगाये जाने के संबंध में,
		11–मुजेहना विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा घोषित 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में,
		12–पृथ्वीनाथ मंदिर को पर्यटक स्थल तथा उसका सौन्दर्यीकरण कराये जाने के संबंध में,
		13–इटियाथोक/धानेपुर बाजार को टाउन एरिया घोषित किये जाने के संबंध में,
		14–मुजेहना विधान सभा क्षेत्र के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल हेतु इण्डिया मार्का II हैण्ड पम्प लगाये जाने के संबंध में,
		15–मुजेहना विधान सभा क्षेत्र के बन्द पड़े नलकूपों को चालू कराने तथा गोण्डा से इटियाथोक होते हुए बाबागंज मार्ग पर परिवहन निगम की बस चलाये जाने के संबंध में,
		16–इसी विधान सभा क्षेत्र में वर्षों से खराब एवं बिगड़े हुए ट्रान्सफार्मरों को तुरन्त बदले जाने के संबंध में,
		17–सुहेला झील से किसानों का हजारों एकड़ प्रतिवर्ष जल निकासी का रास्ता न होने के कारण फसलों को बर्बाद होने से बचाये जाने के संबंध में।"

पी० एस० यू० पी०–एल० 144 विधान सभा (243)–1994–813 (डी० टी० पी०)।